। माला, खंड 15, अंक 19

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005

28 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parl... ...ding
... ...025
Acc ... 59 ...
Dated ... 4 Jan 2004

(खण्ड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 19, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005/28 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 368 और 370 से 381	3-35
अतारांकित प्रश्न संख्या 3660 से 3889	36-482
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	483-484
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	484-490
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	491-492
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	492-494

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005/28 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कल केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री और राज्य सभा के सदस्य श्री पी.एम. सईद का देहान्त हो गया था।

श्री पी.एम. सईद 1967 से 2004 तक चौथी से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके व्यापक संसदीय अनुभव को देखते हुए और सभा की प्रक्रिया तथा पद्धति के व्यापक ज्ञान के मद्देनजर ही उन्हें बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा में उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन तथा श्री मनोहर जोशी के निर्वाचन की अवधि तक उन्होंने अध्यक्ष के क्रियाकलापों का निष्पादन भी किया। वे 1991 से 1992 और 1996 से 1997 तक सभापति तालिका के सदस्य भी रहे।

श्री पी.एम. सईद वर्ष 1979 से 1980 तक इस्पात, कोयला और खान मंत्रालय 1993 से 1995 तक गृह मंत्रालय; और 1995 से 1996 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे।

श्री पी.एम. सईद की संसदीय कुशलता अद्वितीय थी और वे विभिन्न संसदीय तथा परामर्शदात्री समितियों में सदस्य और सभापति रहे।

श्री पी.एम. सईद एक भाषाविद् थे और उन्हें आठ भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने लक्षद्वीप में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में अहम भूमिका निभाई और वे उस क्षेत्र की लोक कलाओं के संवर्धन और विभिन्न अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। वे वर्ष 1968 से 1969 तक केन्द्रीय हज समिति के सदस्य और वर्ष 1970 से 1971 तक केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक निकायों से भी सम्बद्ध रहे। वे दलितों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे।

पेशे से अधिवक्ता, राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री पी.एम. सईद वर्ष 1967 में चौथी लोक सभा में 27 वर्ष की आयु में निर्वाचित होने वाले सबसे कम आयु के सदस्य थे।

श्री पी.एम. सईद ने अनेक देशों की यात्राएं की और वर्ष 1969 तथा 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्रमश: चौबीसवें और छत्तीसवें सत्रों में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व भी किया।

श्री पी.एम. सईद को उनके मृदु स्वभाव के कारण सभा के सभी वर्गों का सम्मान, प्यार और स्नेह हासिल था। वे एक समर्पित संसदविद् थे और संसदीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट परम्पराओं को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध थे तथा उन्होंने हमारे संसदीय इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

श्री पी.एम. सईद का निधन 18 दिसम्बर, 2005 को 64 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के उपरांत सिओल, दक्षिण कोरिया में हुआ।

हम श्री पी.एम. सईद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अति दु:ख के साथ यह भी सूचित करना है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 दिसम्बर, 2005 को तड़के बाढ़ राहत केन्द्र, अरिगनगर अन्ना विद्यालय, एम.जी.आर. नगर, चेन्नई में मची भगदड़ में 42 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 37 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई हैं। यह दु:खद घटना उस समय घटी जब बाढ़ राहत केन्द्र पर जमा हुए 4000 से अधिक लोगों ने राहत टोकनों के वितरण के पूर्वानुमान में विद्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। इस भगदड़ से बाढ़ की विभीषका की त्रासदी और अधिक बढ़ गई है।

हम इस त्रासदी में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा शोक संतप्त परिवारों को इस दु:ख की घड़ी में संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

अतः सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

***362. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और चालू वर्ष के लिए धान के क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किये गये थे;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समर्थन मूल्य के अलावा बोनस मूल्य प्रदान करने की अनुमति दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2004-05 मौसम के लिए धान (सामान्य) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 560 रुपए प्रति क्विंटल और धान (श्रेणी क) के लिए 590 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए थे जबकि वर्तमान वर्ष 2005-06 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान (सामान्य) के लिए 570 रुपए प्रति क्विंटल और धान (श्रेणी क) के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2005-06 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद धान की उच्चतर एम.एस.पी. के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) और (च) राज्य सरकारें स्वयं अपनी लागत पर किसी जिन्स के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस घोषित कर सकती है।

चावल का उत्पादन

***363. श्री मुनव्वर हसन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान चावल का किस्मवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय देश में चावल की कुल कितनी खपत है;

(ग) क्या चावल का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान चावल का कुल कितना निर्यात किया गया और देश में इसकी कमी के बावजूद इसके निर्यात के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान देश में चावल का कुल उत्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
2002-03	71.82
2003-04	88.28
2004-05*	85.31

*चौथे अग्रिम उत्पादन

तथापि, किस्म-वार उत्पादन आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा सूचित किए गए खपत संबंधी आंकड़ों के आधार पर 2005-06 में अखिल भारत स्तर पर चावल की खपत लगभग 82 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) जी हां।

(घ) हालांकि हम अपनी घरेलू मांग पूरी कर रहे हैं और

निर्यात भी कर रहे हैं, सरकार धान के अन्तर्गत उत्पादकता और क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इनमें कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) की वृहद प्रबंधन स्कीम, संकर किस्मों सहित बीजों की उन्नत किस्म हेतु प्रोत्साहन, चावल के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे चावल गहनता प्रणाली (एस.आर.आई.), जीरो टिलेज और अन्य संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का अपनाया जाना शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निर्यात किए गए चावल की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है:-

वर्ष	मात्रा (000 टन)
2002-03	4967.87
2003-04	3412.10
2004-05	4772.0

[अनुवाद]

श्रमिक सहकारिताएं

***364. श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिक सहकारिताओं लेबर कोआपरेटिवस को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को उन्हें निम्नवत् ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नाबार्ड द्वारा श्रमिक सहकारिताओं को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने श्रमिक सहकारिताओं संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को लागू किया है; और

(च) यदि हां, तो सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। सरकार देश में श्रमिक सहकारी समितियों के शीर्ष संगठन भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति संघ लिमिटेड (एन.एल.सी.एफ.) को सहायता प्रदान कर रही है। यह सहायता भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति संघ लिमिटेड को श्रमिक सहकारी समितियों के संवर्धन, विकास और दक्षता उन्नयन हेतु प्रदान की जाती है। श्रमिक सहकारी समितियों को अपने व्यावसायिक क्रियाकलाप करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से सहायता प्राप्त करने का पात्र भी बनाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास माल (गुड्स) के निर्माण और प्रसंस्करण में संलग्न राज्य सहकारी बैंकों के जरिए श्रमिक सहकारी समितियों को लघु अवधि के लिये ऋण स्वीकृत करने के लिए ऋण की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) जी, हां। श्रमिक सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने सिफारिशें की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) श्रमिक सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में संशोधन।

(ii) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति संघ के दक्षता विकास कार्यक्रमों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को जारी रखना।

(iii) आय कर के अंतर्गत स्रोत पर लगाए गए कर से श्रमिक और वन सहकारी समितियों को छूट।

(iv) बिक्री कर लगाने से छूट।

(v) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संबद्ध एजेन्सियों द्वारा श्रम/निर्माण संविदाएं देना।

क्रम संख्या (i) की सिफारिश के संबंध में दिनांक 21 जून, 2005 को अधिसूचना जारी की गई है जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता के लिए पात्र अधिसूचित सेवाओं में से एक के रूप में श्रम शामिल है। क्रम संख्या (ii) की सिफारिश क्रियान्वित कर दी गई है तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान दक्षता विकास कार्यक्रम हेतु सहायता जारी है। क्रम सं. (iii) से (v) की सिफारिशों के संबंध में इस मामले में संबद्ध प्राधिकारियों से सम्पर्क किया गया है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

***365. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की जरी इकाइयों और महाराष्ट्र के लघु उद्योगों सहित देशभर की 50 फैक्ट्रियों से हाल ही में बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास मुक्त करवाये गए उक्त बच्चों के पुनर्वास की और इस कार्य में कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पुनर्वास योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या उन फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है जिनमें ये बच्चे कार्यरत थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बच्चों का शोषण रोकने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में मारे गए छापों में, विभिन्न कशीदाकारी इकाइयों से 265 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान पहले भी ऐसे छापे मारे गए थे जिनमें 166 बच्चे मुक्त कराये गए थे। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिए छापे मारना और निरीक्षण करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का एक नियमित और सतत् क्रियाकलाप है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भी इस वर्ष विशेष अभियान चलाये गए जहां मुम्बई में जरी और अन्य लघु इकाइयों से 938 बच्चों को मुक्त कराया गया।

(ग) और (घ) बच्चों को उनके कार्यस्थलों से मुक्त कराने के पश्चात् उनके पुनर्वास के लिए उन्हें उनके पैत्रिक स्थानों पर भेजने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस संबंध में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम के अंतर्गत इन बच्चों के लिए प्रभावी पुनर्वास करने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ पहले ही यह मामला उठाया गया है।

(ङ) और (च) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम), 1986 के उल्लंघन में राज्य सरकारों द्वारा चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अभियोजन चलाये जाते हैं।

(छ) सरकार पहले से ही बाल श्रम के उन्मूलन के लिए देश के 250 बाल श्रम बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम चला रही है। इसमें बच्चों को कार्य से हटाया जाना और उन्हें विशेष स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाना तथा अंततः उन्हें नियमित शिक्षा प्रणाली में लाकर मुख्य धारा में लाना शामिल है।

शुष्क भूमि खेती और लघु सिंचाई योजनाएं

***366. श्री राकेश सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या लघु (माइक्रो) सिंचाई को सुगम बनाने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार किस प्रकार इन योजनाओं के लाभ को किसानों तक पहुंचाने का है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)

(ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.) के आवाह (कैचमेंट) क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

(iii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(iv) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

(ख) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय विभिन्न कृषि एवं बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना के माध्यम से राजय के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण के लिए बृहत् कृषि प्रबंधन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अधीन ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को शामिल करते हुए लघु सिंचाई को बढ़ावा देना अन्य घटकों में एक घटक है तथा किसानों को प्रणाली लागत की 25 प्रतिशत दर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत (i) *सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी

के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन" (टी.एम.एन.ई.) और (ii) "समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आईसोपॉम)" पर प्रणाली लागत के 50 प्रतिशत की दर पर लघु सिंचाई के लिए भी सहायता मुहैया कराई जा रही है। राजसहायता मदद मुहैया कराने के अलावा, जल के कुशल उपयोग के महत्व के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. अस्पताल को आदर्श अस्पताल में बदलना

*367. **श्री अमिताभ नन्दी:**

डा. एस.के. खारवेनथन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रहे कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों/औषधालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ई.एस.आई. अस्पताल को एक आदर्श अस्पताल के रूप में चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ई.एस.आई. अस्पतालों में विद्यमान सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) इस समय देश में 143 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 1427 औषधालय कार्य कर रहे हैं। अस्पतालों और औषधालयों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अब तक 12 अस्पतालों को आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित करने के लिए अधिगृहीत किया है, ये हैं-(i) नचरम (आंध्र प्रदेश) (ii) बेलटोला (iii) फुलवारी शरीफ (बिहार) (iv) रांची (झारखंड) (v) राजाजी नगर (कर्नाटक) (vi) आश्रमम (केरल) (vii) राऊरकेला (उड़ीसा) (viii) लुधियाना (पंजाब) (ix) जयपुर (राजस्थान) (x) साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) (xi) बापूनगर (गुजरात) और (xii) बारी ब्रह्मा (जम्मू)। इनके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जा रहे पांच अस्पतालों को भी आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये हैं- (i) जोका (पश्चिम बंगाल) (ii) के.के. नगर (तमिलनाडु) (iii) चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) (iv) नागदा (मध्य प्रदेश) (v) चंडीगढ़ (चंडीगढ़)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सेवाओं में सुधार/ आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के कार्यचालन को मानीटर करने के लिए, नोडल अधिकारियों, चिकित्सा रेफरियों, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और उनकी टिप्पणियों पर उपचारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों वाली सामान्य प्रयाजन चिकित्सा उप समिति वर्ष में कम से कम दो बार इस योजना के कार्यचालन का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करने हेतु दौरा करती हैं। उप समितियों की सिफारिशें और टिप्पणियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष रखी जाती हैं। राज्य सरकारों के लिए निधियों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, परिक्रामी निधि की एक योजना शुरू की गई है। परिक्रामी निधि का कार्यक्षेत्र, जो शुरू में उच्च विशेषज्ञता इलाज पर होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति करना था, अब उसे विस्तारित करके औषधि और मरहमपट्टी तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिए भी कर दिया गया है। अस्पतालों के क्रियाकलापों का सहभागी तरीके से अनुवीक्षण करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों, नियोजकों और चिकित्सा व्यवसाइयों को लेकर प्रत्येक अस्पताल के लिए अस्पताल समितियां भी गठित की गई हैं। सतत् मानव संसाधन विकास और नियमित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बजट का 0.5 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों के लिए चिकित्सा देखरेख प्रतिपूर्ति संबंधी अधिकतम सीमा 01-04-2005 से प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई प्रतिवर्ष 750 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दी गई है।

विवरण

राज्य	ई.एस.आई. औषधालयों की संख्या	ई.एस.आई. अस्पतालों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	133	11

1	2	3
असम	27	01
बिहार	25	03
चंडीगढ़ प्रशासन	02	01
छत्तीसगढ़	11	–
दिल्ली	42	04
गोआ	09	01
गुजरात	125	12
हरियाणा	70	05
हिमाचल प्रदेश	09	01
कर्नाटक	122	09
केरल	137	13
मध्य प्रदेश	47	07
महाराष्ट्र		
(क) मुम्बई	17	
(ख) पुणे	34	14
(ग) नागपुर	22	
मेघालय	01	–
उड़ीसा	49	06
पांडिचेरी	15	01
पंजाब	69	07
राजस्थान	64	05
तमिलनाडु	187	09
उत्तर प्रदेश	129	16
उत्तरांचल	07	–
पश्चिम बंगाल	37	14
जम्मू-कश्मीर	08	–
झारखंड	29	03
योग	1427	143

कामगारों का पलायन

***368. डा. आर. सेनथिल:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अकुशल कामगारों का न केवल गांवों से शहरों की ओर बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ व्यापक रूप से पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों में अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोग अपने मूल स्थान पर रोजगार अवसरों की कमी, बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश, व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश के भीतर 314.54 मिलियन व्यक्ति विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गए। इनमें से 29.90 मिलियन लोगों ने रोजगार हेतु प्रवास किया। अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 संबंधित सरकारों द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में क्रियान्वित किया जाता है। सम्बन्धित सरकारों के क्रियान्वयन तंत्र को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है। राज्य स्तर पर बेहतर रोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से, सरकार ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा बहुल क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) आदि जैसी अनेक स्कीमें शुरू की हुई हैं। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में, ग्रामीणों को 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियमन किया है।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का संशोधन

*370. **श्री सांताश्री चटर्जी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बीड़ी तथा सिगार कर्मकारों की नियोजन की शर्तों में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें कब तक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) चूंकि अधिकांश बीड़ी कामगार अपने घर पर कार्य करते हैं अत: सरकार ने उनकी कार्यदशाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हेतु अनेक पहल की हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य सरकार एक हजार बीड़ियां लपेटने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करती है। बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत राज्य सरकारें एक हजार बीड़ियां लपेटने हेतु अपेक्षित सामग्री की मात्रा अधिसूचित करती है। यह अधिनियम कारखानों में कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों पर लागू कार्य के घंटे, समयोपरि कार्य हेतु मजदूरी, विश्राम के अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी इत्यादि का भी विनियमन करता है। बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उनकी रहन-सहन दशाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब बीड़ी कामगार को अपने मकान बनाने हेतु 40,000/-रुपये की राशि के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार हृदय रोगों, गुर्दा प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए उदार वित्तीय सहायता और छोटी सर्जरी हेतु 30,000/-रुपये तक की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। पहचान पत्र धारक सभी बीड़ी कामगारों (भविष्य निधि के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) का निधि के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 10,000/-रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 25,000/-रुपये का बीमा किया जाता है। निधि के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

(ख) इस समय बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में इस्पात संयंत्र

*371. **श्री निखिल कुमार:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने इस्पात संयंत्र हैं;

(ख) उक्त में से कितने इस्पात संयंत्र लाभार्जन कर रहे हैं/रुग्ण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्ण इस्पात संयंत्रों का पुनरूद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है/की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्य-वार इस्पात संयंत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकारी क्षेत्र का कोई इस्पात संयंत्र रुग्ण नहीं है। निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के वित्तीय निष्पादन की सरकार द्वारा मोंनिटरिंग नहीं की जाती।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मिश्र इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.) तथा सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.) जिन्हें चालू वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान क्रमश: 16 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की सीमांत हानि हुई थी, को छोड़कर सेल की सहायक कंपनियों सहित सभी संयंत्र लाभ अर्जित कर रहे हैं। यद्यपि ए.एस.पी. ने निष्पादन में तीव्र गति से सुधार दर्शाया है, फिर भी मुख्य रूप से इसके परिसज्जित उत्पादों की कम मात्रा के कारण इसे

2005-06 की प्रथम छमाही के दौरान इसे हानि हुई जिससे कम निवल बिक्री प्राप्ति हुई जोकि स्क्रैप, निकल और फैरो मिश्र जैसे आदान सामग्रियों की लागत में मूल्य वृद्धि को पूरा नहीं कर सकी। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान मामूली लाभ अर्जित करने के बावजूद एस.एस.पी. को 2005-06 की प्रथम छमाही के दौरान हानि हुई क्योंकि मांग में उतार-चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेदाग इस्पात के मूल्यों में कमी के कारण यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

(छ) संबंधित इस्पात संयंत्रों के बाजार, कारोबार और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सेल ने अपने इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए निगमित योजना, 2012 तैयार की है। निगमित योजना में विशेष इस्पात संयंत्रों के लिए कुल लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें से 460 करोड़ रुपए और 1266 करोड़ रुपए क्रमशः ए.एस.पी. और एस.एस.पी. पर खर्च किए जाएंगे। ए.एस.पी. के निष्पादन में पहले ही सुधार हो चुका है। इसने 2004-05 की अंतिम तिमाही में सीमांत लाभ अर्जित किया और 2005-06 के दौरान अब तक अपनी हानि में कमी की। ए.एस.पी. और एस.एस.पी. के वित्तीय निष्पादन में सुधार करने के लिए ए.एस.पी. में आर्गन-ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन (ए.ओ.डी.) सुविधा संस्थापित की जा रही है। इससे ए.एस.पी. कम निकल की बेदाग इस्पात स्लैबों का अधिक किफायती ढंग से उत्पादन कर सकेगा। इन स्लैबों को आगे एस.एस.पी. में रोल किया जा सकता है। इससे ए.एस.पी. और एस.एस.पी. के बीच अत्यधिक तालमेल होगा और एस.एस.पी. के लिए आदान सामग्री की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।

विवरण

देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्य-वार इस्पात संयंत्रों की सूची

1. सरकारी क्षेत्र:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. सेल)		राज्य
1	2	3
(i)	बोकारो इस्पात संयंत्र	झारखंड
(ii)	भिलाई इस्पात संयंत्र	छत्तीसगढ़
(iii)	राउरकेला इस्पात संयंत्र	उड़ीसा
(iv)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
(v)	मिश्र इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
(vi)	विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र	कर्नाटक
(vii)	सेलम इस्पात संयंत्र	तमिलनाडु
(viii)	इंडियन आयरन एंड स्टीर क. (सहायक)	पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.)

(i)	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	आंध्र प्रदेश

2. 1-8-2005 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र (मुख्य उत्पादक, प्रमुख उत्पादक और गौण उत्पादक) के इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा:-

क्षेत्र	राज्य	संख्या
1	2	3
उत्तर	उत्तर प्रदेश	93
	चंडीगढ़	2
	दिल्ली	10
	हरियाणा	31
	हिमाचल प्रदेश	11
	जम्मू व कश्मीर	5
	पंजाब	101
	राजस्थान	23
	उत्तरांचल	23
	कुल	**299**
दक्षिण	तमिलनाडु	33
	पांडिचेरी	22
	कर्नाटक	7

1	2	3
	केरल	25
	आंध्र प्रदेश	10
	कुल	**97**
पूर्व	पश्चिम बंगाल	38
	उड़ीसा	44
	झारखंड	24
	बिहार	7
	मेघालय	10
	असम	7
	कुल	**130**
पश्चिम	छत्तीसगढ़	43
	दादर नगर हवेली	18
	दमन	9
	गोवा	18
	गुजरात	57
	महाराष्ट्र	72
	मध्य प्रदेश	17
	कुल	**234**
	सम्पूर्ण भारत	760

(स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति)

इस्पात का उत्पादन/निर्यात

***372. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष कई वर्षों से, तैयार कार्बन इस्पात के घरेलू उपभोग, उत्पादन और निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तैयार कार्बन इस्पात, पिग आयरन और स्पांज आयरन के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्पादन, निर्यात-आयात और घरेलू उपयोग के आंकड़े सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात उद्योग को आपूर्ति की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय इस्पात नीति इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को किस हद तक हल करने में समर्थ होगी;

(च) क्या सरकार के पास इस्पात के निर्यात में और वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों में देश में परिसज्जित (कर्बन) इस्पात की प्रत्यक्ष खपत और उत्पदन में धीमी गति से बढ़ोतरी हुई है तथापि, परिसज्जित (कर्बन) इस्पात के निर्यात में वर्ष 2003-04 से कमी आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित (कर्बन) इस्पात, कच्चे लोहे और स्पंज लोहे के उत्पादन, निर्यात, आयात और प्रत्यक्ष खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

मद	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
उत्पादन			
परिसज्जित (कर्बन) इस्पात	33.671	36.957	40.055

1	2	3	4
कच्चा लोहा	5.285	3.764	3.228
स्पंज लोहा	6.91	8.1	10.296
निर्यात			
परिसज्जित (कर्बन) इस्पात	4.506	4.835	4.381
कच्चा लोहा	0.629	0.518	0.393
स्पंज लोहा	शून्य	0.00895	0.0298
आयात			
परिसज्जित (कर्बन) इस्पात	1.510	1.540	2.109
कच्चा लोहा	0.001	0.002	0.008
स्पंज लोहा	शून्य	शून्य	शून्य
प्रत्यक्ष खपत			
परिसज्जित (कर्बन) इस्पात	28.897	31.169	34.389
कच्चा लोहा	4.644	3.263	2.791
स्पंज लोहा	6.91	8.09	10.77

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति और स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन)

(ग) और (घ) जी, नहीं। घरेलू उपलब्धता में होने वाली किसी भी कमी को आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है।

(ङ) राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के इस्पात उद्योग को इस्पात की विविधीकृत मांग को पूरा करने वाला आधुनिक और दक्ष तथा विश्व स्तरीय मानकों का उद्योग बनाना है। दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी खंडों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

(च) और (छ) उदारीकृत और नियंत्रणमुक्त माहौल में सरकार बुनियादी तौर पर एक सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है और नीतिपरक उपायों के जरिए अनुकूल माहौल तैयार करती है ताकि इस्पात उद्योग तेजी से विकास कर सके। ऐसे माहौल में प्राथमिक तौर पर, निर्यात सहित विपणन रणनीति अलग-अलग उत्पादकों/कंपनियों द्वारा स्वयं तय की जाती है।

अंत्योदय अन्न योजना पर प्रतिक्रिया

*373. **श्री मनोरंजन भक्त: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के निराश्रित, विकलांग तथा बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए बनाई गई अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) में बहुत कम लोगों ने रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त योजना को विभिन्न राज्यों के भूख से बुरी तरह पीड़ित तथा दूर-दराज के क्षेत्रों/गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, नहीं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2.5 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना सफलतापूर्वक चल रही है। 2.5 करोड़ परिवारों की अनुमानित संख्या में से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1.97 करोड़ से अधिक परिवारों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस स्कीम के अधीन आबंटन के प्रति खाद्यान्नों का उठान 90% से अधिक है जो स्कीम की सफलता दर्शाता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई व्यवहार्य अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, सम्पूर्ण देश में पहले ही अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित की जा रही है जो विभिन्न राज्यों में चिरकालिक रूप से भुखमरी प्रवण और दुर्गम क्षेत्रों तथा ग्रामों को भी कवर करती हैं। मैसर्स ओ.आर.जी. सेन्टर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट 7 सितम्बर, 2005 को प्राप्त हो गई है। इस अध्ययन में अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:-

(i) अंत्योदय अन्न योजना के 78% प्रत्यर्थियों (रिसपान्डेन्ट) के पास अलग रंग का कार्ड था और अन्य मामलों में कार्ड पर ही कार्ड की श्रेणी की मोहर लगा दी गई थी।

(ii) शहरी क्षेत्रों में केवल 10.5% प्रत्यर्थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14.6% प्रत्यर्थी अंत्योदय अन्न योजना की चयन प्रक्रिया के बारे में जानते थे।

(iii) अंत्योदय अन्न योजना के 90% से अधिक प्रत्यर्थी सभी जिंसों के लिए राशन की दुकानों पर निर्भर थे।

(iv) पिछले एक वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के 52% प्रत्यर्थियों ने गेहूं का उठान किया था और 43% ने चावल तथा गेहूं, दोनों का उठान किया था और 85% उत्तरदाता चावल उठा रहे थे।

(v) पिछले एक वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के 38% प्रत्यर्थियों ने चीनी का उठान किया था और 71% ने मिट्टी के तेल का उठान किया था। जिन प्रत्यर्थियों ने खाद्यान्नों का उठान न करने की सूचना दी थी उन्होंने इसका कारण राशन की दुकान में स्टाक का उपलब्ध न होना बताया था।

(vi) अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए निश्चित अनाज सही बताया गया था और इसकी बिक्री तयशुदा कीमत पर की गई थी।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार/पुनर्गठन

***374. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने सरकार से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ किस तरह से धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) ने सितम्बर, 2004 में यह सुझाव दिया था कि सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के विचारार्थ विषयों की पहली मद ऐसी होनी चाहिए, जो उसे सामान्य तौर पर सरकारी उद्यमों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अधिक स्वायत्त व व्यावसायिक बनाने के उपायों पर विचार करने में समर्थ हो सके। यह भी सुझाव दिया गया था कि बोर्ड का कार्यकरण सिर्फ उन्हीं सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करने या उनके मामले में परामर्श देने तक सीमित नहीं होना चाहिए जिनके मामले सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं।

(ग) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा प्रबंधन द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए समय-समय पर प्रत्येक मामले के आधार पर उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। पुनर्गठन संबंधी कुछ उपायों में व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, नई निधि का निवेश, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति को तर्कसंगत बनाना आदि शामिल हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु वित्तीयन के लिए उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इससे संबंधित विभिन्न तरीकों में कंपनी के निजी संसाधनों का उपयोग, परिसंपत्तियों की बिक्री, सरकार की गारंटी से या उसके बिना संसाधन संग्रहण, सरकार द्वारा ऋण/अनुदान आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

गोदामों में सड़ रहे खाद्यान्न

***375. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न गोदामों में करोड़ों रुपये के खाद्यान्न सड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के खाद्यान्न सड़ गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 1 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 1.42 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का भण्डार था।

(ख) वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल में लगभग 1290.44 करोड़ रुपए की लागत वाले लगभग 13.68 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की प्राप्ति हुई थी।

(ग) 1 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में कुल स्टाक के प्रतिशत के रूप में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का स्टाक केवल 0.7 प्रतिशत था जोकि नगण्य है। खाद्यान्नों को क्षति से बचाने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है जिसमें ढके हुए गोदामों की क्षमता में वृद्धि करना, वैज्ञानिक भंडारण की विधियों और 'प्रथम आगम प्रथम निर्गम' सिद्धान्तों का पालन करना शामिल है।

[अनुवाद]

बीजों की मांग और उपलब्धता

***376. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर फसलों के लिए बीज उपलब्धता और बीज प्रतिस्थापन दर वांछित स्तर से अपर्याप्त और कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बीजों की विभिन्न किस्मों विशेषकर फसलों/समस्याग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित विशेष किस्मों के मामलों में बीजों की उपलब्धता और मांग में भी असमानता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी हां। यद्यपि गुणवत्ताप्रद बीजों का उपयोग 1979-80 के 14 लाख क्विंटल से बढ़कर 2005-06 में 140.51 लाख क्विंटल हो गया है फिर भी कई फसलों की बीज विस्थापन (रिपलेसमेंट) दरें सामान्यतया अभी भी वांछित स्तर से कम हैं। केन्द्र सरकार राज्यों को गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शनों के आयोजन, मिनिकिटों के वितरण और अन्य उपायों के लिये सहायता देती है। इस साल एक बीज ग्राम योजना भी शुरू की गई है जिसका उद्देश्य किसानों के अपने बचे बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाना है जिससे बीज विस्थापन दर में भी सुधार आयेगा।

(घ) से (च) रबी 2005 के लिए 73.10 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है जबकि आवश्यकता 55.47 लाख क्विंटल बीज की ही है। रबी और खरीफ के पहले आयोजित जोनल बीज समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों ने बीजों की मांग और आपूर्ति के बीच किसी गंभीर असामान्जस्य की जानकारी नहीं दी है।

बीज मांग पत्र और उत्पादन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं यथा-(I) खरीफ 2006 से आगे प्रजनक बीजों के मांग पत्र और आपूर्ति की संशोधन प्रणाली। (II) एक राष्ट्रीय बीज योजना तैयार करना जिसमें (सैल्फपोलिनेटिड) स्वयं रोगित, पर परागित और संकर फसलों के लिये क्रमशः 25%, 35% और 100% की दर से बीज विस्थापन किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण खोलना

***377. श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कितने श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक के पास कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में न्यायाधीशों की कमी के कारण श्रम न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं और वे कब से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में "समुचित सरकार" है। केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए, इस समय भारत सरकार द्वारा स्थापित बाईस (22) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय हैं। उनमें से प्रत्येक के पास लम्बित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र में उठने वाले औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए "समुचित सरकार" है। राज्य सरकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत राज्य श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के गठन और ऐसे न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की तैनाती का अधिकार सौंपा गया है।

राज्यों में कार्य कर रहे श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के लिए उनके पास लम्बित मामलों की संख्या के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। "समुचित सरकार" के रूप में राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि ये अपने क्षेत्राधिकार में श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के सुचारू कार्यचालन को सुनिश्चित करें।

विवरण

दिनांक 30 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में लम्बित मामले

क्रमांक	केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	मामले
1	2	3
1.	मुम्बई नं. 1 $	494
2.	मुम्बई नं. 2	443
3.	नागपुर	888
4.	धनबाद नं. 1	2108
5.	धनबाद नं. 2	970
6.	जबलपुर	2141
7.	कानपुर	679
8.	नई दिल्ली नं. 1	512
9.	नई दिल्ली नं. 2	596
10.	आसनसोल	630
11.	कोलकाता $	260
12.	चंडीगढ़ नं. 1	1226
13.	चंडीगढ़ नं. 2**	709
14.	जयपुर	151
15.	लखनऊ	420
16.	बंगलौर	425
17.	एर्नाकुलम*	11
18.	चेन्नई	587
19.	हैदराबाद	719
20.	भुवनेश्वर	441
21.	गुवाहाटी*	24
22.	अहमदाबाद*	1683
	कुल	16117

$ इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

* इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को हाल ही में गठित किया गया है।

** सूचना अगस्त, 2005 तक की है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

***378. श्री रामदास आठवले:**

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु कोई अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) क्या सरकार द्वारा सभी राज्यों के विद्यालयों में "इको क्लब" स्थापित किये गये हैं/किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 के मध्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान नामक एक राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया गया था। इस अभियान में जागरूकता सृजन कार्यों के आयोजन और इन्हें करने के लिए पूरे देश के गैर-सरकारी संगठनों, विद्यालयों, कालेजों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला एवं युवा संगठनों, सैनिक इकाइयों, सरकारी विभागों आदि को थोड़ी बहुत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान इस प्रयोजन के लिए पूरे देश के 7588 संगठनों को 421 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 से स्कूली छात्रों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत पारि-क्लबों की स्थापना की गई है। इन क्लबों की पूरे देश के प्रत्येक जिले में छात्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कार्योन्मुखी पर्यावरण कार्यक्रम को ध्यान में रख कर स्थापना की जाती है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों को कितनी भी संख्या में क्लबों को स्थापित करने की छूट है परन्तु कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रति जिला 150 पारि-क्लबों तक सीमित है। वर्ष 2004-05 के दौरान देश में 68125 पारिक्लबों को 6,96,82,838/-रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

ताज गलियारा परियोजना

***379. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजमहल के निकट नदी के किनारे पर लगे पत्थरों से इस विश्व विरासत स्मारक को पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ताजमहल के एकदम पीछे नदी के किनारे पर ताज गलियारा परियोजना हेतु रखे गए पत्थरों को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने अभी तक नहीं हटाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस परियोजना हेतु पत्थर रखने से ताज को होने वाले प्रभावों की आशंका को देखते हुए 'यूनेस्को' ने एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की थी;

(ङ) यदि हां, तो 'यूनेस्को' के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) ताज हेरीटेज कोरीडोर प्रोजेक्ट से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है। हाल ही में ताज हेरीटेज कोरीडोर परियोजना के अनुसार निर्माण कार्यों की वजह से जो क्षेत्र अस्त-व्यस्त हुआ था उसके पुनर्वास के प्रयोजनार्थ न्यायालय ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) मलबा हटाने; और (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताज के भीतर और उसके आसपास के पर्यावरण को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की जाए, और यदि आवश्यक हो तो मलबा उठाने और भराव की लागत सहित आगामी उपाय करने के मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभ में समिति द्वारा ताज हेरीटेज कोरीडोर के निर्माण के लिए उठाए गए कदमों सहित पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को नोट किया जाए और मलबे की इन्वेंटरी ली जाए।

(घ) और (ङ) ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)-अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद् (ईकोमॉस) संयुक्त मॉनीटरी मिशन द्वारा गठित समिति ने भारत का दौरा जनवरी, 2004 में किया गया था। मिशन की सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ताज हेरीटेज कोरीडोर प्रोजेक्ट से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन है।

विवरण

मिशन की सिफारिशों का सार

1. यह अनिवार्य है कि ताजमहल और आगरा फोर्ट से संबंधित, विश्व विरासत सुरक्षा चाहरदीवारी और प्रबंधन दिशानिर्देशों को मूल्यांकित और संभावतया पुन: परिभाषित किया जाए। हाल ही के अनुसंधान पर ध्यान दिया जाए जो दर्शाता है कि ताज स्मारक के मौलिक डिजाइन में मेहताब बाग और यमुना नदी के साथ-साथ अन्य पुन: अवस्थापित सांस्कृतिक भू-संपदा भी शामिल थीं। ये पूरे क्षेत्र का एक अनिवार्य भाग है, अत: इनकी समेकित सुरक्षा अपेक्षित है।

2. व्यापक क्षेत्रीय नियोजित योजना के अध्यधीन फतेहपुर सीकरी को संभावित रूप से शामिल करके ताजमहल और आगरा किले को एकल संरक्षित विश्व विरासत क्षेत्र के रूप में एकीकृत किया जाए ताकि भू-संपदा का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

3. संस्थागत निर्माण स्तर पर विभिन्न स्थल में सम्मिलित स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित परामर्श करके और स्थल प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा सहभागी योजना, संरक्षण और प्रबंधन प्रक्रिया बनाने का सुझाव दिया गया है।

   यह प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में तीन विश्व विरासत भू-संपदा के संरक्षण विकास की समस्याओं के निराकरण हेतु संभवतया सांस्कृतिक और पर्यटन उप मंत्री की अध्यक्षता में विषय निर्वाचन समिति गठित की जाए। विषय-निर्वाचन समिति, आगरा जिले में विश्व विरासत भू-संपदा के संरक्षण और विकास के लिए नियमित रूप से एक क्षेत्रीय योजना को अनुमोदित व अद्यतन करें।

4. स्थल पर संरक्षण चुनौतियों के निराकरण के लिए वृहत प्रबंधन योजना और इसका प्रभावी कार्यान्वयन का विस्तार अनिवार्य है। संरक्षण और विकास के लिए क्षेत्रीय योजना के आधार पर प्रबंध योजना विकसित की जाए।

5. स्थल पर उन्नत प्रस्तुतिकरण और आगन्तुकों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रबंधन से भू-संपदा को काफी लाभ मिलेगा। मिशन द्वारा एक नया आगन्तुक केन्द्र देखा गया था जिसने स्थल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित संकल्पनाओं को नोट किया।

   अत: यह सिफारिश की जाती है कि आगन्तुक-प्रबंधन योजना विस्तारित की जाए और तत्काल कार्यान्वित की जाए। यह योजना आर्थिक विकास को देखते हुए आगन्तुकों की क्षमता को बढ़ाने और पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए नई पहलों को खोजने जैसी वर्तमानी समस्याओं का समाधान करेगी।

6. सुरक्षित क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों पर शहरी विकास के दबाव का मूल्यांकन करने के क्रम में स्थल मॉनीटरी सूचक और विस्तृत स्थल-पर मॉनीटरी क्रियाविधि की पहचान करना अनिवार्य होगा। इस क्रियाविधि में संबंधित भू-संपदा सुरक्षा स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट जो हर छ: वर्षों के बाद विश्व विरासत समिति को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, में विश्व विरासत भू-संपदाओं की संरक्षण की स्थिति की मॉनीटरी और शहरी भू-दृश्य को समेकित करने के लिए जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना तंत्र) जैसे नए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का उपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

मृदा कटाव के कारण फसलों की बर्बादी

***380. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मृदा कटाव के कारण बर्बाद हुई बहुमूल्य पोषक खाद्य फसलों/खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृदा कटाव के कारण प्रत्येक वर्ष होने वाले वित्तीय घाटे के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मृदा कटाव के कारण कुल कितने हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है और इसके कारण क्षतिग्रस्त हुई भूमि की प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) मृदा कटाव को रोकने के लिए कुल कितने भूमि क्षेत्र पर मृदा संरक्षण किया गया है;

(च) मृदा कटाव से कौन-कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं;

(छ) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ज) मृदा निर्माण एवं अपरदन (इरोजन) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पारिस्थितिकीय प्रणाली में सन्तुलन बनाये रखने के लिए साथ-साथ घटित होती है। भूमि अनाच्छादन (डेनूडेशन) का महत्व प्राकृतिक निर्माण से अधिक है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में मृदा अपरदन की औसत दर 16.4 टन प्रति हैक्टे. प्रति वर्ष है तथा प्रत्येक वर्ष जल अपरदन के जरिये 5.3 बिलियन टन से अधिक मृदा का ह्रास होता है जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक रूप से लगभग 8 मिलियन टन पादप पोषक तत्व की हानि होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग नियोजन ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एंड एल.यू.पी.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 328.60 मिलियन हैक्टे. के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146.82 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र (45%) विभिन्न प्रकार के भूमि निम्नीकरण (डीग्रेडेशन) से ग्रस्त है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	भूमि निम्नीकरण का प्रकार	मिलियन हैक्टे. में क्षेत्र की सीमा
1.	जल अपरदन	93.68
2.	वात अपरदन	9.48
3.	जल जमाव	14.30
4.	क्षारीयता/लवणीयता	5.95
5.	मृदा अम्लीयता	16.03
6.	जटिल समस्या	7.38
	कुल निम्नीकृत क्षेत्र	146.82

केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि ऊपरी मृदा की हानि की वजह से फसलों की उपज तथा किसान की आय में कमी आई है। फार्म उत्पादकता को सतत् बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने देश में मृदा अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण के लिए पनधारा विकास से संबंधित बहुत सी स्कीमों/कार्यक्रमों का निरूपण किया है। ये कार्यक्रम हैं-(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एंड एफ.पी.आर.) के जलग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मृदा संरक्षण, (iii) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (iv) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.), (v) निम्नीकृत भूमियों के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, (vi) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (vii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) (viii) समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा (ix) राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थतिकी विकास परियोजना (एन.ए.ई.पी.)। इन कार्यक्रमों के तहत मार्च, 2005 तक 14577.00 करोड़ रु. व्यय करते हुए लगभग 28.5 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र का विकास किया गया है।

ऐसे राज्य जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा मृदा अपरदन/भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है, वे हैं- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु निगरानी समिति

***381. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर निगरानी हेतु सतर्कता समितियां गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी सतर्कता समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं;

(ग) क्या अधिकतर राज्य ऐसी समितियां गठित करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर मानीटरिंग करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है कि वे इन समितियों को सक्रिय करें और यदि इन समितियों का पहले पुनर्गठन नहीं हुआ है तो इनका पुनर्गठन करें और पुनर्गठन करते समय समितियों में कार्ड धारकों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और जन-प्रतिनिधियों में से व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करें। मॉडल सिटीजन चार्टर में पंचायत/वार्ड, तालुक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा सतर्कता समितियों का गठन करने पर भी जोर दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए जून, 1999 में जारी दिशा-निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि उचित दर दुकानों संबंधी समितियों का गठन करने के लिए ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सतर्कता समिति के मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करना और इससे संबंधित समस्याओं को दूर करना है। फिलहाल, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकान स्तर, ब्लाक/मंडल/तालुक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियां कार्य कर रही हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुनः अनुरोध किया गया था कि वे ग्राम, ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर क्रमशः सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और खाद्य मंत्री/सचिव की अध्यक्षता में सतर्कता समितियों का गठन करें।

(छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू कार्यकरण के लिए कार्यकुशलता में सुधार लाना और जिम्मेदारी तय करना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित करने के अलावा पंचायती राज संस्थाओं को इसके क्रियान्वयन में शामिल किया गया है और 'माडल सिटीजन चार्टर' जारी किया गया है। इसके अलावा सतर्कता समितियां गठित की जाती हैं और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना में अनियमितताओं को रोकने तथा उनका निरीक्षण और मानीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी भेजे जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राज्य खाद्य सचिवों, राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किए गए, आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स फैडरेशन के साथ बैठक भी आयोजित की गई और सभी संसद सदस्यों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस तरीके से सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को केन्द्रित करते हुए क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

सतर्कता समिति के संबंध में स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापना का स्तर
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	सभी स्तर
2.	अरुणाचल प्रदेश	सभी स्तर
3.	असम	सभी स्तर
4.	बिहार	सूचना प्राप्त नहीं हुई
5.	छत्तीसगढ़	उचित दर दुकान स्तर
6.	दिल्ली	सभी सर्किलों में
7.	गोवा	विचाराधीन
8.	गुजरात	सभी स्तर
9.	हरियाणा	सभी स्तर
10.	हिमाचल प्रदेश	उचित दर दुकान और जिला स्तर
11.	जम्मू व कश्मीर	सभी स्तर
12.	झारखंड	सभी स्तर
13.	कर्नाटक	उचित दर दुकान और जिला स्तर
14.	केरल	सभी स्तर
15.	मध्य प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	सभी स्तर
17.	मणिपुर	उचित दर दुकान स्तर
18.	मेघालय	सभी स्तर
19.	मिजोरम	सभी स्तर
20.	नागालैण्ड	सभी स्तर
21.	उड़ीसा	सभी स्तर
22.	पंजाब	जिला और ब्लाक स्तर
23.	राजस्थान	सभी स्तर
24.	सिक्किम	सूचना प्राप्त नहीं हुई
25.	तमिलनाडु	सभी स्तर
26.	त्रिपुरा	सभी स्तर
27.	उत्तरांचल	सूचना प्राप्त नहीं हुई
28.	उत्तर प्रदेश	सरकार ने सतर्कता समितियां गठित करने के लिए सभी जिलाधीशों को अनुदेश जारी किए हैं
29.	पश्चिम बंगाल	सभी स्तर
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	ग्राम और जिला स्तर
31.	चण्डीगढ़	उचित दर दुकान स्तर
32.	दादरा नगर हवेली	विभिन्न स्तर
33.	दमन व दीव	सूचना प्राप्त नहीं हुई
34.	लक्षद्वीप	प्रत्येक द्वीप समूह
35.	पांडिचेरी	राज्य और आंचलिक स्तर

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का अनुपालन नहीं किया जाना

3660. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड अपना राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय से ही अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि पर ब्याज की सांविधिक दर देने के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ग) क्या नियोक्ता ऐसी घाटों की भरपाई करने के लिए बाध्य है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए बी.एस.सी.एल. प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या बी.एस.सी.एल. ने किसी धनराशि की मांग की है अथवा अपने पुनर्गठन प्रस्तावों में इस संबंध में कोई प्रावधान किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) मैसर्स बर्न स्टैन्डर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड ने 1995-96 तक ब्याज की दर सांविधिक दर से कम घोषित की है। उसके बाद वे सांविधिक दर पर ब्याज का भुगतान करते रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान करने को प्रशासित करने वाली विधिवत अधिसूचित शर्तों में ऐसी हानियों की भरपाई करने के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था।

(घ) से (छ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

'वाटर ऑडिट' और जल संरक्षण

3661. श्री सुब्रत बोस: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल उपयोग के तीन क्षेत्रों यथा घरेलू सिंचाई और औद्योगिक में 'वाटर ऑडिट' और जल संरक्षण हेतु मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जल के वितरण और लागत की वसूली के संबंध में मसौदे के क्या परिणाम निकले;

(घ) पश्चिम बंगाल में कितना जल उत्पादित होता है और मीटर वाले तथा बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग कितना जल निर्गत किया जाता है;

(ङ) पश्चिम बंगाल में जल-रिसाव के द्वारा कुल कितना जल बर्बाद होता है; और

(च) सरकार जल की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या निवारात्मक कदम उठा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में वाटर आडिट और जल संरक्षण संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक उपयोगों सहित वाटर आडिट एवं जल संरक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश का मसौदा तैयार किया गया। वाटर आडिट एवं जल संरक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश को मसौदे को विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर पालिका (के.एम.सी.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए जल के वितरण एवं लागत की वसूली के संबंध में मसौदा तैयार नहीं किया गया है।

(घ) सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति के संबंध में मीटर की व्यवस्था नहीं की जाती है। तथापि, कोलकाता नगर पालिका ने जल आपूर्ति के लिए आंशिक रूप से मीटर प्रणाली की व्यवस्था की है। कोलकाता में 4.4 मिलियन गैलन प्रतिदिन आपूर्तित जल के लिए मीटर की व्यवस्था है जबकि 213.6 मिलियन गैलन प्रतिदिन आपूर्ति जल के लिए किसी मीटर की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) और (च) कोलकाता नगर पालिका ने एक अध्ययन के परिणाम को सूचित किया है जिसमें लगभग 35% जल के अगणित क्षति का संकेत है।

कोलकाता नगर पालिका द्वारा उठाए गए निवारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:-

- कोलकाता नगर पालिका ने सदी पुरानी रिवेटेड माइल्ड स्टील पाइप और कास्टआयरन की मुख्य पाइपों का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है। क्षतिग्रस्त कास्ट आयरन पाइपों के बदलने का कार्य चरणबद्ध रूप में चल रहा है।
- कोलकाता नगर पालिका पाइप लाइनों में लीकेज की तत्काल मानीटरी और मरम्मत करती है तथा पम्पिंग स्टेशनों के पम्पों की भी मरम्मत कर रही है।
- स्थायी स्थानों से जल की बर्बादी को रोकने के लिए प्रत्येक स्थायी स्थानों जहां जल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है, टर्नकाक स्थापित करने के कदम उठाए गए हैं। कुछ स्थायी स्थानों में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में टर्नकाक फिट कर दिए गए हैं।
- कोलकाता नगर पालिका ने और स्थायी स्थानों को स्थापित करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।
- कोलकाता नगर पालिका ने पहले से ही अधिसंख्यक उपभोक्ताओं को अधिसंख्यक मीटर जारी कर दिए हैं।
- कोलकाता नगर पालिका ने करीब 100 एयर वाल्व बदल दिए हैं और एयर वाल्वों के जरिए होने वाले रिसाव को रोकने के लिए विभागीय कर्मचारियों द्वारा एयर वाल्वों की मरम्मत नियमित रूप से की जा रही है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु नाबार्ड की धनराशि

3662. श्री परसुराम माझी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड राज्यों को बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में बाढ़ नियंत्रण हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से ऋण मंजूर करता है।

विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत की गई कुल राशि निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1.	हिमाचल प्रदेश	–	20.93	–
2.	जम्मू-कश्मीर	16.21	0.66	3.95
3.	कर्नाटक	3.13	–	0.23
4.	केरल	1.40	2.54	20.45
5.	उड़ीसा	–	0.98	19.97
6.	पंजाब	–	29.36	27.69
7.	तमिलनाडु	–	0.63	–
8.	उत्तर प्रदेश	83.85	32.84	134.65
9.	पश्चिम बंगाल	3.88	5.17	41.12
10.	सिक्किम	3.25	–	0.26
11.	उत्तरांचल	–	–	15.44

(ग) और (घ) हालांकि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है फिर भी केन्द्र सरकार गंभीर स्कीमें तथा अन्य उपाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिक्किम और पश्चिम बंगाल (उत्तर बंगाल) सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी के लिए गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्य कार्यान्वित किए जाने हैं।

(ii) 10वीं पंचवर्षीय योजना (2004-07) के लिए 242.17 करोड़ रुपये की लागत से गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य।

(iii) 54.57 करोड़ रुपये की लागत से देश के समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास का सुधार - इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों की स्कीमें शामिल की गई हैं। उड़ीसा के लिए 13.13 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से राज्य सरकार को 4.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(iv) केन्द्रीय जल आयोग ने देश में 173 केन्द्रों के एक नेटवर्क की स्थापना की है जिसमें बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली के लिए उड़ीसा के 12 केन्द्र शामिल हैं जिनके माध्यम से सभी महत्वपूर्ण बाढ़ प्रवण नदियों के संबंध में अग्रिम रूप से बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की चालू प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए 10वीं योजना के दौरान 51.00 करोड़ रुपये की लागत वाली एक स्कीम प्रारंभ की है।

(v) बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत भारत सरकार ने सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सनकोसी भण्डारण-सह-डाइवर्सन स्कीम के अन्वेषणों और इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके लिए 29.34 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

जन प्राकृतिक आपदा न्यास

3663. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जन प्राकृतिक आपदा न्यास द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): इस मामले से गृह मंत्रालय संबंधित है और उन्हें आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बांधों हेतु तमिलनाडु को नाबार्ड से सहायता

3664. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने तमिलनाडु सरकार को सिंचाई के प्रयोजनार्थ बांधों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी अनुमानित लागत आई है; और

(ग) इन बांधों को पूरा कर लिए जाने पर अनुमानित कितने कृषि क्षेत्र के लाभान्वित होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुमानित लागत और अयाकट क्षेत्र सहित, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत तमिलनाडु में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तमिलनाडु में आर.आई.डी.एफ. के तहत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला	नवीनतम लागत (रुपये लाख में)	आर.आई.डी.एफ. ऋण (रुपये लाख में)	अयाकट क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1.	अरियानकांजुर (पीपी)	तिरूवन्नामलाई	4.90	4.41	35.20
2.	वट्टवनाहल्ली (पीपी)	धर्मपुरी	9.28	8.35	22.17
3.	पप्पागुडी	विरुद्धनगर	41.07	36.96	82.00
4.	कवांडापलायम (पी)	इरोड	12.00	10.80	20.00
5.	वडावेडमपट्टी (पी)	कोयम्बटूर	7.45	6.71	17.39
6.	अरियानायकपुर (पी)	तुतीकोरिन	22.05	19.85	38.38
7.	सूरियामापट्टी (एन.टी.)	पुडुकोट्टाई	12.30	11.07	24.00
8.	जागीरमंगलम	कांचीपुरम	67.15	62.55	87.54
9.	कोम्मापाली	धर्मपुरी	17.80	16.02	22.35
10.	सस्थाकोइल जलाशय	विरूद्धनगर	865.00	783.00	1267.00
11.	नक्कालाकोट्टाई	विरूद्धनगर	24.45	22.01	30.34
12.	कुल्लामपत्ती	विरूद्धनगर	24.97	22.48	40.78
13.	कुडाकुलेनथुर	विरूद्धनगर	31.28	28.15	77.88

1	2	3	4	5	6
14.	सिथालूर	शिवगंगा	70.00	63.00	81.56
15.	मरावकुलम	शिवगंगा	25.49	22.95	53.60
16.	अमरदाकुडी	पुडुकोट्टाई	9.20	9.20	46.21
17.	परवीरमंगलम	पुडुकोट्टाई	21.00	21.00	169.70
18.	मारूथांगडी	पुडुकोट्टाई	30.15	27.14	38.46
19.	पुंडीकुलम	पुडुकोट्टाई	99.00	89.10	225.50
20.	पंचाटी	पुडुकोट्टाई	140.00	126.00	710.20
21.	पुडुवाकोट्टाई	पुडुकोट्टाई	45.76	21.68	219.20
22.	सतना एनीकट	पुडुकोट्टाई	30.75	30.75	112.40
23.	गोविन्दामंगलम	रामनाथपुरम	17.62	17.62	113.40
24.	थुलकरपट्टी	तिरूनेलवेली	29.28	29.28	52.98
25.	कुणकरमपक्कम	कांचीपुरम	22.13	20.12	35.26
26.	अथिपडी	तिरूवन्नामलाई	15.00	11.27	29.00
27.	सेबानुर	शिवगंगा	13.70	10.44	32.00
28.	वल्लीपट्टीवरी	पुडुकोट्टाई	29.00	22.50	56.00
29.	टी.एम. कोट्टाई	रामनाथपुरम	75.00	56.55	130.00
30.	पेरिया एरी एनीकट	सलेम	1087.74	904.92	1354.00
31.	चेंजादैनाथपुरम	रामनाथपुरम	40.20	33.46	77.00
32.	मुरामबन	तुतीकोरिन	66.78	57.20	93.00
33.	मदुरावल्ली	कुड्डालोर	72.00	54.50	101.00
34.	चिन्नासेलम	विल्लुपुरम	93.00	77.46	126.00
35.	सिंगल एरी	धर्मपुरी	12.00	9.35	21.00
36.	एलावनकोट्टाई	शिवगंगा	94.70	79.14	243.00
37.	सुन्नमपिरूप्पु	शिवगंगा	35.33	29.57	69.00
38.	थेरकर पुल्लुर	विरूद्धनगर	50.40	42.12	53.00
39.	कुदनकुलम	शिवगंगा	51.74	43.23	84.00

1	2	3	4	5	6
40.	गदाना जलाशय विस्तार	तिरूनेलवेली	1146.93	1039.34	3654.00
41.	कन्नीमेरकुलम	तिरूनेलवेली	34.31	28.98	50.00
42.	सेरवैकरनपट्टी	विरूद्धनगर	38.42	32.54	36.00
43.	चिन्नमपेडु	थिरूवाल्लुर	79.43	66.36	636.00
44.	कलवोईसद्यानेरी विस्तार	तुतीकोरिन	1201.45	1104.85	1222.00
45.	इरूक्कनकुडी जलाशय	विरूद्धनगर	5546.00	4872.67	4229.00
46.	तिम्माराजपुरम	तुतीकोरिन	21.06	18.96	39.00
47.	अलंदा	तुतीकोरिन	19.37	17.43	17.00
48.	पैकुलम	मदुरई	50.16	45.14	43.00
49.	सेनबगाथोप जलाशय	तिरूवन्नामलाई	2803.44	2671.91	3207.00
50.	निलायूर चैनल	मदुरई	1979.36	1827.59	4027.00
51.	पेरियापलियामपट्टी टैंक	विरूद्धनगर	65.64	58.99	74.00
52.	नत्तार एनीकट	शिवगंगा	43.71	39.34	60.00
53.	लक्ष्मीपुरम	थिरूवाल्लुर	488.73	439.85	1332.00
54.	मान्या कानमोई	शिवगंगा	12.82	11.54	63.00
55.	एमजेपी वरात्तर जलाशय	धर्मपुरी	3084.38	2782.70	2063.00
56.	मिरूगंधनदी जलाशय	तिरूवन्नामलाई	1753.84	1396.22	1291.00
57.	अंदियाप्पानूर जलाशय	वेल्लोर	2440.00	1491.37	2040.00
58.	वेल्लारेंडल सरूगनी	रामनाथपुरम	39.51	37.53	360.00
59.	थालवारपुंडी	कांचीपुरम	56.20	53.39	81.00
60.	कोसास्थालियार	थिरूवाल्लुर	253.06	240.41	272.00
61.	कुप्पानाथम	तिरूवन्नामलाई	3694.70	3454.70	3971.00
62.	थुराईपुर	तुतीकोरिन	29.41	27.94	33.00
63.	चिन्नार	तुतीकोरिन	70.54	67.01	97.00
64.	राजापथी	तिरूनेलवेली	47.43	45.06	63.00
65.	अय्यानरकोलोदाई	मदुरई	353.73	336.04	293.00

1	2	3	4	5	6
66.	वेट्रियालंकुलम एनीकट	शिवगंगा	49.61	47.13	196.00
67.	कप्पालवदी चैनल	धर्मपुरी	85.31	81.05	82.00
68.	पोथियामपल्लम चैनल	थर्मपुरी	86.38	82.06	242.00
69.	आगमलाई वरात्तर	थेनी	21.75	20.66	78.00
70.	मरूदर एनीकट प्रणाली	तुतीकोरिन	952.73	905.09	3898.00
71.	ओंगुर डाइक (बाढ़ सुरक्षा)	कांचीपुरम	65.80	62.52	0.00
72.	वंडल ओडाई जलाशय	तिरूनेलवेली	614.34	583.62	976.00
73.	सरूगानी-सेक्काडी एनीकट	शिवगंगा	48.11	45.70	136.00
74.	तिरूक्कुरूंडी पेरियाकुलम	तिरूनेलवेली	102.78	93.37	335.00
75.	अय्यानारकुलमपती चैनल	तुतीकोरिन	66.68	63.35	195.00
76.	अठारहवीं नहर	थेनी	2456.18	2456.18	2305.00
77.	मलात्तर एनीकट	रामनाथपुरम	3624.76	3624.76	3598.00
78.	पासीमुथान ओडाई	कुड्डालोर	264.92	251.67	1585.00
79.	सेंडानाडु बेड बांध	विल्लुपुरम	39.72	37.73	138.00
80.	कावेरी नदी पर आधुनिकीकरण/ आई.ई.जी.	तिरूचिरापल्ली	1738.83	1651.89	25300.00
81.	घाली चैनल प्रणाली मोड	कोयम्बटूर	440.92	418.87	1190.00
82.	ओ.ए.सी.एम.-पावीलंगम एनीकट	कोयम्बटूर	138.68	131.75	265.00
83.	ओ.ए.सी.एम.-अरियापुरम एनीकट	कोयम्बटूर	124.23	118.02	498.00
84.	ओ.ए.सी.एम.-पेरियानाई एनीकट	कोयम्बटूर	180.86	171.82	770.00
85.	ओ.ए.सी.एम.-केरियापट्ट एनीकट	कोयम्बटूर	210.53	200.00	310.00
86.	ओ.ए.सी.एम.-वडक्कालुर एनीकट	कोयम्बटूर	120.83	114.79	721.00
87.	बरूर सप्लाई चैनल का आधुनिकीकरण	धर्मपुरी	514.70	475.32	1915.00
88.	पुनुकोंडापुरम का आधुनिकीकरण	धर्मपुरी	426.88	395.78	1389.00
89.	कृष्णागिरि आर.एम.सी. विस्तार	कृष्णागिरी	706.32	671.00	857.00
90.	ऐथर चैनल विस्तार	तिरूवन्नामलाई	26.06	24.76	95.00
91.	बडतालव चैनल विस्तार	कृष्णागिरी	711.85	676.26	642.00

1	2	3	4	5	6
92.	वैलायुथापुरम: एफ. एण्ड टी.	तुतीकोरिन	38.44	36.52	28.00
93.	चोकालिंगपुरम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	40.75	38.71	56.00
94.	अचनकुलम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	52.23	49.62	56.00
95.	कुमारेट्टयापुरम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	25.96	24.66	25.00
96.	सुब्बालापुरम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	50.30	47.79	40.00
97.	कट्टारानकुलम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	19.31	18.34	24.00
98.	मेलापान्डायापुरम: एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	17.53	16.65	26.00
99.	मरकांडानदी सिगारालापैल	कृष्णागिरी	232.80	221.16	188.00
100.	नल्लीउप्पोडल नांबीपुरम एनीकट	तुतीकोरिन	113.85	108.16	338.00
101.	निचाबनाधी मांधीकुलम	तिरूनेलवेली	44.52	42.29	309.00
102.	कुथांगल बेड बांध	रामनाथपुरम	92.84	88.20	2127.00
103.	लोअर नत्तारकल बेड बांध	रामनाथपुरम	67.89	64.50	2064.00
104.	ग्रीधुमल एनीकट	विरूद्धनगर	86.81	82.47	756.00
105.	इरेम्बेडु एनीकट	तिरूवन्नामलाई	25.83	24.54	37.00
106.	मुंबालई वेल्लार एनीकट	पुडुकोट्टाई	157.40	149.53	154.00
107.	तिरूप्पालाकुडी पियारू एनीकट	रामनाथपुरम	52.68	50.05	167.00
108.	पंबियार माथुर एनीकट	विल्लुपुरम	417.40	396.53	392.00
109.	कानुर बेड बांध	शिवगंगा	76.97	73.12	1714.00
110.	मिलामानूर बेड बांध	शिवगंगा	74.86	71.12	854.00
111.	टी. अय्यप्पापुरम एफ.एन.टी.	तुतीकोरिन	23.39	22.22	19.00
112.	विश्वाकुडी एफ.एन.टी.	नामक्कल	723.36	687.19	550.00
113.	कोयलमल्लयार जलाशय	वेल्लोर	1298.04	1233.14	1448.00
114.	पुमबिडागल आपूर्ति चैनल	विरूद्धनगर	20.91	19.86	80.00
115.	आधुनिक कोलेरून रेगूलेटर	थंजावुर	1363.20	1295.04	20600.00
116.	लोअर भवानी बांध	इरोड	700.79	665.75	1633.00
117.	सोलयुर बांध	कोयम्बटूर	647.93	615.53	3795.00
118.	मनीनुथर मुख्य नहर	तिरूनेलवेली	1537.68	1460.80	9248.00

1	2	3	4	5	6
119.	आधुनिक कनिडियन चैनल	तिरूनेलवेली	1778.74	1689.80	4943.00
120.	अय्यांगुडी चैनल	पुडुकोट्टाई	73.25	69.59	717.70
121.	सिरूमरूदर चैनल	पुडुकोट्टाई	133.33	126.66	619.00
122.	कालाक्कामंगलम चैनल	पुडुकोट्टाई	428.67	407.24	1448.00
123.	स्टैनले मेत्तूर बांध सेफ्टी	सलेम	83.66	83.66	1160.00
124.	मेत्तूर नहर प्रणाली आधुनिकीकरण	सलेम	1135.09	1135.09	18000.00
125.	सिलानाईकेनपट्टी एफ.एन.टी.	मदुरई	169.68	169.68	146.00
126.	बोम्माराजपेट एफ.एन.टी.	थिरूवाल्लुर	33.01	33.01	43.00
127.	कयामोझी कानम चैनल	थूथुकुडी	92.46	92.46	184.00
128.	सेंगमेडु एम. समुद्रम एनीकट	पुडुकोट्टाई	92.65	92.65	151.00
129.	बरगुर जी.डी. कुप्पम एनीकट	कृष्णागिरी	30.56	30.56	30.00
130.	विलांगुडी थेलुर एनीकट	पेराम्बलूर	35.03	35.03	70.00
131.	वाहिक्कल चेकबांध	नामक्कल	23.78	23.78	38.00
132.	कन्नाकोट्टाई सरप्लस एनीकट	थिरूवाल्लुर	100.82	100.82	144.00
133.	करईपोट्टानार एनीकट्स पुनर्वास	तिरूचिरापल्ली	101.58	101.58	621.00

वन्य जीवों हेतु कृतिक बल

3665. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से असम में समस्त पशु प्रजाति के पूरी तरह समाप्त होने के खतरे को देखते हुए कोई कृतिक बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में विभिन्न राज्यों में गैंडों/एक सिंग वाले गैंडों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ल्ड वाइड फंड नेचर-इंडिया और इन्टरनेशनल रीनो फाउन्डेशन के बीच कोई साझेदारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत अन्य देशों को एक सिंह वाले गैंडों की आपूर्ति कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में कितने एक सिंग वाले गैंडों की आपूर्ति की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैंडों को स्थानांतरित करने के लिए असम में एक कृतिक बल गठित किया गया है। तथापि, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के कोई खतरे सामने नहीं आए हैं। गैंडों को उनकी व्याप्ति के मूल स्थानों पर स्थानान्तरित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों में गैंडों की विद्यमान संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैंडों की संख्या
1.	असम	1672
2.	पश्चिम बंगाल	121
3.	उत्तर प्रदेश	22

(ग) और (घ) जी, हां। इस परियोजना के लिए वर्ल्ड वाइड फण्ड फार नेचर-इण्डिया और इन्टरनेशनल रीनो फाउण्डेशन द्वारा भी समर्थन प्रदान किया जाता है। इन संगठनों के तकनीकी विशेषज्ञ अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर इस परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करेंगे।

(ङ) और (च) चिड़ियाघरों में एक सींग वाले गैंडों सहित सभी जानवरों की अदला-बदली केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अतिनियमनिष्ट तरीके से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के चिड़ियाघरों से एक सींग वाला कोई भी गैंडा विदेशी चिड़ियाघरों/विदेशों में नहीं भेजा गया है।

सरकारी कार्यालयों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को काम पर लगाना

3666. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री इलियास आजमी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध आधार पर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को काम पर लगाने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों को प्रत्यक्षत: भुगतान किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुरूप, सरकारी कार्यालय सहित कोई प्रतिष्ठान किसी भी क्रियाकलाप में निषिद्ध क्रिया कलापों को छोड़कर, ठेकेदारों के जरिए ठेका श्रमिक को काम पर रख सकता है।

(ग) ठेकेदार को दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा नियोजित वही कर्मकार नियमित कर्मचारियों के बराबर मजदूरी और अन्य सेवा शर्तों के पात्र हैं जो प्रधान नियोक्ता के नियमित कर्मचारियों जैसा या समान प्रकृति का कार्य निष्पादित करते हैं।

(घ) और (ङ) ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी के भुगतान के लिए ठेकेदार ही उत्तरदायी है और उसके द्वारा भुगतान न करने या कम भुगतान करने की स्थिति में ठेका श्रमिक को भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रधान नियोक्ता का है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

3667. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन प्रयोगशालाओं को प्रदान की गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य उत्पादों के लिए स्वयं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं करता है। वैसे, यह मंत्रालय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-2003 और उसके बाद वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित राज्यवार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रयोगशालाओं की संख्या	सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	170.38
2.	दिल्ली	3	198.23
3.	गुजरात	1	274.80

1	2	3	4
4.	झारखण्ड	1	50.00
5.	मध्य प्रदेश	1	29.70
6.	पंजाब	1	143.15
7.	तमिलनाडु	1	82.99
8.	पश्चिम बंगाल	2	291.71

आनुवांशकीय रूप से संवर्धित फल, सब्जी और बीज की किस्में

3668. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनुवांशिक रूप से संवर्धित भारतीय सब्जी और फल, बीजों की किस्मों के माध्यम से देश के विरुद्ध जैव तकनीक युद्ध छेड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सब्जी की भारत अमेरिकी किस्म स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसमें पोषक तत्व भी कम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आनुवंशिक रूप से संशोधित सब्जी और फलों के किसी बीज को देश में बेचे जाने की अभी अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं होता।

(ग) सब्जी की इन्डो-अमेरिकन किस्म की हानिकारिकता के संबंध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मलेशिया के साथ चर्चा

3669. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मलेशिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यटन की स्थिति क्या रही है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए मलेशिया से पर्यटक आगमन निम्न प्रकार है:-

2002	63,748
2003	70,750
2004	83,963

[अनुवाद]

राजस्थान में जल संकट

3670. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में जल संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अब तक राज्य सरकार को सौंपने हेतु कितने 'एक्सप्लोरेटरी' कुएं निर्मित किए गए हैं और सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) राजस्थान को अब तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना लाभ हुआ है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) राजस्थान देश का एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तथापि, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में जल का कोई संकट नहीं है।

सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने राजस्थान में उपलब्ध जल संसाधनों के त्वरित उपयोग के लिए निम्नानुसार प्रभावी कार्रवाई की है:-

(i) मौजूदा सिंचाई प्रणालियों के नवीकरण और पुनर्वास के लिए दो प्रमुख परियोजनाएं, नामतः राजस्थान जल क्षेत्र, पुनर्संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) और राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना (आर.एम.आई.आई.पी.) प्रारंभ की गई है।

(ii) भूजल पुनर्भरण के लिए 48000 संरचनाओं की एक मास्टर योजना तैयार कर ली गई है जिनमें से 17000 संरचनाओं पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(iii) राजस्थान सरकार ने भी भूजल आधारित स्कीमों को छोड़कर सतही जल आधारित स्कीमों को अपना लिया है। इस संबंध में 3500 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

(iv) 7000 से अधिक मानीटरिंग केन्द्रों (की वैल्स एवं पीजो मीटर्स) के लिए जल स्तर की मानीटरी की जा रही है और राजस्थान राज्य भूमिजल विभाग ने 299 कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है।

(v) 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्लाट क्षेत्र वाले प्लाटों के लिए छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आर.टी. डब्ल्यू.एच.एस.) का निर्माण अनिवार्य बना दिया गया है।

(vi) प्रभावित गांवों/रिहाइशों के लोगों की पेयजल समस्या दूर करने के लिए, 211.00 करोड़ रुपये की एक आकस्मिकता योजना तैयार की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा जल स्रोतों का विकास, 1073 नये ट्यूबवैलों, 8825 नये हैंड पंपों का निर्माण, 1280 किलोमीटर (के.एम.) पाइप लाइनों को विस्तार और लगभग 10,000 रिहाइशों (गर्मी के उच्चतम स्तर पर होने के दौरान सर्वाधिक अपेक्षित होता है) में सड़क द्वारा जल का संवहन शामिल है।

(vii) इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में मौजूदा पेयजल स्रोतों का विकास, 300 नये ट्यूबवैलों, 1623 नये हैंड पंपों का निर्माण, 267 किलोमीटर पाइप लाइनों का विस्तार और सड़क द्वारा जल का संवहन प्रस्तावित है।

(viii) 1-12-2005 से राजस्थान के सभी 32 जिलों में एक विशेष हैंड पंप मरम्मत अभियान चलाया गया है।

(ग) राजस्थान सरकार को सौंपने के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा 876 अन्वेषी कुएं निर्मित किए गए हैं।

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत राजस्थान सरकार को 1523.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। ए.आई.बी.पी. सहायता से पूरी की गई स्कीमों के माध्यम से लगभग 3,18,061 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

खुरपका तथा मुंहपका रोग

3671. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में खुरपका तथा मुंहपका रोग पशुओं को बुरी तरह प्रभावित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के मात्र 54 विनिर्दिष्ट जिलों में रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्यक्रम के पूरे देश में कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बदले वैश्विक परिदृश्य में संचारी/संक्रामक रोगों की आशंका के कारण हमारे पशुधन और पशु उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, कृषि और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) खुरपका और मुंहपका रोग देश में कभी-कभी होता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार देश के चुनिन्दा 54 जिलों में एक सघन खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। जिलों के चयन का मानदण्ड इन जिलों में उच्च उत्पादक पशुओं की उपस्थिति और इन जिलों से पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात की संभावना है। "पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक एक और केन्द्रीय प्रायोजित

योजना है जिसमें खुरपका और मुंहपका रोग सहित विभिन्न रोगों के विरुद्ध पशुओं के रोग प्रतिरोध के लिए प्रावधान है। राज्यों में अन्य जिले इस कार्यक्रम के तहत कवर किए जाते हैं।

(घ) तीन प्रमुख रोग अर्थात् पशुप्लेग, संक्रामक बोवाईन प्लूरो-न्यूमोनिया और खुरपका तथा मुंहपका रोग देश और विश्वभर में पशुधन और पशुधन संबंधित व्यापार पर प्रभाव डालते हैं। देश पशुप्लेग और संक्रामक बोवाईन प्लूरो-न्यूमोनिया से मुक्त है। तथापि, खुरपका तथा मुंहपका रोग देश में कभी-कभी होता रहता है। पशु स्वास्थ्य संहिता के लिए विश्व संगठन के अनुसार वे संक्रमित देश पशुधन और पशुधन उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं जहां सरकारी नियंत्रण कार्यक्रम मौजूद है जिसमें गोपशुओं के अनिवार्य क्रमिक टीकाकरण की व्यवस्था हो। भारत के पास खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए सरकारी कार्यक्रम है।

शुष्क भूमि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

3672. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में चावल और गेहूं हेतु उपलब्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली शुष्क भूमि फसलों के लिए नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शुष्क भूमि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रणाली में धान और गेहूं के अलावा, शुष्क भूमि फसलें भी कवर की जाती हैं। ये फसलें हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ, उड़द, मूंग, चना, मूंगफली, सूरजमुखी, खोपरा, रामतिल, तोरिया, सरसों, कुसुम, कपास और तम्बाकू।

निजी कंपनियों को वीजा

3673. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों के लिए वीजा आउटसोर्सिंग हेतु सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) निजी एजेंसियों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग करके, विदेशों से पर्यटकों हेतु वीजा विनियमों को सरल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रभावशीलता

3674. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहतर उपभोक्ता संरक्षण हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रभावशीलता बढ़ाने संबंधी अध्ययन हेतु कार्य समूह गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद केंद्र में कार्यरत एक शीर्ष निकाय है। माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामलों के मंत्री, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, स्वायत्तशासी निकायों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, महिलाओं, किसानों, व्यापार, उद्योग आदि के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। यह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्णत: सक्षम है।

(ङ) "राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति" का मसौदा तैयार करने के लिए तमिलनाडु सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रधान

सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य थे।

[हिन्दी]

वर्षा सिंचित कृषि

3675. श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में वर्षा सिंचित कृषि हेतु निजी और सरकारी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर्स संघ (फिक्की) ने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आई.एफ.पी.आर.आई.) और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.) के साथ संयुक्त रूप से वर्षा सिंचित कृषि की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में 19-20 अक्तूबर, 2005 को एक दो दिवसीय सार्वजनिक निजी सहभागिता संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उच्चतर कृषि विकास के लिए गरीबों के हित में सार्वजनिक निजी सहभागिता के बारे में इस सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान निवेश के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता, आपूर्ति शृंखला प्रबन्धन के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबन्धन के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता की गई। 250 से अधिक प्रतिभागियों ने इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, उजबेकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।

इस सम्मेलन का परिणाम वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियों वर्षासिंचित कृषि पर विशेष संकेन्द्रण के साथ कृषि में निवेश बढ़ाने, वर्षासिंचित क्षेत्रों में फसलोपरान्त प्रबन्धन में नई प्रौद्योगिकियों के आरम्भ किए जाने की जरूरत, शीत शृंखला, भाण्डागारों और फसलोपरान्त सुविधाओं के रूप में अवसंरचना विकास में निवेश को निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के सफल माडलों को दोहराने में इसकी सिफारिशों के रूप में रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात में पशुपालन और डेयरी को प्रोत्साहन

3676. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पशुपालन और डेयरी को प्रोत्साहन के लिए कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष राशि के इस प्रयोजनार्थ कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुपालन के संवर्धन के लिए गुजरात को 1492.79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार के पास खर्च नहीं की गई 91.42 लाख रुपए की राशि शेष है जो मुख्यत: 2004-05 के दौरान जारी की गई राशि के कारण है। इस राशि के चालू वित्त वर्ष के उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

तटबंधों का निर्माण

3677. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागमती और कमला बालन नदियों के तटबंधों के पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए 356 करोड़ रुपये मुहैया कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि राज्य सरकार को कब तक निर्गत कर दी जाएगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबन्धन और कटाव रोधी स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केन्द्र द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक प्रकृति की होती हैं।

तथापि जल संसाधन मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए 46.00 करोड़ रुपये की लागत से लालबकिया, कमला, बागमती और खाण्डो नदियों पर मौजूदा तटबंधों को ऊंचा उठाने, मजबूत करने और विस्तार करने की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को 5.00 करोड़ रुपये (बागमती तटबंध स्कीम के लिए 1.5 करोड़ रुपये और कमला तटबंध स्कीम के लिए 3.5 करोड़ रुपये) की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

अंडे, ऊन और मछली का उत्पादन

3678. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडे, ऊन और मछली का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने उक्त उत्पादों को बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सरकार अण्डा, ऊन और मत्स्य उत्पादन के लिए लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अण्डा, ऊन और मत्स्य का कुल उत्पादन और प्रक्षेपित अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है:-

		2002-03	2003-04	2004-05
अण्डा (बिलियन संख्या)	प्रक्षेपित अनुमान	34.13	43.09	41.00
	उत्पादन	39.82	40.40	45.20
ऊन (मिलयन किलोग्राम)	प्रक्षेपित अनुमान	52.11	53.50	50.00
	उत्पादन	50.50	48.50	44.50
मत्स्य (मिलियन टन)	प्रक्षेपित अनुमान	6.20	6.40	6.51
	उत्पादन	6.20	6.40	6.30

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार अण्डा, ऊन और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने और रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है और विभिन्न संस्थानों को स्थापित कर रही है।

अण्डा:

(1) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता।

(2) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।

(3) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन स्थापित करना।

ऊन:

(1) एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम।

(2) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों को 100% अनुदान आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(3) केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म।

मत्स्य:

(1) अंतर्देशीय और जलकृषि का विकास।

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाएं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास।

(3) मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर, 2004 में व्यापक समुद्री मात्स्यिकी की घोषणा की गई थी।

(4) देश में अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास के लिए सभी संभावित जिलों को शामिल करने के लिए 429 मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (एफ.एफ.डी.ए.) और 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (बी.एफ.डी.ए.) का एक नेटवर्क कार्य कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना आदान-प्रदान करने के लिए कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन

3679. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्लिन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्टस् के प्रोत्साहन हेतु आपस में सूचना के आदान-प्रदान के लिए हाल ही में भारत और कनाडा द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) समझौते का अभिप्राय जलवायु परिवर्तन उपायों पर सहयोग को सरल एवं कारगर बनाना और ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों की बाजारोन्मुखी तैनाती को बढ़ावा देकर क्योटो प्रोटोकाल और माराकेच समझौता के अनुच्छेद 12 के अनुसरण में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने वाली संयुक्त परियोजनाओं (पुराने ताप विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, ऊर्जा क्षम एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और सतत् प्रयास जो सिंक एवं कार्बन पूल की सुरक्षा और/अथवा वृद्धि को बढ़ावा देता है सहित) का संवर्धन करना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर सूचना का आदान-प्रदान करना है। समझौते पर 8 दिसम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजनाएं

3680. श्री गणेश सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं;

(ग) इस संबंध में स्वीकृति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या नर्मदा वैली डेवलपमेंट के अन्तर्गत बार्गी डायवर्जन प्रोजेक्ट के दाहिने तरफ वाली नहर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और उनकी आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रखरखाव का दायित्व उनकी प्राथमिकता के आधार पर मुख्यत: राज्य सरकारों का है। सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा की गई आयोजना और बजटीय आबंटन पर निर्भर करता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार वर्ष 1996-97 से इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रही है। राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त 13 परियोजना प्रस्तावों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल कर लिया गया है और परियोजनाओं के नामों सहित मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। बाणसागर (यूनिट-I और यूनिट-II), माही, बावनथाडी, ओमकारेश्वर, बारगी डाइवर्जन (फेज-I और फेज-II) और हारसी उच्च स्तरीय नहर के संबंध में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से इस वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है और कुछ स्पष्टीकरणों/अनुपालन राज्य सरकार को वापस भेजा गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा बारगी डाइवर्जन परियोजना की दायीतट मुख्य नहर (आर.बी.सी.) की 104 किलोमीटर (कि.मी.) लंबाई तक कार्य किया जा रहा है। दायां तट नहर की 0-16 कि.मी. तक की प्रारम्भिक लंबाई के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण सहायता मिल रही है जबकि दायां तट नहर के 16 से 63 कि.मी. और 63 से 104 कि.मी. के बीच के घटकों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा रही है और केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में अब तक 167.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत घटकों को वर्ष 2007-08 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

वर्ष 1996-97 से 2005-2006 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में प्रारंभ हुई)	राशि												
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005			2005-2006	कुल
										ऋण	अनुदान	कुल	अनुदान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	इंदिरा सागर (VI)	37.500	51.000	37.500	40.000	80.000	23.000	74.010	190.154	87.4580	37.4820	124.9400		658.1040
	बाणसागर (यूनिट-I) (V)	23.250	54.000	20.000	38.000	25.000	43.330		95.836	19.9717	8.5593	28.5310	8.5593	336.5063
	बाणसागर (यूनिट-II) (V)								40.640	47.6000	20.4000	68.0000		108.6400
2.	अपर वेनगंगा (V) (पूर्ण)	2.500	5.000	10.000	9.830	14.000	2.200	5.560	1.016					50.1060
3.	राजघाट बांध (V)	0.000	0.000	11.500	4.375	11.928			2.400	8.4000	3.6000	12.0000		42.2030
4.	सिंघ फेज-II (VI)	0.000	0.000	2.250	2.120	7.730	46.660	47.200	128.680	79.9540	34.2660	114.2200		348.8600
5.	सिंघ फेज-I (V)	0.000	0.000	0.000	1.000	3.500		2.320	8.056					14.8760
6.	माही (VI)					2.170	1.855	17.850	28.456	22.4000	9.6000	32.0000		82.3310
7.	बरियारपुर (V)					5.000		7.060	29.056	18.3330	7.8570	26.1900		67.3060
8.	उर्मिल (V) (पूर्ण)					1.000	0.335	0.600	0.456					2.3910

9. बंजार (V) (पूर्ण)					1.000		0.400						1.4000
10. वावनथाडी (VI)								18.330	19.5230	8.3670	27.8900		46.2200
11. महान (VI)								5.400	8.0990	3.4710	11.5700		16.9700
12. ओमकारेश्वर (VIII)								20.164	49.9520	21.4080	71.3600		91.5240
उप-जोड़ 1	63.250	110.000	81.250	95.325	151.328	117.380	155.000	568.440	361.6907	155.0103	516.7010	8.5593	1867.2333
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता													
13. बारगी बांध आर.बी.सी. 16 किमी.-63 किमी. (V)						98.030						4.8864	102.9164
बारगी डाइदव प्रो. नहर (63 किमी. से 104 किमी.)							65.000						65.0000
उप-जोड़ 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.030	65.000	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	4.8864	167.9164
कुल	63.250	110.000	81.250	95.325	151.328	215.410	220.000	568.440	361.6907	155.0103	516.7010	13.4457	2035.1497

वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता सीमा 750 करोड़ रुपए सी-पूर्ण अन्तर्राज्यीय परियोजना

[अनुवाद]

चावल/धान का निर्यात

3681. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादित चावल और धान में अवशिष्ट स्तर एफ.ए.ओ. द्वारा निर्धारित स्तर से कहीं अधिक मात्रा में कीटनाशक पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत छह महीनों के दौरान चावल/धान-निर्यात के किसी जहाजी बेड़े को इनकार कर दिया गया है और इस आधार पर उसे वापस कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) चावल/धान के स्टाकों से अतिशय अवशिष्ट कीटनाशक को हटाने और बिक्री हेतु जहाज पर उनको लादने/निर्गत करने से पहले उनकी सरसरी तौर पर जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादित चावल के कीटनाशी अवशिष्ट संदूषण का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) कीटनाशी अवशिष्ट संदूषण के कारण चावल के निर्यात संबंधी खेप के अस्वीकार होने का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इकाई को एडीडीए को सौंपा जाना

3682. श्री सुनील खां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी दुर्गापुर इकाई के टाउनशिप को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.) की दुर्गापुर इकाई के रिक्त क्वार्टरों को अस्थायी पट्टे पर आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। क्वार्टरों को सौंपने की समय-सीमा मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) के बीच रूपात्मकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तिलहनों का उत्पादन

3683. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में तिलहनों का राज्यवार और किस्मवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश के अन्य क्षेत्रों में तिलहनों के हुए उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कितना था;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों के किसानों को कोई प्रोत्साहन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश में कर्नाटक, तिलहन उगाने वाला एक प्रमुख राज्य है जो देश के कुल तिलहन उत्पादन में सामान्यतया लगभग 6% का योगदान करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान तिलहन उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश सहित 14 राज्यों में चल रही है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान आइसोपाम के अन्तर्गत दक्षिणी राज्यों में मुहैया की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

राज्य	आइसोपाम*	
	2004-05	2005-06
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3559.97	2650.00
कर्नाटक	2155.00	1800.00
केरल (केवल आयलपाम)	5.00	15.00
तमिलनाडु	990.00	1245.00

*आइसोपाम के अन्तर्गत तिलहन, दलहन, मक्का तथा आयलपाम के विकास के लिए मुहैया की गई निधियां।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान दक्षिणी राज्यों का तिलहनों का किस्मवार उत्पादन

(लाख टन)

राज्य	मूंगफली		अरण्ड		रामतिल		तिल		तोरिया एवं सरसों		सूरजमुखी		सोयाबीन		कुल तिलहन*	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
आन्ध्र प्रदेश	9.86	16.63	1.32	1.05	0.07	0.06	0.43	0.37	0.00	0.01	3.33	3.31	1.07	1.18	16.15	22.69
कर्नाटक	4.79	7.40	0.14	0.22	0.05	0.05	0.25	0.56	0.02	0.01	4.22	5.88	0.50	0.95	10.39	15.68
केरल	0.02	0.02													0.02	0.02
तमिलनाडु	9.18	12.20	0.07	0.06			0.62	0.60			0.13	0.34			10.00	13.20

*कुल तिलहनों में कुसुम और अलसी का उत्पादन भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में तिलहनों का राज्यवार उत्पादन

(000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2269
असम	175
बिहार	115
छत्तीसगढ़	124
गुजरात	3066
हरियाणा	931
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू एवं कश्मीर	128
झारखण्ड	34

1	2
कर्नाटक	1568
केरल	2
मध्य प्रदेश	4798
महाराष्ट्र	3371
उड़ीसा	179
पंजाब	104
राजस्थान	6085
तमिलनाडु	1320
उत्तर प्रदेश	1032
उत्तरांचल	38
पश्चिम बंगाल	674
अन्य	77
अखिल-भारत	26103

उपभोक्ता संरक्षण में अनुसंधान के लिए आवंटन

3684. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान उपभोक्ता संरक्षण विषय पर अनुसंधान के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों आदि की भागीदारी को बढ़ावा देने की एक स्कीम 2004 में शुरू की गई थी। यह स्कीम उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करने, उपभोक्ताओं की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने, उपभोक्ता संबंधी विषयों पर सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन प्रायोजित करने तथा उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण हेतु नीति/कार्यक्रम/स्कीम बनाने के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस स्कीम को प्रशासित करने हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की नोडल संगठन के रूप में पहचान की गई है। इस परियोजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 17 संस्थाओं को भुगतान करने हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को 45,39,700/- रु. की राशि मंजूर की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देना

3685. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) अनुसूची 'क' के अंतर्गत आने वाले मिनी रत्न-श्रेणी-I के ऐसे सरकारी उद्यमों को नवरत्न का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन से संबंधित 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' श्रेणी प्राप्त की हो तथा तथा जिनका संयुक्त अंक, जिसकी गणना छः चुनींदा कार्यनिष्पादन संकेतकों के संदर्भ में की जाती है, 60 या उससे अधिक रहा हो।

(ख) वर्तमानतः, नवरत्न श्रेणी के उद्यमों की संख्या 9 है, यथा-भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., गेल (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.,महानगर टेलीफोन निगम लि., नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों को नवरत्न का दर्जा शीर्ष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर दिया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ

3686. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों से दुग्ध और कतिपय अन्य चीजें बेची जा रही हैं और इन बूथों से एस.टी.डी. टेलीफोन बूथ भी चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में यदि कोई नीति/दिशानिर्देश बनाए गए हैं तो वे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में इस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर में जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा नीति के अनुसार डी.एम.एस. के रियायतकर्ताओं को संपूर्ण दिवसीय दुग्ध स्टॉल के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने की अनुमति है। एस.टी.डी. कनेक्शन की भी अनुमति है।

(ग) और (घ) सरकार को नॉर्थ एवेन्यू में बूथ नं. 53-54 के बारे में अक्तूबर, 2005 में एक जनप्रतिनिधि से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें अपराधिकृत वस्तुओं की बिक्री का आरोप लगाया गया है। शिकायत की जांच-पड़ताल की गई है। रियायतकर्ता बिस्कुट, डबल रोटी और अण्डे बेचते हुए पाया गया जिसके लिए उसे चेतावनी दी गई है।

[अनुवाद]

बाघ संरक्षण

3687. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सांविधिक निकाय अर्थात् राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या भूमिका होगी और इसके कार्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार गठित बाघ पारि बल ने अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधनों और बाघ परियोजना को कानूनी अधिकार देने का सुझाव दिया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन के साथ-साथ इन तत्काल सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उनके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

गन्ने की बकाया राशि

3688. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसी ढेर सारी चीनी मिलें हैं जो किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राज्य सरकारों/चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31-8-2005 की स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2004-05 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को देय गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 69.48 करोड़ रुपये (0.56%) थी जबकि गन्ने के मूल्य की देय राशि 12,305 करोड़ रुपये थी। गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का इकट्ठा होना चीनी मिल की रुग्णता, खराब वित्तीय स्थिति, बिक्री से प्राप्त कम धनराशि की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने, चीनी के अधिक उत्पादन के कारण चीनी का अत्यधिक स्टाक

तथा गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य, आदि जैसे कारणों से है। गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रुपये)

राज्य	चीनी मौसम 2004-05
पंजाब	शून्य
हरियाणा	0.05
राजस्थान	शून्य
उत्तर प्रदेश	19.44
उत्तरांचल	3.83
मध्य प्रदेश	0.05
छत्तीसगढ़	शून्य
गुजरात	3.34
महाराष्ट्र	10.45
बिहार	0.73
असम	शून्य
आंध्र प्रदेश	शून्य
कर्नाटक	3.28
तमिलनाडु	28.31
केरल	शून्य
पांडिचेरी	शून्य
उड़ीसा	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य
गोवा	शून्य
कुल	69.48

(ग) और (घ) गन्ना किसानों के गन्ने के देय मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान की स्थिति को निरन्तर रूप से मॉनीटर किया है तथा गन्ना किसानों के गन्ने के देय मूल्य के भुगतान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 451.88 करोड़ रुपये बफर सब्सिडि के रूप में संवितरित किए गए (30-9-2005 तक) जिनका उपयोग गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

(ii) खुले बाजार में चीनी रिलीज करने के लिए रिलीज व्यवस्था का प्रभावी प्रचालन, जिससे वर्ष 2004-05 में खुले बाजार में चीनी की बिक्री से चीनी मिलों को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप, चीनी मौसम 2004-05 के लिए गन्ना मूल्य बकाया घटकर 0.56% के ऐतिहासिक कम स्तर पर पहुंच गया है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. के साथ 'कोल लिंकेज'

3689. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कोयले के आगे वितरण और बिक्री के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) द्वारा कितनी मात्रा में कोयला उठाया गया;

(ख) एन.सी.सी.एफ. से कोयला खरीदने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.सी.सी.एफ. द्वारा किस मूल्य पर कोयला खरीदा गया और बाद में उसे किस मूल्य पर बेचा गया;

(घ) क्या एन.सी.सी.एफ. द्वारा उक्त कोयले की कालाबाजारी किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(छ) कोयले की आगे बिक्री के लिए एन.सी.सी.एफ. को कोयला आवंटित करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ज) क्या उक्त उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड ने मार्च, 2005 से अक्तूबर, 2005 तक की अवधि के दौरान 2.55 लाख मीट्रिक टन कोयला उठाया है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने कोयला सीधे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिनिर्धारित गैर कोर क्षेत्र में लघु उद्योग यूनिटों और छोटे/बहुत छोटे उपभोक्ताओं को बेचा।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने कोयला कम्पनियों से कोयला फ्लोर मूल्य अर्थात् अधिसूचित मूल्य से 20% अधिक पर खरीदा है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा बिक्री मूल्य सांविधिक वसूलियों तथा अन्य आनुषंगिक वसूलियों के अलावा बुनियादी मूल्य पर 5% का मार्जिन जोड़कर तय किया जाता है।

(घ) से (च) सरकार को इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई और जांच रिपोर्ट की कोयला मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(छ) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को कोयला आवंटित करने का उद्देश्य इसको उन बहुत छोटे और छोटे उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने में सक्षम बनाना है, जिनके कोई संपर्क अथवा प्रायोजक नहीं हैं और जिनको अपनी कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे कोयला कम्पनियों से संपर्क करने में कठिनाई होती है।

(ज) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि इस प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित राज्यों में कोयले का वितरण संतषोजनक रहा है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा में बिलों का भुगतान

3690. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत होटलों को बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में न लेने की हिदायत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या होटल एसोसिएशन ने इस बात पर असंतोष जताया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय को संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पतालों में सुविधाएं

3691. मो. मुकीम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों और अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के भरे गए पदों की तुलना में इनके कितने पद स्वीकृत किए गए;

(ख) देश में दिल्ली/नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों में स्थित सुपर स्पेशलिटी वाले राज्य कर्मचारी बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में उक्त में से कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(घ) उक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) विशेषज्ञों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों की संख्या और पिछले तीन वर्षों (चालू वर्ष सहित) के दौरान भरे गए पदों की संख्या तथा फिलहाल रिक्त पड़े पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई/पुणे में चार अतिविशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है। फिलहाल अतिविशिष्ट उपचार सेवाएं आऊटसोर्सिंग द्वारा प्रदान की जा रही है।

(घ) रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चलती रहती हैं और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

	संस्वीकृत	2001-02 की स्थिति के अनुसार	भर्ती				अद्यतन स्थिति	रिक्ति
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06		
जीडीएमओ	971	545	3	37	93	40	718	253
विशेषज्ञ	229	103	2	30	5	1	141	88
आर्युवेदिक चिकित्सक	21	15	–	6	–	–	21	–
दन्त रोग चिकित्सक	11	7	–	3	–	–	10	1
समूह ख	117	62	–	–	–	–	62	55
समूह ग	2513	1797	–	–	–	–	1797	716
समूह घ	1672	1068	–	–	–	–	1068	604

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों का निजीकरण

3692. श्री मित्रसेन यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन और भंडारण के लिए निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त फर्मों के ठेके पहले ही निजी पार्टियों को दे दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उक्त ठेके किन निबंधन और शर्तों के तहत दिए गए हैं और ये कितनी अवधि के लिए दिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) हालांकि हैंडलिंग और ढुलाई के लिए प्राइवेट ठेकेदारों की सेवाएं ली जाती हैं और यथावश्यक चुनिंदा स्थानों पर प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए जाते हैं लेकिन भारतीय खाद्य निगम की केन्द्रीय गतिविधियों का निजीकरण नहीं हो रहा है। तथापि, सरकार द्वारा अनुमोदित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन खाद्यान्नों की 'बल्क हैंडलिंग', भंडारण और ढुलाई के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को आमंत्रित किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन मैसर्स अदानी एक्सपोर्ट्स लि. और भारतीय खाद्य निगम के बीच जून, 2005 में एक सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बनाओ और चलाओ आधार (बिल्ड-ओन-आपरेट) पर भंडारण सुविधाएं सृजित की जाएंगी और भारतीय खाद्य निगम यह गारंटी देगा कि पहले 10 वर्षों में इन सुविधाओं का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाएगा और अगले 10 वर्षों के दौरान इनका उपयोग 75% तक किया जाएगा। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों की समस्याएं

3693. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कृषि के क्षेत्र में

उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में प्रोटोटाइप और तकनीकी जानकारी न हने के कारण गन्ना उत्पादक गन्ने की अच्छी फसल नहीं ले पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गन्ने की बेहतर किस्म के विकास तथा गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गन्ना उत्पादकों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना के प्रारूप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा किसानों को कृषि प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण, कृषि उपस्करों के लिए सहायता, पौध सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने और कीट नियंत्रण उपायों के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अन्तरण द्वारा किस्मों के प्रयोग सहित गन्ना के लिए कृषि बृहत प्रबन्धन पद्धति स्कीम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

कृषि बृहत प्रबन्धन पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की गन्ना विकास स्कीम की मुख्य विशेषता है - कृषि प्रदर्शनों और किसानों तथा विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकियों का अन्तरण करना और गुणवत्तापरक पौध सामग्रियों, कृषि उपस्करों, कीट नियंत्रण उपायों, ड्रिप सिंचाई की आपूर्ति तथा ताप उपचार संयंत्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति में सहायता देना। कृषि बृहत प्रबन्धन पद्धति के अन्तर्गत गन्ना सहित विभिन्न स्कीमों के लिए 892.39 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय गन्ना मिलों को गन्ना विकास के विभिन्न कार्यकलापों जैसे बीज उत्पादन के लिए पौधशालाओं को तैयार करने, उक्त किस्मों के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने, टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, ड्रिप सिंचाई सुविधाओं और पेड़ी (रतून) प्रबन्धन के लिए गन्ना विकास कोष से ऋण उपलब्ध कराता है।

कर्नाटक से प्रस्ताव

3694. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अलग-अलग परियोजनाओं के संबंध में कर्नाटक से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान

3695. श्री तूफानी सरोज: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न भविष्य निधि कार्यालयों ने अप्रैल, 2005 के बाद से ब्याज का भुगतान करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय बड़े कार्पोरेट घरानों ने भी ब्याज का भुगतान करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन कार्पोरेट घरानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के लिए ब्याज की दर की घोषणा न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) चूंकि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा भी सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ही ब्याज की दर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अतः ब्याज दर की घोषणा न होने के कारण उन प्रतिष्ठानों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका।

(ङ) केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन द्वारा सभी फील्ड कार्यालयों/ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकार द्वारा ब्याज की घोषणा करने पर स्वतः ही ब्याज का भुगतान कर दिया जाए।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

3696. डा. के. धनराजू: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी पर विभिन्न तबकों में आक्रोश है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ई.पी.एफ. की ब्याज दर की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को वर्ष 2005-06 के लिए अदा किए जाने वाले ब्याज की दर के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू पर्यटन

3697. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने देश में घरेलू पर्यटन पर कोई सर्वेक्षण किया है जैसा कि 6 दिसम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) उक्त सर्वेक्षण में सामने आए नए स्थलों के नाम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान घरेलू पर्यटन से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को पर्यटन मंत्रालय के लिए घरेलू पर्यटन पर एक सर्वेक्षण संचालित करने के लिए नियुक्त किया गया था। सर्वेक्षण अवधि जनवरी से दिसम्बर, 2002 तक थी और देश भर से लगभग 8,00,000 परिवारों को कवर किया गया। सर्वेक्षण के दौरान, घरेलू पर्यटन की विभिन्न विशेषताओं के साथ-साथ, पर्यटकों के व्यय-पैटर्न पर आंकड़ा एकत्रित किया गया। मोटे तौर पर, सर्वेक्षण से यह पता चलता है, सामाजिक प्रयोजनों के लिए यात्रा का, ट्रिपों का अत्यधिक प्रतिशत बैठता है, जिसके बाद "धार्मिक एवं तीर्थयात्रा", "कारोबार एवं व्यवसाय" और "सावकाश एवं अवकाश" आते हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि "सावकाश एवं अवकाश" से संबंधित यात्रा हेतु, प्रति ट्रिप औसत व्यय उच्चतम है, उसके बाद "कारोबारी ट्रिप" और "धार्मिक ट्रिप" आते हैं।

(ग) सर्वेक्षण ने सावकाश, अवकाश, धार्मिक एवं तीर्थयात्रा के प्रयोजन के लिए, घरेलू पर्यटकों द्वारा यात्रा किए जाने वाले प्रमुख स्थानों को रैंक किया है, जिनमें तिरूपति/तिरूमाला, पुरी/जगन्नाथ/भुवनेश्वर, वैष्णो देवी, बंगलौर/मैसूर और हरिद्वार प्रथम 5 हैं।

(घ) सरकार द्वारा घरेलू पर्यटन से अर्जित राजस्व के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सर्वेक्षण द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, प्रति ट्रिप औसत व्यय को देखते हुए, वर्ष 2002 के दौरान घरेलू पर्यटकों द्वारा 320 बिलियन रुपयों का व्यय किया गया।

निर्माण क्षेत्र में आटोमेटिक मशीनें

3698. श्री के.एस. राव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात और घरेलू उपयोग हेतु मशीनों तथा सामान के उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण क्षेत्र में आटोमेटिक मशीनों को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आटोमेटिक मशीनों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न परीक्षण एवं मापन यंत्रों को एकीकृत तथा समन्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन्नत आटोमेशन मानकों की मांग को पूरा करने में उनमें की सहायता हेतु निर्माण उद्योग में आटोमेशन की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए प्रोग्रामेबल

आटोमेटिक कंट्रोलर्स (पी.ए.सी.) की संकल्पना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सक्रिय नीतियों के एक भाग के रूप में, कनफिगरिंग मशीनों और संबद्ध उपस्कर में ऑटोमेशन एक अनिवार्य संघटक है। सरकार के प्रारंभिक संस्थानों के एक भाग रूप में सेन्ट्रल टैक्नोलोजी इंस्टीट्यूट (सी.एम.टी.आई.), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यू.सी.आई.) और स्वायत्त निकाय यथा नेशनल मैन्युफेक्चरिंग कम्पेटीटिव काउंसिल (एन.एम.सी.सी.) की स्थापना विनिर्माण क्षेत्रों में क्रमशः प्रोन्नत प्रौद्योगिकी समाधान, गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के मामले का पता लगाने के लिए की गई है।

(ग) और (घ) विद्यमान परीक्षण और मापन-यंत्रों के साथ ऑटोमेशन का एकीकरण पहले ही ऑटोमेशन अवयवों, रक्षा, रेलवे तथा अन्य सामान्य इंजीनियरिंग क्षेत्रों जैसे विनिर्माण उद्योगों में चल रहा है।

(ङ) और (च) प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंट्रोल (पी.ए.सी.) और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल (पी.एल.सी.) ऑटोमेशन का अनियार्य संघटक है। इस कार्यकलाप में मानकीकृत मोड्यूल्स उपलब्ध है तथा उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। सी.एम.टी.आई. आधुनिकीकरण पहलों में शामिल है तथा अन्य सरकारी स्कीमें जैसे एकीकृत अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) और प्रौद्योगिकी उन्नयन फण्ड स्कीम (टी.यू.एफ.एस.) आधुनीकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्राप्त करने में उत्पादन प्रक्रिया में सुधार का पता लगाती है। ऑटोमेशन भी इन पहलों का एक भाग है।

[हिन्दी]

बिहार में जल संसाधन विकास परियोजनाएं

3699. श्री गिरिधारी यादव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार से स्वीकृति के अभाव में बिहार में कई जल संसाधन विकास परियोजनाएं लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो लंबित परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा ये कितने समय से लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) बिहार में जल संसाधन परियोजना का विकास नेपाल सरकार की सहमति पर निर्भर नहीं करता है।

तथापि, नेपाल से बहने वाली कुछ प्रमुख नदियों पर उपयुक्त भंडारण स्थल नेपाली भूभाग में स्थित हैं। इस संबंध में, भारत सरकार और नेपाल सरकार सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सनकोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम का संयुक्त अन्वेषण शुरू करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर सहमत हुई हैं। इस प्रयोजन के लिए नेपाल में भारत-नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला गया है।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्ल्यू.आर.) की दूसरी बैठक अक्तूबर, 2004 में हुई, जिसमें इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं का पता लगाने के लिए कमला (सप्तकोसी-सन कोसी परियोजनाओं के अध्ययन के भाग के रूप में) का व्यवहार्यता अध्ययन तथा बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन शुरू करने पर भी समझौता हुआ ताकि इसका उपयुक्त रूप से समाधान किया जा सके।

एक परिवार-एक रोजगार नीति

3700. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने 'एक परिवार-एक रोजगार' की नीति को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति का सभी राज्यों में विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय से उपलब्ध सूचनानुसार हरियाणा के अतिरिक्त किसी भी राज्य ने एक परिवार - एक रोजगार योजना को नहीं अपनाया है।

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

इथनोल का उत्पादन

3701. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इथनोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी विकास निधि संवर्द्धकों के अंशदान में कमी को पूरा करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को परियोजना की लागत के अधिकतम 40% की सीमा के अध्यधीन रहते हुए बैंक दर से 2% कम की रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे शीरे से इथेनॉल के उत्पादन और अल्कोहल के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना कर सकें। सरकार ने दिनांक 27-10-2004 की अधिसूचना संख्या 705(ई.) द्वारा यह निर्णय किया है कि यदि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए स्वदेशीय इथेनॉल प्राप्त करने का मूल्य वैकल्पिक उपयोगों के लिए स्वदेशीय इथेनॉल के मूल्य से तुलनीय हो, और यदि स्थल पर इथेनॉल का सुपुर्दगी मूल्य उस स्थान पर पेट्रोल के आयात के समान मूल्य से तुलनीय हो तो भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुसार 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचे जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों को इसका उठान करना और अधिसूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करना सांविधिक रूप से अपेक्षित है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर है। औद्योगिक स्रोतों से उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में चीनी उद्योग की प्रति वर्ष 2000 मिलियन लीटर अल्कोहल की अनुमानित उत्पादन क्षमता है। पेय अल्कोहल के लिए लगभग 600 मिलियन लीटर अल्कोहल की और औद्योगिक अल्कोहल के लिए भी लगभग 600 मिलियन लीटर मात्रा की आवश्यकता होती है और इस तरह इथेनॉल के उत्पादन के लिए 800 मिलियन लीटर अल्कोहल शेष बचता है। प्रति वर्ष 1000 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने वाली लगभग 100 डिस्टीलरीज हैं और इनमें से लगभग 50 डिस्टीलरीज चीनी यूनिटों से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2005-06 से चीनी उद्योग को पेय तथा औद्योगिक अल्कोहल की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 500 मिलियन लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने में समर्थ होना चाहिए।

जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3702. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक जल परियोजनाओं के लिए पहले प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ डालर के स्थान पर चार वर्षों में 90 करोड़ डालर प्रदान करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ऋण के उपयोग हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या पूर्व में विश्व बैंक ने कर लगाने तथा निजीकरण करने की शर्तों पर विभिन्न जल परियोजनाओं के लिए दिल्ली सहित भारत में ऋण संस्वीकृत किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों द्वारा नदियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की विश्व बैंक द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार इस गंभीर स्थिति पर विचार करेगी तथा लोगों के हितों की सुरक्षा करेगी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ने जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा निधि आबंटन को प्रतिवर्ष 200 मिलियन अमेरिकी डालर के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर प्रति वर्ष लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डालर करने का संकेत दिया है।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण आवश्यक योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। भारत सरकार, विश्व बैंक से निधि उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करती है। निर्माणाधीन परियोजनाओं और विश्व बैंक के साथ समझौता की गई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इन परियोजनाओं की स्वीकृति और संचालन उन सामान्य नियम व शर्तों द्वारा किया जाता है जो समूचे विश्व के सभी क्षेत्रों में सभी विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए लागू होती हैं। जहां तक किन्हीं विशेष शर्तों, यदि कोई हो, का संबंध है उन पर मामला दर मामला आधार पर विचार-विमर्श किया जाता है जो कि संबंधित परियोजनाओं पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्व बैंक से वित्तपोषित निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचित परियोजना (सिंचाई घटक)
2.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना
3.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचित परियोजना
4.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचित परियोजना
5.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचित परियोजना
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना
7.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना
8.	कर्नाटक	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीम जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना
9.	महाराष्ट्र	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना
10.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना

विश्व बैंक के साथ समझौता की गई परियोजनाएं

1.	बहुराज्यीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी और पंजाब	जल विज्ञान परियोजना-II

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

3703. श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी पर कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने कार्य समूह द्वारा नियत की गई न्यूनतम

मजदूरी और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए 1-2-2004 से राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी 66/-रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ.ओ. में बी.पी.आर.

3704. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बिजनेस प्रोसेस रिइन्वेस्टिंग (बी.पी.आर.) के संबंध में अनियमितताओं/शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बिजनेस प्रोसेस री-इंजिनीयरिंग प्रोजेक्ट के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि, जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुए।

सफेद मूसली की खेती

3705. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक कृषि उपज सफेद मूसली लोकप्रिय होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में सफेद मूसली का कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(ग) उत्पादन लागत तथा खर्च को ध्यान में रखते हुए सफेद मूसली की खेती करने वाले किसानों को क्या लाभ मिला है;

(घ) क्या सरकार ने खेती के लिए कोई राजसहायता दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजसहायता बंद कर दी गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार राजसहायता तथा अन्य सहायता देकर इसकी खेती को बढ़ावा देने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। सफेद मूसली विशेष तौर पर केन्द्रीय भारत में किसानों में लोकप्रिय हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आकलनों के अनुसार देश में सफेद मूसली के लिए पिछले तीन वर्षों का औसतन क्षेत्र लगभग 10,000 हैक्टेयर है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आकलनों के अनुसार प्रति हैक्टेयर कृषि की लागत 4.50 लाख रुपए है और शुष्क उत्पाद के मूल्य 300 रुपए से 800 रुपए प्रति किग्रा. तक के बीच रहते हैं। चूंकि प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 5 टन है, इसलिए किसान सफेद मूसली की खेती के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं।

(घ) से (छ) जी, हां। राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड की संविदात्मक कृषि स्कीम के अन्तर्गत किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार सफेद मूसली के मामले में वित्तीय सहायता आदान लागत की 30% के रूप में जोकि 2.25 लाख रुपए प्रति एकड़ है, सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

(ज) और (झ) जी, हां। अन्य अभिज्ञात पौधों के साथ-साथ मिश्रित फसल के रूप में सफेद मूसली की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

खुदरा बाजार

3706. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खुदरा बाजार में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 से 2.50 करोड़ नए मध्यम वर्गी उपभोक्ताओं के जुड़ने से 22 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष देश के खुदरा बाजार में छोटे और बड़े दुकानदारों की संख्या में बढ़ोतरी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटे तथा बड़े खुदरा व्यापारियों को परिभाषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) को सौंपे गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2002 में भारतीय खुदरा बाजार 7,40,000 करोड़ रुपए आंका गया है। 1999-2002 के दौरान यह क्षेत्र औसतन 7% प्रतिवर्ष बढ़ा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2002-2007) के अनुसार भारत में खुदरा यूनिट का औसत आकार 500 वर्ग फुट से कम है। तथापि, सरकार द्वारा खुदरा व्यापारियों को छोटे और बड़े खुदरा व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

आभूषणों की दुकानों का निरीक्षण

3707. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोने की गुणवत्ता ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है, देश की आभूषण दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां आभूषण बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप नहीं थे; और

(ग) चूककर्ता ज्वेलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो समय-समय पर बी.आई.एस. लाइसेंसधारी जौहरियों का निरीक्षण करता है और निर्धारित मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र परीक्षण हेतु हॉलमार्क वाले आभूषणों के नमूने लेता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन बी.आई.एस. लाइसेंसधारी जौहरियों को बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दोषी जौहरियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मार्किंग रोके जाने का भी एक मामला शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	कितने जौहरी असफल पाए गए
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
2.	हरियाणा	1
3.	पंजाब	शून्य
4.	जम्मू-कश्मीर	1
5.	चण्डीगढ़	1
6.	उत्तर प्रदेश	शून्य
7.	उत्तरांचल	शून्य
8.	दिल्ली	4
9.	राजस्थान	2
10.	मध्य प्रदेश	2
11.	छत्तीसगढ़	शून्य
12.	महाराष्ट्र	6
13.	गुजरात	5
14.	तमिलनाडु	17
15.	कर्नाटक	शून्य

1	2	3
16.	आंध्र प्रदेश	शून्य
17.	केरल	15
18.	पश्चिम बंगाल	9
19.	उड़ीसा	शून्य
20.	बिहार	शून्य
21.	झारखण्ड	शून्य
22.	असम	शून्य
23.	मेघालय	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25.	नागालैण्ड	शून्य
26.	त्रिपुरा	शून्य
27.	मणिपुर	शून्य
28.	मिजोरम	शून्य

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निजीकरण

3708. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.टी.आई. के निजीकरण करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत् रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय देश भर में फैले 1896 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (आई.टी.आई./आई.टी.सी.) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये संस्थान संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता

3709. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कल्याण योजनाओं के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रचलित मानदंड और क्रियाविधियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रचलित मानदण्डों और क्रियाविधियों को बदलने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) संसद द्वारा अधिनियमित बीड़ी कामगार कल्याण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बीड़ी कामगार कल्याण निधि की विभिन्न कल्याण स्कीमों के अधीन वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए बीड़ी कामगारों की पहचान किया जाना और उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाना अनिवार्य है। नियोजक, राज्य सरकारें और श्रम कल्याण संगठन वास्तविक बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी करते हैं। संशोधित एकीकृत आवास स्कीम को छोड़कर कल्याण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए बीड़ी कामगार की पात्रता हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा 10,000/- रुपये प्रतिमाह है। बीड़ी कामगारों आदि के लिए (25-5-2005 से प्रभावी) संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005 के अंतर्गत एक बीड़ी कामगार को जिसके पास अपनी स्वयं की जमीन हो 40,000/-रुपये की एकसमान केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाती है और मकान के निर्माण हेतु 5000/-रुपये का अंशदान दिया जाता है। इस स्कीम को राज्य सरकारों द्वारा उप आयुक्तों/कलेक्टरों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के लिए मासिक मजदूरी की अधिकतम सीमा 6,500/-रुपये है। अन्य स्कीमों में बीड़ी कामगारों के स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, बीड़ी कामगारों का सामूहिक बीमा सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख शामिल है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पशुपालकों को अनुसंधान के लाभ

3710. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पशुपालकों को पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अनुसंधान का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): विगत दो वर्षों में गोपशु पालकों को पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लाभ देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

- सांडों/वीर्य के रूप में उत्तम गोपशु जननद्रव्य की आपूर्ति (संकर/देसी)।
- किसानों के पशु समूहों/ग्रामीण घरों में अच्छे जननद्रव्य की पहचान हेतु निष्पादन रिकार्ड (पर्फोमेंस रिकार्डिंग मेथाडालॉजी) करने की विधियां।
- चारे तथा रफेज की क्वालिटी में सुधार व लागत घटाने के लिए यूरिया मोलैसिस खनिज ब्लाकों, पूर्ण आहार, खनिज मिश्रण तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना।
- रोगनिरोधी उपायों के जरिए रोग मानीटरिंग, निगरानी, भविष्यवाणी और रोगों का नियंत्रण/नैदानिकी के विकास और समय पर निदान के जरिए बाह्य रोगों के प्रवेश की जांच करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशु विज्ञान मेलों, किसान मेलों और गोष्ठियों के जरिए प्रौद्योगिकियों का प्रसार।

[अनुवाद]

बी.एस.सी.एल. से सलेम इकाई को पृथक् करना

3711. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) की सलेम इकाई को पृथक् करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सलेम इकाई के स्टाफ को 1992 और 1997 के वेतन संशोधित वेतनमानों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, नहीं। बी.एस.सी.एल. को पहले ही बी.आई.एफ.आर. को संदर्मित कर दिया गया है और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा सलेम इकाई को बी.एस.सी.एल. से पृथक् करना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) बी.एस.सी.एल. के कार्यपालकों के लिए 01-01-1992 से प्रभावी वेतन संशोधन को दिनांक 01-01-2000 की संभावित तिथि से इस शर्त पर लागू किया गया कि दिनांक 01-01-1992 से 31-12-1999 तक की अवधि की बकाया राशि का भुगतान कंपनी के आंतरिक सृजन के माध्यम से किया जाएगा। चूंकि कंपनी को अधिशेष निधियों का सृजन अभी करना है इसलिए यह 1992 और 1997 के वेतनमान संशोधन के लागू होने के कारण उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

झारखण्ड में जलस्तर में गिरावट

3712. श्री टेकलाल महतो: क्या **जल संसधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन गतिविधियों के कारण झारखंड के कोयला खनन क्षेत्र के जलस्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जलस्तर में और गिरावट को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जलस्तर के पुनर्भरण के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत, झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान 5.03 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान 10 स्कूलों में छत के वर्षा जल संचयन की प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के वास्ते झारखंड राज्य के लिए 10 लाख रुपये भी आबंटित किए हैं।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि

3713. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुष्प कृषि के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र कवर किया गया है;

(ख) क्या जापान, इटली, नीदरलैंड आदि जैसे देशों की तुलना में पुष्प उत्पादन कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पुष्प कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने और देश में पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत में पुष्प कृषि के तहत 70,419 हैक्टेयर (2002-03) क्षेत्र कवर किया गया है। पुष्प कृषि के तहत राज्यवार कवर किया गया कुल क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष (2002-03) भार में 7.34 लाख टन खुले फूलों और 20,605 लाख कट फूलों का उत्पादन हुआ।

विभिन्न देशों में कट फूलों के उत्पादन के तहत आकलित क्षेत्र निम्नानुसार है:-

जापान		20,000 हैक्टेयर
ईटली		8463 हैक्टेयर
यूनाटेड किंगडम		7670 हैक्टेयर
जर्मनी		7056 हैक्टेयर
फ्रांस	:	6628 हैक्टेयर
नीदरलैंड		5478 हैक्टेयर

(घ) सरकार ने दसवीं योजना के दौरान 2300 करोड़ रुपए के परिव्यय से मई, 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है ताकि पुष्प कृषि सहित बागवानी फसलों का विकास किया जा सके।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मई 2000 से "उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबन्धन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी विकास" नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जो उद्यम/मांग आधारित है। स्कीम के अन्तर्गत बोर्ड कुल परियोजना लागत के 20% से अनाधिक, अधिकतम 25 लाख रु. प्रति परियोजना की दर से बैक-एन्डेड पूंजी राजसहायता प्रदान कर रहा है ताकि पुष्प कृषि सहित उच्च प्रौद्योगिकी वाली बागवानी परियोजनाओं और उन परियोजनाओं को जो तकनीकी रूप से साध्य और आर्थिक रूप से व्यावहार्य हो, को चलाया जा सके। पूर्वोत्तर/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा 30.00 लाख रु. प्रति परियोजना है। बोर्ड ने अगस्त, 2004 से पुष्प कृषि के लिए 26,290.60 हैक्टेयर के प्रस्तावित क्षेत्र हेतु इस आशय के 1793 पत्रों को मंजूरी दी है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण फूलों के निर्यात के लिए भाड़ा राजसहायता और पुष्प कृषि पर आधारित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित अवसंरचना विकास हेतु सहायता भी प्रदान कर रही है। निम्नलिखित छह कृषि निर्यात जोनों को मंजूरी दी गई है:-

- तमिलनाडु (धर्मपुरी)
- तमिलनाडु (निलगिरी)
- सिक्किम (पूर्वी सिक्किम)
- कर्नाटक (बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोल्लार, तुमकुर, कोडागू और बेलगाम)
- उत्तरांचल (देहरादून, पंतनगर)
- महाराष्ट्र (पुणे, नासिक, कोल्हापुर और सांगली)

विवरण

फूलों का राज्यवार क्षेत्र उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (हैक्टेयर में)				उत्पादन							
	1993-94	2000-01	2001-02	2002-03	1993-94		2000-01		2001-02		2002-03	
					खुले	कट	खुले	कट	खुले	कट	खुले	कट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरांचल	#	184	278	408.88	#	#	275	#	324		254458	
कर्नाटक	15243	21527	18075	19097	87999	#	135640	#	138776	9230	151953	#
तमिलनाडु	12340	19000	19400	1676	61704	#	151000	#	156700	#	135221	#
आन्ध्र प्रदेश	5778	15947	10152	13310	17334	#	111629	#	121336	2780	72205	87
पश्चिम बंगाल	12610	13431	13553	13870	9020	4790	30996	6561	31268	6771	33749	7020
हरियाणा	1200	32	3250	3600	22400	327	52835	1195	17890	1127	32500	1200
गुजरात	#			4917	#	#		#		#	30187	#
उत्तर प्रदेश	#	5790	6325	6325	#	#	8280	#	3400	5350	9753	2650
दिल्ली	801	4490	4490	4500	4056	#	25007	#	25007	#	5016	#
पंजाब	332	455	375	600	549		2772	#	2741	#	3000	#
झारखण्ड	#	#	#	91	#	#	#		#	#	2000	346.66
बिहार	85	45	44	95.5	1430	2	620	21	620	21	1757	10.8
असम	280	350		0	37	#	47	#	#	#	1000	0
हिमाचल प्रदेश	30	154	18895	244.9	110	429	#	233		292	999.21	283.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	1207	2139	1863	1505	#	#	2794	#	2434	#	986	#
छत्तीसगढ़	#		#	10.5	#	#	#		#	#	60	#
जम्मू-कश्मीर	#	57	117	69	#	#	9	12	61	#	38	6.8
मणिपुर	56	175	121	93	23	#	45	#	33	#	30	#
त्रिपुरा	#	25.0*	#	#	#	#	128.0*	#	#	#	#	#
सिक्किम	#	70.0*		6	#	#	90.0*	#	#	#	#	9000
पांडिचेरी	40	135	135		177		693	#	#	#	#	#
उड़ीसा	100	218	#	0	460	4	1112	#	#	#	#	#
नागालैण्ड	#	320	#	#	#	#	355	13	#	#	#	#
मिजोरम	#	#	#	0	#	#	#	#	#	#	#	#
मेघालय	#	#	#	0	#	#	#	#	#	#	#	#
महाराष्ट्र	2275	6931	7071	#	18188	#	29766	#	30376	#	#	#
मध्य प्रदेश	915	3800	1437	#	9000	#	2280	#	862	#	#	#
दमन एवं द्वीप	5	5.0*	#	#	51	#	51.0*	#	#	#	#	#
अन्य	#	#	897	#	#	#	#	#	2748	#	#	#
कुल	53297	98447	106477	70419	232536	5552	556424	8035	534576	25571	734912	20605

खुले: एम.टी. में

कट लाख संख्या में

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

भू-लवणता

3714. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत की उपजाऊ भूमि पर समुद्री जल आने के कारण भू-लवणता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में सुनामी से प्रभावित खेतों की मृदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) ऐसे प्रभावित कृषकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मृदा लवणता और मृदा स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए किए गए मृदा परीक्षणों के आधार पर, लवणों के विक्षालन, रेत और गाद की खुरचाई, जिप्सम के अनुप्रयोग, ग्रीन मैन्यूरिंग, लवण सह्य फसलों के उपयोग का कार्य शुरू किया गया है ताकि सुनामी प्रभावित खेतों में मृदा की स्थिति का सुधार किया जा सके।

प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राज्य सरकार द्वारा जिप्सम, ग्रीन मैन्योर फसलों के बीज, लवण सह्य फसलों के बीज वितरित किए गए हैं और किसानों को भूमि सुधार प्रौद्योगिकी, समेकित पोषक प्रबंध, समेकित कृमि प्रबंध और जल प्रबंध में प्रशिक्षित किया गया है।

लोकटक झील

3715. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर में लोकटक झील सूख रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस ताजे पानी की झील को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) मणिपुर में लोकटक झील मुख्यतया गाद, खरपतवार की भरमार, झूम खेती आदि की समस्याओं के कारण दबाव में है, जिससे जैव विविधता को हानि और मत्स्य उत्पादन में कमी तथा प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

(ख) मणिपुर राज्य सरकार को फुम्दी को हटाने, वनीकरण, बागवानी रोपण, सर्वेक्षण और सीमांकन, सहायता प्राप्त पुनरूद्धार और इस स्वच्छ जल झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए शिक्षा और जागरूकता जैसे विभिन्न संरक्षण कार्यों को करने के लिए अब तक 707.82 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

कृषि योजना समष्टि प्रबंधन हेतु धनराशि

3716. श्री संजय धोत्रे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कृषि योजना के समष्टि प्रबंधन हेतु राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र को कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को किए गए आवंटन और निर्मुक्त की गई निधियों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है।

विवरण

कृषि के बृहद प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को किए गए आवंटनों और निर्मुक्त की गई निधियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण
क. 2002-2004

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	2002-03						2003-04					
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	1-4-2002 को अव्ययित शेष	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	1-4-2003 को अव्ययित शेष	आवंटन	निर्मुक्त राशि	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	1-4-2004 को अव्ययित शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	आन्ध्र प्रदेश	3800.00	1900.00	814.53	2714.53	2648.15	66.38	3400.00	3800.00	3866.38	3279.20	587.18	
2.	अरुणाचल प्रदेश	500.00	463.20	17.57	480.77	298.05	182.72	400.00	317.28	500.00	466.12	33.88	
3.	असम	700.00	350.00	558.13	908.13	512.97	395.16	700.00	350.00	745.16	490.00	255.16	
4.	बिहार	2400.00	1250.00	1620.50	2870.50	1879.16	991.34	1800.00	900.00	1891.34	1573.84	317.50	
5.	झारखण्ड	1200.00	600.00	786.00	1386.00	1146.00	240.00	1200.00	1200.00	1440.00	561.28		
6.	गोआ	200.00	162.20	84.75	246.95	137.99	108.96	200.00	131.04	240.00	231.44	15.00	
7.	गुजरात	3140.00	1600.00	2284.70	3884.70	926.61	2958.09	2300.00	1150.00	4108.09	2864.77	1243.32	
8.	हरियाणा	1600.00	1600.00	146.83	1746.83	1742.47	4.36	1600.00	1662.00	1666.36	1608.67	57.69	
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1600.00	208.32	1808.32	1473.47	334.85	1600.00	1585.15	1920.00	1894.10	25.90	
10.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	1932.00	267.69	2199.69	1674.64	525.05	1600.00	1680.00	2205.05	1442.36	762.69	
11.	कर्नाटक	5800.00	5338.00	1118.52	6456.52	6236.40	220.12	5500.00	5580.00	5800.12	5681.23	118.89	
12.	केरल	3000.00	2762.00	Nil	2762.00	2231.15	125.65	2900.00	2348.00	2473.65	2018.02	455.63	
13.	मध्य प्रदेश	4500.00	4350.00	1336.09	5686.09	5686.09		4400.00	4400.00	4400.00	4054.78	345.22	
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	1138.23	546.77	1685.00	1483.90	201.10	1400.00	1600.00	1801.10	1579.00	222.10	

15.	महाराष्ट्र	8200.00	7612.00	2108.98	9720.98	9720.98		8000.00	8400.00	8400.00	8384.85	15
16.	मणिपुर	600.00	300.00	407.10*	707.10	290.00	417.10	600.00	300.00	717.10	515.92	20.70
17.	मिजोरम	900.00	810.00	3.12	813.12	784.62	28.50	800.00	820.00	848.50	828.50	20.00
18.	मेघालय	700.00	700.66	120.59	821.25	648.50	172.75	600.00	427.25	600.00	584.05	15.95
19.	नागालैण्ड	1000.00	660.00	Nil	660.00	500.00	160.00	800.00	880.00	1040.00	1040.00	
20.	उड़ीसा	2400.00	1250.00	1702.80	2952.80	2160.11	792.69	2300.00	1967.00	2760.00	2152.00	608.00
21.	पंजाब	1600.00	850.00	2063.34	2948.34	392.36	2520.98	1500.00		2520.98	114.05	2406.93
22.	राजस्थान	6700.00	6700.00	640.98	7340.98	5397.17	1943.81	6700.00	6571.19	8515.00	7025.05	1489.50
23.	सिक्किम	500.00	330.00	13.01	343.01	343.01		500.00	500.00	500.00	499.47	0.53
24.	तमिलनाडु	4200.00	3360.00	611.75	3971.75	3971.75		4200.00	4275.00	4275.00	4077.19	197.81
25.	त्रिपुरा	900.00	900.00	8.97	908.97	644.31	264.66	800.00	715.34	980.00	784.66	195.34
26.	उत्तर प्रदेश	6885.00	6885.00	1229.35	8114.35	7663.52	450.83	6800.00	7375.00	7825.83	6717.24	1108.59
27.	उत्तरांचल	1400.00	1290.00	61.42	1351.42	1305.30	46.12	1400.00	1600.00	1646.12	1420.53	225.59
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	1427.47	645.66	2073.13	1733.06	340.07	2400.00	1920.00	2260.07	2041.95	218.12
29.	दिल्ली	160.00	80.00	60.08	140.08	71.77	68.31	100.00	50.00	118.31	6.97	111.34
30.	पांडिचेरी	200.00	100.00	106.98	206.98	138.98	68.01	100.00	Nil	68.01	65.80	2.21
31.	अंडमान एवं निकोवार द्वीप समूह	200.00	100.00		100.00	79.10	–	100.00	100.00	100.00	65.58	
32.	चण्डीगढ़	100.00					–	50.00				
33.	दादर एवं नागर हवेली	200.00	100.00		100.00	4.87	–	100.00	10.00	10.00	9.11	
34.	दमन एवं द्वीव	100.00					–	50.00				
35.	लक्षद्वीप	200.00	100.00		100.00	16.24	–	100.00	50.00	50.00	47.70	
	कुल	70985.00	58600.76	19230.94	77831.70	63942.70	13627.61	67000.00	62664.56	76292.17	64125.88	11075.77

ख. 2004-05

(लाख रु.)

क्र सं.	राज्य	2004-05				
		आवंटन	निर्मुक्त	01-04-2004 को अव्ययित शेष	कुल उपलब्ध निधियां	दिनांक को सूचित किए गए व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3600.00	4702.31	587.18	5289.49	3712.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	500.00	1214.15	33.88	1248.03	716.33
3.	असम	800.00	1661.93	255.16	1917.09	695.00
4.	बिहार	1800.00	1786.51	317.50	2104.01	1295.80
5.	झारखंड	1400.00	2458.75	0.00	2458.75	1116.19
6.	गोआ	200.00	280.53	15.00	295.53	258.12
7.	गुजरात	2300.00	5305.61	1243.32	6548.93	4090.53
8.	हरियाणा	1600.00	1813.68	57.69	1871.37	1703.69
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1600.00	25.90	1625.90	1466.46
10.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	2285.38	762.69	3048.07	2215.93
11.	कर्नाटक	5700.00	11872.44	118.89	11991.33	6471.47
12.	केरल	2900.00	4583.19	455.63	5038.82	3536.98
13.	मध्य प्रदेश	4500.00	7224.76	345.22	7569.98	4077.49
14.	छत्तीसगढ़	1800.00	5359.23	222.10	5581.33	2521.04
15.	महाराष्ट्र	8200.00	17225.59	15.15	17240.74	16563.74
16.	मणिपुर	700.00	1146.16	20.70	1166.86	995.70
17.	मिजोरम	700.00	1821.64	20.00	1841.64	1563.00
18.	मेघालय	900.00	1223.18	15.95	1239.13	575.95
19.	नागालैण्ड	900.00	1768.00	0.00	1768.00	1412.50

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	2300.00	4036.54	608.00	4644.54	4466.72
21.	पंजाब	1500.00	996.54	2406.93	3403.47	25.20
22.	राजस्थान	6800.00	11955.30	1145.44	13100.74	9251.40
23.	सिक्किम	600.00	861.80	0.53	862.33	833.28
24.	तमिलनाडु	4300.00	5137.01	197.82	5334.83	4291.63
25.	त्रिपुरा	800.00	1699.91	195.34	1895.25	793.91
26.	उत्तर प्रदेश	7000.00	8888.67	1108.59	9997.26	8212.66
27.	उत्तरांचल	1600.00	2361.06	225.59	2586.65	2414.82
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	3152.65	218.12	3370.77	2575.89
29.	दिल्ली	100.00	0.00	111.34	111.34	15.82
30.	पांडिचेरी	100.00	80.00	25.94	105.94	80.00
31.	अंडमान एवं निकोवार द्वीप समूह	100.00	238.00	0.00	238.00	
32.	चण्डीगढ़	25.00	0.00	0.00	0.00	
33.	दादर एवं नागर हवेली	50.00	11.00	0.00	11.00	3.72
34.	दमन एवं द्वीव	25.00	0.00	0.00	0.00	
35.	लक्षद्वीप	100.00	50.00	0.00	50.00	
	कुल	69500.00	114801.52	10755.60	125557.12	

ग. 2005-06 तक

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन 2005-06	01-04-2005 को अव्ययित शेष	उपयोगिता	2005-06 के लिए पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	दूसरी किश्त के रूप में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3300.00	1577.31	345.26	1650.00	

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1420.00	532.03	373.93	710.00	
3.	असम	1720.00	1222.09		860.00	
4.	बिहार	1700.00	808.21		850.00	
5.	छत्तीसगढ़	1800.00	3060.29		900.00	
6.	गोआ	200.00	37.41	137.41	100.00	82.59
7.	गुजरात	2200.00	2294.80	575.66	1100.00	
8.	हरियाणा	1600.00	167.68	395.55	800.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	159.44		800.00	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3000.00	832.14		2250.00	
11.	झारखण्ड	1300.00	1342.56		650.00	
12.	कर्नाटक	4700.00	5519.86		2350.00	
13.	केरल	2400.00	1531.84		1200.00	
14.	मध्य प्रदेश	3900.00	3492.49		1950.00	
15.	महाराष्ट्र	6850.00	1091.99		3425.00	3153.01
16.	मणिपुर	1600.00	171.16		800.00	
17.	मिजोरम	1800.00	278.64		900.00	711.36
18.	मेघालय	1600.00	663.18		800.00	
19.	नागालैण्ड	1800.00	355.50		900.00	
20.	उड़ीसा	2000.00	177.82	833.68	1000.00	1000.00
21.	पंजाब	1100.00	3378.27			
22.	राजस्थान	5800.00	3889.04		2900.00	
23.	सिक्किम	1422.00	29.05	300.70	711.00	
24.	तमिलनाडु	3600.00	1043.20	911.64	1800.00	1180.50
25.	त्रिपुरा	1700.00	1101.34		850.00	
26.	उत्तर प्रदेश	5800.00	1784.60		2900.00	1815.40

1	2	3	4	5	6	7
27.	उत्तरांचल	1700.00	171.83		850.00	
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	794.88		1250.00	
29.	दिल्ली	50.00	95.52			
30.	पांडिचेरी	100.00	25.94	2.64	10.00	
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	280.00			35.00	
32.	चण्डीगढ़					
33.	दादर एवं नागर हवेली	20.00			5.00	
34.	दमन एवं द्वीव					
35.	लक्षद्वीप	200.00			15.00	
	कुल	70762.00	37630.11	3876.47	35321.00	7942.86

[अनुवाद]

हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक की धनराशि

3717. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**

श्री परसुराम माझी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए 631.83 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक इस परियोजना में सहायता कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में सहायता देने के लिए विश्व बैंक की निबंधन व शर्तें क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) भारत सरकार ने 631.83 करोड़ रुपए की राशि से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना फेज-II (एच.पी.-II) का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) जल विज्ञान परियोजना फेज-II का कार्यान्वयन 13 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा एवं पांडिचेरी तथा 8 केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा छः वर्षों की अवधि में किया जाना है।

इस परियोजना का उद्देश्य फेज-II में चार नए राज्यों और दो नए केन्द्रीय अभिकरणों, जो फेज-I परियोजना में भाग नहीं लेते हैं, में जल वैज्ञानिक सूचना (एच.आई.एस.) का विकास करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली उपयोग के बारे में जनजागरूकता लाने एवं दुर्लभ (आऊटरीच) सेवाओं के अलावा, जल वैज्ञानिक सूचना के स्थाई और प्रभावी उपयोग का विस्तार करना तथा उसे बढ़ावा देना और उन्नत जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन के वास्ते जल वैज्ञानिक सूचना आंकड़ों के उपयोग में कार्यान्वयन अभिकरणों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.

डी.) के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने इस परियोजना के लिए ऋण का अनुमोदन कर दिया है।

(घ) यह परियोजना विश्व बैंक वित्तपोषण की सामान्य शर्तों पर विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, इसके मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

(i) यह ऋण, सामान्य शर्तों ऋण, परियोजना के कार्यान्वयन तथा परियोजना की वित्तीय संविदाओं पर विश्व बैंक के साथ किए गए करार के अधीन है।

(ii) यह परियोजना छः वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जायेगी।

(iii) उधारकर्ता ऋण करार के अनुसरण में ऋण की मूल राशि का भुगतान करेगा।

[हिन्दी]

बायो-डीजल उत्पादन करने वाले बीजों की खेती

3718. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश से बायो-डीजल उत्पादन करने वाले बीजों और बायो-डीजल का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्यों में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से बायो-डीजल उत्पादक बीजों अर्थात् जट्रोफा और करंजा के रोपण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें नर्सरी लगाने, पौध रोपण और अनुसंधान तथा विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। अब तक मांगी गई निधियां 67437.89 लाख रुपए है। तथापि, निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण केवल 351.73 लाख रुपए मुहैया किए गए। मुहैया की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये प्रस्ताव संघ सरकार द्वारा मामले दर मामले के आधार पर जांचे गए और निधियों की उपलब्धता के आधार पर 351.73 लाख रुपए के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

विवरण

क्र. सं.	संगठन	घटक	स्वीकृत	
			वास्तविक	वित्तीय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
क.	**संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम**			
1.	एस.डी.ए., भोपाल	पौधशाला-जट्रोफा	250000 सं.	10.00
		पौधरोपण	250000 सं.	20.00
		कुल		**30.00**
2.	पी.सी.सी.एफ., भोपाल	पौधशाला-जट्रोफा	250000 सं.	10.00
		पौधरोपण	250000 सं.	20.00
		कुल		**30.00**

1	2	3	4	5
3.	एस.डी.एच. और एफ.एफ. भोपाल	पौधशाला-जट्रोफा	100000 सं.	4.00
		पौधरोपण	100000 सं.	8.00
		पौधशाला-करंजा	50000 सं.	3.00
		पौधरोपण	50000 सं.	5.00
		कुल		**20.00**
4*.	एस.डी.एच. और एफ.एफ. भोपाल	पौधशाला-जट्रोफा	200 है.	50.00
		नीम	50 है.	5.50
		करंजा	50 है.	6.50
		महुआ	50 है.	4.50
		टीबीओ के बागान	20 है.	8.00
		किसानों को प्रशिक्षण	2 सं.	0.40
		कुल		**74.90**
5*.	एम.पी. सी.ओ.एस. और टी. भोपाल	पौधशाला-जट्रोफा	90 है.	72.50
		टीबीओ के बागान	3 है.	1.20
		किसानों को प्रशिक्षण	5 सं.	1.00
		प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	2 सं.	0.81
		कुल		**75.51**
6*.	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	पौधशाला-जट्रोफा	275 है.	68.75
		टीबीओ के बागान	9 है.	3.60
		किसानों को प्रशिक्षण	4 सं.	0.80
		प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	2 सं.	0.81
		कुल		**73.96**
		उप-योग - क		304.37
ख.	**अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम**			
7.	टी.एफ.आर.आई. जबलपुर	जट्रोफा एवं करंजा संबंधी अनुसंधान एवं विकास	**	+20.98

1	2	3	4	5
8.	पी.सी.सी.एफ.-(एस.एफ.आर.आई. जबलपुर)	जट्रोफा संबंधी अनुसंधान एवं विकास	**	+12.43
9.	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	जट्रोफा एवं करंजा संबंधी अनुसंधान एवं विकास	**	+13.95
		उप योग - ख		47.36
		कुल योग-(क + ख)		351.73

* उपरोक्त के अलावा इन प्रस्तावों को 2005-06 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भी पुन: वैधीकृत किया गया है। इन्हें उपयुक्त रोपण मौसम के समाप्त हो जाने के कारण 2004-05 के दौरान कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

** बोर्ड ने आई.सी.ए.आर. के 35 आर. एण्ड डी. संस्थानों, सी.एस.आई.आर., आई.सी.एफ.आर.ई., एस.ए.यू., आई.आई.टी. आदि को शामिल करके जट्रोफा और करंजा के समेकित विकास के संबंध में राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया है जिसमें आर. एण्ड डी. कार्यकलाप शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के तीन संस्थान/विश्वविद्यालय शामिल हैं।

\+ इसमें वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन शामिल है।

[अनुवाद]

विषैले रसायनों को प्रतिबंधित करना

3719. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले 12 अत्यधिक विषैले रसायनों को मई, 2005 में ऊरूग्वे सम्मेलन के अनुसार विश्व भर में प्रतिबंधित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रतिबंधित उक्त रसायनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनके स्थान पर क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पी.ओ.पीज) से संबंधित स्टॉकहोम समझौता, 12 बेहद खतरनाक पदार्थों (औद्योगिक रसायनों और पेस्टिसाइडों) की विमुक्ति और प्रयोग/उत्पादन को घटाने और समाप्त करने तथा 8 पेस्टिसाइडों (एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डी.डी.टी., डाइएल्ड्रिन, एन्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स और टोक्साफीन), 2 औद्योगिक रसायनों (पोली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स) (पी.सी. बीज) और हेक्साक्लोरोबेंजीन) और दो अनभिप्रेत उप-उत्पादों (पोली क्लोरीनेटेड डाइ बेंजो-पी-डाइऑक्सीन्स और डाइबेंजो फ्यूरन्स, जिन्हें आम तौर पर डाइऑक्सीन्स और फ्यूरन्स कहते हैं) पर केन्द्रित है।

(ख) 8 पेस्टिसाइडों में से 7 पेस्टिइसाइडों का प्रयोग और विनिर्माण, सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। अन्य पेस्टिसाइड जैसे डी.डी.टी. का कृषि में प्रयोग, सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित है। तथापि, इसे केवल जन स्वास्थ्य उद्देश्यों से प्रयुक्त किया जा रहा है।

दो औद्योगिक रसायनों में से पी.सी. बीज का देश में उत्पादन नहीं होता है और हेक्साक्लोरोबेंजीन प्रतिबंधित है। डाइऑक्सीन्स और फ्यूरन्स कुछ विनिर्माण गतिविधियों से उत्पन्न अनभिप्रेत उप-उत्पाद हैं।

(ग) वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल रासायनिक सूत्रयोगों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मात्स्यिकी क्षेत्र

3720. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मात्स्यिकी क्षेत्र में अंतरदेशीय जलधर के विकास के माध्यम से 8-10 प्रतिशत की वृद्धि संबंधी केन्द्र के लक्ष्य से निजी क्षेत्र भागीदारी में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में फिक्की आई.एफ.पी.

आर.आई.-आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस निर्णय की ओर इशारा किया था;

(ग) क्या मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि अंतरदेशीय जलचर के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर को बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट रिमेन्ड की स्थापना हेतु गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे निजी क्षेत्र मात्स्यिकी क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक क्षमता का दोहन करने और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा अंतरदेशीय जलचर पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश में समुद्री तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विशाल संसाधन हैं जिसमें मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावना है। कुल मत्स्य उत्पादन के लिए दसवीं योजना के लिए सरकार द्वारा तैयार प्रक्षेपण अंतर्देशीय क्षेत्र में 8% के विकास दर सहित 5.5% औसत विकास दर पर आधारित हैं।

(ख) और (ग) सरकारी/निजी भागीदारी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, यह उल्लेख किया गया था कि मात्स्यिकी क्षेत्र में मुख्यतः अंतर्देशीय जलकृषि के जरिए 8-10% तक विकास दर प्राप्त करना संभव है।

(घ) से (च) मात्स्यिकी उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से मात्स्यिकी और जलकृषि से संबंधित सभी कार्यकलापों को एकछत्र के अंतर्गत लाने के मुख्य उद्देश्य से एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

बीमा प्रीमियम दर में कमी

3721. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न फसलों की बीमा दरों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम दरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। फसलों की खाद्य तथा तिलहन श्रेणी के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रीमियम दरें समान हैं और किसानों की भुगतान क्षमता को देखते हुए इनका निर्धारण किया जाता है।

फसलों की अन्य श्रेणी वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें हैं जिनके लिए प्रीमियम की बीमांकिक दरें प्रभारित की जाती हैं। ये दरें विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए भिन्न-भिन्न हैं। ये दरें वर्ष दर वर्ष परिवर्तन दर्शाती हैं क्योंकि ये एक फसल की विगत दस वर्षों की चल रही औसत उपज के आधार पर परिगणित की जाती हैं। उपज में परिवर्तनीयता को देखते हुए, कुछ फसलों की बीमांकिक दरों में वृद्धि दिखाई दी है जबकि कुछ मामलों में प्रीमियम दरें विगत में कम हुई हैं।

भारत सरकार द्वारा विद्यमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त दल ने प्रीमियम की उच्च बीमांकिक दरों के मुद्दे की जांच की है और किसानों के लिए पर्याप्त प्रीमियम राजसहायता की सिफारिश की है। सरकार इस दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न पणधारियों से परामर्श कर रही है।

जलमराव क्षेत्रों में मत्स्य कृषि का विकास

3722. डा. के.एस. मनोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के जलभराव क्षेत्रों में मत्स्य कृषि के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केरल राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के मौजूदा मानकों के अनुसार नहीं था। राज्य सरकार को इस मंत्रालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। केरल राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा है।

नामरूप उर्वरक संयंत्र का विस्तार

3723. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.बी.एफ.सी.एल.) के अंतर्गत आने वाले नामरूप फर्टिलाइजर संयंत्र के पुनरुद्धार और विस्तार के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कर्मचारियों को देय सभी लाभ दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव अक्तूबर, 1997 में अनुमोदित किया था जिसका उद्देश्य पुनरुद्धार पूर्व अवधि के 1.5 लाख मी.टन प्रति वर्ष के वास्तविक प्राप्त स्तर की तुलना में यूरिया का प्रतिवर्ष 5.5 लाख मीट्रिक टन का उच्च उत्पादन स्तर प्राप्त करना है। पुनरुद्धार परियोजना अपनी स्थापना के अंतिम चरण में है।

(ग) और (घ) कामगार संघों और बी.वी.एफ.सी.एल. के प्रबंधन के बीच हुए परस्पर समझौते के आधार पर दिनांक 22-09-2003 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें दिनांक 01-08-2003 से 31-12-2006 तक की प्रभावी मजदूरी समझौते का ढांचा दिया गया है।

प्रसंस्कृत खाद्य हेतु प्रमाणन

3724. श्री एल. गणेशन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए मंत्रालय का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी खाद्य उत्पादों को इस उपाय के दायरे में लाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार सामाजिक रूप से संगत इस उपाय को कब तक अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) राज्यवार कितनी खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयां केन्द्र का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की उत्सुक हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य के लिए प्रमाणन नहीं देता है। वैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक/मानदण्ड, खाद्य से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/आदेशों, मूल रूप से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों, के अंतर्गत निर्धारित हैं। प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं को इन मानकों/मानदण्डों का पालन करना होता है।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ. धनराशि का बकाया

3725. श्री.एम. अंजनकुमार यादव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुकदमेबाजी के कारण अनेक निजी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्यवार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इस अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) अधिक विलंब होने के कारणों में मामलों का देरी से निपटान शामिल है।

(घ) मामलों के त्वरित निपटान हेतु समय-समय पर न्यायालयों

से अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार से भविष्य निधि मामलों के त्वरित हेतु मुलाकात की है। इसके अलावा, इन मामलों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी मॉनीटरिंग किया जा रहा है।

विवरण

31-03-2005 की स्थिति के अनुसार - विवादित कर्मचारी भविष्य निधि बकायों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	78	531.35
2.	बिहार	6	2675.8
3.	छत्तीसगढ़	30	240.44
4.	दिल्ली	62	4202.68
5.	गोवा	24	158.07
6.	गुजरात	78	669.21
7.	हिमाचल प्रदेश	8	37.41
8.	हरियाणा	180	3290.92
9.	झारखण्ड	14	9577.98
10.	कर्नाटक	137	5537.75
11.	केरल	652	4259.54
12.	महाराष्ट्र	85	2521.04
13.	मध्य प्रदेश	355	6366.91
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	37	892.22
15.	उड़ीसा	79	829.21
16.	पंजाब	142	2140.69
17.	राजस्थान	115	1184.45
18.	तमिलनाडु	626	8188.86
19.	उत्तरांचल	48	4113.45
20.	उत्तर प्रदेश	23	153.24
21.	पश्चिम बंगाल	82	1282.9
	कुल	2861	58854.12

फ्लू को फैलने से रोकने के लिए योजना

3726. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फ्लू को फैलने से रोकने के लिए योजना बना रही है और भेषज उद्योग को इस संबंध में प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के दिशा-निर्देश अस्पष्ट हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भेषज उद्योग ने सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) बेहद रोगमूलक एवियन इन्फ्लूएंजा को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका उसे उसके स्रोत अर्थात् पक्षी या पशु के स्तर पर रोकथाम करना है। निवेधात्मक कार्रवाई के लिए निम्नांकित उपायों की पहचान की गई है:-

(क) समुचित निगरानी

(ख) शीघ्र संसूचन

(ग) तत्काल समाप्त करना अर्थात्,

(i) किसी संसूचित मामले के 3 किमी. के दायरे में पक्षियों को मारना;

(ii) 3 से 10 किमी. के दायरे में पोल्ट्री का टीकाकरण;

(iii) 3 किमी. के दायरे के अन्दर और बाहर पोल्ट्री और मनुष्यों के आवागमन की रोकथाम।

(घ) तत्काल सम्पर्क में आये और रोकथाम के कार्यों में लगे व्यक्तियों का एन्टी-वायरल औषधों से उपचार।

सरकार ने इस प्रयोजन से एक अन्तर्मंत्रालयीय कार्यबल का गठन किया है और यह कार्यबल इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का समन्वय कर रहा है। सरकार ने विभिन्न मौकों पर फार्मा कंपनियों के साथ एवियन फ्लू के उपचार हेतु दवाओं की उपलब्धता और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है।

[अनुवाद]

पर्यटन सूचना केन्द्र

3727. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न विमानपत्तनों और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विमानपत्तनों के क्या नाम हैं जहां ऐसे प्रस्तावित केन्द्रों को खोला जाना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर पहले ही पर्यटक सूचना केन्द्र/सूचना काउन्टर स्थापित किए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	शहर	सूचना केन्द्र/काउन्टर	
		घरेलू विमानपत्तन	अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन
1.	दिल्ली	1	1
2.	मुम्बई	2	1
3.	चेन्नई	1	1
4.	कोलकाता	1	1
5.	गुवाहाटी	1	–
6.	वाराणसी	–	1
7.	औरंगाबाद	1	–
8.	आगरा	1	–
9.	जयपुर	1	–

[हिन्दी]

सतर्कता समिति

3728. श्री संतोष गंगवार: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिला और तहसील स्तर पर सतर्कता समितियों के सदस्यों में कमी और द बॉण्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, 1976 के अंतर्गत पैनल्टी की धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो बंधुआ मजदूरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जिला और उप-संभागीय स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों के संघटन के आकार को कम करने हेतु और बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत शास्ति की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

झारखण्ड स्थित पर्यटन स्थलों का विकास

3729. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड सरकार को पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और इसमें से अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): पिछले तीन वर्षों के दौरान, झारखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत की गई/अवमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
	2002-03 - शून्य		
	2003-04		
1.	गिरीडीह में मधुबनी और पारसनाथ का एकीकृत विकास	393.00	393.00
2.	जमशेदपुर-रांची-बेतला-डाल्टनगंज-रांची-जमशेदपुर पर्यटक परिपथ का विकास	716.00	381.60
	2004-05		
1.	मसानजोर (जिला दुमका) का एकीकृत विकास	474.97	379.97
2.	तीर्थांकर-बोधिसत्व परिपथ का विकास	470.94	376.75

पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों की उपयोगिता की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

इरान में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3730. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इरान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) उक्त संयंत्र के कब तक स्थापित होने और उत्पादन आरम्भ करने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दूरस्थ क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय-पर्यटन

3731. श्री अजय माकन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के दूरस्थ क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय-पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई महत्वपूर्ण योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फर्जी मसाज पार्लर/केन्द्रों पर नियन्त्रण लगाने की कोई योजना तैयार की है जो आयुर्वेद की विश्वसनीयता का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन नीति पारिस्थितिकीय-पर्यटन के संवर्धन पर बल देती है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय-पर्यटन परियोजनाओं सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। पर्यटन मंत्रालय से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विशेष पारिस्थितिकीय-पर्यटन परियोजनाएं लागू की हैं।

(ग) से (ङ) आयूष विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुर्वेद/पंचकर्म केन्द्रों के लिए न्यूनतम जरूरतें निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पंचकर्म केन्द्रों को नियंत्रित करना और इन केन्द्रों पर अवसंरचना और सेवाओं के न्यूनतम स्तर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

भारतीय कृषि में प्रतिस्पर्धा

3732. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने नई दिल्ली में "भारतीय कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने" पर कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गए मुख्य मुद्दों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का भारतीय कृषि द्वारा सामना करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 7-04-2005 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि में प्रतियोगात्मक क्षमता बढ़ाने के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:-

(i) ऐसे कृषि जिन्सों का चिन्हीकरण जिनका मध्यम से दीर्घावधि में विश्व बाजारों में मुकाबला करने की क्षमता है;

(ii) फूड पार्कों और निर्यात जोनों की स्थापना सहित उद्भूत हो रहे विश्व बाजारों के साथ स्वदेशी फार्म उत्पादन के समेकन को समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित नीति उपायों का चिन्हीकरण;

(iii) भारतीय कृषि उत्पाद की विश्व में प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने में मुख्य मुद्दे; और

(iv) प्रतियोगी कृषि को समर्थन देने के लिए कृषि अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक/निजी सहभागिता के क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

(ग) कार्यशाला के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल, बागवानी फसलें तथा अन्य के लिए दीर्घावधि निर्यात नीति तैयार करना;

(ii) गुणवत्ता प्राप्त रोपण सामग्री की आपूर्ति, उर्वरकों और पौध रक्षण रसायनों के प्रावधान के माध्यम से उत्पादन प्रणालियों और उत्पादकता में सुधार;

(iii) गुणवत्ता मानकों की स्थापना और कृषि जिन्सों के लिए उनका सुधार;

(iv) उन्नत इलेक्ट्रानिक औजारों पर आधारित एक मंडी आसूचना प्रणाली का सृजन;

(v) सक्षम मंडियों और भंडारण एवं परिवहन सुविधाओं का सृजन;

(vi) कृषि जिन्सों हेतु परिवहन लागत को तर्कसंगत बनाना;

(vii) विश्व में विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में कृषि उत्पादों के लिए नई एवं व्यापक मंडियों की पहचान;

(viii) सुरक्षा और पादप सुरक्षा पर बल देना जिसमें न्यूनतम अवशिष्ट स्तर, रोगमुक्त क्षेत्र और अनुमार्गणीयता (ट्रेसेबिलिटी) शामिल है;

(ix) कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ाना ताकि उच्च मूल्य वर्धन और क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जा सके;

(x) अनुबंधित कृषि को बढ़ावा, महत्वपूर्ण फसलों के लिए जिन्स बोर्डों की स्थापना; और

(xi) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय फोरम में हमारे व्यापार संगोष्ठी संबंधी कार्यसूची पर प्रकाश डालना ताकि कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा मंडियों का सृजन किया जा सके।

(घ) और (ङ) सरकार ने कार्यशाला के दौरान की गई सिफारिशों को नोट कर लिया है। सरकार ने कृषि के विशिष्ट भागों पर बल देने के लिए एक बहुकोणीय नीति को अपनाया है ताकि उच्च उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और भारतीय कृषि में प्रतिस्पर्धा में सुधार किया जा सके। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:- कृषि के विविधीकरण का संवर्धन, बागवानी के संवर्धन पर विशेष बल, विपणन और भंडारण प्रणालियों में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन।

गुड़ का उत्पादन

3733. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने गुड़ के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) राज्य-वार गुड़ का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गुड़ उत्पादकों को देश के विभिन्न भागों में गुड़ के परिवहन पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों हेतु निम्नतम समर्थन मूल्य

3734. श्री एस. अजय कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के लिए निर्धारित निम्नतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में खाद्यान्नों के एम.एस.पी. को निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार प्रत्येक मौसम में खरीफ तथा रबी खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करती है। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एक समान हैं। वर्ष 2003-04 से घोषित खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रु. प्रति क्विंटल)

फसल	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
धान			
(सामान्य)	550	560	570
(श्रेणी क)	580	590	600
ज्वार	505	515	525
बाजरा	505	515	525

1	2	3	4
रागी	505	515	525
मक्का	505	525	540
गेहूं	630	640	650
जौ	525	540	550

(ख) केन्द्र सरकार कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे अन्य सम्बद्ध घटकों, जो सरकार के विचार में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय सी.ए.सी.पी. (i) उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन मुहैया कराने की जरूरत और मुख्यतया राष्ट्रीय जरूरतों के सन्दर्भ में उत्पादन प्रतिमान विकसित करने; (ii) मांग और आपूर्ति स्थिति; (iii) भू जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों की तर्कसंगत उपयोगिता सुनिश्चित करने की जरूरत; (iv) उत्पादन की लागत; (v) शेष अर्थव्यवस्था विशेषकर जीवन निर्वाह की लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत संरचना आदि पर मूल्य नीति के सम्भावित प्रभाव और (vi) कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखती है।

निर्यात लेखा परीक्षा

3735. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** निर्यात संव्यवहारों की लेखा परीक्षा के बारे में 22 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3896 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की अन्तरिम लेखा परीक्षा इकाइयों द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर क्या अनुपालनात्मक कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) क्षेत्रीय कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों द्वारा 1-4-2001 से 31-3-2002 की अवधि हेतु संबंधित क्षेत्रों के लिए जुलाई-अगस्त, 2002 के दौरान निर्यात संबंधी बिक्री की विशेष लेखा परीक्षा की गई थी और दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को एक समेकित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आयात तथा निर्यात प्रभाग को जारी की गई थी ताकि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

(ख) निर्यात के लिए गेहूं और चावल की बिक्री के संबंध में वर्ष 2000-01 में की गई विशेष आंतरिक लेखा परीक्षा में विशेषकर जिला कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर ठेकेवार/पार्टीवार रिकार्डों को न रखने के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां और अंतर पाए गए थे।

विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियां प्राप्त होने पर सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिनांक 29-11-02 को यह अनुदेश दिया गया था कि वे विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित खामियों के लिए अपना बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करें। इसके बाद पार्टीवार/मात्रावार पूर्ण रिकार्ड रखकर जिला कार्यालय के स्तर पर निर्यात संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था और वर्ष 2001-02 के दौरान निर्यात के लिए खाद्यान्नों की बिक्री के संबंध में सभी कारोबारों का मिलान किया गया है और इनको संगत बनाया गया है तथा आवश्यकता होने पर जरूरी वसूलियां की गई हैं और बैंक गारंटियों को भुनाया गया है।

जिन मामलों में निर्यातकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से खाद्यान्नों का विपथन करने/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने जैसी बड़ी खामियां पाई गई थीं उन मामलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसे निर्यातकों/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को काली सूची में डालने के अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज किए गए थे।

चावल का लेवी मूल्य

3736. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से चावल के लेवी मूल्य में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने

केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह खरीफ विपणन मौसम 2004-05 और 2005-06 में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गयी 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को विधिवत ध्यान में रखकर लेवी चावल का मूल्य निर्धारित करे।

(ग) मिल-मालिकों को देय लेवी चावल का मूल्य खरीफ विपणन मौसम 2005-06 के लिए सभी राज्यों हेतु एक-समान रूप से अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है। लेवी चावल का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व लेवी चावल की लागत गणना में आने वाले सभी घटकों पर विचार किया जाता है। अत: आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कसाऊ बांध

3737. डा. राजेश मिश्रा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकारों ने 1994 में सिंचाई हेतु यमुना नदी पर कसाऊ बांध को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बांध को प्रचालन योग्य बनाने के लिए हाल ही में सम्बन्धित राज्यों के साथ कोई बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) ऊपरी यमुना बेसिन के जल के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के बीच मई, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें बेसिन में पहचान किए गए प्रत्येक भंडारण के संबंध में अलग से समझौता किए जाने की व्यवस्था है। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश द्वारा, टौंस नदी पर किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण के संबंध में एक समझौते पर राजस्थान को छोड़कर सभी ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों द्वारा सितम्बर, 1994 में हस्ताक्षर किए गए।

(ख) और (ग) किशाऊ, रेणुका और लखवर व्यासी परियोजनाओं की प्रगति पर ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 14 जुलाई, 2005 को आयोजित 28वीं बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया जहां सदस्य इस बात के लिए सहमत थे कि इन परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा किया जाना जरूरी है तथा परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर जल का उचित वितरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

[अनुवाद]

परिवार बीमा योजना

3738. श्री लोनाप्पन नम्बाडन:

श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषकों हेतु परिवार बीमा योजना को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषकों को निम्नतम समर्थन मूल्य

3739. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 81% कृषकों को निम्नतम समर्थन मूल्य की जानकारी नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कृषकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या अधिकतर कृषकों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सरकार द्वारा निर्धारित एम.एस.पी. के अन्तर्गत अपने उत्पादों को कैसे बेचा जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रही है जिससे कि कृषक अपने उत्पादों को सही मूल्यों पर बेच सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा अपने 59वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 2003) में किए गए किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार 71 प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की संकल्पना को न तो जानते थे और न ही समझते थे। सर्वेक्षण किए गए किसानों में से 10 प्रतिशत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ समझते थे लेकिन अधिप्रापण अभिकरण के बारे में नहीं जानते थे। शेष 19 प्रतिशत न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना को समझते थे बल्कि उस अभिकरण को भी जानते थे (लेकिन इसके नाम, स्थल के बारे में नहीं जानते थे) जिसे, यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं तो वे अपनी फसल बेचेंगे।

किसानों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए राज्यों को कई स्कीमों के माध्यम से विस्तार कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न स्कीमों में शामिल हैं- विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, कृषि को जनसंचार समर्थन, किसान कॉल सैन्टर और कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्रों का संस्थापन। कृषि विस्तार के लिए जन संचार समर्थन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कृषक समुदाय को 172 नैरो कास्टिंग सेन्टरों, 18 क्षेत्रीय केन्द्रों, 1 राष्ट्रीय दूरदर्शन केन्द्र और 96 एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के माध्यम से कृषि संबंधी सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सितम्बर, 2005 से किसानों के लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सूचना को प्रसारित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी होटलों की भूमि की बिक्री

3740. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की भूमि को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त भूमियों की बिक्री से सरकार को प्राप्त कुल धनराशि कितनी है और इनका बाजार मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निविदा जारी की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) 2001-02 में भारत सरकार की विनिवेश नीति के लागू होने के परिणामस्वरूप 18 आई.टी.डी.सी. होटलों तथा चंडीगढ़ में एक अधूरी होटल परियोजना का विनिवेश विभाग द्वारा बोली के माध्यम से भूमि सहित विनिवेश किया गया था। प्रत्येक होटल से प्राप्त बोली की कुल राशि में होटल के भवन, भूमि, प्लांट और मशीनरी, कर्जदार तथा अन्य परिसम्पत्तियां, विनिवेशित इकाइयों के साथ देनदारी तथा ऑब्लिगेशन शामिल हैं। प्राप्त की गई बोली की कुल राशि तथा भूमि के क्षेत्रफल के साथ विनिवेशित होटलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(रुपयों में राशि)

विनिवेशित होटल का नाम	भूमि का क्षेत्रफल	कुल बोली राशि
1	2	3
बिहार		
*होटल बोधगया अशोक, बोधगया	4.78 एकड़	2,01,04,813
दिल्ली		
*होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	7121 वर्ग मी.	45,03,33,333

1	2	3
*होटल कनिष्का, नई दिल्ली	12790 वर्ग मीटर	95,95,01,000
*लोदी होटल, नई दिल्ली	5.84 एकड़	76,22,01,925
*कुतुब होटल, नई दिल्ली	3.93 एकड़	35,67,54,179
*होटल रन्जीत, नई दिल्ली	3.7 एकड़	30,30,00,000
हिमाचल प्रदेश		
*होटल मनाली अशोक, मनाली	11 बीघा-15 बीसवा	4,00,00,000
कर्नाटक		
*होटल अशोक बंगलौर (30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया)	10.33 एकड़	4,11,00,000
*होटल हसन अशोक, हसन	3.34 एकड़	2,51,37,200
केरल		
*कोवलम अशोक बीच रिजॉर्ट, कोवलम	64.05 एकड़	43,68,76,000
मध्य प्रदेश		
*होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	8.65 एकड़	2,21,00,000
महाराष्ट्र		
*एयरपोर्ट रेस्तरां सहित होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	14.48 एकड़	17,40,42,000
पंजाब		
*चंडीगढ़ परियोजना (अपूर्ण)	2.91 एकड़	17,27,20,981
राजस्थान		
*लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	1,17,935 वर्ग मीटर	7,52,00,000
तमिलनाडु		
*होटल मदुरै अशोक, मदुरै	2.69 एकड़	5,48,59,877
*टेम्पल बे अशोक बीच रिजॉर्ट, मामल्लापुरम	50 एकड़ लगभग	6,80,79,300
उत्तर प्रदेश		
*होटल आगरा अशोक, आगरा	2.2 एकड़	3,93,25,320
*होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	9.42 एकड़	9,11,00,000

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
*एयरपोर्ट रेस्तरां कोलकाता सहित होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकात्ता	6.94 एकड़	20,01,51,000

[अनुवाद]

नदी तलों से बालू की खुदाई

3741. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में भूजल का स्तर कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भूजल स्तर में अभूतपूर्व कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या नदियों के तलों से बालू की खुदाई सम्बन्धी कोई मानदण्ड/नियम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तथा राज्य भूमि जल संगठनों द्वारा आवधिक रूप से भूजल स्तरों की मानीटरी की जाती है। देश के कुछ स्थानों में भूजल स्तरों में गिरावट का पता चला है। भूजल स्तरों में गिरावट का मुख्य कारण तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण है जिसके परिणामस्वरूप जलभृत्तों के प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी, कृषि, औद्योगिक और पेयजल प्रयोजनों के लिए मांग में वृद्धि, फसल पद्धति में परिवर्तन, भूजल की अत्यधिक निकासी आदि हुई है।

(ग) से (ङ) बालू एक लघु खनिज होने के कारण, बालू का खनन राज्य का विषय है। नदी तलों पर बालू के खनन संबंधी कोई केन्द्रीय मानक/नियम नहीं है। तथापि आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं केरल जैसे कुछ राज्यों ने नदी तलों से बालू के खनन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

बिचौलियों के माध्यम से निर्यात

3742. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड और हल्दीराम जिन्हें खाद्यान्नों के निर्यात प्रचालन का कार्य सौंपा गया है, उक्त प्रयोजन हेतु बिचौलियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात प्रचालनों में बिचौलियों के इस्तेमाल पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिबंध की सिफारिश के बावजूद ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन): (क) बड़े स्तर पर निर्यात को सुकर बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. (एन.सी.सी.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ लि. (नेफेड), हल्दीराम तथा अन्यों को उनके सहयोगियों की सहायता से भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्न निर्यात स्कीम में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सहयोगियों को शामिल करने से कोई बड़ा घपला नहीं हुआ यद्यपि निर्यात सौदे संबंधी कुछ मामलों में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं।

(ख) निर्यात सौदों में मध्यस्थों के प्रयोग को रोकने से संबंधित भारतीय खाद्य निगम की सिफारिशों पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की एक बैठक में चर्चा की गई जिसमें भारतीय खाद्य निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों ने भाग लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यस्थों की सेवा लेने की अनुमति उनके इन आश्वासनों पर दी गई कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। चूंकि भारतीय खाद्य निगम के पास निर्यात सौदों को अपने आप निपटाने के लिए

अपेक्षित आधार ढांचा उपलब्ध नहीं है, अत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों को मध्यस्थों/सहयोगियों को लगाने की अनुमति दी गई।

(ग) जिन मामलो में निर्यात सौदों में अनियमितता सिद्ध पाई गई उनमें आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की गई जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निर्यात सौदों में अनियमितताओं के मामलों पर की गई कार्रवाई

निम्नलिखित मामलों में जहां भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के सबूत नहीं मिल सके वहां बैंक गारंटी भुना ली गई अथवा लागत अंतर की वसूली की गई:-

(i) एन.सी.सी.एफ. द्वारा अपने सहयोगी के जरिए लुधियाना (पंजाब) में 2000 मीट्रिक टन चावल उठाया गया - लागत के अंतर को करों के साथ वसूला गया।

(ii) भगवती एक्सपोर्टस - बैंक गारंटी भुना ली गई।

(iii) पायनीयर फूड - बैंक गारंटी भुना ली गई।

(iv) एन.सी.सी.एफ. - 6500 मीट्रिक टन चावल आबंटित। लागत के अंतर की वसूली की गई और

(v) मैसर्स हेमंत इंटरनेशनल - 2000 मीट्रिक टन - लागत के अंतर की वसूली की गई।

बैंक गारंटी को भुनाने के अलावा, निम्नलिखित निर्यातकों के विरुद्ध मामले दायर किए गए जिन्होंने हेरा-फेरी की, झूठे दस्तावेज जमा किए:-

(i) मैसर्स आर.के. एक्सपोर्टर्स, भोपाल हेरा-फेरी वाले निर्यात दस्तावेजों तथा जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भोपाल ने मामला दर्ज किया है।

(ii) मैसर्स ए.के. फ्लोर मिल्स प्राइवेट लि., अंकलेश्वर, गुजरात ने साबुत गेहूं के बदले गेहूं का आटा निर्यात किया और जाली दस्तावेज जमा कराए - बैंक गारंटी भुना ली गई; एफ.आई.आर. दायर की गई, ब्याज और लागत के अंतर की वसूली हेतु 'मनी सूट' दायर की गयी जो अदालत में लंबित है।

(iii) एन.सी.सी.एफ. - फरीदाबाद (हरियाणा) की अदालत में पुलिस केस लंबित है।

(iv) मैसर्स हेमंत इंटरनेशनल - भारतीय खाद्य निगम, कुरुक्षेत्र, हरियाणा द्वारा एफ.आई.आर. दायर कराई गई है।

उपर्युक्त पार्टियों को काली सूची में भी रखा गया है।

[हिन्दी]

कृषकों को मुआवजा

3743. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के कृषि उत्पाद के संरक्षण और सुरक्षा तथा उनकी फसल बर्बादी होने की स्थिति में उन्हें मुआवजा देने को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले नीतिगत दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): किसानों के कृषि उत्पादों के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने अनाज बचाओ अभियान (एस.जी.सी.) स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार के माध्यम से फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण को लोकप्रिय बनाया जाता है। वैज्ञानिक भण्डारण के लिए अनुसरण किए गए सिद्धांत हैं - अनाज शुष्कन/सफाई; थैलों में स्टोर किए गए अनाज के लिए निभार (डनेज) का उपयोग करना; आधुनिक अथवा उन्नत परम्परागत भण्डारण ढांचे का उपयोग करना तथा कीट नियंत्रण के लिए संस्तुत कीटनाशक से निवारक और रोगनाशक उपाय करना।

देश में रबी 1999-2000 से प्रचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) में प्राकृतिक आपदाओं और कीटों/रोगों के कारण बीमित फसल को क्षति होने पर किसानों को क्षति पूर्ति का प्रावधान है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन/निर्यात

3744. श्री अर्जुन सेठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या पाकिस्तान और चीन सहित विदेशों से कपास के आयात की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा अपेक्षित मात्रा कितनी है; और

(घ) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कपास सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.) ने वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक कपास के उत्पादन का जो अनुसान लगाया है उसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठों में मात्रा
2003-04	179.00
2004-05	243.00
2005-06	242.50

(ख) जी, हां। चीन और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों की ओर से भारतीय कपास के लिए समुचित पूछ-ताछ हुई है।

(ग) वर्तमान कपास मौसम 2005-06 के दौरान चीन (मेन लैण्ड) में कपास उत्पादन में कमी होने और वस्तु निर्यात तथा घरेलू वस्त्र खपत में वृद्धि से कपास खपत में वृद्धि होने के कारण चीन में उत्पादन और खपत के बीच अंतर 3.2 मिलियन मी. टन तक बढ़ जाने की आशा है। इसी तरह से पाकिस्तान में कपास उत्पादन कम हुआ है जबकि खपत में वृद्धि होने की आशा है। चालू कपास मौसम के दौरान अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आई.सी.ए.सी.) के अनुसार चीन और पाकिस्तान द्वारा अनुमानित आयातों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

मात्रा - मिलियन मीटरी टन में

देश	वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित आयात
चीन	3.20
पाकिस्तान	0.39

स्रोत: आई.सी.ए.सी. द्वारा दिनांक 01-12-2005 को जारी आंकड़े।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, आशा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत सहित विभिन्न देशों से आयात करके अपनी मांग को पूरा करेंगे।

(घ) आशा है कि देश से कपास का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान कपास वर्ष 2005-06 के दौरान दोगुना हो जाएगा। व्यापार स्रोतों के अनुसार, यह समझा गया है कि अब तक लगभग 15.00 लाख गांठों का देश से निर्यात के लिए पहले ही ठेका हो गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का विकास

3745. श्री रघुराज सिंह शाक्य:

डा. के. धनराजू:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर-प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्यों में नए पर्यटन स्थलों का विकास करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस प्रयोजन हेतु अब तक स्वीकृत की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दसवीं योजना के वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाओं तथा अवमुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06 (8-12-2005 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	आवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	10.00	0.00
2.	असम	7	2077.20	1643.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	1401.60	984.52
4.	बिहार	0	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2	518.41	415.00
6.	गोवा	0	0.00	0.00
7.	गुजरात	3	1253.31	562.64
8.	हरियाणा	2	166.45	133.65
9.	हिमाचल प्रदेश	1	30.00	24.00
10.	जम्मू-कश्मीर	15	3515.37	2808.41
11.	झारखण्ड	0	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2	582.52	466.00
13.	केरल	4	2612.00	2091.00
14.	मध्य प्रदेश	8	1506.94	1195.54
15.	महाराष्ट्र	6	1114.91	888.91
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	1	5.00	4.00
18.	मिजोरम	6	1469.49	1047.29

1	2	3	4	5
19.	नागालैण्ड	7	1333.65	916.92
20.	उड़ीसा	0	0.00	0.00
21.	पंजाब	0	0.00	0.00
22.	राजस्थान	2	593.58	487.78
23.	सिक्किम	10	942.84	689.37
24.	तमिलनाडु	11	3123.11	2159.28
25.	त्रिपुरा	3	716.26	569.43
26.	उत्तरांचल	7	1039.77	831.72
27.	उत्तर प्रदेश	11	2456.04	1848.65
28.	पश्चिम बंगाल	2	975.00	780.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
31.	दादर एवं नागर हवेली	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	3	182.70	144.95
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1	5.00	4.00
	कुल	122	27631.15	20696.51

टिप्पणी: इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आई.टी. कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सव परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ की अरा मैंसाझार परियोजना

3746. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ की अरा मैंसाझार परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और खुरिया जलाशय का काम कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) छत्तीसगढ़ की अरा मैंसाझार परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे काजू का उत्पादन

3747. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान कच्चे काजू के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या वर्तमान रूझान कच्चे काजू के उत्पादन में गिरावट को दर्शाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2005-06 के लिए कच्चे काजू के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य 6.25 लाख मीटरी टन का है।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2003-04 से देश में कच्चे काजू के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। बहरहाल, बेमौसम और भारी वर्षा के कारण चालू वर्ष 2005-06 के दौरान उत्पादन कम रहने की संभावना है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान 2300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मई, 2005 से शुरू किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन, कच्चा काजू ऐसी फसलों में से एक है जिन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि काजू के अधीन नए क्षेत्रों को लाने, जराग्रस्त क्षेत्र में पुन: पौध रोपण, अधिक पैदावार देने वाली किस्में उगाने आदि के माध्यम से काजू का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त काजू एवं नारियल विकास निदेशालय भी राज्य सरकार काजू/वन निगमों के सहयोग से पुन: पौध रोपण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें पुराने जर्जर काजू पौधों को हटाने के पश्चात् अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के क्लोनों से कुल 3300 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

गांधी आश्रम में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

3748. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को पुन: शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित, सभी पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय ने गांधी परिपथ के अंतर्गत, साबरमती आश्रम में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन के उन्नयन एवं नवीकरण हेतु 160.00 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की है।

उड़ीसा में समुद्र तटों का विकास

3749. श्री जुएल ओराम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पुरी, चांदीपुर, कोणार्क और गोपालपुर समुद्र तटों की पर्यटन संभाव्यता के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इन समुद्रतटों के विकास हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने इन स्थानों की यात्रा की।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की अपनी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के आधार पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है।

सरकार ने निम्नलिखित वृहत उद्देश्यों के साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20 वर्षीय भावी योजनाएं तैयार की हैं:-

(i) राज्यों में मौजूदा पर्यटन स्थिति का जायजा लेना;

(ii) मौजूदा विकास/निवेश योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना;

(iii) मौजूदा संभावित पर्यटक गंतव्यों का मूल्यांकन करना;

(iv) 20 वर्ष की अवधि के वहनीय पर्यटन का विकास करना;

(v) अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक लक्ष्यों वाली योजनाएं प्रदान करना;

(vi) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए संभावित निवेश अंकित करना; और

(vii) अभिनिर्धारित संभावित योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा अवसंरचना के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।

राज्यों के लिए तैयार की गई 20 वर्षीय भावी योजना में राज्य-वार ब्यौरे और अभिनिर्धारित संभावी विकास योजनाओं/परियोजनाओं आदि के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना शामिल हैं।

पर्यटकों का दौरा

3750. डा. पी.पी. कोया: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का दौरा किया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पर्यटकों की आवाजाही में धीरे-धीरे वृद्धि अथवा कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) पर्यटन क्षेत्र से राज्य/केन्द्र सरकार को कुल कितना लाभ हुआ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान क्रमश: 275.2 मिलियन, 315.7 मिलियन तथा 374.3 मिलियन घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया।

(ख) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्यों में पर्यटक आगमन में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 तीन वर्षों के लिए, पर्यटन मंत्रालय का योजना बजट, क्रमश: 357 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तथा 786 करोड़ रुपए रहा है। इसी प्रकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों हेतु, पर्यटन क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना आबंटन परिव्यय, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान, जैसा कि योजना आयोग से प्राप्त हुआ है, क्रमश: 502.37 करोड़ रुपए, 552.52 करोड़ रुपए तथा 648.14 करोड़ रुपए है।

(घ) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय क्रमश: 2923 मिलियन, 3533 मिलियन, तथा 4810 मिलियन अमेरिकी डालर रही। अर्जित विदेशी मुद्रा के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में ऋण सुधार

3751. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषक आयोग ने एक नई आजीविका सुरक्षा संकल्पना तैयार की है और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हेतु 8,337 करोड़ रुपए का एक समग्र वित्तीय पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ बॉडी ने सरकार से आगामी बजट से प्रस्तावों को लागू करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या पैनल ने सरकार को "सर्विंग फारमर्स एंड सेविंग फारमर्स फ्रॉम क्राइसिस टू कान्फिडेंस" नामक अपनी दूसरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकार की गई सिफारिशों और जिन सिफारिशों को अगले बजट में और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाना है, उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 8,337 करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रक्षिप्त की है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

विस्थापित ग्रामीणों/आदिवासियों का पुनर्वास

3752. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में वन भूमि पर आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों का पुनर्वास करने संबंधी प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है;

(ख) उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं; और

(घ) पुनर्वास की प्रक्रिया कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में वन भूमि पर आदिवासियों और अनुसूचित जातियों सहित लोगों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों का ब्यौरा और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	जिला जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुआ	वर्ष	शामिल वन क्षेत्र (है.)	भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	1991	72	17-07-1992 को अनुमोदित
2.	बालाघाट	1994	46.17	31-07-2003 को अनुमोदित
3.	बालाघाट	2002	985.077	07-03-2003 को अनुमोदित
4.	होशंगाबाद	1994	373.952	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद
5.	होशंगाबाद	2002	115	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद
6.	होशंगाबाद	2003	221.6	02-03-2004 को अनुमोदित
7.	होशंगाबाद	2005	200	16-11-2005 को अनुमोदित
8.	मुरैना	1996	4632.8	20-03-2001 को अनुमोदित
9.	पन्ना	2001	527.28	21-05-2002 को अनुमोदित
10.	मिंड	1995	10.86	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद

1	2	3	4	5
11.	ग्वालियर	1986	43.834	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद
12.	शिवपुरी	2002	218	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद
13.	उज्जैन	1995	11.2	राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा में बंद
14.	शहडोल	2004	156	राज्य सरकार के पास लंबित
15.	जबलपुर	1995	1.24	अस्वीकृत

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पैकेज

3753. प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी/घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समूह भ्रमण (ग्रुप टूर) सहित एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) पर्यटक पैकेजों को तैयार करने की जिम्मेदारी एयरलाइनों, टूअर आपरेटरों और ट्रेवल एजेन्टों की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार कोई पर्यटक पैकेज तैयार नहीं करता। तथापि, भारत और विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालय सूचना के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन देने, व्यापार प्रदर्शनों में भागीदारी करने, ब्रोशर समर्थन और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का संवर्धन करते हैं।

चीनी उत्पादन हेतु सहायता

3754. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आई बाढ़ से हुई हानि के मद्देनजर महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन और चीनी उद्योग के पुनरुद्धार हेतु सरकार से किसी वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कॉटन सीड्स फार्म में कार्यरत बच्चे

3755. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि आंध्र प्रदेश में 1,00,000 बच्चे कॉटन सीड्स फार्म में एक दिन में 13 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं, जैसा कि दिनांक 4 दिसम्बर, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में इंडिया कमेटी ऑफ दि नीदरलैंड्स की रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को इंडिया कमेटी ऑफ दि नीदरलैंड्स की रिपोर्ट की जानकारी है। यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश में कॉटन सीड्स के उत्पादन में किसानों को भुगतान की गई कीमतों और बाल श्रमिकों का उपयोग करने के बीच संबद्धता के अध्ययन से संबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश के सभी 23 जिले राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम में शामिल हैं, जिसमें बाल श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास का प्रावधान है। इनमें कॉटन सीड्स फार्मों में कार्यरत बच्चे शामिल हैं।

निम्न पैंनगंगा सिंचाई परियोजना

3756. श्री सुबोध मोहिते: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से निम्न-पैंनगंगा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त, 1982 में 163.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 105.48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना करते हुए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) को निचली पैंनगंगा वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की थी। तथापि, एक वर्ष से अधिक तक सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण यह परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 1987 में राज्य सरकार को वापस लौटा दी गई थी। परियोजना की निवेश स्वीकृति में लिया गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का संतोषजनक अनुपालन कितनी तत्परता के साथ करती है।

वृक्षों को काटने की अनुमति

3757. श्री परसुराम माझी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को उसके कुछ वन प्रभागों में वृक्ष काटने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमति किस आधार पर दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के 11 वन प्रभागों में अनुमोदित कार्य योजना आदेशों के आधार पर वर्ष 2005-06 के प्रचालन के लिए वार्षिक योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दी है।

(ख) इमारती लकड़ी प्रचालन कार्य करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर अनुमति दी गई है।

(i) परिपक्व वृद्धि के प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक उन्नत पुनरुद्धार से लाभ उठाना?

(ii) वन निवासी आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और उनके पारम्परिक व्यवसाय।

(iii) वनों से इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी की उपज अवैध रूप से वृक्षों को काटने और इमारती लकड़ी की तस्करी को कम करेगी।

(iv) प्रतिपूरक वनवर्धन कार्य जैव विविधता को सुधारने में सहायक होंगे।

(v) सफाई, छटाई और अन्य वनवर्धन कार्यों से होने वाले वित्तीय लाभ वन संरक्षण समिति के सदस्यों को जाएंगे और इसका संयुक्त वन प्रबंधन अभियान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(vi) वन में विभाग के फील्ड स्टाफ की उपस्थिति में बढ़ोतरी और वनों में और उसके पास रहने वाले आदिवासियों को मजदूरी रोजगार से वन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

वर्तमान यूरिया एककों को गैस आधारित एककों में बदलना

3758. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार नेप्था और फ्यूल आयल/लो सल्फर हेवी स्टॉक (एल.एस.एच.एस.) पर आधारित जिन वर्तमान यूरिया एककों की पहचान प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. आधारित एककों में बदलने हेतु की गई है उसका स्थानवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): नेप्था और ईंधन तेल (एफ.ओ.)/लो सल्फर हेवी

स्टॉक (एल.एस.एच.एस.) की तुलना में प्राकृतिक गैस (एन.जी.) की प्रभावकारिता, दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल होने को देखते हुए सरकार ने जनवरी, 2004 में मौजूदा गैर-गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को एन.जी./द्रवित प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने की एक नीति तैयार की है। इसके अलावा, नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) के चरण-I और II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा चरण-II अर्थात् 1-4-2006 के बाद से यूरिया इकाइयों की नीति तैयार करने के लिए डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में गठित कार्यदल को अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा नेपथा और एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. आधारित इकाइयों को एन.जी./एल.एन.जी. में परिवर्तित करने के मानदण्ड निर्धारित करने का कार्य भी सौंपा गया था।

गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयां जिन्हें एन.जी./एल.एन.जी. में परिवर्तित किया जाना है के स्थल का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्रम संख्या	इकाई का नाम	राज्य जहां स्थित है	टिप्पणियां
नेपथा आधारित इकाइयां			
1.	सी.एफ.सी.एल.-गडेपान-II	राजस्थान	यह इकाई एच.बी.जे. पाइपलाइन पर है। इकाई को पहले ही परिवर्तित किया जा चुका है और यह उपलब्ध एन.जी./एल.एन.जी. का इस्तेमाल कर रही है।
2.	इफ्को-फूलपुर-I	उत्तर प्रदेश	गेल के साथ आर-एल.एन.जी. प्राप्त करने की संविदा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोनों इकाइयों का परिवर्तन 2006 के मध्य तक पूरा होने की संभावना
3.	इफ्को-फूलपुर-II	उत्तर प्रदेश	
4.	एस.एफ.सी.-कोटा	राजस्थान	
5.	डी.आई.एल.-कानपुर	उत्तर प्रदेश	
6.	एम.सी.एफ.एल.-मंगलौर	कर्नाटक	
7.	एम.एफ.एल.-चेन्नै	तमिलनाडु	
8.	एस.पी.आई.सी.-तूतिकोरिन	तमिलनाडु	
9.	जैड.आई.एल.-गोवा	गोवा	
10.	फैक्ट-कोचीन	केरल	वर्तमान में यूरिया का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. आधारित इकाइयां			
11.	जी.एन.वी.एफ.सी., भरूच	गुजरात	
12.	एन.एफ.एल.-नांगल	पंजाब	
13.	एन.एफ.एल.-भटिण्डा	पंजाब	
14.	एन.एफ.एल.-पानीपत	हरियाणा	

[अनुवाद]

पशुधन हेतु राज्यों को सहायता

3759. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पशुधन हेतु चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए स्ट्रॉ और सेल्युलोसिक वेस्ट के संवर्धन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) योजना से उत्पादकता को बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन की लागत कम करने में किस हद तक सहायता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट के समृद्धिकरण के लिए राज्यवार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस योजना ने कम गुणवत्ता वाले सूखे चारे अर्थात् भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट के पोषक महत्व में सुधार करने के लिए किसानों की मदद की है ताकि देश के सूखा प्रभावित, कम वर्षा वाले तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को आहार दिया जा सके।

विवरण

भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट के समृद्धीकरण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	60.00
2.	असम	–	–	68.35
3.	छत्तीसगढ़	100.00	–	25.00
4.	हिमाचल प्रदेश	1.00	2.00	5.00
5.	झारखंड	–	–	150.00
6.	कर्नाटक	25.00	25.00	9.50
7.	केरल	–	–	90.00
8.	महाराष्ट्र	–	8.44	5.275
9.	मिजोरम	30.00	–	30.00
10.	नागालैंड	20.00	27.575	30.00
11.	पंजाब	20.00	–	–
12.	राजस्थान	–	40.00	26.32

1	2	3	4	5
13.	सिक्किम	–	–	57.65
14.	त्रिपुरा	–	20.00	50.00
15.	उत्तर प्रदेश	–	–	337.658
16.	उत्तरांचल	22.15	–	–
	कुल	218.15	123.015	944.753

[हिन्दी]

राजस्थान में नहरों का उन्नयन

3760. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में बहने वाली नहरों के विकास, मरम्मत, उन्नयन और उनकी बहाली हेतु धनराशि आवंटित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और इसकी आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रख-रखाव मुख्यत: उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य सरकारों का दायित्व है। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए गए आयोजना और बजटीय आबंटन पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। राज्य में 3 निर्माणाधीन विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) सिंचाई परियोजनाएं अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) चरण-I, गंगा नगर का आधुनिकीकरण और राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचित परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) हैं जिसमें से गंग नहर का आधुनिकीकरण नामक एक परियोजना प्रस्ताव को ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल किया गया है और इस स्कीम के लिए 2005-06 के दौरान अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए 3.444 करोड़ रुपये सहित नवम्बर, 2005 तक केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में 185.979 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। आई.जी.एन.पी. चरण-I को वर्ष के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत सहायता जारी करने के लिए शामिल नहीं किया गया था चूंकि इसे योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। परियोजना की निवेश स्वीकृति में लिया गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की संतोषजनक अनुपालना कितनी तत्परता से करती है।

[अनुवाद]

गुजरात में मछलियों को उतारने के केन्द्रों का निर्माण

3761. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में एक फिशिंग लैंडिंग सेन्टर का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):

(क) जी, हां। जूनागढ़ जिले में सूत्रपाड़ा में मछली उतारने के केन्द्र के निर्णय के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) अनुमानित लागत 58.18 लाख रुपए है और अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(ग) गुजरात सरकार से दिसम्बर, 2001 में अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक स्वीकृति तथा भूमि की उपलब्धता और राज्य की हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान की पुष्टि के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

बौद्ध सर्किटों के लिए जापान से ऋण

3762. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बौद्ध सर्किटों के विकास हेतु जापान से ऋण लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बिहार सहित, भारत में बौद्ध परिपथों के लिए अवसंरचना से संबंधित पर्यटन के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव, इस मंत्रालय द्वारा जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन से सहायता प्राप्त करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

भारत से आयात पर प्रतिबंध

3763. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और कांगो ने भारत से पक्षी-चारे और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त दो देशों के निर्यात पर तथा अन्य आयात करने वाले देशों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय पक्षी चारा और अंडों के आयात पर प्रतिबंध के बारे में इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेंशन योजना

3764. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के काफी लोग उपयुक्त पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में पेंशन योजना के कवरेज को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन लाभ हर उस प्रतिष्ठान के पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा कारखाना है या जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

31-3-2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत 311.49 लाख सदस्य हैं।

पात्र प्रतिष्ठानों को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

किसानों के लिए नई बीज योजना

3765. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए एक नई बीज योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बीज योजना में स्व-परागित फसलों के लिए 25%, संकर परागित फसलों के लिए 35% और संकर फसलों के लिए 100% तक बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने की परिकल्पना की गई है ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को बरकरार रखा जा सके। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी स्टेकहोल्डरों खासकर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और बीज निगमों से तत्काल योजना क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया।

विवरण

राष्ट्रीय बीज योजना का ब्यौरा

फसल	सामान्य क्षेत्र (000' हैक्टेयर)	बीज उत्पादन के लिए आवश्यक क्षेत्र (000' हैक्टेयर)			अपेक्षित बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने हेतु बीज प्रतिस्थापन (000' टन)		
		25%	35%	100%	25%	35%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	43690.00	145.633	–	–	436.90	–	–
गेहूं	26267.70	328.346	–	–	656.69	–	–
बाजरा	9315.80	–	–	46.579	–	–	37.263
ज्वार	5727.10	–	–	97.172	–	–	68.725
मक्का	6714.50	–	–	83.931	–	–	134.90
जौ	704.30	11.738	–	–	17.60	–	–
छोटे कदन्न	1309.30	4.092	–	–	2.29	–	–
रागी	1622.30	5.070	–	–	2.83	–	–
चना	6155.30	153.883	–	–	115.41	–	–
अरहर	3453.10	8.633	–	–	17.26	–	–
उड़द	3238.10	20.238	–	–	16.19	–	–
मूंग	3131.90	19.574	–	–	15.65	–	–
मसूर	1438.10	11.98	–	–	8.98	–	–
मटर	710.70	17.768	–	–	17.76	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
मूंगफली	6319.50	263.313	–	–	236.98	–	–
तोरिया/सरसों	5101.60	–	17.856	–	–	8.92	–
सोयाबीन	6316.90	105.282	–	–	102.64	–	–
सूरजमुखी	1436.30	–	50.271	–	–	5.02	–
एरण्ड	778.70	–	–	12.978	–	–	9.734
अलसी	536.90	2.685	–	–	3.35	–	–
कुसुम	397.30	1.655	–	–	1.19	–	–
तिल	1633.80	1.634	–	–	2.04	–	–
कपास	8335.20	–	58.346	–	–	58.34	–
कुल योग	144334.4	1101.524	126.473	240.66	1653.76	72.28	250.622

औषधीय पौधों का उगाया जाना

3766. श्री सुब्रत बोस: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों से औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों का गैर-विनियमित व्यापार बड़े पैमाने पर निर्बाध गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य को रोकने हेतु कोई कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को वनों से औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के गैर-विनियमित व्यापार के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मंत्रालय ने राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के व्यापार को विनियमित करें। मंत्रालय एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम को प्राथमिक रूप से ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वनों की सुरक्षा हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन

3767. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन करने और पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के पुनर्गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और बोर्ड की शक्तियां और कार्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) प्रभावी बाढ़ नियंत्रित करने, विद्युत उत्पादन करने, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने तथा अवसंरचना विकसित करने के वास्ते एक संशक्तिशील, स्वायत्त, स्वत: पूर्ण निकाय की स्थापना करने के लिए पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण (निवरा) का गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। निवरा के गठन के पश्चात, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को इस प्राधिकरण में शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गंगा नदी की सफाई

3768. मो. मुकीम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी की सफाई के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को गंगा नदी की सफाई के लिए दी गई धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें मिली है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1985 में गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण को शुरू करना सरकार का प्रथम प्रयास था। इसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैले 25 शहरों में शुरू किया गया और यह वर्ष 2000 में पूरा हुआ। इस चरण के अंतर्गत 261 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें से 259 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिदिन 865 मिलियन लीटर सीवेज शोधन का क्षमता का निर्माण किया गया था।

गंगा कार्य योजना को उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के 59 शहरों से कार्यों के साथ 1993 में गंगा कार्य योजना चरण-II के रूप में विस्तार किया गया। इस चरण के अंतर्गत 227 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें से 60 सितम्बर, 2005 तक पूरी हो चुकी हैं। गंगा कार्य योजना के दोनों चरणों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) क्रमशः कानपुर एवं अनुपशहर शहरों में कार्यों की गुणवत्ता एवं निष्पादन के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी ने दो शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है। इन शिकायतों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

विवरण

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

गंगा कार्य योजना चरण-I

(संख्या)

स्कीम	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	कुल
अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	40	17			31	88
सीवेज शोधन संयंत्र	13	7			15	35
अल्प लागत शौचालय	14	7			22	43
शवदाहगृह	3	8			17	28
नदी तट विकास	8	3			24	35
अन्य स्कीमें	28	3			1	32
कुल	106	45	0	0	110	261

गंगा कार्य योजना चरण-II

स्कीम	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	20	0	0		45	76

1	2	3	4	5	6	7
सीवेज शोधन संयंत्र	7	0	0	5	23	35
अल्प लागत शौचालय	8	7	1	10	0	26
शवदाहगृह	0	1	0	0	5	6
नदी तट विकास	0	10	1	6	21	38
अन्य स्कीमें	4	0	0	4	38	46
कुल	39	18	2	36	132	227

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

3769. डा. के. धनराजू: क्या **कृषि मंत्री** दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में 28 नवम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दूध वितरण अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में तथ्यान्वेषी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जांच में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जांच अधिकारियों से कहा गया है कि वे एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(घ) जांच अधिकारियों से समय-सीमा का पालन करने के लिए कहा गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 में संशोधन

3770. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उत्पादों के प्रमाणन हेतु जारी किए गए लाइसेंसों और नमूनों की जांच का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने गत एक वर्ष के दौरान 2045 लाइसेंस मंजूर किए और अपनी प्रयोगशालाओं में 25888 नमूनों का परीक्षण किया।

कामगारों का लंबा कार्य समय

3771. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि अपने स्तर के अधिकांश वैश्विक देशों की तुलना में भारत में कामगारों के कार्य का समय लंबा होता है जैसा कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में कामगारों की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि विकास बैंक

3772. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में भूमि विकास बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसानों को उनकी भूमि बंधक रखने पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला कोई वैकल्पिक वित्तीय संस्थान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंकों को जिन्हें आमतौर पर भूमि विकास बैंकों के रूप में जाना जाता है, के मामले में वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान संचित हानियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भूमि विकास बैंकों के कम निष्पादन के मुख्य कारण हैं - व्यवसाय की कम मात्रा/कम संसाधन आधार, कम उधारकर्ता सदस्यता, प्रबंधन के लोकतांत्रीकरण और व्यावसायीकरण की कमी, अतिदेयों का अधिक प्रभाव, कुशल मानवशक्ति की कमी, निधियों की उच्च लागत, परिसम्पत्तियों से कम प्राप्ति, उच्च कार्य सम्पादन लागत और अपर्याप्त मार्जिन।

(ग) दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा अर्थात भूमि विकास बैंकों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्य बल नियुक्त किया है।

(घ) और (ङ) किसानों को उनकी भूमि के रहने के बदले वित्तीय दीर्घकालिक वित्तीय सहायता को भी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा और कुछ सीमा तक अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) तथा जिला केन्द्रीय बैंकों (डी.सी.सी.बी.) द्वारा पूरा किया जाता है।

विवरण

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एस.सी.ए.आर.डी.बी.) की संचित हानियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ के.शा. प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	असम	3217	3429	3503
2.	बिहार	11273	13381	15008
3.	छत्तीसगढ़	उ.न.	–	–
4.	गुजरात	863	1047	–

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	–	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	729	638	504
7.	जम्मू-कश्मीर	1039	1396	1692
8.	कर्नाटक	9190	12386	20172
9.	केरल	–	–	–
10.	मध्य प्रदेश	–	–	–
11.	महाराष्ट्र	7681	16889	24193
12.	मणिपुर	142	233	233
13.	उड़ीसा	9697	10564	11261
14.	पांडिचेरी	156	178	204
15.	पंजाब	–	–	–
16.	राजस्थान	–	–	–
17.	तमिलनाडु	4525	4567	7781
18.	त्रिपुरा	919	1021	1047
19.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
20.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	अखिल भारत	49431	65729	85598

अनंतिम आंकड़े

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एस.सी.ए.आर.डी.बी.) की संचित हानियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ के.शा. प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़	1849	2146	1932

1	2	3	4	5
2.	हरियाणा	10978	15663	17011
3.	कर्नाटक	41161	48670	59188
4.	केरल	6551	7635	7635
5.	मध्य प्रदेश	21963	23629	25325
6.	महाराष्ट्र	64545	75601	85105
7.	उड़ीसा	9494	10949	10949
8.	पंजाब	3008	3837	3023
9.	राजस्थान	6491	7019	8701
10.	तमिलनाडु	34698	38744	41563
11.	पश्चिम बंगाल	4613	4252	4515
	अखिल भारत	205352	238145	264947

अनंतिम आंकड़े

पर्यटन क्षेत्र में यू.एन.डी.पी. के साथ समझौता

3773. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए तरह का पर्यटन शुरू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.एन.डी.पी. पर्यटन के लिए धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका उपयोग किस तरह से किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अंतर्जात पर्यटन विकास हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत यू.एन.डी.पी. पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को लेने के लिए, ग्रामों के क्षमता निर्माण के माध्यम से अंतर्जात पर्यटन के विकास हेतु 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। यह कार्यक्रम चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाएगा।

पारथेनियम से उत्पन्न समस्याएं

3774. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री रशीद मसूद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारथेनियम, जो सबसे पहले पुणे में आया और एलर्जी पैदा कर रहा है, सब जगह फैल गया है और भारत में इसकी रोकथाम हेतु कोई स्वाभाविक शत्रुकीट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वैज्ञानिक कुछ अधिक अनुकूल कीटों के आयात की योजना बना रहे हैं जो पारथेनियम से निबटने में सहायता कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पारथेनियम के समेकित प्रबंधन का

बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हेतु 70 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या देश में कीटों के आयात के पूर्व उनके लाभ-हानि का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-सी भावी रणनीति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैक्सिको में जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा कीट की सफलता को देखते हुए पारथेनियम को नियंत्रित करने के लिए 1983 में इसे भारत में आयातित किया गया था। एक और पोषी विशिष्ट वीविल स्माईक्रोनिक्स ल्यूटूलेन्टस की भारत में प्रविष्टि के लिए सिफारिश की गई है।

(घ) जी, हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2004 में "समेकित प्रयासों से पारथेनियम प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन" नामक 67 लाख रुपये की तीन वर्षीय परियोजना को मंजूरी दे दी है।

(ङ) और (च) जी, हां। किसी भी प्रकार के जैव एजेन्ट को आयात करने से पहले उसकी अन्य फसलों के प्रति जैव सुरक्षा को पूर्ण संगरोध स्थितियों (क्वरेन्टाइन कंडीशन) में सुनिश्चित किया जाता है। किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जैव-नियंत्रण एजेन्ट के तौर पर इसके इस्तेमाल के समय इसकी कारगरता और आर्थिक व्यवहार्यता के रूप में इसका मूल्यांकन किया जाता है।

राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर अपने समन्वयक केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से पारथेनियम को नियंत्रित करने के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा कीट को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि सभी तरह के प्रयास कर रहा है।

एन.सी.डी.ई. एक्स. में कृषि उत्पादों के लिए व्यापार प्लेटफार्म

3775. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कॉमोडिटीज एंड डेरीवेटीव एक्सचेंज आफ इंडिया (एन.सी.डी.ई.एक्स.), कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को यह प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु किसी केंद्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज आफ इंडिया (एन.सी.डी.ई.एक्स.) देश भर में 540 केंद्रों में फैले अपने 8000 टर्मिनलों के माध्यम से व्यापार सुविधा मुहैया कराता है। ग्राहक जिसमें किसान भी शामिल हैं, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज आफ इंडिया के सदस्यों के मार्फत इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें से कुछ टर्मिनल पंजाब के अबोहर और फाजिल्का, हरियाणा के बहादुरगढ़, सिरसा और फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, शामली और बांदा, राजस्थान के टोंक, नेवाई, चूरू और पीलीबंगा, मध्य प्रदेश के मुरैना, मंदसौर और पाली, बिहार के गया, कर्नाटक के देवंगीर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेनाली, केरल के त्रिसूर, उत्तरांचल के रुद्रपुर और हल्द्वानी, गुजरात के दहोद तथा महाराष्ट्र के अकोला और सांगली जैसे छोटे शहरों में अवस्थित हैं। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज आफ इंडिया अपनी सुविधाओं से लाभ उठाने हेतु किसानों और विभिन्न पणधारियों में जागरूकता भी पैदा कर रहा है।

[हिन्दी]

गेहूं घाटोला

3776. श्री बीर सिंह महतो:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरण हेतु करोड़ों रुपये के गेहूं के दुर्विनियोजन संबंधी घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशनकार्ड जारी करने और सम्पूर्म देश में फैले 4.81 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिये खाद्यान्नों का सक्षम और जवाबदेह तरीके से लाभार्थियों को वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

सरकार को हाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए आवंटित करोड़ों रुपये के गेहूं के दुर्विनियोजन के किसी ऐसे घोटाले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, हरियाणा सरकार ने जुलाई, 2005 में सूचित किया है कि करनाल जिले के निर्सिंग ब्लॉक में खाद्य और आपूर्ति विभाग तथा कानफैड के अधिकारियों से मिलकर उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के गेहूं का कथित विपथन करने के संबंध में राज्य सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा शिकायत की जांच किए जाने के बाद यह पाया गया था कि प्रथम दृष्टया निर्सिंग ब्लॉक में गरीबी रेखा से ऊपर के गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है जिसमें खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों/कर्मचारियों निलंबित किया था। इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने आयुक्त, रोहतक डिवीजन को जांच करने का कार्य सौंपा था। इसी बीच चूककर्ता 11 उचित दर दुकानों के डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और लाइसेंस रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, प्रबंध निदेशक, कानफैड को उक्त संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। करनाल में कानफैड के जिला प्रबंधक और स्टोर कीपर को निलंबित किया गया है। ढुलाई ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए और यह देखने के लिए कि खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचते हैं, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने और इसे अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया था। इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करके किया गया कोई भी अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन आपराधिक रूप से दंडनीय है;

(ii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के एक उपाय के रूप में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें;

(iii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करें;

(iv) पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं सक्षम रूप से पहुंचाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा एक माडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया है ताकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसे अपना सके;

(v) क्षेत्र अधिकारी स्कीम के अधीन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उन्हें आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्र अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजी जाती है।

एफ.सी.आई. अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच

3777. श्री मुनव्वर हसन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के अधिकारियों के विरुद्ध की गई सतर्कता जांच और विशेष रूप से चंडीगढ़, दिल्ली, पटना और रांची क्षेत्रों में तैनात ऐसे अधिकारियों का पदनाम सहित ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चावल, गेहूं और चीनी की खरीद के लिए तैनात कर्मचारियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के पदनाम सहित ऐसे कितने कर्मचारी तैनात हैं जो चावल, गेहू और चीनी की खरीद कार्य के योग्य हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान चण्डीगढ़, दिल्ली, पटना और रांची क्षेत्रों में तैनात पदधारकों सहित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी सतर्कता जांच और इनके निष्कर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान चावल और गेहूं की वसूली के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र का नाम	तैनात कर्मचारियों की संख्या		
	2003	2004	2005 (सितम्बर तक)
पंजाब (चण्डीगढ़)	876	880	793
हरियाणा (चण्डीगढ़)	596	567	531
दिल्ली	57	57	57
पटना	62	107	42
रांची	शून्य	11	16

इन क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की वसूली नहीं की जाती है।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में तैनात भारतीय खाद्य निगम के उन कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है जो चावल और गेहूं की वसूली करने के योग्य हैं:-

क्षेत्र का नाम	कार्य के लिए योग्य कर्मचारियों की संख्या	पदनाम	
		प्रबंधक (क्यू.सी.)/ प्रबंधक (पी.पी.) श्रेणी-2	तकनीकी सहायक/ सहायक ग्रेड (पी.पी.) श्रेणी-3
1	2	3	4
पंजाब (चण्डीगढ़)	2524	861	1663
हरियाणा (चण्डीगढ़)	1694	666	1028

1	2	3	4
दिल्ली	57	38	19
पटना	58	21	37
रांची	18	8	10

इन क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की वसूली नहीं की जाती है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान चण्डीगढ़, दिल्ली, पटना और रांची क्षेत्रों में तैनात पदधारकों सहित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी सतर्कता जांच और इनके निष्कर्षों के ब्यौरे

पंजाब क्षेत्र (चण्डीगढ़)

वर्ष	उन अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध जांच की गई है प्र. (गु.नि.)/त.स./ए.जी. (पी.पी.)	निष्कर्ष*		
		बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवा निवृत्ति/की गई रिकवरी आदि	समय वेतनमान में कमी/वेतन वृद्धि रोकना	निन्दा/मुक्त करना आदि
1	2	3	4	5
2003	359	203	139	100
2004	357	57	102	29
2005 (सितम्बर तक)	399	46	73	28
हरियाणा क्षेत्र (चण्डीगढ़)				
2003	41	25	8	8
2004	77	62	9	6
2005 (सितम्बर तक)	160	97	40	23
दिल्ली क्षेत्र				
2003	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2004	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2005 (सितम्बर तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पटना क्षेत्र				
2003	7	शून्य	शून्य	4

1	2	3	4	5
2004	10	2	1	4
2005 (सितम्बर तक)	16	शून्य	शून्य	2
रांची क्षेत्र				
2003	15	2	2	11
2004	15	6	3	6
2005 (सितम्बर तक)	35	6	3	2

* इन आंकड़ों में पिछले वर्ष में शुरू किए गए मामलों के प्रति निष्कर्ष भी शामिल हैं।

उपयोग की गई संक्षिप्तियां:-

1. प्र.(गु.नि.) प्रबंधक (गुण नियंत्रण)
2. प्रबंधक (पी. एंड पी.) प्रबंधक (प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग)
3. त.स. तकनीकी सहायक
4. ए.जी. (पी.पी.) सहायक ग्रेड (प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसंग)

[अनुवाद]

ठेका श्रमिकों को नियमित किया जाना

3778. श्री गणेश सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में वर्ष में 240 दिनों से ज्यादा दिनों तक कार्य करने के बाद नियमित सेवा में सम्मिलित किये जाने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) सरकारी प्रतिष्ठानों और समुदाय पॉलिटेक्निक के अंतर्गत अब तक कितने ठेका श्रमिक हैं; और

(ङ) इन ठेका श्रमिकों को नियमित सेवा में कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश एवं अन्य के मामले में अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी की कि किसी ठेका श्रमिक को एक प्रतिष्ठान में 240 दिनों से अधिक कार्य करने पर और संविधान के अनुच्छेद-12 के अंतर्गत उनके कार्यों का निरीक्षण एवं प्रशासन किसी एजेन्सी द्वारा किए जाने पर, उसे समाविष्ट किया जाए। आगे, न्यायालय ने यह भी देखा कि वह ठेका वास्तविक न होकर केवल एक छलावा मात्र था और वास्तविक संविदात्मक संबंध प्रमुख नियोक्ता और ठेका श्रमिकों के बीच विद्यमान थे। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला मामले के गुणावगुण पर आधारित था। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय के एक पांच न्यायाधीशों वाले संविधान पीठ ने दिनांक 30-8-2001 को दिए गए एक अन्य फैसले में स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. बनाम नेशनल यूनियन आफ वाटरफ्रंट वर्कर्स एवं अन्य के मामले में अपना फैसला देते हुए यह व्यवस्था दी कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान में ठेका श्रमिक के समाविष्टि का प्रावधान नहीं है तथा ठेका श्रम पद्धति के उत्सादन किए जाने पर प्रमुख नियोक्ता से प्रतिषिद्ध श्रेणी में ठेका कर्मचारियों के नियमितिकरण का आदेश देने की अपेक्षा नहीं है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह बात कही कि यदि ठेका प्रामाणिक न होकर केवल एक छद्म है, तो प्रमुख नियोक्ता द्वारा ठेका कर्मचारियों को सीधी भर्ती के रूप में समाविष्ट किया जाएगा। यदि ठेका वास्तविक है और प्रमुख नियोक्ता का विचार प्रतिषिद्ध श्रेणी के कार्यों में नियमित कामगार को शामिल करने का हो तो उसे पूर्व में नियोजित ठेका श्रमिक को उम्र से संबंधित एवं तकनीकी योग्यता के अलावा योग्यता

संबंधी शर्तों में ढील देकर तरजीह देनी होगी। यह फैसला देश के लिए एक कानून है और जहां कहीं भी ठेका श्रम पद्धति को निषिद्ध करने के आदेश वहां की समुचित सरकारों ने दिए हैं, संबंधित प्रतिष्ठानों को इसे कड़ाई से पालन करना होगा।

(घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में "समुचित सरकारें" हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के अंतर्गत शामिल ठेका श्रमिकों की संख्या से संबंधित कोई भी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। केन्द्रीय क्षेत्र में, उन ठेका श्रमिकों जिनके लाइसेंस वर्ष 2004-2005 के दौरान ठेकेदारों को निर्गत किए गए उनकी संख्या 968792 थी।

(ङ) ठेका श्रमिकों के नियमितिकरण के प्रश्न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त फैसला जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. एवं संबंधित प्रतिष्ठान के संदर्भ में है, में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

पारिस्थितिकी का पुन:सृजन

3779. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को पुन: सृजित करने हेतु क्या प्रयास किए गए;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार प्राकृतिक कच्छ वनस्पति के पुन: सृजन और इस द्वीप के नम भूमि पर्यावास की निगरानी करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अवक्रमित वनों और उससे सटी वनभूमियों के पुनरुद्धार के लिए तमिलनाडु (13.56 करोड़ रुपए), केरल (2.71 करोड़ रुपए) और आन्ध्र प्रदेश (3.55 करोड़ रुपए) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

सुनामी के बाद अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने वर्ष 2005-06 के दौरान 101 हैक्टेयर तटीय भूमि पर पौध रोपण आरम्भ किया है और 89 हैक्टेयर क्षेत्र पर पहले ही पौध रोपण किया जा रहा है। संघ शासित क्षेत्र ने भी अवक्रमित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति प्रजातियों का पौधरोपण किया है और 7.3 हैक्टेयर क्षेत्र में उपयुक्त कच्छ वनस्पति प्रजातियां रोपित की गई हैं। वैज्ञानिक संस्थानों ने संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को उन क्षेत्रों, जहां कच्छ वनस्पतियां सूख रही हैं, पर निगरानी रखने का परामर्श दिया है ताकि ऐसे क्षेत्रों का उपयुक्त रूप से उपचार किया जा सके। तमिलनाडु राज्य को कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 0.85 करोड़ रुपए और नमभूमियों के लिए 0.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसमें कैचमैंट क्षेत्र सुधार, मृदा और जल संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन जैसे कार्य शामिल हैं।

(ग) से (ङ) देश में कच्छ वनस्पतियों और नमभूमियों के संरक्षण पर स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक तीन स्तरीय प्रणाली चल रही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर समितियां शीर्ष स्तरों पर गठित की जाती हैं। राष्ट्रीय समितियों की अध्यक्षता सचिव (पर्यावरण एवं वन) या उनके नामिती द्वारा की जाती है। राज्य स्तर समितियों की अध्यक्षता मुख्य सचिव अथवा उनके नमिति द्वारा की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण भी उपग्रह से प्राप्त चित्रों का उपयोग करके अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह में कच्छ वनस्पतियों सहित पूरे राष्ट्र में वनों का दो वर्ष में एक बार आकलन करता है।

कृषि में महिलाओं की भूमिका

3780. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कृषि में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) देश के 252 जिलों को कवर करने के लिए 226.00 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय से कार्यान्वयन हेतु "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को मदद" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2005-06 से शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत यह अनिवार्य रहा है कि न्यूनतम 30% लाभभोगी उन्मुख निधियां महिला कृषकों के लिए उपयोग की जाएं। इसके अतिरिक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग के विस्तार निदेशालय में स्थापित नेशनल एग्रीकल्चर जेण्डर रिसॉर्स सेन्टर के माध्यम से महिलाओं के महत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें "महिलाओं के लिए कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम" नामक एक परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मांग की गई थी।

(घ) 17.62 करोड़ रुपये की लागत से कार्यक्रम जिसका लक्ष्य निम्नलिखित मुख्य हस्तक्षेपों से 14 जिलों को कवर करना है:-

- राज्य में कृषि आधारित 14 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण;
- ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि महिलाओं की क्षमता निर्माण और दक्षता उन्नयन;
- परिणामी प्रदर्शनों, अध्ययन दौरों, महिला गोष्ठियों और चर्चा मण्डलों के आयोजन के माध्यम से कृषि महिलाओं को विस्तार सहायता;
- सिविल कार्यों, उपकरण, स्टाफ और गतिशीलता के माध्यम से अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक समर्थन;
- मानिटरिंग एवं मूल्यांकन समर्थन; तथा
- सचल विपणन एककों की स्थापना।

केरल सरकार ने उपर्युक्त परियोजना डच सहायता प्राप्त करने के लिए भेजी थी। तथापि, डच प्राधिकारियों ने अपने बजट में भारी कटौतियों के कारण केरल में प्रस्तावित परियोजना सहित नई परियोजनाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

काबिनी नदी-द्वितीय चरण परियोजना

3781. श्री एम. शिवन्ना: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काबिनी नदी - द्वितीय चरण परियोजना पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) कबिनी जलाशय परियोजना संबंधी मूल प्रस्ताव को 12,146 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अप्रैल, 1958 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए 1973 की दो चरणों की संशोधित रिपोर्ट में 1,8,3806 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने और बंगलोर शहर को जल आपूर्ति करने तथा जल विद्युत पैदा करने के लिए भी 57.82 हजार के मिलियन घन फीट जल की परिकल्पना है। तदनंतर पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री द्वारा नई दिल्ली में अगस्त, 1976 को बुलाई गई बैठक जिसमें कर्नाटक के मुख्य मंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और केरल के सिंचाई मंत्री ने भाग लिया, में किए गए समझौते के अनुसार कर्नाटक सरकार से कावेरी बेसिन जिसमें कबिनी जलाशय परियोजना शामिल है, में प्रस्तावित अपनी परियोजनाओं के संबंध में कम जल उपयोगिता वाली संशोधित परियोजना रिपोर्ट अक्तूबर, 1976 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि कबिनी जलाशय परियोजना के संबंध में कम जल उपयोगिता संबंधी संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) जून, 1983 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी अत: कबिनी जलाशय परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को वापस लौटा दी गई। जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) के गठन के साथ ही कर्नाटक सरकार से उपर्युक्त परियोजना के संबंध में सी.डब्ल्यू.डी.टी. के पंचाट के अनुसरण में एक नई डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

'सेल' द्वारा भूमि की बिक्री

3782. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कुल कितने

एकड़ भूमि और कुल कितने आवास इकाइयों की बिक्री की गई अथवा पट्टे पर दिया गया;

(ख) इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) क्या सेल की अनुषंगी कंपनियों, विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र लिमिटेड द्वारा आवंटन के तीन वर्षों बाद आवंटियों को गलत आवंटन की सूचना देने के बाद खाली करने हेतु कोई विभागीय/न्यायिक कार्रवाई की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) द्वारा पट्टे पर दी गई/बेची गई कुल भूमि 5531.61 एकड़ है तथा पट्टे पर दिए गए/बेचे गए मकानों की संख्या 18516 है।

(ख) इससे अर्जित राजस्व 451.8 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) जी, हां। बोकारो इस्पात संयंत्र में भूखंड के गलत आबंटन का एक मामला है जिसमें सतर्कता जांच की गई थी। इस पट्टे को समाप्त करते हुए पट्टाधारी को दिनांक 12 अप्रैल, 2004 को एक नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान में यह मामला बेदखली हेतु माननीय संपदा न्यायालय के समक्ष है।

(ङ) चूंकि यह बोकारो इस्पात संयंत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था, अत: सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान और विकास हेतु योजना

3783. श्री राकेश सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। भारत सरकार बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत नामित बाघ रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को निधीयन सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा विकास और अनुसंधान का अनुरोध भी शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.10	22.89	15.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.875	68.75	35.00
3.	असम	65.70	75.00	–
4.	बिहार	25.00	50.00	85.00
5.	छत्तीसगढ़	32.48	80.25	27.25

1	2	3	4	5
6.	झारखंड	18.00	35.99	72.5005
7.	कर्नाटक	289.56	269.32	486.292
8.	केरल	63.75	120.68	105.75
9.	मध्य प्रदेश	786.44	1103.414	609.93
10.	महाराष्ट्र	621.79	228.45	255.953
11.	मिजोरम	98.32	67.56	94.34
12.	उड़ीसा	32.88	151.91	116.4395
13.	राजस्थान	294.92	158.33	79.00
14.	तमिलनाडु	125.00	35.00	80.00
15.	उत्तर प्रदेश	32.75	173.585	175.215
16.	उत्तरांचल	168.00	200.91	200.12
17.	पश्चिम बंगाल	168.33	225.17	325.49
	कुल	2879.895	3067.209	2763.78

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बीजों का विपणन

3784. श्री अमिताभ नन्दी:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एम.एन.सी.) को भारतीय कृषकों के लिए सभी तरह के बीजों की बिक्री की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति मिली है;

(ग) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विपणन किए जा रहे बीजों के मूल्य और उनकी गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा घटिया स्तर के बीजों की बिक्री के मामले का पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन प्रभाग द्वारा अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2005 तक स्वीकृत विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से संबंधित मामलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीजों के अंकुरण तथा शुद्धता की न्यूनतम सीमा विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्राप्त है।

(ङ) से (छ) बीज अधिनियम 1966, बीज नियम, 1968 एवं समय-समय पर यथा संशोधित बीज (नियंत्रण) आदेश,

1983 के अन्तर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक कानूनी ढांचा बनाया है। इन कानूनी दस्तावेजों के परवर्तन का दायित्व राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है। यदि संदर्भाधीन बीज इस अधिनियम, नियमों एवं आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उक्त कानूनी दस्तावेजों के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षकों को नमूने लेने, स्टाक जब्त करने, बिक्री रोकने से संबंधित आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2004-05 के संबंध में बीज कानून के परवर्तन की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

कृषि क्षेत्र (हाईब्रीड बीज तथा रोपण) सरकार द्वारा अनुमोदित अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2005 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) तथा विदेशी तकनीकी मामलों के संबंध में दिया गया विस्तृत विवरण

***स्रोत: औद्योगिकी नीति तथा उत्पादन एस.आई.ए. (एफ.डी.आई.) विभाग डाटा सैल**

क्र.सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोग का नाम	अनुमोदन की तिथि	मद का विवरण
1	2	3	4	5
1.	चम्बल एग्रीकैट लि. नई दिल्ली-110019	टेक्नीको पी.टी.वाई. लि., आस्ट्रेलिया	31-1-2004	अधिक उपज देने वाली पौद का नियंत्रण वातावरण के अधीन व्यापक बहुलीकरण शुरू करना ताकि आलू के छोटे बीज तैयार किए जा सकें।
2.	फिलीस्तीन एग्रो एक्सपोर्ट प्रा. लि., चेन्नई	फिलिप ए बुरैत कनाडा	31-5-2004	एम.एफ.जी. कुक्कुट आहार
3.	क्लास सीड्स (इंडिया) प्रा. लि., सिकंदराबाद-500025 (आंध्र प्रदेश)	क्लास सीमेन्स 1 एवेन्यू लुसियन क्लॉसब्रेटेंजी सुरोज सुरोज, कोडक्स, फ्रांस	8-7-2002	संकर सब्जी के बीज
4.	क्लॉज सीड्स (इंडिया) प्रा. लि., अंधेरी (पू.)-मुम्बई	क्लास सीमेन्स 1 एवेन्यू लुसियन क्लॉसब्रेटेंजी सुरोज सुरोज, कोडक्स, फ्रांस क्लास सीमेन्स 1 एवेन्यू	7-11-2002	फ्रांस से संकर सब्जी के बीजों का बड़ी मात्रा में आयात करना पुन: पैक करना तथा उनको भारतीय थोक बिक्री वितरण तंत्र के माध्यम से बेचना
5.	नटेश फीड्स प्रा. लि. बांद्रा (प्रा.), मुम्बई-400050	एवियालिस एस.ए. फ्रांस	28-1-2003	विटामिनों और मिनरल सप्लीमेन्टों तथा पशु पालन से संबंधित सभी उत्पादों सहित चारा, पशु भोज्य, कुक्कुट भोज्य तथा मछली भोज्य का निर्माण, वितरण और बिक्री करने हेतु।
6.	एसेल पैकेजिंग लि., वर्ली, मुम्बई-400018	बेरीकैप होल्डिंग, जी.एम.बी.एच., जर्मनी	31-1-2004	कार्बोनेटिड सॉफ्ट ड्रिन्क्स के लिए क्लोसर्स का निर्माण शुरू करना

1	2	3	4	5
7.	बायोसीड रिसर्च इंडिया प्रा. लि., जुबिली हिल्स हैदराबाद	बायोसीड्स लिमिटेड मौरीशस	31-7-2005	संकर बीजों के अनुसंधान कार्य में संलग्न।
8.	इंडिया सीड होल्डिंग्स लि. मार्फत महेन्द्रा हाइब्रिड सीड्स हैदराबाद-500012	इंडिया सीड्स होल्डिंग्स लि. मौरीशस	08-07-2002	बीजों के नए और उन्नत संकर तथा अन्य किस्मों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास
9.	इंडिया सीड होल्डिंग्स लि. मार्फत महेन्द्रा हाइब्रिड सीड्स हैदराबाद-500012	इंडिया सीड होल्डिंग लि. मौरीशस	23-08-2002	बीजों के नए और उन्नत संकर तथा अन्य किस्मों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास
10.	सीडवर्कस इंडिया प्रा. लि. हैदराबाद	सीड वर्कस होल्डिंग्स मौरिशस	31-10-2003	फलों और सब्जियों की ओपन पोलिनेटिड उन्नत किस्मों तथा संकर किस्मों के अनुसंधान विकास, उत्पादन, विपणन और निर्यात हेतु पूर्ण सब्सिडरी स्थापित करना।
11.	फील्डफ्रैश फूड्स प्रा. लि. नई दिल्ली	इरलो होल्डिंग्स इंडिया लि. मौरिशस	04-11-2004	निर्यात में संलग्न तथा सभी प्रकार के फलों, सब्जियों, पुष्पकृषि तथा बागवानी उत्पाद और अन्य कृषि उत्पादों में डील करना।
12.	के.एफ. बॉयोप्लांट्स प्रा. लि. महाराष्ट्र	मैसर्स हिलवर्धा बीवी होलैण्ड	30-4-2005	टिशू कल्चर प्लांट (प्लांट टिशू कल्चर द्वारा पौधों की किस्म का प्रवर्धन और उत्पादन)
13.	के.एफ. बॉयोप्लांट्स प्रा. लि. महाराष्ट्र	मैसर्स फ्लोरिस्ट बीवी नीदरलैण्ड	30-4-2005	टिशू कल्चर के जरिए पौधों की "जर्बेरा किस्मों" का प्रवर्धन, उत्पादन और बिक्री।
14.	निकरसन झवान बी.वी. अंधेरी (पू.) मुम्बई-59	निकेर्सन झवान बी.वी. नीदरलैण्ड	3-5-2003	संकर बागवानी बीजों तथा ओपन पोलिनेटिड बागवानी बीजों का बड़ी मात्रा में आयात करने, पुनः पैक करने तथा भारतीय वितरण तंत्र के माध्यम से बेचने हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू करना।
15.	इस्ट बैस्ट सीड्स इंडिया प्रा. लि. दिल्ली-110052	इस्ट बैस्ट इंटरनेशनल बीवी नीदरलैण्ड	31-8-2003	बीजों का विकास
16.	आई.टी.सी. झनेका लि. मार्फत एडवैन्टा इंडिया लि. नई दिल्ली	एडवैन्टा नीदरलैण्ड होल्डिंग्स बी.वी. नीदरलैण्ड	30-6-2005	संकर बीजों का विकास, उत्पादन और विपणन

1	2	3	4	5
17.	श्रीराम बॉयोसीड्स जैन्टिक्स इंडिया लि. हैदराबाद-500033	बॉयोसीड्स जैन्टिक्स इंटरनेशनल निक. पनामा इनवैस्टमैन्ट्स लि. मौरिशस	31-7-2005	संकर बीजों के अनुसंधान और उत्पादन क्रियाकलापों में संलग्न।
18.	बोरोयूज पी.टी.ई. लि. मुम्बई-400001	बोरोयूज पी.टी.ई. लि. सिंघापुर-119967	22-04-2003	हाई पर्फोमैंस पोल्योलोफीन उत्पादों का थोक विपणन, विरतण, आपूर्ति, आयात, निर्यात, वितरण करना। अन्य बातों के साथ-साथ एकस्वकृत बोरस्टार बाइमोडल पोलीइथ लाना।
19.	सजन्ता साऊथ एशिया एजी. मुम्बई, महाराष्ट्र	सजन्ता साऊथ एशिया एजी स्विटजरलैण्ड	25-02-2003	फसल रक्षक तथा बीज उत्पादों का निर्माण, वितरण और बिक्री।
20.	संजन्ता इंडिया लि. मुम्बई-400020	संजन्ता सीड्स एजी, स्विटजरलैण्ड	31-12-2002	अधिक उपज देने वाले संकर बीजों का उत्पादन।
21.	नोन-यू सीड (इंडिया) प्रा.लि. पुणे-411013	नोन यू सीड कम्पनी लि. ताईवान	21-01-2003	भारत के घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए फसलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकारों की उच्चगुणवत्ता वाले बीजों के प्रजनन का संवर्धन करने वाले क्रियाकलापों में संलग्न होना।
22.	नोन-यू सीड (इंडिया) प्रा.लि. पुणे-411013	नोन यू सीड कम्पनी लि. ताईवान	02-09-2002	भारत के घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए फसलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकारों की उच्चगुणवत्ता वाले बीजों के प्रजनन का संवर्धन करने वाले क्रियाकलापों में संलग्न होना।
23.	नोन-यू सीड (इंडिया) प्रा.लि. पुणे-411013	नोन यू सीड कम्पनी लि. ताईवान	31-10-2004	भारत के घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए फसलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकारों की उच्चगुणवत्ता वाले बीजों के प्रजनन का संवर्धन करने वाले क्रियाकलापों में संलग्न होना।
24.	नोन-यू सीड (इंडिया) प्रा.लि. पुणे-411013	नोन यू सीड कम्पनी लि. ताईवान	31-10-2004	भारत के घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए फसलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकारों की उच्चगुणवत्ता वाले बीजों के प्रजनन का संवर्धन करने वाले क्रियाकलापों में संलग्न होना।

1	2	3	4	5
25.	सी.पी. ग्रुप थाइलैण्ड मार्फत मैसर्स चारिऑन पोप्कहैण्ड (इंडिया) प्रा. लि., चेन्नई-600085	चारिऑन पोप्कहैण्ड ग्रुप लि., बैंगकोक-10500	31-01-2005	भारत में पूर्णतया निजी सब्सिडरी की स्थापना करना देश भर में पांच समेकित कुल्कुट पालन परियोजनाएं लगाएगी।
26.	मैट्रिक्स वैट फार्म प्रा. लि. हैदराबाद	कारगिल इनकॉरपोरेटिड यू.एस.ए.	1-4-2003	एक्वा भोज्य का निर्माण।
27.	जर्मिनी एग्रो प्रा. लि., मुम्बई	मैसर्स तेरा निग्रा निक. यू.एस.ए.	30-4-2005	जर्वेरा पौधे।
28.	अलटीथ बॉयोटक्नोलोजी प्रा. लि., बंगलौर	अलटीथ निक यू.एस.ए.	31-12-2003	जैव प्रौद्योगिकी आदि के वाणिज्यिक उत्पाद शुरू करने से पूर्व उत्पाद/प्रौद्योगिकी/ निर्माण, अनुप्रयोग, समर्थन, विपणन तथा व्यापार हेतु।
29.	डेल्टा एण्ड पिने लैण्ड कम्पनी, मुम्बई	डेल्टा 7 पिने लैण्ड कम्पनी, यू.एस.ए.	20-10-2004	कृषि बीजों (कपास सहित) में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने और उत्पादन, विपणन और बिक्री का परीक्षण कार्य करने के लिए अपने से या अपने से संबद्धों द्वारा/अथवा नामजदों द्वारा डब्ल्यू.ओ.एस. स्थापित करना।
30.	महेन्द्रा सुबलब सर्विस लि., मुम्बई	इन्टरनल फाइनेन्स कॉरपोरेशन (आई.एफ.सी.) यू.एस.ए.	17-9-2002	देश भर में फैले फ्रेंचाइस नेटवर्क के जरिए किसानों को सेवाएं प्रदान करना तथा अवधारणा स्पष्ट करना। विस्तृत क्रियाकलाप हैं:
31.	नुनहेम्स प्रोएग्रो सीड्स प्रा. लि. हैदराबाद	अनसीड्स यू.एस.ए. कैनिफोर्निया	14-8-2002	प्याज, गाजर, टमाटर, मिर्च, खीरा-ककड़ी तथा खरबूज के बीजों की ओपन पोलिनेटिड उन्नत किस्मों तथा संकर किस्मों का प्रसंस्करण करने हेतु भारत में पूर्णतया निजी सब्सिडरी कम्पनी स्थापित करना।
32.	एस.ई., ओमोस वैडिटेवल्स सीड्स (इंडिया) लि. मुम्बई	सीमिन्स वैजिटेवल्स सीड्स निक, यू.एस.ए.	1-12-2002	उच्च गुणवत्ता के संकर बीज का अनुसंधान, उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन।
33.	अलटीथ बॉयोटेक्नॉलोजी प्रा. लि., बंगलौर	अलटीथ निक., यू.एस.ए.	31-7-2002	पशु स्वास्थ्य और कार्य निष्पादन सुधारने के लिए भोज्य अवयव।
34.	जुआरी सीड्स लि. पणजी	दि इन्स्टीट्यूट ऑफ फील्ड वैडिटेवल क्रोप्स, युगोस्लाविया	30-4-2002	बीज, तकनीकी जानकारी के आंकड़े।

विवरण-II

वर्ष 2004-2005 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश की प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	नियुक्त किए गए निरीक्षकों की संख्या	बीज-विक्रेताओं की संख्या जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया	मामलों की संख्या जिन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया	लिए गए नमूनों की संख्या	मामलों की संख्या जहां दस्तावेज जब्त किए गए	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आयोजित मामलों की संख्या	जब्त किए गए बीजों से संबंधित मामलों की संख्या	समयावधि में बीज विक्रेताओं द्वारा की गई अपीलों की संख्या	कोर्ट ऑफ ला में अपील के लिए दायर किए गए मामलों की संख्या	पुनर्विचार प्राधिकरण के पास लम्बित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1765	10114	4	8801	21	1	21	–	–	–
2.	असम	474	137	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	अंडमान		शून्य								
4.	अरुणाचल प्रदेश			सूचना प्राप्त नहीं हुई							
5.	बिहार	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	चण्डीगढ़ यू.टी.		शून्य								
7.	छत्तीसगढ़	237	272	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	दिल्ली	9	48	–	127	–	–	–	–	–	–
9.	दादर और नगर		शून्य								
10.	दीव और दमन		शून्य								
11.	गुजरात	77	12043	86	4328	–	36	46	–	36	19
12.	गोवा			शून्य							
13.	हरियाणा	81	6059	–	3140	–	–	–	–	2	–
14.	हिमाचल प्रदेश	10	643	–	–	–	–	–	–	–	–

15. जम्मू व कश्मीर	6	161	–	–	–	–	–	–	–	–
16. झारखण्ड	22	14	–	–	–	–	–	–	–	–
17. कर्नाटक	1207	4931	5	–	12	3	–	–	–	–
18. केरल	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. लक्षद्वीप		शून्य								
20. मध्य प्रदेश	948	240	–	3959	–	2	–	2	–	2
21. मेघालय		शून्य								
22. महाराष्ट्र	874	31167	–	10755	–	–	2	–	–	–
23. मणिपुर		शून्य								
24. मिजोरम	8	–	1000	–	–	–	–	–	–	–
25. नागालैण्ड		शून्य								
26. उड़ीसा	748	114	–	–	–	–	–	–	–	–
27. पंजाब	576	4775	42	6800	4	–	3	42	–	–
28. पांडिचेरी	14	52	–	203	–	–	–	–	–	–
29. राजस्थान	391	10195	–	3710	–	13	2	–	13	–
30. सिक्किम	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–
31. तमिलनाडु	57	6033	–	22688	10	195	9	–	–	–
32. त्रिपुरा	54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33. उत्तर प्रदेश	228	10112	506	–	–	–	–	–	–	–
34. उत्तरांचल	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35. पश्चिम बंगाल	258	7905	–	4756	4	–	863	53	–	–
कुल	8239	105020	643	70267	512	250	946	97	51	22

वर्ष 2004-2005 के दौरान बीज नियम परवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	निम्न गुणवत्ता वाले नमूनों की संख्या	मामलों की संख्या जहां चेतावनी जारी की गई	जारी किए गए सेल आदेशों को रोकने के मामलों की संख्या	कोर्ट ऑफ ला में दायर किए गए मामलों की संख्या	मामलों की संख्या यहां कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा जुर्माना/ जेल की संख्या	कोर्ट ऑफ ला में लम्बित मामलों की संख्या	बीजों को जब्त किए जाने संबंधित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1415	15487	545	15	7	100	5	95	1
2.	असम	474	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	अंडमान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	12	972	25	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चण्डीगढ़ यू.टी.					शून्य				
7.	छत्तीसगढ़	237	1353	36	14	36	–	–	–	–
8.	दिल्ली	9	127	2	2	2	–	–	–	–
9.	दादर और नगर					शून्य				
10.	दीव और दमन					शून्य				
11.	गुजरात	77	4245	63	18	46	18	39	14	शून्य
12.	गोवा	10	308	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	हरियाणा	81	3140	35	23	3	–	–	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	10	509	–	–	–	–	–	–	–
15.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

16. झारखण्ड	सूचना प्राप्त नहीं हुई								
17. कर्नाटक	1207	6883	50	42	20	8	–	–	–
18. केरल	155	50	5	–	–	–	–	–	–
19. लक्षद्वीप					शून्य				
20. मध्य प्रदेश	948	3959	332	332	332	2	1	1	शून्य
21. मेघालय	शून्य	शून्य							
22. महाराष्ट्र	884	10755	186	–	–	–	–	–	–
23. मणिपुर	शून्य	शून्य							
24. मिजोरम	8	1000	130	–	–	–	–	–	–
25. नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य						
26. उड़ीसा	748	1409	420	–	–	–	–	–	–
27. पंजाब	1190	2636	250	42	–	–	–	–	–
28. पांडिचेरी	14	203	4	4	–	–	–	–	–
29. राजस्थान	391	3710	27	–	38	13	–	13	–
30. सिक्किम	8	1246	17	–	–	–	–	–	–
31. तमिलनाडु	57	22688	1195	787	1621	195	147	48	2
32. त्रिपुरा	शून्य	शून्य							
33. उत्तर प्रदेश	228	3733	88	23	53	7	5	2	–
34. उत्तरांचल	20	325	1	–	–	–	–	–	–
35. पश्चिम बंगाल	258	2850	418	887	863	–	–	–	485
कुल	8433	87588	3829	2207	3021	343	197	173	488

[अनुवाद]

इमली की खेती को प्रोत्साहन

3785. डा. आर. सेनथिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इमली की खेती को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार ने इमली के संवर्धन सहित बागवानी विकास के लिए दसवीं योजना वर्ष के दौरान 2300.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मई, 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया।

(घ) विगत तीन वर्षों 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारत सरकार ने इमली सहित बागवानी विकास हेतु व्यापक बृहत् प्रबंध स्कीम के अधीन निधियां प्रदान की हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस स्कीम के नए घटक को अब वर्ष 2005-06 से नई स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन में मिला दिया गया है। वर्तमान वर्ष 2005-06 हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बृहद कृषि प्रबन्धन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत बागवानी हेतु निधियों का राज्यवार आवंटन, निर्मुक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	747.39	500.00
3.	झारखण्ड	0.00	95.00	103.00
4.	गोवा	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2000.00	444.44	600.00
12.	छत्तीसगढ	1315.00	425.00	384.00

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	775.00	684.41
17.	तमिलनाडु	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	500.00	675.00
19.	उत्तरांचल	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.10	0.00	0.00
22.	असम	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1802.08	0.00	0.00
25.	मेघालय	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादर और नगर हवेली	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	79.00	37.70	30.00
32.	लक्ष्यद्वीप	72.50	49.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	35.00	35.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.12	124.27	9.50
	कुल	17235.00	16412.94	13601.37

विवरण-II

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त की गई कुल धनराशि (दिनांक 12-12-2005) की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	कुल परिव्यय	कुल निर्मुक्ति	% निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8718.01	4320.96	49.6
2.	छत्तीसगढ़	5029.00	2037.83	40.5
3.	गुजरात	6844.00	3239.28	47.3
4.	कर्नाटक	8521.90	4155.17	48.8
5.	महाराष्ट्र	16128.00	8060.28	50.0
6.	उड़ीसा	7499.00	3611.91	48.2
7.	पंजाब	6021.00	2808.82	46.7
8.	राजस्थान	4102.00	1759.57	42.9
9.	तमिलनाडु	7572.00	3741.67	49.4
10.	उत्तर प्रदेश	11519.88	5340.25	46.4
11.	पश्चिम बंगाल	8451.10	4035.31	47.7
12.	झारखण्ड	5990.37	2800.00	46.7
13.	केरल	7582.53	3033.98	40.0
14.	बिहार	8470.00	2500.00	29.5
15.	हरियाणा	2097.17	500.00	23.8
	कुल	114545.96	51945.03	
	विचाराधीन परियोजना प्रस्ताव			
16.	गोवा	788.06	0.00	0.0
17.	मध्य प्रदेश	5971.00	0.00	0.0
18.	दिल्ली	900.00	0.00	0.0
	कुल	7659.06	0.00	0.0
	राष्ट्रीय एजेन्सियां			
19.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	3100.00	2780.00	89.7

1	2	3	4	5
20.	एन.एच.आर.डी.एफ.	550.00	219.50	39.9
21.	डी.सी.सी.डी.	277.32	0.00	0.0
22.	डी.ए.एस.डी.	400.00	0	0.0
23.	एन.सी.पी.ए.एच.-अभी भी अनुमोदित की जानी है।	0.00	0.00	
	कुल	4327.32	2999.50	
	कुल योग	126532.34	54944.53	

विरासत स्थलों पर व्यय की गई राशि

3786. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री जी.एम. सिदीश्वर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में विरासत स्थलों पर वर्ष-वार और स्थान-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) सरकार द्वारा हाल ही में देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों के आगमन में बढ़ोतरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित, भारत के सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों में और उनके आसपास पर्यटन मंत्रालय द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन, पर्यटन मंत्रालय की मुख्यतया निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

- गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद अवसंरचना विकास
- भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता
- मार्केट विकास सहायता सहित विदेशों में संवर्धन और प्रचार
- आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार
- सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण

(ग) और (घ) वर्ष 2003 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन, पिछले वर्ष की तुलना में 14.3% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2.73 मिलियन था और वर्ष 2004 में यह 23.5% की तदनुरूपी वृद्धि के साथ 3.37 मिलियन था।

विवरण

दसवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत स्थलों में और उनके आस-पास व्यय की गई राशि

क्र. सं.	वर्ष	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	अवमुक्त राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	2003-04	असम	काजीरंगा के अगरतोली रेंज में एकीकृत पर्यटक परिसर	158.00	158.00

1	2	3	4	5	6
2.	2002-03	बिहार	बौद्धगया में माया सरोवर का विकास	150.00	150.00
3.	2003-04	-वही-	बोद्धगया में चरण-II का विकास	462.53	370.00
4.	2003-04	-वही-	बोद्धगया में छोटे कार्य	5.89	5.89
5.	2002-03	दिल्ली	कुतुब उत्सव	5.00	5.00
6.	2003-04	-वही-	हुमायुं के मकबरे का प्रदीप्तिकरण	37.40	37.00
7.	2003-04	-वही-	कुतुब मीनार का प्रदीप्तिकरण	75.47	75.00
8.	2004-05	-वही-	कुतुब उत्सव 2004-05 का समारोह	5.00	4.00
9.	2002-03	कर्नाटक	गंतव्य के रूप में हम्पी का विकास	506.10	293.38
10.	2003-04	-वही-	हम्पी में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी	176.00	176.00
11.	2003-04	-वही-	हम्पी उत्सव	15.00	12.00
12.	2003-04	-वही-	हम्पी में माइनर नोड्स का निर्माण	307.01	307.01
13.	2004-05	-वही-	हम्पी उत्सव का समारोह	5.00	5.00
14.	2004-05	-वही-	उत्तरी कर्नाटक के बादामी-आईहोल-पट्टादकल-महाकुट्टा परिपथ का एकीकृत विकास	800.00	640.00
15.	2002-03	मध्य प्रदेश	सांची कैफेटेरिया का उन्नयन	11.50	11.50
16.	2002-03	-वही-	राष्ट्रीय लोक उत्सव, खजुराहो	10.00	10.00
17.	2002-03	-वही-	भीमबेटका में सूचना एवं व्याख्यान केन्द्र का निर्माण	100.00	100.00
18.	2002-03	-वही-	सांची स्मारकों में पर्यटक सुविधा प्रदान करना	10.00	10.00
19.	2002-03	-वही-	सांची में जॉन मार्शल हाउस का उन्नयन	10.00	10.00
20.	2002-03	-वही-	सांची में म्यूजियम बिल्डिंग का उन्नयन	183.00	183.00
21.	2002-03	महाराष्ट्र	हाथी उत्सव	5.00	4.00
22.	2002-03	-वही-	एलोरा उत्सव	5.00	4.00
23.	2003-04	-वही-	टी जंक्शन, अजंता में अतिरिक्त कार्य	8.52	8.52
24.	2003-04	-वही-	अजंता गुफाओं में फुट हिलों का विकास	91.08	91.00

1	2	3	4	5	6
25.	2003-04	-वही-	एलिफेंटा एंड काला गोडा मेला	10.00	8.00
26.	2004-05	-वही-	एलोरा उत्सव	5.00	4.00
27.	2004-05	-वही-	औरंगाबाद जिले के अजंता फुट हिल्स, रेस्तरां का उन्नयन	37.26	18.00
28.	2003-04	उड़ीसा	कोणार्क उत्सव	5.00	4.00
29.	2002-03	तमिलनाडु	पांच रथों के आसपास का विकास	299.93	299.93
30.	2002-03	-वही-	श्री ब्रगदीश्वर मंदिर, तंजावुर में प्रकाश पुंज-व्यवस्था	16.50	14.85
31.	2003-04	-वही-	महाबलीपुरम नृत्य उत्सव	15.00	12.00
32.	2004-05	-वही-	महाबलीपुरम-चरण-II का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	432.00	345.00
33.	2003-04	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर सीकरी में व्याख्यान केन्द्र/ शापिंग केन्द्र का निर्माण	495.80	495.80
			कुल	4458.99	3871.88

वायु प्रदूषण

3787. श्री निखिल कुमार:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के सहयोग से किए गए महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन से यह पता चला है कि दिल्लीवासियों को शीघ्र ही ताजी हवा की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) इस अध्ययन के अंतरिम परिणाम दिल्ली के निवासियों में श्वसनीय रोगलक्षण के उच्चतर प्रभाव को दर्शाते हैं। तथापि, विभिन्न श्वसनीय बीमारियों के आविर्भाव और वायु प्रदूषण के बीच कारण-प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है। यह अध्ययन प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

- ऑटो ईंधन नीति का कार्यान्वयन,
- स्वच्छतर वाहनीय प्रौद्योगिकीयां और उन्नत ईंधन लागू करना,
- कड़े उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन,
- प्रमुख शहरों और संकटपूर्ण क्षेत्रों में स्थित पावर संयंत्रों के लिए कम राख की मात्रा वाले अच्छे कोयले का उपयोग,
- उद्योगों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए चार्टर ऑन कार्पोरेट रेसपोन्सिबिलिटी ऑन इन्वायरमेंन्टल प्रोटेक्शन (सी.आर.ई.पी.) का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

राज्यों में जल की अधिकता/कमी

3788. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक मात्रा में जल वाले और जल की कमी वाले राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(घ) जल की कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) वर्ष 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अन्तर बेसिन हस्तांतरण की योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक अर्थात (i) हिमालयी नदी विकास घटक और (ii) प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के लिए विस्तृत अध्ययन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) का गठन किया गया था। एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने, व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफ.आर.) तैयार करने के वास्ते जल संतुलन और अन्य प्रकार के अध्ययनों के आधार पर, 30 संपर्कों (हिमालयी के अंतर्गत 14 और प्रायद्वीपीय के अंतर्गत 16) की पहचान की है। एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा 16 व्यवहार्यता रिपोर्टें (2 हिमालयी ओर 14 प्रायद्वीपीय) पूरी कर ली गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा एक प्राथमिकता संपर्क अर्थात् केन-बेतवा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान

3789. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने राष्ट्रीय खाद्य प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान, विशेष रूप से गुजरात राज्य में नए संस्थान खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे नए संस्थान खोले जाने हैं; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) शून्य।

(ख) से (घ) सरकार का चालू वर्ष के दौरान नया संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फास्ट ट्रेक परियोजनाएं

3790. श्री रघुनाथ झा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनिंदा परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के मद्देनजर वर्ष 2002 में शुरू की गई फास्ट-ट्रेक परियोजनाएं वांछित परिणाम हासिल करने में असफल रही हैं, चूंकि वर्ष 1996-03 के दौरान 13,823.05 करोड़ रु. खर्च किए जाने के बावजूद 29 फास्ट-ट्रेक परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना पूरी नहीं की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत सी.एल.ए. के रूप में जारी धनराशि का अन्यत्र दुरुपयोग करने के मामले हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि का अन्यत्र दुरुपयोग किया गया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और इसकी आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रखरखाव का दायित्व प्रमुखत: राज्य सरकारों का है जो कि उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना, अन्य बातों के साथ-साथ, इसकी आयोजना और राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट आबंटन पर निर्भर करता है। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण की समस्या, पुनर्स्थापना और पुनर्वास के मामले, वन भूमि के लिए स्वीकृति, न्यायालयी मुकदमेबाजी, संविदात्मक समस्याएं और अन्य समस्याएं शामिल हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

के फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 37 परियोजनाएं/ परियोजना घटक शामिल किए गए हैं और उनमें से 14 के पूरा कर लिए जाने की सूचना मिली है जिनसे 417.68 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

(ग) और (घ) मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कुछ राज्यों ने निधि का इस्तेमाल उन कार्यकलापों में कर दिया है जिनका संबंध त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से नहीं है। राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जानी है। ए.आई.बी.पी. मानकों के अनुसार, केन्द्रीय ऋण सहायता तभी जारी की जाती है जब विगत में दी गई किस्त के लिए राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। इस कार्यक्रम के मानकों में किए गए प्रावधानों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई ऋण सहायता की वसूली भारत सरकार द्वारा किस्तों में ब्याज सहित की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.87
2.	बिहार	30.55
3.	छत्तीसगढ़	1.60
4.	गुजरात	8.23
5.	हरियाणा	44.74
6.	जम्मू एवं कश्मीर	29.15
7.	कर्नाटक	22.08
8.	केरल	0.36
9.	मध्य प्रदेश	195.37
10.	महाराष्ट्र	366.97
11.	उड़ीसा	3.94
12.	पंजाब	0.50
13.	राजस्थान	27.19
14.	उत्तर प्रदेश	7.54
15.	पश्चिम बंगाल	1.25
	कुल	741.34

केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान, कोच्चि

3791. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान के संवर्धन के लिए बजट 2004-05 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को विशेष अनुदान के रूप में 1000 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई.), कोच्चि को इस निधि से कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सी.एम.एफ.आर.आई. द्वारा इस धनराशि से बड़े पैमाने पर फर्नीचर और लक्जरी मदों की खरीद की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 1000 करोड़ रुपये का योजना आबंटन किया गया जिसमें से 858.98 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में उपयोग की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एम. एफ.आर.आई.) कोच्चि को 5.77 करोड़ रुपये आवंटित किए

गये जिसमें से वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान सी.एम.एफ.आर. आई. ने 4.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

देश में प्रतिबंधित कीटनाशी

3792. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टकाहोम कन्वेंशन में प्रतिबंधित रसायनों की सूची में लिनडेन को शामिल करने पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो लिनडेन को हमारे देश में एक कीटनाशी के रूप में उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य किन-किन कीटनाशियों को हमारे देश में प्रतिबंधित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। स्टाकहोम कन्वेंशन के अनुसार स्थायी तौर पर बने रहने वाले जैव प्रदूषकों (पर्सिस्टेंटली ऑर्गनिक पोलुटेंट्स) की सूची में लिनडेन को शामिल करना प्रस्तावित है।

(ख) लिनडेन को पंजीकृत होने के लिए मान्य होने का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधिनियमन से पहले देश में प्रयोग किया जा रहा है। बेन्जीन हेक्साक्लोराईड के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबंध के दृष्टिगत लिनडेन के निर्माण और प्रयोग की समीक्षा करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति ने एक विशेषज्ञ दल गठित किया। सरकार ने उक्त विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करने तथा पंजीकरण समिति के साथ परामर्श के बाद प्रस्ताव के 45 दिनों की अवधि के भीतर सभी संबद्ध एजेन्सियों से सुझाव अथवा आपत्तियों, यदि कोई हों तो, को आमंत्रित करते हुए दिनांक 25-10-2005 को एक आदेश का प्रारूप जारी करने का निर्णय लिया ताकि भवनों में दीमक पर नियंत्रण, कृषि में गन्ना में दीमक पर नियंत्रण तथा निर्यात के लिए लिनडेन का प्रयोग प्रतिबंधित किया जा सके। (गामा बी.एच.सी.)।

(ग) भारत में प्रतिबंधित कृमिनाशियों/कृमिनाशियों के फॉर्मुलेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत में प्रतिबंधित कृमिनाशियों/कृमिनाशियों के फार्मुलेशनों की सूची

क. निर्माण, आयात और प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कृमिनाशी (सं. 25)

1. आल्ड्रिन
2. बेन्जीन हेक्साक्लोराईड
3. कैल्शियम साइनाईड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसीटोआर्सेनाईट
6. साईब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एन्ड्रिन
8. इथाइल मर्कुरी क्लोराईड
9. इथाइल पैराथिअन
10. हेप्टाक्लोर
11. मेनाजोन
12. नाइट्रोफेन
13. पैराक्वेट डाईमिथाईल सल्फेट
14. पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन
15. पेंटाक्लोरफेनोल
16. फिनाईल मर्कुरी एसीटेट
17. सोडियम मीथेन आर्सोनेट
18. टेट्राडिफोन
19. टोक्साफेन
20. एल्डीकार्ब
21. क्लोरोबेन्जीलेट
22. डायल्ड्रीन
23. मैलिक हाइड्राजाइड
24. इथिलीन डाइब्रोमाइड
25. टी.सी.ए. (ट्राइक्ला॰ि एसीटेट)

ख. प्रयोग के लिए प्रतिबंधित परंतु निर्यात हेतु निर्माण की अनुमति प्राप्त कृमिनाशी/कृमिनाशियों के फॉर्मुलेशन्स (सं. 2)

26. निकोटिन सल्फेट

27. कैप्टाफोल 80% पाउडर

ग. आयात, निर्माण और प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कृमिनाशियों के फॉर्मुलेशन्स (सं. 4)

1. मीथोमिल 24% एल.

2. मीथोमिल 12.5% एल.

3. फॉस्फामिडोन 85% एस.एल.

4. कार्बाफुरोन 50% एस.पी.

लौह अयस्क की खरीद

3793. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत से लौह अयस्क की खरीद के संबंध में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए एम.एम.टी.सी. लि. ने वर्ष 2005-06 हेतु अपने चीन के क्रेताओं से वार्षिक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मात्रा की रेंज तथा अर्जित किये जाने वाले प्रत्याशित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मात्रा (लाख टन)	लगभग मूल्य (करोड़ रुपये)
53.20-68.53	1250-1600

फलों और सब्जियों का उत्पादन

3794. श्री पी.एस. गढ़वी:

डा. चिंता मोहन:

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश के किन-किन राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में इन राज्यों के उत्पादन का प्रतिशत अलग-अलग कितना है; और

(ङ) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा उनके कुल उत्पादन में से कितना प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत चीन के पश्चात विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फल एवं सब्जी उत्पादक देश है।

(ग) और (घ) अधिकतम मात्रा में फल एवं सब्जी उत्पादन कर रहे राज्यों और उनका कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में प्रतिशत इस प्रकार है:-

फल		सब्जी	
राज्य का नाम	% शेयर	राज्य का नाम	% शेयर
1	2	3	4
महाराष्ट्र	18.58	पश्चिम बंगाल	20.49
आंध्र प्रदेश	16.38	उत्तर प्रदेश	18.62
उत्तर प्रदेश	9.54	बिहार	9.77

1	2	3	4
तमिलनाडु	8.87	उड़ीसा	8.40
कर्नाटक	8.86	महाराष्ट्र	5.62
बिहार	6.72	तमिलनाडु	4.97

(ङ) फलों और सब्जियों की राज्यवार निर्यात प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है। तथापि तीन वर्षों के लिए फलों और सब्जियों की निर्यात प्रतिशतता (यथा उपलब्ध) इस प्रकार है:-

	उत्पादन (हजार मी. टन में)	निर्यात	
		मात्रा (मी. टन में)	कुल उत्पादन का % अंश
2000-01	136988	623968.40	0.46
2001-02	131623	788907.58	0.60
2002-03	130018	933654.83	0.72

असम के चूककर्ता चाय बागान

3795. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कामगारों की भविष्य निधि में नियोजक के हिस्से के अनिवार्य अंशदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) ऐसे प्रावधानों को लागू करने का ब्यौरा क्या है और अभी तक इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या असम के चूककर्ता चाय बागानों द्वारा असम चाय पौधारोपण भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना में अभी भी हजार करोड़ रु. का अंशदान किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो बागान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे चूककर्ता बागानों पर नियमानुसार अभियोग चलाने की शुरुआत की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त योजना के संबंध में न्यासी बोर्ड के एक हालीय परिपत्र में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित चूककर्ता बागानों द्वारा अंशदान की पुष्टि के पश्चात् ही उन सदस्यों की भविष्य निधि का निपटान करें, जो अब सदस्य नहीं रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो गैर-चूककर्ता कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) भविष्य निधि अंशदान जमा करने में चूक करने वाले चाय बागानों के खिलाफ असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955 (आदिनांक यथासंशोधित) में उल्लिखित उपबंध के अनुसार और भारतीय दंड संहिता में बाकिजई मामले, आपराधिक मामलों और एफ.आई.आर. दर्ज करने के रूप में कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ख) आदिनांक 210 चाय बागानों के खिलाफ 316 बाकिजई मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें से संलग्न विवरण-I के अनुसार अब तक 22,61,58,546.73 रुपये प्राप्त किये जा चुके हैं। 61 चाय बागानों के खिलाफ 62 आधराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें से सक्षम न्यायालय द्वारा 11 मामलों का निपटान किया जा चुका है। चूककर्ता चाय बागानों के खिलाफ 16 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के परिणामस्वरूप चूककर्ता चाय बागानों द्वारा 61,27,157.66 रुपये जमा कर दिये गये हैं।

(ग) 316 चाय बागान 71,92,11,967.48 रुपये की भविष्य निधि अंशदान राशि जमा करने में चूक करते रहे हैं।

(घ) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिये गए हैं।

(ङ) जी हां। चूककर्ता चाय बागानों के खिलाफ बाकिजई और आपराधिक मामले, मनी सूट और एफ.आई.आर. दर्ज की जाती हैं।

(च) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(छ) जी हां। संबंधित चूककर्ता बागानों द्वारा जमा की गई राशि की पुष्टि करने के बाद सदस्य न रह गये व्यक्तियों की गई भविष्य निधियों का निपटान किया जाता है।

(ज) चूक न करने वाले चाय बागानों के कामगारों के हित का संरक्षण [illegible] जाता है और उनकी भविष्य निधि का अविलम्ब निपटान किया जाता है।

विवरण-I

क्रम संख्या	जिले	राशि (रुपये)	गार्डन्स
01.	डिब्रूगढ़	7,88,19,921.88	48
02.	नौगांव	1,83,29,868.92	10
03.	तिनसुकिया	4,60,17,109.43	14
04.	गोलाघाट	8,21,22,950.15	42
05.	कामरूप/गोआलपाड़ा	3,44,92,930.65	6
06.	करीमगंज	3,44,54,198.19	20
07.	शिबसागर	6,39,47,925.78	34
08.	जोरहाट	7,89,62,624.22	64
09.	कछार	7,78,78,342.13	42
10.	दारंग	4,70,47,17.38	17
	योग	**56,20,73,050.73**	**297**
01.	जोरहाट	5,57,24,611.66	6
02.	गोलाघाट	2,86,06,337.10	3
03.	शिबसागर	1,57,46,713.30	2
04.	नौगांव	2,94,67,079.96	3
05.	करीमगंज	2,53,89,833.56	4
06.	सोनीतपुर	22,04,341.17	1
	कुल	71,92,11,967.48	316
	वसूली (-)	22,61,58,546.73	
		49,30,53,420.75	

विवरण-II

क्रम संख्या	जिले	चाय बागानों की संख्या	मुकदमों की संख्या	निपटाए गए
01.	कछार और करीमगंज	14	15	2
02.	डिब्रूगढ़	13	13	1
03.	तिनसुकिया	8	8	–
04.	गोलाघाट	6	6	3
05.	जोरहाट	11	11	2
06.	शिबसागर	4	4	1
07.	दारंग और सोनितपुर	4	4	2
08.	नौगांव	1	1	–
	कुल	61	62	11

विवरण-III

निम्नलिखित चाय बागानों के विरुद्ध एफ.आई.आर.

क्रम संख्या	बागानों का नाम	राशि
1	2	3
1	दोखारी टी.ई.	1,07,33,058.35
2	गिलापुखूरी टी.ई.	57,95,883.05
3	रंगाजौन टी.ई.	2,18,69,535.28
4	श्यामरायपुर	4,19,670.22
5	घोलागुड़ी, ई.	43,27,255.02
6	सरायपानी टी.ई.	61,52,458.73
7	बोरदुआ टी.ई.	4,22,060.22
8	हुकानपुखाड़ी टी.ई.	80,74,661.71
9	फतीमाबाद टी.ई.	23,26,681.66
10	चांदमारी टी.ई.	21,72,091.89
11	कठोनी टी.ई.	21,80,466.12
12	डुल्लू टी.ई.	56,68,488.96
13	दुलियाबाम टी.ई.	67,78,163.30
14	कुमताई टी.ई.	1,94,90,337.46
15	बेहुबोर टी.ई.	1,03,65,143.15
16	दुलाहाट टी.ई.	1,93,02,807.76
	कुल	**12,59,78,752.88**
	16 बागानों से बसूली	61,27,157.66 (-)
	कुल योग	11,98,51,605.22

कुल बागानों की संख्या 890 (ए.टी.पी.पी.टी. और पी.टी. स्कीम के अंतर्गत कवर्ड)

[हिन्दी]

मत्स्य उत्पादन

3796. श्री ब्रजेश पाठक:
डा. पी.पी. कोया:
श्री रामदास आठवले:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री और अंतर्देशीय जल से पृथक्-पृथक् वर्षवार कितनी मात्रा में मत्स्य उत्पादों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में, देश में राज्यवार मत्स्य उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी मात्रा में मछलियों का वर्षवार निर्यात किया गया और घरेलू रूप से उपभोग किया गया; और

(घ) मत्स्य उतराई केन्द्र, मत्स्य उत्पादन और मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) 2001-02 से 2004-05 की अवधि में समुद्री तथा अंतर्देशीय संसाधनों से प्राप्त औसत वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्रमश: 28.85 लाख टन तथा 33.30 लाख टन के करीब था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में अनुमानित मत्स्य उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान देश के कुल मत्स्य उत्पादनों में से मछली तथा मत्स्य उत्पादों का औसत वार्षिक निर्यात करीब 4.35 लाख टन है।

(घ) मछली उतारने कें केन्द्रों, मत्स्य उत्पादन तथा मछली तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार मछली उत्पादन का आकलन तथा चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक) के दौरान मछली उत्पादन का अनन्तिम आकलन

मछली उत्पादन '000 टन में

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अ) (अप्रैल-सितंबर, 05)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	676.11	827.90	944.64	476.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.60	2.65	1.30
3.	असम	161.45	165.52	181.00	61.82
4.	बिहार	240.40	261.00	266.49	122.39
5.	गोवा	69.92	76.53	87.36	26.29
6.	गुजरात	701.60	777.91	654.62	209.36
7.	हरियाणा	34.57	35.18	39.13	16.10
8.	हिमाचल प्रदेश	7.22	7.24	6.53	2.07
9.	जम्मू-कश्मीर	18.85	19.75	19.75	10.00
10.	कर्नाटक	249.61	266.42	257.00	78.77
11.	केरल	671.82	678.32	684.7	348.10

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	47.46	42.17	50.82	16.47
13.	महाराष्ट्र	537.05	514.10	545.13	209.30
14.	मणिपुर	16.45	16.60	17.60	7.60
15.	मेघालय	4.97	5.37	5.15	2.73
16.	मिजोरम	3.15	3.25	3.38	0.96
17.	नागालैंड	5.20	5.50	5.56	2.20
18.	उड़ीसा	281.95	287.53	306.9	135.75
19.	पंजाब	58.00	66.00	83.65	43.52
20.	राजस्थान	14.27	25.60	14.3	3.50
21.	सिक्किम	0.14	0.14	0.14	0.07
22.	तमिलनाडु	485.00	473.50	474.14	276.88
23.	त्रिपुरा	29.45	29.52	17.98	6.22
24.	उत्तर प्रदेश	225.37	249.84	267.00	138.40
25.	पश्चिम बंगाल	1100.10	1120.00	1169.60	542.01
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीव समूह	27.08	28.30	31.15	17.22
27.	चण्डीगढ़	0.04	0.08	0.08	0.04
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.05	0.05	0.05	0.02
29.	दमन एवं दीव	21.52	11.26	13.77	4.06
30.	दिल्ली	3.20	2.25	2.10	0.61
31.	लक्षद्वीप	13.65	7.50	10.03	2.10
32.	पांडिचेरी	44.50	45.02	48.00	11.43
33.	छत्तीसगढ़	95.76	99.80	111.05	73.80
34.	उत्तरांचल	6.42	2.55	2.56	0.92
35.	झारखंड	101.00	45.38	75.38	12.20
	भारत	5955.93	6199.68	6399.39	2880.57

अ: अनन्तिम

स्रोत: राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश

विवरण-II

मछली उतारने के केन्द्रों, मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य निर्यात तथा मत्स्य उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों हेतु

(1) भारत सरकार मात्स्यिकी क्षेत्र का विकास करने तथा उपभोक्ताओं एवं मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तम तथा स्वास्थ्यकर मछलियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्यन बंदरगाहों, मछली उतारने के केन्द्रों, पोस्ट हार्वेस्ट मूलभूत ढांचे की स्थापना जैसे विभिन्न घटकों वाली दो मेक्रो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं नामत: "अंतर्देशीय तथा जल मात्स्यिकी का विकास" तथा "समुद्र मात्स्यिकी मूलभूत ढांचे तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशनों का विकास" को राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित कर रही हैं।

(2) सतत स्तर तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने; शिल्पी मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा; पारिस्थितिकीय एकीकरण तथा जैविक विविधता पर उचित ध्यान देते हुए समुद्र मात्स्यिकी के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 2004 में व्यापक समुद्र मात्स्यिकी नीति की घोषणा की गई है।

(3) गहरे समुद्र में मत्स्यन के विकास पर नजर रखने के लिए शक्ति प्राप्त समिति को गठित किया गया है। मानसून के दौरान एक समान बंदी तथा उत्तरदायी मात्स्यिकी दृष्टिकोण के लिए आचार-संहिता के प्रचार जैसे संसाधन विस्तार संबंधी कदमों को भी कायम रखा गया है।

(4) जल मात्स्यिकी फार्मों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 को लागू कर दिया गया है।

(5) पूरे देश में अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास के लिए सभी संभावना वाले जिलों को कवर करते हुए 429 मछली पालक विकास एजेंसी तथा 39 खारा जल मछली पालक विकास एजेंसी वाला एक नेटवर्क कार्यरत है।

[अनुवाद]

पुन: प्राप्त वन क्षेत्र

3797. श्री पी. करुणाकरन:
डा. के.एस. मनोज:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संरक्षित कच्छ वनस्पति वन और पुन: प्राप्त वन क्षेत्र (आर.एफ.ए.) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वन क्षेत्रों की अन्य श्रेणियों से आर.एफ.ए. को अलग रूप में अधिसूचित करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इससे किस सीमा तक देश में कुल वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(घ) कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वनों और राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्यों के अंतर्गत है; और

(ङ) संरक्षित वनों और संरक्षित क्षेत्रों के बीच और क्या अंतर है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) देश के कच्छ वनस्पति वनों का उनके कैनोपी घनत्व के अनुसार निर्धारण करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित "वन स्थिति रिपोर्ट (एस.एफ.आर.)-2003" के अनुसार कच्छ वनस्पति वनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संरक्षित कच्छ वनस्पति वनों की अलग से कोई सूचना नहीं है। वन स्थिति रिपोर्ट-2003 में आर.एफ.ए. जिसकी व्याख्या रिकार्डेड वन क्षेत्र के रूप में की गई है, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) रिकार्डेड वन क्षेत्र, सरकारी रिकार्ड में वन के रूप में रिकार्ड किया गया भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि वनावरण में 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष कैनोपी घनत्व वाले एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सारी भूमि शामिल हैं। आर.एफ.ए. में बढ़ोत्तरी/कमी, राज्य/संघ शासित (यू.टी.) सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा वन भूमि को शामिल करने/निकालने के कारण हैं।

(ग) वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश का रिकार्डेड वन क्षेत्र (आर.एफ.ए.) बढ़कर 774,740 वर्ग किमी. हो गया है।

(घ) वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के मुताबिक देश के सुरक्षित वनों के तहत 238,434 वर्ग किमी. क्षेत्र है जो कुल वन क्षेत्र का 30.78 प्रतिशत है। राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के तहत कुल क्षेत्र 156,934 वर्ग किमी. है जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत है।

(ङ) संरक्षित वनों का तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचित क्षेत्र से है, जबकि सुरक्षित क्षेत्र का मतलब राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षण

रिजर्व अथवा समुदाय रिजर्व जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18,35,36 क और 36 ग के तहत अधिसूचित हो।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र (यू.टी.) वार कच्छ वनस्पति वनाच्छादन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल (वर्ग कि.मी. में)
1.	आंध्र प्रदेश	329
2.	गोवा	10
3.	गुजरात	960
4.	कर्नाटक	3
5.	केरल	8
6.	महाराष्ट्र	116
7.	उड़ीसा	207
8.	तमिलनाडु	35
9.	पश्चिम बंगाल	2,120
10.	अंडमान और निकोबार	671
11.	दमन और द्वीव	1
12.	पांडिचेरी	1
	कुल	4,461

विवरण-II

राज्य/संघ शासित क्षेत्र (यू.टी.) वार रिकार्डेड वन क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिकार्डेड वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	63,821
2.	अरुणाचल प्रदेश	51,540
3.	असम	27,018
4.	बिहार	6,473
5.	छत्तीसगढ़	59,772
6.	दिल्ली	85
7.	गोवा	1,224
8.	गुजरात	19,113
9.	हरियाणा	1,558
10.	हिमाचल प्रदेश	37,033
11.	जम्मू-कश्मीर	20,230
12.	झारखंड	23,605
13.	कर्नाटक	43,084
14.	केरल	11,268
15.	मध्य प्रदेश	95,221
16.	महाराष्ट्र	61,939
17.	मणिपुर	17,418
18.	मेघालय	9,496
19.	मिजोरम	16,717
20.	नागालैण्ड	8,629
21.	उड़ीसा	58,136
22.	पंजाब	3,084
23.	राजस्थान	32,488
24.	सिक्किम	5,841
25.	तमिलनाडु	22,877
26.	त्रिपुरा	6,293
27.	उत्तर प्रदेश	16,826
28.	उत्तरांचल	34,662
29.	पश्चिम बंगाल	11,879

1	2	3
30.	अंडमान एवं निकोबार	7,171
31.	चण्डीगढ़	34
32.	दादर एवं नगर हवेली	204
33.	दमन और द्वीव	1
34.	लक्षद्वीव	0
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	774,740

जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन

3798. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के अंतर्गत नदियों को परस्पर रूप से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम निधि (वेज इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फंड्स) का उपयोग करते हुए पंचायतों के माध्यम से लोक जल संरक्षण अभियान शुरू करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जल संरक्षण और जल संचयन; सूखा रोधन; सूक्ष्म और लघु सिचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरों; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित घरों के स्वामित्व वाली भूमि अथवा भूमि सुधारों के लाभग्राहियों की भूमि अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभग्राहियों की भूमि को सिंचाई सुविधा का प्रावधान; टैंकों की गाद हटाने सहित पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण; और जल जमाव ग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों जैसे अनेक क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन संरक्षण हेतु धनराशि

3799. श्री संतोष गंगवार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन संरक्षण के लिए अलग से निधि स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 में आई.ए. सं. 566 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) नामक प्राधिकरण का गठन किया है जिसका उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्राप्त निधि, निवल वर्तमान मूल्य, वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्र सरकार द्वारा अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल किसी अन्य धन का प्रबंधन करना है।

प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को वनों और पर्यावरण के बचाव और संरक्षण के लिए स्थल - विशिष्ट स्कीमों के अनुसार प्रयोग करना अपेक्षित है।

सस्ते ए.आर.वी. की उपलब्धता

3800. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए रैबीज रोधी टीके (ए.आर.वी.) का मूल्य तीन सौ रुपए प्रति टीका है और पीड़ित को कम से कम पांच टीके लगवाने की आवश्यकता होती है, जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है; और

(ख) यदि हां, तो ए.आर.वी. को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) वर्तमान औषध नीति के अनुसार प्रपुंज औषध और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। तथापि, रैबीज रोधी टीके, डी.पी.सी.ओ. 1995 के मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते।

गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं विभिन्न कारकों यथा: उत्पादन लागत, विपणन बिक्री व्यय, आर. एंड डी. व्यय, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि के मद्देनजर तय किए जाते हैं। एन.पी.पी.ए., दवाओं की कीमतों को ओ.आरजी.-आई.एम.एस. रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की मासिक खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मॉनीटर करता है। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

रैबीज रोधी टीकों (ए.आर.वी.) के मुख्य निर्माताओं के मूल्य निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सूत्रयोग	मूल्य
1.	मैसर्स अवेंटिस	रेबिपुर	309 रुपये प्रति 1 एम.एल. वायल
2.	मैसर्स सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया	रेबिवेक्स	375.75 रुपए प्रति 1 एम.एल. वायल
3.	मैसर्स जायडस रिकॉन	वेक्सिरैब	296 रुपये प्रति डोज
4.	मैसर्स रेनबैक्सी	वेरोरेब	304 रुपये प्रति वायल
5.	मैसर्स अवन्ति पास्चर	वेरोवेक्स-आर	296 रुपये प्रति वायल + 1 एस.ई.आर.

जीवनरक्षक औषधों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने 20 सितम्बर, 2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

सरकार विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से कार्यबल की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके आधार पर नई भेषज नीति शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है।

हड़तालें और तालाबंदी

3801. श्री रामदास आठवले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबंदी की राज्यवार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) गुजरात सहित देश में इस कारण कितने श्रम दिवस बर्बाद हुए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में इन घटनाओं के कारण कितने कामगारों/कर्मचारियों को राज्यवार और वर्ष-वार नौकरी से हाथ धोना पड़ा है; और

(घ) औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (25 अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (25 अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान गुजरात सहित देश में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण रोजगार रहित होने वाले कामगारों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (25 अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों द्वारा प्रभावित कामगारों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम में औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए समुचित सरकार के औद्योगिक-संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप, मध्यस्थता और सुलह का प्रावधान है।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्य वार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002			2003			2004			2005 (अनतिम)*		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	30	30	60	13	13	26	12	12	24	7	9	16
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3	3	6	2	0	2	1	5	6	2	3	5
बिहार	2	0	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0
गोवा	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	1	1
गुजरात	3	49	52	6	37	43	3	33	36	10	13	23
हरियाणा	0	33	33	0	19	19	0	11	11	0	13	13
हिमाचल प्रदेश	0	9	9	1	14	15	1	4	5	0	10	10
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.
कर्नाटक	2	20	22	0	10	10	1	5	6	4	5	9
केरल	5	20	25	2	32	34	3	25	28	6	7	13
मध्य प्रदेश	1	2	3	1	3	4	3	0	3	2	0	2
महाराष्ट्र	3	9	12	2	6	8	5	4	9	7	0	7
मणिपुर	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा	0	7	7	7	7	14	1	5	6	0	0	0
पंजाब	0	13	13	1	13	14	0	9	9	0	5	5
राजस्थान	3	15	18	2	10	12	3	12	15	4	9	13
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	94	95	4	77	81	0	74	74	0	38	38
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	3	11	14	5	10	15	9	14	23	4	8	12
पश्चिम बंगाल	3	190	193	2	234	236	2	203	205	2	183	185
अंडमान और निकोबार दीव समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	4	4	1	0	1	2	3	5	0	1	1
दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	1	3	4	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उत्तरांचल	0	2	2	4	2	6	1	3	4	1	2	3
छत्तीसगढ़	0	0	0	2	0	2	1	5	6	2	0	2
अखिल भारत	63	516	579	59	493	552	49	428	477	51	307	358

स्रोत: श्रम ब्यूरो शिमला

अ = अनंतिम उ.न. =उपलब्ध नहीं

* 25 अक्तूबर, 2005 तक की सूचना पर आधारित आंकड़े

विवरण-II

हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)

	2002	2003	2004	2005(अ)*
गुजरात	102	147	163	104
अखिल भारत**	26,586	30,256	23,866	12,867

स्रोत: श्रम ब्यूरो शिमला

अ = अनंतिम उ.न. = उपलब्ध नहीं

* 25 अक्तूबर, 2005 तक की सूचना पर आधारित आंकड़े

** अखिल भारतीय आंकड़ें जिनमें गुजरात के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण-III

हड़तालों और तालाबंदियों के कारण प्रभावित हुए कामगारों की राज्यवार संख्या (हजारों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002	2003	2004	2005(अ)*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	173	664	100	98
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	4	8	38	17
बिहार	7	60	72	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	23	31	27	47
हरियाणा	6	4	3	18
हिमाचल प्रदेश	5	4	4	6
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
कर्नाटक	38	81	160	66
केरल	446	102	103	63
मध्य प्रदेश	5	12	41	20
महाराष्ट्र	7	37	854	857

1	2	3	4	5
मणिपुर	1	1	1	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0
उड़ीसा	3	6	5	0
पंजाब	5	7	7	4
राजस्थान	20	49	37	35
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	36	29	25	20
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	44	32	54	21
पश्चिम बंगाल	257	650	462	161
अंडमान और निकोबार दीव समूह	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	19	12	0
दादर और नगर हवेली	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	32	0
दमन और दीव	0	0	0	0
लक्ष्यदीव	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0
झारखंड	1	0	0	0
उत्तरांचल	0	8	14	5
छत्तीसगढ़	0	9	18	8
अखिल भारत**	1,079	1,816	2,072	1,446

स्रोत: श्रम ब्यूरो शिमला

अ = अनंतिम उ.न. = उपलब्ध नहीं

* 25 अक्तूबर, 2005 तक की सूचना पर आधारित आंकड़े

** आंकड़ों के पूर्णांक करने के कारण कुल संख्या में अंतर हो सकता है।

[अनुवाद]

होटलों का निर्माण

3802. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लक्जरी होटलों की शृंखला लाभ कमा रही है, जबकि आतिथ्य क्षेत्र द्वारा आंगतुकों के प्रति आतिथ्य अपनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई और हैदराबाद में पांच सितारा होटलों में बुकिंग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटक गोवा के 'बीचों' और केरल के 'बैकवाटर' का भ्रमण कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोवा और अन्य शहरों में होटलों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) देश भर में लक्जरी होटलों की शृंखला, उनकी अधिभोगिता के साथ-साथ राजस्व स्तरों में सुधार दर्शा रही है। 5 सितारा होटलों और 5 सितारा डीलक्स श्रेणी होटलों में अधिभोगिता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

5 सितारा/5 सितारा डीलक्स होटलों में औसत अधिभोगिता

	2001-02	2002-03	2003-04
मुम्बई	63.8%	62.6%	66.3%
दिल्ली	55.9%	58.3%	69.1%
बंगलौर	62.8%	72.4%	78.9%
चेन्नई	65.0%	63.9%	61.6%
हैदराबाद	67.2%	71.0%	72.8%

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) होटलों का निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्रों का कार्यकलाप है और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे होटल कमरों हेतु बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त भूमि आबंटित करके, भूमि-प्रयोग को पुन: परिभाषित करके, आदि द्वारा होटलों की वृद्धि को सुगम बनाने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

3803. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सात बड़े राज्यों से एकत्रित किए गए मृदा नमूनों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि मृदा की उर्वरकता तेजी से क्षीण हो रही है जिससे फसल की उत्पादकता खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों द्वारा 12 विभिन्न पादप पोषक तत्वों की फसल प्रजातियों पर किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास किसानों के लिए सस्ती कीमत पर क्षेत्र-वार/जिलावार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा मृदा उर्वरता हेतु चालू आधार पर कार्यक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), 'मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया' पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं और 'सूक्ष्म, गौण और प्रदूषक घटकों' में उद्घाटित किया गया है कि गहन कृषि के अधीन भारतीय मृदाओं में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए

विशेषकर सिंधु-गंगा मैदानों में क्षमता में कमी हो रही हैं। देश में उपलब्ध नाईट्रोजन (एन) की स्थिति सामान्य कम, फॉस्फोरस (पी) कम से मध्यम और पोटेसियम (के) मध्यम से उच्च तक है। लगभग 41% मृदाओं में सल्फर की कमी है। अनाजों की तुलना में तिलहनों और दलहनों में कमी अधिक सुस्पष्ट है। जिंक, आयरन, मैगनीज और कॉपर की कमी क्रमशः 49, 12, 5 और 3 प्रतिशत की तर्ज पर है। जिंक की कमी चावल-गेहूं प्रणाली कवर करते हुए सिंधु-गंगा के मौदानों की मोटी संरचना, चूनेदार अथवा क्षारीय और कम आर्गेनिक कार्बन कछारी मृदाओं में अधिक है। बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम को कवर करते हुए पूर्वी क्षेत्र की लाल, मखरली (लैटोरिडिक) और चूनेदार मृदाओं में बड़े स्तर पर उत्पन्न कमियां दिखाई पड़ रही हैं। एकल सूक्ष्म तत्व कमी अधिक सामान्य है जबकि बहुल पोषक तत्व की कमियां अधिकतर राज्यों में इक्का-दुक्का क्षेत्रों में हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में, देश में 551 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं (426 स्थैतिक और 125 चल) जिनकी 6.75 मिलियन मृदा नमूनों की वार्षिक विश्लेषण क्षमता है। भारत सरकार बृहत कृषि प्रबंध के अधीन 'उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवा रही है। सरकार हरी खाद, फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट, फास्फो कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक आदि जैसी आर्गेनिक संसाधनों के साथ उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा परीक्षण पर आधारित समेकित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम.) को बढ़ावा दे रही है।

देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न फसलों/फसलन प्रणालियों के लिए आई.सी.ए.आर. ने भी मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंध पैकेज (आई.एन.एन.पी.) विकसित किया है। परिषद आई.एन.एम.पी. पर किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही है और उनकी लाभप्रदता का उनके खेतों पर प्रदर्शन भी कर रही है।

गुजरात से परियोजना प्रस्ताव

3804. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विस्थापित परिवारों हेतु पुनर्वास योजना सहित विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आवंटन हेतु गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्लास्टीकल्चर संबंधी सम्मेलन

3805. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में प्लास्टीकल्चर संबंधी किसी सम्मेलन की मेजबानी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था; और

(घ) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग किस सीमा तक उपयोगी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) द्वारा नई दिल्ली में 17-21 नवम्बर, 2005 के दौरान प्लास्टिकल्चर और सुव्यवस्थित खेती पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूक्ष्म एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उप-सतही जल निकासी, जल भण्डारण की लाईनिंग तथा पैकेजिंग, भण्डारण प्रौद्योगिकी, नीतिगत मुद्दों आदि सहित प्लास्टिक्स फिल्म, सतह आच्छादित खेती, नियंत्रित पर्यावरण खेती, सुव्यवस्थित खेती, जैव खेती, जैव प्रौद्योगिकी, फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन के साथ परिवहन प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से 130

किसानों सहित भारत और विदेश से लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान अनुसंधानीय मुद्दों, विस्तार मुद्दों, नीतिगत मुद्दों पर कई सिफारिशें की गईं।

(ग) इस सम्मेलन में 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(घ) कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को पूरे विश्व और साथ ही भारत में भली भांति मान्यता दी जाती है। प्लास्टिकल्चर जिसकी देश में अच्छी खासी संभावनाएं हैं वे हैं - ड्रिप सिंचाई, स्प्रिकलर सिंचाई, पाइप से जल वितरण नेटवर्क, मल्चिंग, नर्सरी बैग, नर्सरी ढांचे, नेट एवं ग्रीन हाउस, सुरंगें, कम ऊंचाई वाली सुरंगें, पौध संरक्षण नेट्स, क्रेट्स एवं बक्से, पोखर व जलाशय लाईनिंग, नहर लाईनिंग, उप-सतही जल निकासी आदि। इन अनुप्रयोगों में से ज्यादातर पहले ही वाणिज्यिकृत है।

पर्यटकों हेतु सुरक्षा में सुधार

3806. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नागरिकों को भारत भ्रमण योजना को आस्थगित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में लगातार हो रही आतंकवादी घटनाओं के कारण भारत आने वाले विदेशी पर्यटक प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004 और 2005 के दौरान आज की तिथि तक कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की है;

(घ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा/संरक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) वर्तमान में आस्ट्रेलिया सरकार की अपने नागरिकों को यात्रा संबंधी परामर्श है कि वे भारत की यात्रा करते समय सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 2004 और 2005 (नवम्बर तक) के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

	2004	जनवरी-नवम्बर 2005
विदेशी पर्यटक आगमन	3367980 (2003 की तुलना में + 23.5 प्रतिशत)	3346960 (जनवरी-नवम्बर 2004 की तुलना में + 13.5 प्रतिशत)

(घ) सुरक्षा एवं संरक्षा राज्य का विषय है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सभी महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों/गंतव्यों पर पर्यटन पुलिस की तैनाती हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को परामर्श दिया है।

(ङ) भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से, विदेश स्थित पर्यटक सृजक मार्केटों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित करता है। इनमें विज्ञापन देना, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, सेमिनार, कार्यशाला और रोडशोज आयोजित करना, ब्रोशरो का प्रकाशन करना, संयुक्त विज्ञापन समर्थन एवं मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों, टुअर आपरेटरों और राय निर्माताओं को आमंत्रित करना शामिल है।

उत्तरी बंगाल की संकोस तीस्ता परियोजना

3807. श्री एस. अजय कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी बंगाल की संकोस तीस्ता परियोजना निर्धारित समय पर पूरी कर ली जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना कार्य के कारण विस्थापित होने वाले गांवों तथा परिवारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि मानस-संकोष-तीस्ता-गंगा (एम.एस.टी.जी.) नदियों को जोड़ने की

परियोजना अभी शुरू नहीं की गई है अत: इसे पूरा करने की समयावधि अभी नहीं बताई जा सकती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को चीनी का निर्यात

3808. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश को किए गए चीनी के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके वर्षवार क्या कारण हैं;

(ग) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बंगलादेश को निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा निम्नवत् थी:-

वित्तीय वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मी. टन में)
2002-2003	281084
2003-2004	150411
2004-2005	8204
2005-2006 (सितम्बर, 2005 तक)	57

(ख) से (घ) चीनी स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य जिंस है और इसका निर्यात चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उनके पास पड़े चीनी के स्टाक की स्थिति, देश में खपत के लिए चीनी की आवश्यकता तथा चीनी के उत्पादन की संभावनाओं, चीनी के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और निर्यात-आयात नीति के उपबंधों सहित अन्य संगत तथ्यों का आकलन करने के बाद अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी पार्ट-टाईम निदेशकों की नियुक्ति

3809. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी पार्ट-टाईम निदेशकों की नियुक्ति हेतु हाल ही में अर्हता संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए चयन के क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु सरकार ने हाल ही में पात्रता संबंधी मानदण्डों में यह जोड़ा है कि अब "उद्योग, व्यापार या कृषि के क्षेत्र में प्रामाणित योग्यता रिकार्ड वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों" को भी ऐसी नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

असिंचित भूमि क्षेत्रों में बेरोजगारी

3810. श्री महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल पटले:
मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान असिंचित भूमि क्षेत्रों में किसानों में बेरोजगारी की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में किसानों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कम वर्षा के वर्षों में असिंचित क्षेत्रों में श्रमदिवसों के संबंध में किसानों में रोजगार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इस तरह से पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमित वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार/बेरोजगारी भी घटते-बढ़ते रहे हैं।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (वृहद कृषि प्रबंधन स्कीम में मिलाई गई) और झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना जैसी परियोजनाएं जो कि वर्षा-सिंचित और पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन हैं, भी इन संसाधनहीन क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के मूल उद्देश्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यदल के माध्यम से रोजगार अवसरों का सृजन करती हैं। "लघु सिंचाई" और "शुष्क कृषि प्रणाली की सततता बढ़ाना है।" प्रक्रियाधीन स्कीमों के अधीन और अधिक क्षेत्रों को लाया जाएगा और खेत पर जल संचयन तथा संरक्षण एवं उन्नत शुष्क भूमि प्रौद्योगिकियों के संवर्धन से शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में कृषि के विविधिकरण पर जोर दिए जाने से डेयरिंग, कुक्कुट पालन आदि जैसे गैर-फसल उत्पादन से जुड़े कार्यकलापों का संवर्धन होगा ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जा सके।

23 जिलों में 1084 जल निकायों को कवर करते हुए कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना के भाग के रूप में एक पायलट परियोजना पहले से ही क्रियान्वयनाधीन है।

घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

3811. डा. राजेश मिश्रा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या आदि में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए चालू वर्ष में राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सहित, देश में पर्यटक रूचि के स्थानों/स्थलों में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए विभिन्न कदम निम्न प्रकार हैं:-

- पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों के अवसंरचना विकास की इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे एप्रोच करना;
- विश्व स्तर की आनुषंगिक सामग्री का सृजन करना।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
	2005-06		
1.	इटावा में टी.आई.सी.सी.आई.फोर्ट काम्प्लैक्स का सौंदर्यीकरण/नवीकरण/निर्माण	55.68	44.54
2.	इटावा में काली वाहन मन्दिर का सौंदर्यीकरण	46.90	37.52
3.	वृंदावन में गोवर्धन और वृंदावन अनुसंधान संस्थान हेतु परिक्रमा पथ के लिए स्थल सर्वेक्षण योजना की तैयारी	0.79	0.79

1	2	3	4
4.	बिट्ठूर (जिला कानपुर नगर) में नाना राव स्मारक का विकास एवं सौंदर्यीकरण	422.17	337.00
5.	मथुरा जिले में गोवर्धन की छतरियों का नवीकरण/ सौंदर्यीकरण	58.60	46.88
6.	झांसी आयुर्वेद उत्सव, 2004 मनाना	2.50	2.00
7.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट का विकास	256.80	205.44
8.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत रायबरेली और आस-पास के क्षेत्र का विकास	490.27	392.21
9.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले में घुईसारनाथ धाम, ब्लॉक सांगीपुर के आस-पास मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	258.09	206.47
10.	विंध्य पर्यटक परिपथ के अंतर्गत मिर्जापुर-चुनार-राबर्ट्सगंज का विकास	800.00	640.00
11.	फरवरी 2006 में आगरा में निवेशक मेला	15.00	12.00
	कुल	2406.80	1924.85

[अनुवाद]

एंटी-बायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाएं

3812. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की कच्ची सामग्री में बहुत कम पाये जाने वाले एंटी-बायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयातकों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में एंटी-बायोटिक अवशेषों का पता लगाने की परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) आवश्यक परीक्षण सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के लिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्यात निरीक्षण एजेंसी, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आवश्यकतानुसार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

जटरोफा कृषि

3813. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जटरोफा की कृषि के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जटरोफा की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु तथा मृदा की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन पर विचार कर रही है जिसमें बायोडीजल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में जटरोफा का बागान लगाना शामिल है। इस मिशन में चार लाख हैक्टेयर अवक्रमित वन और गैर-वन भूमियों को कवर करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को योजना आयोग के सिद्धान्त: अनुमोदन की प्रतीक्षा है। तथापि जटरोफा, करंजा, महुआ, नीम, जंगली खूंबानी, चिऊरा आदि जैसे वृक्ष मूल के तिलहन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए देश में एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "वृक्ष मूल के तिलहन का समेकित विकास" क्रियान्वित की जा रही है। देश में अनुसंधान संस्थाओं का नेटवर्क तैयार करके आवश्यकता आधारित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 23 राज्यों में वर्ष 2004-05 के दौरान 800 हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में उत्कृष्ट पौ.व रोपण सामग्री का उपयोग करके माडल बागान लगाये गये हैं।

(ग) यह जल भराव स्थिति को छोड़कर मृदा के विस्तृत परास और कृषि जलवायु स्थितियों में उगाया जा सकता है।

(घ) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि को शामिल करते हुए जैटरोफा के समेकित विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है ताकि विभिन्न अनुसंधानीय मामलों नामत: राष्ट्रीय और राज्य उद्गम और परीक्षण, उत्कृष्ट पौध रोपण सामग्री की पहचान, बीज संसाधन मूल्यांकन और भंडारण, विशेषीकरण हेतु ऋतु-जैविकीय और रासायनिक मूल्यांकन, गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय बीज स्रोत प्राप्त करने के लिए वृक्ष सुधार, उत्कृष्ट पौध रोपण सामग्री का बहुस्थानिक परीक्षण, गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर बहुलीकरण के लिए तकनीक, कृषि वानिकी माडलों सहित माडल बागान, अन्य पादपों/फसल के साथ वृक्ष मूल के तिलहन की अच्छी फसलन प्रणाली का विकास, कटाई पश्चात साधन और प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण वृक्ष मूल की खली का अविषाक्तीकरण, विभिन्न लक्ष्य समूहों का प्रशिक्षण आदि का समाधान किया जा सके।

[अनुवाद]

ठेका मजदूर

3814. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताजा जानकारी के अनुसार केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुमानत: कितने ठेका मजदूर हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले एक दशक में सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित तथा साल भर चलने वाले कार्यों में ठेका मजदूरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है जबकि इन ठेका मजदूरों की सेवा तथा कार्य करने का वातावरण बिगड़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में ठेका मजदूरों की स्थितियों का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकार उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में **समुचित सरकार** हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा कवर किए गए ठेका श्रमिकों की संख्या 968792 थी।

(ख) से (घ) सरकार को जानकारी है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सामान्यत: ठेका श्रम प्रणाली प्रचलित है। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो समय-समय पर ठेका श्रमिकों की कार्य दशाओं का सर्वेक्षण करता रहता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान चार उद्योगों/प्रतिष्ठानों नामत: सीमेंट मेन्यूफेकचरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट संबंधी खानें, भारतीय खाद्य निगम के डिपो और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की इकाइयों में सर्वेक्षण किया गया था। रिपोर्ट

के अनुसार प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अन्य श्रम कानूनों का अधिकांशतः अनुपालन किया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों/उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों/उद्योगों में ठेका श्रमिकों को नियमित प्रकार के कार्यों पर लगाया गया था।

ठेका श्रमिकों के मजदूरी, कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हितों की सुरक्षा के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 सहित विभिन्न श्रम कानूनों में पर्याप्त उपबंध विद्यमान है। बारहमासी प्रकृति की नौकरियों/कार्यों/प्रक्रियाओं में ठेका श्रम को वर्जित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं और उल्लंघन के मामलों में कानून के उपबंधों के अनुसार सख्ती से निपटा जाता है और यदि आवश्यक हो तो मुकदमे भी चलाए जाते हैं।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में 1997 वेतन संशोधन का क्रियान्वयन

3815. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी.बी.यू.एन.एल.) ने 1 जनवरी, 1997 से वेतन संशोधन लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.बी.यू.एन.एल. 1997 के वेतन संशोधन के खर्च को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से सेवा शुल्क ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.बी.यू.एन.एल. की विभिन्न सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को बी.बी.यू.एन.एल. के कर्मचारियों के समान 1997 के वेतन संशोधन के लाभ मिलेंगे; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-05-2005 को दिए गए अनुमोदन के अनुसार, बी.बी.यू.एन.एल. ने दिनांक 01-01-1997 से प्रभावी बोर्ड तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में वेतन संशोधन लागू कर दिया है।

(ग) और (घ) बी.बी.यू.एन.एल. 1997 के वेतन संशोधन से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय (burden) को घरेलू तथा निर्यात क्रयादेशों के क्रियान्वयन के माध्यम से अपने आंतरिक सृजन से पूरा कर रही है। बी.बी.यू.एन.एल. समूह कंपनियों को तकनीकी और वाणिज्यिक मामलों में सेवाएं मुहैया कराती है जिसके लिए प्रशासनिक लागतों का सहायक कंपनियों से इक्विटी के आधार पर पुनर्भुगतान किया जाता है।

(ङ) और (च) बी.बी.यू.एन.एल. की 4 प्रचालनशील सहायिकाओं में से मै. बी.बी.जे. ने पहले ही वर्ष 1997 का वेतन संशोधन लागू कर दिया है। अन्य 3 सहायिकाएं नामतः बी.एस.सी.एल., बी.सी.एल. तथा बी.डब्ल्यू.ई.एल., बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित, कंपनियां हैं। भारत सरकार (लोक उद्यम विभाग) के दिनांक 25-06-1999 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, इन कंपनियों में वेतनमानों का संशोधन पुनरुद्धार पैकेज के अनुरूप होगा यदि इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित जब कभी कोई प्रावधान किया जाय।

औषधियों के मूल्य

3816. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधियों के मूल्य को नियंत्रित करने हेतु औषधि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा संधु समिति की सिफारिशों पर अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति की सभी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) जीवनरक्षक औषधों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने 20 सितम्बर, 2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार को

सौंप दी है। सरकार विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से कार्यबल की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके आधार पर नई भेषज नीति शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है।

सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम और एस.एल.पी. सं. (सी)3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में और उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के उपाय सुझाने के लिए मूल्य नियंत्रण (व्यापार लाभ सहित) की अवधि की जांच करने हेतु संयुक्त सचिव (भेषज उद्योग) (संघु समिति) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003) में से उन सभी दवाओं जो मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं, के मूल्यों की गहन मानीटरिंग करने, दवाओं के व्यापार लाभ पर अधिकतम सीमा, नई पेटेंटशुदा दवाओं के लिए मूल्य वार्ता की प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए विशेष योजना, विनिर्माताओं से दवाओं की बल्क खरीद के लिए राजस्थान मॉडल के लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर) की शुरुआत और उन्हें कम दामों पर बेचने, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने, कर्नाटक मॉडल पर सभी राज्यों में डी.पी.सी.ओ. सेल की स्थापना करने, नए पेटेंटशुदा औषधों की लॉन्चिंग के समय मूल्य संबंधी वार्ताओं, जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास, सरकार और एन.पी.पी.ए. आदि की नीतियों और निर्णयों का व्यापक प्रचार करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों को उनके विचार जानने हेतु पत्र भेजे गए हैं।

बेरोजगारी के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सर्वेक्षण

3817. श्री अर्जुन सेठी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ सरकारी एजेन्सियों, गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग प्रतिशतता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है तथा उनकी मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से क्या कदम उठाए जाने पर विचार हो रहा है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं के अंतर्गत दैनिक मजदूरी कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं की विश्वसनीय प्रतिशतता का आकलन करने वाले ऐसे अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने वाली किसी एजेंसी/एजेंसियों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए.वी.एम. चैनल का नवीनीकरण

3818. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ए.बी.एम. चैनल के साथ लगे समुद्री तटों तथा गांवों में जहां पानी आता है वहां तुलनात्मक रूप से सुनामी से कम तबाही हुई तथा जहां चैनल बंद हैं, वहां भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ए.वी.एम. चैनल के नवीनीकरण तथा इसकी उपयोगिता वापस लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय को ए.वी.एम. चैनल प्रवाहों के कारण सुनामी तबाही में कमी के संबंध में किसी सूचना की जानकारी नहीं है। सुनामी, दिसम्बर, 2004 में आयी जिससे तमिलनाडु और केरल राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित हुए। प्रभावित क्षेत्रों में पुनरुद्धार कार्य राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। जल संसाधन मंत्रालय में ए.वी.एम. चैनल के नुकसान के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

कमान क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

3819. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया जा चुका है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अभी तक 310 सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें से मध्य प्रदेश में 8 परियोजनाओं सहित 162 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 23 परियोजनाओं को मिलाकर 8 में परिवर्तित करने और कुछ नई परियोजनाओं को शामिल करने के पश्चात इस समय राज्यों में 133 सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास कार्य चल रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 5 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ख) यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के बराबर-बराबर हिस्से के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं को पूरा किए जाने की समय-सीमा राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की गति पर निर्भर करेगी।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा दी गई वास्तविक लक्ष्यों और प्रगति की सूचना के आधार पर जारी की जाती है। राज्यों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल सिंचाई परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्यों के नाम	Xवीं योजना तक संचयी 14-12-2005 तक (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9297.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	173.63
3.	असम	2066.41
4.	बिहार	11848.54
5.	छत्तीसगढ़	683.14
6.	गोवा	917.93
7.	गुजरात	15038.72
8.	हरियाणा	18229.76
9.	हिमाचल प्रदेश	1184.70
10.	जम्मू-कश्मीर	4146.93
11.	झारखंड	0.00
12.	कर्नाटक	28420.95
13.	केरल	9990.23
14.	मध्य प्रदेश	10074.57
15.	महाराष्ट्र	25873.56
16.	मणिपुर	1736.69
17.	मेघालय	118.02
18.	मिजोरम	44.34
19.	नागालैंड	281.70
20.	उड़ीसा	8751.32
21.	पंजाब	9313.54
22.	राजस्थान	51571.85
23.	सिक्किम	6.75
24.	तमिलनाडु	24776.21
25.	त्रिपुरा	19.70
26.	उत्तरांचल	58770.95

1	2	3
27.	उत्तर प्रदेश	75.00
28.	पश्चिम बंगाल	3458.18
	कुल	296871.05

चिल्का लागून की पारिस्थितिकी

3820. श्री जुएल ओराम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का लागून की पारिस्थितिकी बहाली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं/उठाए गए हैं;

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार ने परिचालन, फ्लशिंग और प्रजातियों की स्वत: भर्ती में सुधार के लिए नए मुहाने खोलकर और लीड चैनलों के विकास द्वारा जलीय हस्तक्षेप के मुख्य कार्यों सहित चिल्का लैगून के पारि-पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, अन्य किए जा रहे कार्यों में गाद नियंत्रण, जल आदान-प्रदान में सुधार और खारापन ढाल, प्रवासी पक्षियों के लिए नालाबान पारिप्रणाली का पुनरुद्धार, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उन्नयन, सड़क नेटवर्क में सुधार, मत्स्य विकास, कैचमैन्ट उपचार, बाहरी चैनलों से गाद निकालना, खरपतवार नियंत्रण और आर्दभूमि नियंत्रण के लिए केन्द्र की स्थापना करना शामिल है।

(ख) और (ग) चिल्का विकास प्राधिकरण को दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्रमश: 27.00 करोड़ रु. और 30.00 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। 12वें वित्त आयोग ने 2006-10 की अवधि के लिए भी 30 करोड़ की राशि की सिफारिश की है। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी चिल्का लागून के पुनरूद्धार के लिए अब तक 7.28 करोड़ रु. जारी किए हैं।

[हिन्दी]

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

3821. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्यों के सिंचाई मंत्रियों ने हाल ही में राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं पूरी न होने के कारणों पर विचार-विमर्श किया था जैसा कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भू-जल निकालने पर सरकार द्वारा शुल्क लगाने की किसी योजना पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पहली पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई क्षेत्र में खर्च की जाने वाली धनराशि का प्रतिशत कम हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने सिंचाई/क्षेत्र योजनाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि में सबसे अधिक कटौती की है; और

(च) उक्त खर्च को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 नवम्बर, 2005 को आयोजित किया गया था, जिसमें "वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का पूरा किया जाना" से संबंधित मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) सभी क्षेत्रों के लिए कुल व्यय सहित नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के लिए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रही है।

विवरण

नौवीं योजना में राज्य क्षेत्र निवेश की प्रतिशतता के रूप में सिंचाई निवेश

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	कुल	सभी क्षेत्रों का व्यय	निवेश अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4045.77	976.25	49.18	5071.20	28467.84	17.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.73	94.62	4.99	101.34	2487.13	4.07
3.	असम	212.96	382.22	31.14	626.32	7129.65	8.78
4.	बिहार	1621.94	231.56	62.66	1916.16	9921.29	19.31
5.	छत्तीसगढ़	160.64	71.48	1.57	233.69	1361.29	17.17
6.	गोवा	224.22	26.68	9.70	260.60	1389.60	18.75
7.	गुजरात	5298.42	933.32	61.34	6293.08	24657.98	25.52
8.	हरियाणा	1154.41	200.90	143.03	1498.34	7987.00	18.76
9.	हिमाचल प्रदेश	65.09	232.70	4.38	302.17	7897.49	3.83
10.	जम्मू-कश्मीर	128.52	142.86	20.58	291.96	7542.88	3.87
11.	झारखंड	167.01	39.31	0.00	206.32	2023.51	10.20
12.	कर्नाटक	8700.51	459.03	97.90	9257.44	31125.56	29.74
13.	केरल	703.33	225.82	41.80	970.95	14060.20	6.91
14.	मध्य प्रदेश	2203.68	746.29	17.43	2967.40	16658.02	17.81
15.	महाराष्ट्र	14807.29	1348.55	219.47	16375.31	44656.18	36.67
16.	मणिपुर	171.67	30.05	6.63	208.35	1663.12	12.53
17.	मेघालय	10.65	34.21	0.87	45.73	1824.54	2.51
18.	मिजोरम	0.14	26.30	0.47	26.91	1719.67	1.56
19.	नागालैंड	0.86	25.32	0.53	26.71	1502.25	1.78
20.	उड़ीसा	2331.23	435.70	26.53	2793.46	12115.26	23.06
21.	पंजाब	334.92	189.01	179.34	703.27	9816.05	7.16

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	1725.14	259.48	263.35	2247.97	19532.32	11.51
23.	सिक्किम	2.16	19.44	1.64	23.24	1107.64	2.10
24.	तमिलनाडु	1218.50	287.70	65.88	1572.08	25035.61	6.28
25.	त्रिपुरा	32.44	75.27	0.04	107.75	2254.14	4.78
26.	उत्तर प्रदेश	3014.68	361.96	155.31	3531.95	30510.28	11.58
27.	उत्तरांचल	60.96	19.59	0.00	80.55	2492.30	3.23
28.	पश्चिम बंगाल	667.80	346.08	26.53	1040.41	20453.01	5.09
29.	संघ राज्य क्षेत्र	4.17	52.44	0.89	57.50	18109.77	0.32
	कुल जोड़	49070.84	8274.14	1493.18	58838.16	355501.58	16.55

[अनुवाद]

भूमि तथा जल के बेहतर उपयोग हेतु योजनाएं

3822. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए भूमि तथा जल के बेहतर उपयोग के लिए नीतियों को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं/नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भूमि और जल के बेहतर उपयोग के वास्ते भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति और राष्ट्रीय जल नीति तैयार की है। नीति में देश के प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि, जल और आनुवंशिक समृद्धि को तकनीकी रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से गैर-अवक्रमण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपयोग किया जाना चाहा गया है ताकि कृषि के सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)

(2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

(3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)

(4) क्षारीय मृदा सुधार (आर.ए.एस.)

(5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(6) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

(7) समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(8) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

(9) कमान एरिया विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.)

(10) कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार हेतु राष्ट्रीय परियोजना।

(ग) वर्ष 2004-05 तक विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अधीन 28.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। नौवीं योजना के अंत तक बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 93.95 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

मत्स्यग्रहण बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

3823. डा. के.एस. मनोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मत्स्यग्रहण बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने अलपुज्जा जिले में अर्थुनकल तथा थोटापट्टी के मत्स्यग्रहण बंदरगाहों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने कायमकुलम मत्स्यग्रहण बंदरगाह की संशोधित परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मौजूदा मात्स्यिकी बंदरगाहों के आधुनिकीकरण/मरम्मत के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। अलापूझा जिले में थोटापल्ली में 1458.30 लाख रुपए की कुल लागत से मात्स्यिकी बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत फरवरी, 2004 में स्वीकृत हुआ था और 100 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की पहली किश्त केरल सरकार को मार्च, 2004 में जारी की गई थी। आरथुंगल में मात्स्यिकी बंदरगाह के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक जांच-पड़ताल पूरा करने के बाद प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तैयार करनी है।

(च) और (छ) जी, नहीं। केरल सरकार को जून, 2005 में समेकित संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मात्स्यिकी बंदरगाह का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	चैन्नई	638.00	धनराशि ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत पहले ही स्वीकृति हो चुकी है।
		टयूटीकोर्न	504.41	धनराशि ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत पहले ही स्वीकृति हो चुकी है। इसके अलावा, सी.एस.एस. के तहत 20 लाख रुपए दिए गए हैं।
2.	कर्नाटक	माल्पे	100.00	राज्य सरकार को ए.एस.आई.डी. योजना के तहत उन्नयन के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देना है।
		मंगलौर	90.00	कर्नाटक सरकार को ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।
		होनावर	40.00	-वही-

1	2	3	4	5
3.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	156.89	कार्य पूरा हो गया है।
		काकीनाडा	40.00	राज्य सरकार को धनराशि ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है। 50 प्रतिशत परियोजना पूरी हो गई है।
		निजामपत्तनम	40.00	90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
		मछलीपत्तनम	45.37	ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ संवर्धन समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।
4.	गुजरात	वरावल	381.26	कार्य चल रहा है। जे.टी. संख्या 1 से 5 को पक्का करने का काम ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत पूरा हो गया है। सी.एस.एस. के तहत 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
		मंगरौल	54.67	राज्य को ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत सहायता के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देना है। सी.एस.एस. के तहत 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
		पोरबंदर	18.00	सी.एस.एस. के तहत 9 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और कार्य पूरा हो गया है।
5.	उड़ीसा	धामरा	150.00	राज्य को ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत सहायता के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देना है।
6.	केरल	नींदकारा	650.00	इस प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ए.एस. आई.डी.ई. योजना के तहत सहायता के लिए एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा अनुशंसित किया गया है। सी.एस.एस. के तहत 15 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
		बेपोर	330.53	केरल सरकार से प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।
		पुथ्थीयाप्पा	227.00	इस प्रस्ताय को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत सहायता के लिए एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा अनुशंसित किया गया है। सी.एस.एस. के तहत 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

1	2	3	4	5
		मुनामबम एफ.एच.	227.00	ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और मुनामबम मात्स्यिकी बंदरगाह प्रबंधन सोसायटी को कार्य को निष्पादित करने के लिए 70 लाख रुपए दिए गए हैं।
		कोचीन एफ.एच.	170.00	समूची धनराशि उपलब्ध करा दी गई है और उन्नयन कार्य पूरा हो गया है।
		मोपला बे	38.00	परियोजना सी.एस.एस. के तहत स्वीकृत हो गई है और 15 लाख रुपए पहले ही दे दिए गए हैं।
		चोंबल	37.70	परियोजना सी.एस.एस. के तहत स्वीकृत हो गई है और 10 लाख रुपए पहले ही दे दिए गए हैं।
7.	महाराष्ट्र	सासन डॉक एफ.एच. और न्यू फैरी वार्फ एफ.एच.	–	पोर्ट ट्रस्ट और सी.आई.सी.ई.एफ., बंगलौर को प्रस्ताव को अंतिम रूप देना है।
8.	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर चरण-1 (दीघा)	40.00	परियोजना सी.एस.एस. के तहत स्वीकृत हो गई है और 20 लाख रुपए पहले ही दे दिए गए हैं।
		फ्रैशरगंज	40.00	–वही–

ए.एस.आई.डी.ई.–निर्यात और संबंधित गतिविधियों के लिए बुनियादी सुविधा विकास के लिए राज्य को सहायता।

सी.एस.एस.–केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

[हिन्दी]

होटल कलटरी का विस्तार

3824. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल कलटरी, जबलपुर के विस्तार से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 14-1-2005 को होटल कलचुरी, जबलपुर के विकास हेतु 108.00 लाख रुपए की राशि हेतु, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रति वर्ष, परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती हैं:-

(1) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(2) पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास

(3) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर, दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी संवीक्षा की जाती है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है और संबंधित शीर्ष के

अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां अवमुक्त की जाती हैं। होटल कलचुरी के विस्तार हेतु प्रस्ताव को न तो वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई थी और न ही वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिकता हेतु यह राज्य सरकार द्वारा लाया गया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई।

बेरोजगारी भत्ता

3825. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु 673 करोड़ रुपये की धनराशि मांगने के लिए केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त धन राशि के कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 673 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने हेतु माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजे हैं।

(ग) और (घ) प्रस्ताव की जांच की गई। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत् प्रदान किए जाने वाले भत्ते के अलावा बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

राजस्थान में पर्यटन का विकास

3826. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के लिए कई अनुरोध प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की स्थापना, जयपुर में टूरिज्म काम्पलैक्स, झालावाड़ को पर्यटन स्थल बनाने, हाड़ौती क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा ग्रामीण पर्यटन के लिए अब तक मंजूरी नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की अपनी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य सरकारों/सघ राज्य क्षेत्रों को उन पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य के परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की गई हो।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक राजस्थान सरकार के लिए स्वीकृत की गई पर्यटन संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	अम्बेर किला, जयपुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी लगाना	129.26
2.	गंतव्य विकास परियोजना के अंतर्गत जयपुर में हवा महल एवं जंतर मंतर का विकास	464.32

वर्ष 2004-05 के दौरान पर्यटक परिपथ के अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र के विकास हेतु एक परियोजना प्रस्ताव हेतु 725.10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

प्राथमिकता प्रदत्त परिपथों/गंतव्यों के लिए, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाती है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उनकी उपलब्धता की शर्त पर निधियां रिलीज की जाती हैं।

[हिन्दी]

मधुमक्खी पालन उद्योग

3827. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के दौरान देश के उत्तरी राज्यों में 'बीरोआ माइट' महामारी फैलने के कारण 50 से 70 प्रतिशत मधुमक्खी पालन उद्योग को क्षति पहुंचने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की सुरक्षा तथा किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर राजस्थान में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम-वार, एजेंसी-वार तथा राज्य-वार इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 'बीरोआ माइट' महामारी फैलने के कारण जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में क्षति पहुंची है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा सल्फर डर्स्टिंग और शहद मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन के माध्यम से माइट के नियंत्रण के स्थापित तरीकों के संबंध में मधुमक्खी पालकों के मध्य जागरूकता शिविरों का आयोजन करके तथा उनको शिक्षित करके बीरोआ माइट को नियंत्रित करने के लिए उपचारी उपाय किए गए हैं।

(ग) खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। तथापि, राजस्थान में के.वी.आई.सी. द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है क्योंकि राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्र ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए जरूरी अवसंरचना से सुसज्जित है।

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्रों को के.वी.आई.सी. द्वारा आवंटित कुल निधियों का राज्यवार ब्यौरा तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

के.वी.आई.सी. द्वारा राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्र को आवंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्र का नाम	आवंटित निधियां (रुपये)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	गोहाटी (असम)	524400.00	517
2.	शिलांग (मेघालय)	505000.00	–
3.	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	615000.00	200
4.	हीरानगर (जम्मू व कश्मीर)	457500.00	400
5.	बस्सीपठाना (पंजाब)	649500.00	30
6.	हल्द्वानी (उत्तरांचल)	610000.00	1008
7.	नकुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	457500.00	163
8.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	502500.00	200

1	2	3	4
9.	त्रिरिल रांची (झारखण्ड)	502500.00	272
10.	पटना (बिहार)	377500.00	577
11.	बिराटी (पश्चिम बंगाल)	452500.00	400
12.	बंगलौर (कर्नाटक)	673300.00	91
13.	विजयराय (आंध्र प्रदेश)	574000.00	862
14.	त्रिचूर (केरल)	615000.00	251
15.	नागरकोइल (तमिलनाडु)	465500.00	225
16.	मुरैना (मध्य प्रदेश)	630000.00	100
	कुल	8611700.00	5296

[अनुवाद]

गोदामों के अनुरक्षण में निजी भागीदारी

3828. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के अधीन गोदामों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उनकी अधिकतम भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ख) राज्य में निजी स्वामित्व के अधीन गोदामों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ग) निजी पार्टियों द्वारा इन गोदामों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित नियम और विनियम क्या हैं;

(घ) उक्त उद्देश्य हेतु निजी पार्टियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने कार्यकलापों के निजीकरण के परिणामत: क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 5.51 लाख टन की भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की/ढकी/कैप) है। स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास कोई निजी गोदाम नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

30-11-2005 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की/ढकी/कैप) के स्थानवार ब्यौरे

(हजार टन में)

राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	कुल क्षमता
1	2	3
ढके हुए गोदाम		
भरूच	भरूच	8.20
खेडा	वदाद	10.00
गोधरा	भोमिया	55.00
	गोधरा	23.96
वदोदरा	बड़ौदा	14.25
	छानी	5.00

1	2	3
वलसाड	वलसाड	10.00
भावनगर	भावनगर	20.00
जामनगर	जामनगर (डेयरड)	30.00
राजकोट	घंटेश्वर	20.00
	वांकेर	10.00
सुरेन्द्रनगर	वधवान (एस.नगर)	10.00
जुनागढ़	वेरावल	5.68
अहमदाबाद	साबरमती	86.88
	विरमगाम	35.00
वनासकांठा	पालमपुर	23.25
मेहसाना	मेहसाना	11.12
कच्छ	गांधी (एस.पी.जी.)	93.36
	गांधीधाम (एफ.एस.डी.)	50.00
	जोड़	**521.70**
कैप (ओपन) गोदाम		
वडोदरा	बड़ौदा	2.00
गोधरा	गोधरा	1.82
वलसाड	वलसाड	3.00
सुरेन्द्रनगर	वधवान (एस. नगर)	4.80
अहमदाबाद	साबरमती	3.00
	विरमगाम	15.12
	जोड़	29.74
सकल जोड़ (ढकी हुई और कैप)		551.44

शेयर बाजार में ई.पी.एफ. राशि का निवेश

3829. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि में कुल कितनी राशि जमा है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी प्राप्ति हुई तथा कितना भुगतान किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ई.पी.एफ. राशि का निवेश शेयर बाजार में करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है और उससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) 31-10-2005 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि में कुल कायिक राशि 82,896.05 करोड़ रुपये थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि खाते से प्राप्ति एवं भुगतान किए जाने का विवरण निम्नवत् है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल प्राप्तियां (अंशदान)	भुगतान
2002-03	7611.85	7592.16
2003-04	8301.92	7647.14
2004-05	9759.34	7443.11

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च

3830. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) राष्ट्रीय भेषज अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान (नाइपर) की दर्ज पर नए संस्थानों/केंद्रों की आवश्यकता

और स्थान के समुचित आकलन के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु निदेशक, नाइपर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नाइपर की रिपोर्ट के आधार पर नए केंद्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं

3831. मो. मुकीम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितने श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं; और

(ग) राज्यों में ऐसे कितने क्षेत्रों की पहचान की गयी है जहां अब तक कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश में बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 143 अस्पतालों और 1427 औषधालयों की स्थापना की है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को बहिरंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 2135 बीमा चिकित्सकों को भी पैनलबद्ध किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सुविधा प्राप्त बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों की राज्यवार तथा वर्षवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) के एक केन्द्र/क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

राज्य	क.रा.बी. औषधालयों की संख्या	क.रा.बी. अस्पतालों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	133	11
असम	27	01
बिहार	25	03
चंडीगढ़ प्रशासन	02	01
छत्तीसगढ़	11	–
दिल्ली	42	04
गोवा	09	01
गुजरात	125	12
हरियाणा	70	05
हिमाचल प्रदेश	09	01
कर्नाटक	122	09
केरल	137	13
मध्य प्रदेश	47	07
महाराष्ट्र		
(क) मुम्बई	17	
(ख) पुणे	34	14
(ग) नागपुर	22	
मेघालय	01	–
उड़ीसा	49	06
पांडिचेरी	15	01
पंजाब	69	07
राजस्थान	64	05
तमिलनाडु	187	09
उत्तर प्रदेश	129	16
उत्तरांचल	07	–
पश्चिम बंगाल	37	14
जम्मू-कश्मीर	08	–
झारखंड	29	03
कुल	1427	143

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		बीमित व्यक्ति	परिवार	बीमित व्यक्ति	परिवार	बीमित व्यक्ति	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17,44,621	22,86,104	14,25,265	18,02,146	21,80,176	25,92,820
2.	असम	38,515	32,487	33,686	31,713	36,488	34,775
3.	बिहार	25,055	28,118	57,765	44,361	6,708	46,528
4.	चण्डीगढ़	94,646	62,954	87,143	56,733	80,761	48,546
5.	दिल्ली	18,51,024	31,39,117	16,64,290	24,44,111	18,15,184	26,39,721
6.	गोवा	1,00,591	1,07,710	1,15,878	1,15,076	1,26,359	1,22,850
7.	गुजरात	14,76,622	22,61,553	11,88,084	15,61,687	13,80,060	19,20,667
8.	हरियाणा	5,56,704	7,54,380	5,60,887	7,46,879	6,19,366	8,51,267
9.	हिमाचल प्रदेश	18,475	18,012	14,557	12,248	1,44,639	1,53,411
10.	जम्मू और कश्मीर	40,036	2,908	32,389	21,916	38,377	23,470
11.	कर्नाटक	11,21,824	12,71,962	10,39,877	11,90,926	10,38,935	11,65,544
12.	केरल	23,43,052	25,67,693	16,78,440	17,52,264	16,55,741	20,07,930
13.	मध्य प्रदेश	9,13,898	1,23,881	8,45,213	10,96,047	7,51,719	9,39,243
14.	महाराष्ट्र	11,21,524	6,53,370	10,85,386	10,77,248	9,69,090	9,73,748
15.	मेघालय	1,420	1,573	2,002	2,212	2,157	2,203
16.	उड़ीसा	4,69,543	3,51,672	4,38,563	5,71,922	4,48,099	5,65,936
17.	पांडिचेरी	1,61,350	38,946	1,64,277	1,67,551	1,72,465	1,68,236
18.	पंजाब	6,54,135	6,59,672	5,60,018	5,55,120	5,90,625	6,55,739
19.	राजस्थान	9,77,783	7,11,944	9,49,300	11,69,522	10,20,736	12,66,464
20.	तमिलनाडु	30,16,576	13,15,256	26,97,734	33,54,723	21,23,125	24,26,378
21.	उत्तर प्रदेश	3,54,465	2,31,537	7,50,943	8,40,045	5,90,638	6,72,002
22.	पश्चिम बंगाल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	11,40,410	9,06,538

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	छत्तीसगढ़	1,11,364	1,48,330	88,968	1,16,844	1,06,261	1,33,450
24.	झारखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	84,775	87,492
25.	उत्तरांचल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	36,360	42,378

[अनुवाद]

उपभोक्ता जागरण हेतु नयी योजना

3832. श्री के.सी.पलनिसामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों के बीच उपभोक्ता जागरण हेतु 'जागृति शिविर योजना' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषत: तमिलनाडु को राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है;

(ङ) उक्त योजना हेतु प्रत्येक राज्य में किन जिलों की पहचान की गई है; और

(च) गत एक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में काम कर रहे जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान तथा संवितरित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) जाग्रति शिविर योजना नामक स्कीम 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों के सहयोग से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के जरिए शिविर, बैठक, समारोह आदि आयोजित करके जिला स्तर पर जागरूकता फैलाना था ताकि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों का आसानी से लाभ उठाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कोई अनुदान रिलीज नहीं किया गया है।

(ङ) 15 राज्य सरकारों ने संलग्न विवरण के अनुसार 61 जिलों की पहचान की थी।

(च) तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम और शिवांगगाई जिलों में तीन जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान प्रत्येक जिले को 2,50,000/-रुपए रिलीज किए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	आवेदक/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कवर किए गए जिले
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	7 जिले अर्थात्, नासिक, बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, थाणे, सोलापुर
2.	त्रिपुरा	1 जिला अर्थात, अगरतला
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2 जिले अर्थात, (अंडमान, निकोबार)
4.	जम्मू और कश्मीर	3 जिले अर्थात, अनन्तनाग, कारगिल, जम्मू (ग्रामीण)
5.	उत्तरांचल	3 जिले अर्थात, अलमोड़ा, चम्पावत, उत्तरकाशी
6.	राजस्थान	7 जिले अर्थात, डुंगरपुर, भीलवाड़ा, चुरू, जालोर, धौलपुर, करोली, बांसवाड़ा
7.	हरियाणा	4 जिले अर्थात, करनाल, भिवानी, जींद, हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश	3 जिले अर्थात, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर
9.	कर्नाटक	6 जिले अर्थात, गुलबर्ग कोपाल, कोलार, चित्रदुर्गा छमराजनगर, बीजापुर

1	2	3
10.	गुजरात	5 जिले अर्थात, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर, वलसाद, बड़ोदा
11.	केरल	3 जिले अर्थात, कासरगोड, मलयापुरम, इदुक्की
12.	पश्चिम बंगाल	4 जिले अर्थात, कूच बिहार, पुरुलिया, हुगली, 24 परगना, (दक्षिण)
13.	तमिलनाडु	6 जिले अर्थात, विल्लुपुरम, विल्लोर, धरमपुर, सेलम, थिरुवन्नामलई, निलगिरिस
14.	उड़ीसा	6 जिले अर्थात, खुर्द, नौपाड़ा, मयूरभंज, सम्भलपुर, अंगुल, गंजाम
15.	गोवा	1 जिला
	योग	61 जिले

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

3833. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) विभिन्न सहकारी योजनाओं को सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान एन.सी.डी.सी. द्वारा दी गयी सहायता का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.सी.डी.सी. का विचार विभिन्न श्रम सहकारिताओं की सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.सी.डी.सी. द्वारा सहायता हेतु आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि प्रसंस्करण एककों की स्थापना, भंडारण और शीतागार सुविधाओं का सृजन, कृषि उत्पाद का विपणन, उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि आदानों का वितरण, समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं, डेयरी, मछली पालन, रेशम उत्पादन, नारियल जटा, पटसन और तम्बाकू जैसे विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों हेतु सहकारी समितियों को केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और निगम प्रायोजित स्कीमों के अधीन वित्तीय सहायता देता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के अधीन 1060.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। सहायता का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में, जून, 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे अधिसूचित कार्यकलापों में से एक के रूप में श्रमिक सहकारी समितियों को दी जाने वाली सहायता की पद्धति को अधिसूचित किया है। इन सहकारी समितियों को दी जाने वाली सहायता पद्धति संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्रत्येक मामले के गुणावगुण, परियोजना की व्यवहार्यता, समिति की वित्तीय स्थिति और ऋण चुकाने की इसकी क्षमता के आधार पर सहायता के प्रस्ताव पर विचार करता है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्मुक्त सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

योजना	ऋण	राजसहायता	कुल
1	2	3	4
क. केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
1. सहकारी रूप से अल्प विकसित/अविकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यक्रमों के लिए सहायता			

1	2	3	4
विपणन	1875.37	–	1875.37
प्रसंस्करण	20.55	1.40	21.95
भण्डारण	9.82	0.00	9.82
शीतागार	547.89	7.50	555.39
जनजातीय सहकारी समिति	18.75	6.12	24.87
मात्स्यकी सहकारी समिति	2234.78	410.94	2645.72
हथकरघा	11.58	3.88	15.46
डेयरी	10.72	2.13	12.85
कम्प्यूटर संस्थापन	9.61	1.70	11.31
उप योग	4739.07	433.67	5172.74
2. सहकारी कताई मिलों में अंश पूंजी सहभागिता (उत्पादक)	1579.87	180.00	1759.87
3. चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं	–	1031.68	1031.68
4. मात्स्यकी विकास के लिए सहायता	–	205.62	205.62
5. एन.एच.बी. की शीतागार योजना	11.88	34.04	45.92
6. भंडारण के लिए पूंजी निवेश, राजसहायता	–	364.79	364.79
उप योग	6330.82	2249.80	8580.62
ख. निगम प्रायोजित स्कीमें			
1. विपणन	64166.29	–	64166.29
2. चीनी	1562.58	–	1562.58
3. प्रसंस्करण	2908.40	–	2908.40
4. कताई/पावरलूम	7521.02	–	7521.02
5. भण्डारण	1060.18	–	1060.18
6. शीतागार	183.63	–	183.63
7. उपभोक्ता	120.77	–	120.77
8. कृषि आदान	25.88	–	25.88
9. कमजोर वर्ग के लिए कार्यक्रम	5453.87	1.42	5455.29

1	2	3	4
10. संवर्धन और विकास	–	117.31	117.31
11. कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता	24.00	–	24.00
12. चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं	8587.71	–	8587.71
13. सहकारी विकास के लिए ऋण	4096.50	–	4096.50
14. औद्योगिक सहकारी समितियां	2.44	–	2.44
उप योग	95713.27	118.73	95832.00
ग. चीनी विकास कोष स्कीम	1659.46	–	1659.46
सभी स्कीमों का सकल योग (क+ख+ग)	103703.55	2368.53	106072.08

विवरण-II

सहायता का प्रतिमान

(क) व्यवसाय प्रबंध

अंशपूंजी आधार/मार्जिन धन सहायता और कार्यशील पूंजी वित्त के लिए सभी प्रकार के राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय और प्राथमिक स्तर की श्रमिक सहकारी समितियों को उपलब्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रम हेतु सहायता का प्रतिमान नीचे दिया गया है:-

क्रियाकलाप	विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र			अव विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र		
	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	प्रत्यक्ष वित्तपोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	प्रत्यक्ष वित्तपोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	प्रत्यक्ष वित्तपोषण
मार्जिन मनी	बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण-मार्जिन	ऋण अथवा अंश पूंजी	ऋण	ऋण 80% राजसहायता* 20%	ऋण अथवा अंश पूंजी 80% राजसहायता* 20%	ऋण 80% राजसहायता* 20%	ऋण 75% राजसहायता* 25%	ऋण अथवा अंश पूंजी 75% राजसहायता* 25%	ऋण 75% राजसहायता* 25%

विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र			अव विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति #	प्रत्यक्ष वित्तपोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	प्रत्यक्ष वित्तपोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	प्रत्यक्ष वित्तपोषण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ऋण 90%	ऋण 50%	ऋण	ऋण 70%	ऋण 50%	ऋण 50%	ऋण 70%	ऋण 50%	ऋण 50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अंश पूंजी/ राजसहायता 40%	65%	राजसहायता* 20%	अंश पूंजी 20% राजसहायता* 20%	राजसहायता* 20%	राजसहायता* 25%	अंश पूंजी 20% राजसहायता* 25%	राजसहायता* 25%
सदस्यों का अंशदान	10%	35%		10%	30%		5%	25%

भारत सरकार से उपलब्धता के अधीन राजसहायता अन्यथा रा.स.वि.नि. से समतुल्य ऋण

* प्रस्तावित परियोजना की वैधता पर निर्भर करते हुए ऋण साम्य अनुपात परिवर्तनीय है।

"कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम" के संबंध में 100% ऋण राज्य सरकार के जरिए अथवा प्रत्यक्ष रूप से "सहकारी ढंग से विकसित राज्यों" में दिया जाए।

कार्यशील पूंजी	आवश्यकता-नुसार ऋण	ऋण	ऋण	आवश्यकता-नुसार ऋण	ऋण	ऋण	आवश्यकता-नुसार ऋण	ऋण	ऋण
अंश पूंजी	आवश्यकतानुसार निवेश ऋण	अंश पूंजी	–	आवश्यकतानुसार ऋण	अंश पूंजी	–	आवश्यकतानुसार निवेश ऋण	अंश पूंजी	–

* भारत सरकार से उपलब्धता के अधीन राजसहायता अन्यथा रा.स.वि.नि. से समतुल्य ऋण

ख. अवसंरचना सृजन

(i) **श्रमिक सहकारी समितियों** के लिए यथासंगत निर्माण संबंधी मशीनों और उपस्करों, औजारों तथा टैकल्स, लदान/उतराई/पैकिंग उपस्करों की खरीद

(ii) **श्रमिक सहकारी समिति द्वारा सेवा परिसर/गोदाम** जैसी अवसंरचना का सृजन

और

(iii) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय श्रमिक सहकारी समिति संघों द्वारा डाटा बैंक की स्थापना के लिए कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर और अवसंरचना।

इच्छामती नदी संबंधी कृतक बल

3834. श्री सुब्रत बोस: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी का पुनरूद्धार करने के लिए एक कृतक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतक बल द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया है और इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(घ) इच्छामती नदी का पुनरूद्धार कार्य कब तक पूरा होगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। इच्छामती बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 में एक भारत-बंगलादेश कार्य बल का गठन किया गया था। अब तक इस कार्य बल की तीन बैठकें हुईं और कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर इच्छामती नदी की साझा सीमा वाले भाग का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने के कारण, स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय क्षेत्र के भीतर 24.9 किलोमीटर की लम्बाई के लिए इच्छामती नदी के पुनरुज्जीवन के वास्ते 25.44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। अब तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 10.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

साझा सीमा वाले भाग में कार्यों का निष्पादन बंगलादेश की सहमति पर निर्भर करेगा जिसके लिए ढाका में सितम्बर, 2005 में आयोजित भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 36वीं बैठक में परिचर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल पॉल्ट्री फार्म्स

3835. श्री मुनव्वर हसन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत सेंट्रल पॉल्ट्री फार्म्स के राज्यवार नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गांवों में कुछ और फार्म स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषत: उत्तर प्रदेश से इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश में चार केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन कार्य कर रहे हैं, नामत:-

(1) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, बंगलौर, कर्नाटक (दक्षिणी क्षेत्र)।

(2) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, चण्डीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र)।

(3) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र)।

(4) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश में कोई केन्द्रीय कुक्कुट फार्म नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित फार्मों को सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से प्राप्त विचाराधीन है:-

(1) राज्य कुक्कुट फार्म, बरारी, झांसी - 68.00 लाख रुपए

(2) राज्य कुक्कुट फार्म, मिर्जापुर - 68.00 लाख रुपए

(3) राज्य कुक्कुट फार्म, मुरादाबाद - 68.00 लाख रुपए

(4) राज्य कुक्कुट फार्म, इटावा - 68.00 लाख रुपए

[अनुवाद]

लाल बाग का विकास कार्य

3836. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नवंबर-दिसंबर, 2005 के दौरान 10 करोड़ रु. की लागत से लाल बाग के विकास का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कर्नाटक के लाल बाग में विकास कार्य के लिए भारत सरकार के पास कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूध के लिए ऑक्सीटॉसीन का इस्तेमाल

3837. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिरुपति में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित दूध दुहने की प्रतियोगिता में सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऑक्सीटॉसीन का इस्तेमाल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आचरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सावधानी के तौर पर सरकार ने राज्य पशुपालन विभागों को सलाह दी है कि वे ऑक्सीटोसिन के उपयुक्त प्रयोग के बारे में तथा इस उत्पाद का इस्तेमाल पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रेक्टिशनरों की सलाह के बिना न करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किसानों को शिक्षित करें।

बागवानी और पुष्प कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3838. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत बागवानी और पुष्प कृषि अनुसंधान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: गुजरात में कुछ और उक्त केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में कार्यरत बागवानी और पुष्पोत्पादन के अनुसंधान केन्द्रों के स्थान और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें जारी की गई निधियों का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
	कर्नाटक				
1.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, (आई.आई.एच.आर.), बंगलौर	250.00	390.00	560.00	500.00
2.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर	90.00	86.00	74.00	140.00
3.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (अ.भा.स.अ.प.) उष्ण कटिबंधीय फल, अरभवी, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	14.17	8.76	11.17	7.55
4.	अ.भा.स.अ.प. उष्ण कटिबंधीय फल, बंगलौर (आई.आई.एच.आर.)	–	3.66	–	–
5.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, मुद्दिगेरे	11.44	15.71	10.02	4.53

1	2	3	4	5	6
6.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, सिरसी	15.05	6.73	3.78	2.00
7.	अ.भा.स.अ.प. - पान, बंगलौर	0.00	0.00	2.85	1.30
8.	अ.भा.स.अ.प. - काजू, चिंतामणि	9.15	9.83	11.84	9.82
9.	अ.भा.स.अ.प. - ताड़, अरसीकेरे, गंगावती	14.43	15.78	12.13	6.22
10.	अ.भा.स.अ.प. - आलू, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, (यू.ए.एस.) धारवाड़, बंगलौर	7.57	8.13	9.56	9.03
11.	अ.भा.स.अ.प. - आलू, कृषि विश्वविद्यालय, स्टेशन (यू.ए.एस.), हसन	6.27	7.66	9.68	11.58
12.	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी सुधार परियोजना, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	6.54	7.41	9.87	8.88
13.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर	0.60	0.60	0.60	0.60
14.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, आई.आई.एच.आर., बंगलौर	0.60	0.60	0.60	0.60
	हिमाचल प्रदेश				
15.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	209.00	282.00	405.00	450.00
16.	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन	83.00	124.00	135.00	170.00
17.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, सोलन	8.99	4.46	7.47	3.43
18.	अ.भा.स.अ.प. - औषधीय एवं सगंधीय पौधे, एम. एंड ए.पी.), सोलन	17.89	20.03	21.36	11.00
19.	अ.भा.स.अ.प. - खुम्बी सुधार परियोजना, सोलन	0.50	–	–	0.33
20.	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी सुधार परियोजना, सोलन	7.02	7.09	22.74	15.00
21.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, सोलन	9.53	12.28	11.72	12.01
	उत्तर प्रदेश				
22.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	200.00	220.00	250.00	300.00
23.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	175.00	222.00	279.00	365.00
24.	अ.भा.स.अ.प. - शुष्क क्षेत्र फल, फैजाबाद	15.11	16.33	16.15	7.00
25.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, कुमारगंज	10.60	7.60	8.81	3.72

1	2	3	4	5	6
26.	अ.भा.स.अ.प. - औषधीय एवं सगंधीय पौधे, फैजाबाद	17.02	13.78	16.60	10.39
27.	अ.भा.स.अ.प. - पान, लखनऊ	4.00	0.00	0.00	0.00
28.	अ.भा.स.अ.प. - आलू, फैजाबाद	7.02	9.13	9.98	9.30
29.	अ.भा.स.अ.प. - खुम्बी, एन.डी.यू.ए.टी., फैजाबाद	7.05	8.61	6.96	8.08
30.	अ.भा.स.अ.प. - कंदीय फसलें, फैजाबाद	3.95	4.28	6.60	5.29
31.	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी सुधार परियोजना, एन.डी.यू.ए.टी., फैजाबाद	10.17	7.86	13.61	11.64
32.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, (एन.बी.आर.आई.), लखनऊ	0.60	0.60	0.60	0.60
	केरल				
33.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़	230.00	205.00	270.00	360.00
34.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	164.00	228.00	243.00	250.00
35.	भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, (आई.आई.एस.आर.), कालिकट	157.00	125.00	150.00	210.00
36.	अ.भा.स.अ.प. - उष्ण कटिबंधीय फल, कनाडा, केरल कृषि विश्वविद्यालय (के.ए.यू.)	31.88	15.09	21.57	14.54
37.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, पम्बदुमपारा	7.58	7.51	8.32	4.37
38.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, पैन्नीयूर	9.25	14.23	10.73	4.53
39.	अ.भा.स.अ.प. - एम. एंड ए.पी., त्रिचूर	6.16	16.55	12.00	6.50
40.	अ.भा.स.अ.प. - काजू, मडक्कथारा	6.82	9.99	14.00	10.00
41.	अ.भा.स.अ.प. - काजू, पिलिकोडे	2.95	1.00	3.67	3.70
42.	अ.भा.स.अ.प. - खुम्बी, वैल्लनीकारा (के.ए.यू.)	7.32	5.58	–	–
43.	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी सुधार परियोजना, वैल्लनीकारा (के.ए.यू.)	9.12	10.31	22.37	13.08
44.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, वेल्लनीकारा (के.ए.यू.)	7.92	9.48	9.08	9.67
	राजस्थान				
45.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	102.00	122.00	113.00	250.00

1	2	3	4	5	6
46.	राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	62.00	154.50	196.00	300.00
47.	अ.भा.स.अ.प. - उपोष्ण फल, उदयपुर	16.41	8.58	11.10	11.62
48.	अ.भा.स.अ.प. - शुष्क क्षेत्र फल, बीकानेर	17.33	38.37	25.63	7.00
49.	अ.भा.स.अ.प. - शुष्क क्षेत्र फल, जोबनेर	28.09	26.56	20.27	9.80
50.	अ.भा.स.अ.प. - मसाले, जोबनेर	21.30	22.21	6.32	6.46
51.	अ.भा.स.अ.प. - एम. एंड ए.पी., उदयपुर	28.76	19.98	22.71	11.20
52.	अ.भा.स.अ.प. - आलू, कोटा	8.90	9.12	20.44	13.05
53.	अ.भा.स.अ.प. - खुम्बी, उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.)	9.52	8.27	6.28	7.70
54.	अ.भा.स.अ.प. - सब्जी सुधार परियोजना, दुर्गापुर	11.46	12.99	16.98	18.72
55.	अ.भा.स.अ.प. - पुष्पोत्पाद, उदयपुर (एम.पी.यू.ए.टी.)	8.92	12.02	11.64	12.63
	गुजरात				
56.	औषधीय एवं सगंधीय पौधों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	250.00	175.00	185.00	200.00
57.	उष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, गणदेवी (एन.ए.यू.)	24.42	11.70	16.03	10.85
58.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, पारिया	16.54	10.01	10.61	12.61
59.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मुन्द्रा	12.40	8.13	12.15	4.75
60.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, एस.के. नगर	12.54	13.35	12.98	6.65
61.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जगुआदान	7.30	9.79	7.62	2.52
62.	औषधीय एवं सगंधीय पौधों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, आनन्द	17.91	18.56	19.38	8.00
63.	आलू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, दीसा	11.79	13.45	15.11	19.12

1	2	3	4	5	6
64.	कंद वर्गीय फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, नक्सारी (एन.ए.यू.)	3.98	4.48	4.81	4.29
65.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जूनागढ़	11.12	10.30	14.88	13.29
	महाराष्ट्र				
66.	नीम्बू वर्गीय फलों संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	110.00	295.00	190.00	230.00
67.	अंगूर संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुणे	145.00	145.00	180.00	220.00
68.	लहसुन और प्याज संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, राजगुरूनगर	85.00	104.00	165.00	200.00
69.	अनार संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर	–	–	0.31	160.00
70.	उष्ण कटिबंधी फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अकोला, डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ	51.62	17.11	27.32	18.03
71.	उष्ण कटिबंधी फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राहूरी एवं जलगांव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	105.62	31.30	48.90	32.48
72.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, वेंगुर्ला	27.25	18.01	12.37	11.50
73.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, पुणे	8.00	9.05	8.90	8.50
74.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राहूरी	20.04	10.01	10.62	12.61
75.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राहूरी	28.82	19.99	18.65	9.75
76.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, डपोली	10.39	12.23	7.03	3.73
77.	एम. तथा ए.पी. पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अकोला	11.54	10.63	11.29	9.50
78.	पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, सांगली	5.41	11.14	10.63	5.55

1	2	3	4	5	6
79.	काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, वेंगुर्ले	6.04	8.08	5.04	8.15
80.	ताड़ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भटाइ मुल्दी	22.40	10.51	4.73	20.18
81.	कंद फसल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, डपोली	7.95	8.18	9.34	9.07
82.	खुम्बी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, पुणे	8.01	7.99	5.03	7.50
83.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अम्बाजोगई	7.98	9.07	11.88	11.55
84.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राहूरी	18.45	17.54	26.29	22.35
85.	पुष्प विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, पुणे	18.72	26.78	27.29	26.99
	आन्ध्र प्रदेश				
86.	तेलताड़ संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पेडावेगी	161.00	133.00	225.00	210.00
87.	उष्ण कटिबंधी फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, तिरूपती तथा कौवूर, आ.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	72.28	25.63	37.36	24.61
88.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, संगारेड्डी	27.48	14.32	13.60	14.50
89.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राजेन्द्रनगर (ए.एन.जी.ए.आर.यू.)	27.56	25.59	11.73	13.24
90.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अनन्तपुर	12.24	15.43	12.50	4.75
91.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, चिन्तापल्ले	3.90	1.13	4.1	2.52
92.	पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना बापतला	5.48	5.88	5.24	5.42
93.	काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना बापतला	6.20	8.38	13.36	7.83

1	2	3	4	5	6
94.	ताड़ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अम्बाजीपेटा, विजयाराय, रामापचोदावरम	15.66	19.03	27.10	15.37
95.	कंद फसल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, राजेन्द्रनगर (ए.एन.जी.आर.ए.यू.)	17.02	19.63	19.41	18.49
96.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, लम	6.42	7.27	9.69	7.20
97.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, हैदराबाद	7.28	13.02	17.19	16.77
98.	पुष्प विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, हैदराबाद	11.91	15.35	13.72	14.81
	तमिलनाडु				
99.	केला संबंधी संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, त्रिची	95.00	159.00	200.00	210.00
100.	उष्ण कटिबंधी फल पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर तथा पेरियाकुलम	59.85	28.48	40.55	27.50
101.	उपोष्ण फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, परियाकुलम	6.26	9.01	6.77	7.18
102.	शुष्क क्षेत्र फल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अरूपोकोट्टई	20.94	26.65	15.16	6.75
103.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, येरकौड	4.95	5.22	5.61	2.43
104.	मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, सिरूगामणी	3.25	5.25	5.86	2.61
105.	पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान, परियोजना, सिरूगामणी	4.70	7.94	6.24	4.50
106.	काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान, परियोजना वृद्धांचलम	5.44	6.24	8.36	8.06
107.	ताड़ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान, परियोजना अलियारनगर	18.08	32.48	45.59	43.19
108.	खुम्बी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, कोयम्बटूर	12.29	4.14	6.00	4.50

1	2	3	4	5	6
109.	कंदीय फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कोयम्बटूर (टी.एन.ए.यू.)	9.80	10.78	13.33	10.64
110.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कोयम्बटूर (टी.एन.ए.यू.)	18.46	16.44	32.21	18.99
111.	पुष्पविज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कोयम्बटूर (टी.एन.ए.यू.)	13.95	25.38	21.00	20.07
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
112.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	290.00	268.00	270.00	300.00
113.	कंदीय फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, पोर्ट ब्लेयर	–	–	–	–
	जम्मू एवं कश्मीर				
114.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	113.00	154.00	174.00	200.00
115.	आलू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, श्रीनगर	8.90	9.34	21.76	10.65
116.	सब्जी सुधार परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, श्रीनगर	6.63	7.52	10.04	7.53
117.	पुष्पविज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, एस.के.यू.ए.एस.टी., श्रीनगर	6.77	8.11	9.79	7.82
	सिक्किम				
118.	आर्किड संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाकयोंग	94.00	140.00	130.00	200.00
	बिहार				
119.	रा. लीची अनुसंधान केन्द्र, मुज्जफरपुर	61.00	71.00	81.00	300.00
120.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, (आर.ए.यू.), पूसा	45.82	12.01	17.65	11.92
121.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल, साबौर	33.10	41.52	12.22	14.21
122.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मसालें, धौली	6.00	1.60	2.43	2.52
123.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, पूसा (आर.ए.यू.)	5.36	5.73	4.75	4.50

1	2	3	4	5	6
124.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, इस्लामपुर	–	--	2.23	4.50
125.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, धौली	5.90	7.95	9.49	8.92
126.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कन्द्रीय फसलें, धौली	27.27	10.71	24.7	20.04
127.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, साबौर	13.74	15.58	38.93	19.80
	छत्तीसगढ़				
128.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मसालें, रायगढ़	12.79	8.59	7.03	3.73
129.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, रायपुर	7.44	7.85	10.25	9.30
130.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-काजू, जगदलपुर	2.36	3.15	3.87	2.79
131.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पाम, जगदलपुर	5.66	0.81	–	3.00
132.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कन्द्रीय फसलें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	7.80	7.68	6.27	8.59
133.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-खुम्भी सुधार परियोजना, रायपुर	6.47	10.55	5.84	8.70
134.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, रायपुर	6.63	7.52	11.26	7.50
	पंजाब				
135.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उष्ण फल, लुधियाना, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, (पी.ए.यू.)	34.73	12.53	21.44	8.21
136.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल, लुधियाना, (पी.ए.यू.)	30.05	8.68	9.37	9.38
137.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-शुष्क क्षेत्र फल, अबोहर (पी.ए.यू.)	12.88	8.58	6.60	3.25

1	2	3	4	5	6
138.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-खुम्बी सुधार परियोजना, लुधियाना (पी.ए.यू.)	19.01	8.47	9.64	10.00
139.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, लुधियाना (पी.ए.यू.)	27.70	26.84	69.96	33.06
140.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पों उत्पादन, लुधियाना (पी.ए.यू.)	11.63	13.81	11.99	12.17
	पश्चिमी बंगाल				
141.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उष्ण फल, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, (बी.सी.के.वी.वी.) मोहनपुर	15.62	10.81	13.41	8.79
142.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, (बी.सी.के.वी.वी.), मोहनपुर	10.99	9.92	8.73	11.30
143.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मसालें, पुण्डीबारी	6.39	8.45	5.54	3.73
144.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एम. एवं ए.पी. कल्याणी (बी.सी.के.वी.वी.)	–	–	–	2.30
145.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, कल्याणी (बी.सी.के.वी.वी.)	9.08	7.60	11.30	5.60
146.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-काजू, झारग्राम	4.12	1.77	3.77	4.50
147.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पाम मोन्डोरी	5.75	7.04	6.85	6.75
148.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, कल्याणी (बी.सी.के.वी.वी.)	12.16	17.96	17.74	20.07
149.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कन्द्रीय फसलें (बी.सी.के.वी.वी.)	13.20	9.48	21.70	18.16
150.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, कल्याणी (बी.सी.के.वी.वी.)	7.50	8.51	12.71	7.79
151.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पोत्पादन विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय (बी.सी.के.वी.वी.), कल्याणी	21.81	27.32	26.97	28.02

1	2	3	4	5	6
	उत्तरांचल				
152.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल, गोविन्द्र बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	10.99	9.68	10.13	10.13
153.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एम. एण्ड ए.पी., पंतनगर (जी.बी.पी.यू.ए. एण्ड टी.)	–	–	7.09	5.30
154.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, कल्याणपुर (जी.बी.पी.यू.ए. एण्ड टी.)	20.59	13.37	36.19	16.89
155.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, पंतनगर (जी.बी.पी.यू.ए. एण्ड टी.)	15.07	11.23	21.50	14.04
156.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पोत्पादन, पंतनगर (जी.बी.पी.यू.ए. एण्ड टी.)	2.66	9.19	8.81	7.51
	असम				
157.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उष्ण फल तिनसुखिया एवं जोरहाट, असम कृषि विश्वविद्यालय (ए.ए.यू.)	25.74	26.67	34.57	22.52
158.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, जोरहाट (ए.ए.यू.)	5.49	4.14	9.07	4.80
159.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, जोरहाट (ए.ए.यू.)	9.38	9.67	12.38	11.28
160.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कन्द्रीय फसलें जोरहाट (ए.ए.यू.)	10.75	9.78	9.54	10.40
161.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पाम, गोहाटी (ए.ए.यू.)	5.66	5.60	16.61	3.63
162.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, जोरहाट (ए.ए.यू.)	6.63	12.52	25.00	7.89
163.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-गोहाटी (ए.ए.यू.)	9.40	12.84	12.24	11.71
	झारखण्ड				
164.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-खुम्बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बी.ए.यू.), रांची	0.13	0.47	0.19	0.30

1	2	3	4	5	6
165.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कन्द्रीय फसलें, -रांची (बी.ए.यू.)	4.95	4.33	7.90	4.29
166.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पोत्पादन (बी.ए.यू.), रांची	2.33	7.51	5.19	5.54
	उड़ीसा				
167.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मसालें, पोतंगी, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओ.यू.ए. एण्ड टी.), भुवनेश्वर	1.00	0.95	5.96	2.81
168.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, भुवनेश्वर (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	6.07	7.17	8.59	4.60
169.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-काजू, भुवनेश्वर (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	14.41	9.65	11.70	12.25
170.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पाम, भुवनेश्वर (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	12.05	5.87	6.00	3.23
171.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू भुवनेश्वर (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	9.33	14.30	14.55	11.28
172.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी, सुधार परियोजना, भुवनेश्वर (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	30.74	15.58	24.75	19.05
173.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पात्पादन, आर.पी.आर.सी. भुवनेश्वर, (ओ.यू.ए. एण्ड टी.)	8.32	10.95	9.61	10.28
	मध्य प्रदेश				
174.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, छिन्दवाड़ा	9.36	11.04	14.66	11.31
175.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एम. एवं ए.पी., इन्दौर	46.61	17.43	6.67	–
176.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एम. एवं ए.पी., मंदसौर	12.09	18.98	25.93	9.50
177.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पान, जबलपुर	5.41	12.40	10.10	5.00

1	2	3	4	5	6
178.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-उपोष्ण फल, रीवा	16.02	18.98	8.25	8.25
179.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, जबलपुर	9.18	10.37	23.31	15.60
	हरियाणा				
180.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मसालें, हिसार (सी.सी.एस.एच.ए.यू.)	5.36	8.02	7.09	3.08
181.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एम. एवं ए.पी. हिसार (सी.सी.एस.एच.ए.यू.)	7.82	12.06	15.97	13.33
182.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आलू, हिसार (सी.सी.एस.एच.ए.यू.)	11.25	15.14	20.02	16.98
183.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-शुष्क क्षेत्र फल, बावल (सी.सी.एस.एच.ए.यू.)	14.78	24.10	16.94	9.75
184.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-सब्जी सुधार परियोजना, हिसार (सी.सी.एस.एच.ए.यू.)	6.63	7.51	10.49	9.75
	मेघालय				
185.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-खुम्बी, बड़ापानी	–	2.97	–	–
186.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पोत्पादन, उमियाम	0.60	0.60	0.60	0.60
	दिल्ली				
187.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-पुष्पोत्पादन समन्वयक सैल, पुष्पोत्पादन एवं लैण्ड सकैपिंग प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	4.50	5.00	6.40	6.10

पाकिस्तानी भेषज उद्योग के साथ सहयोग

3839. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान भेषज उद्योग ने मदद और सहायता हेतु भारतीय सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी भेषज उद्योग द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार के कर्मचारियों की बकाया राशि

3840, श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार के कर्मचारियों की सभी बकाया राशि और क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन बकाया राशियों का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु और आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सुपर बाजार के परिसमापक ने सूचित किया है कि सुपर बाजार को बंद करने के आदेश के पश्चात सुपर बाज़ार के कर्मचारियों को एक स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम की पेशकश की गई थी। 1943 कर्मचारियों में से केवल 851 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम को स्वीकार किया और उनके बकाए और मुआवजे का निपटान कर दिया गया। शेष कर्मचारियों ने स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम को विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इन याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने अंतत: 17-5-2004 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात सुपर बाजार सहकारी कर्मचारी संघ ने लैटर्स पेटेंट अपील दायर की जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7-2-2005 को खारिज कर दिया। सुपर बाजार सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

(घ) सरकार ने शेष बचे कर्मचारियों के बकाये और मुआवजे के निपटान हेतु निधियां आवंटित की हैं। परिसमापक ने सूचित किया है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं 15-5-2003 से समाप्त कर दी गई थीं वे अपने बकाए पाने के लिए "नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट" के साथ आगे नहीं आ रहे हैं।

(ङ) बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत उन कर्मचारियों का पुनर्वास करने का कोई प्रावधान नहीं है जो सुपर बाजार के बंद होने के पश्चात् बेरोजगार हो गए थे। तथापि, सुपर बाजार, दिल्ली को बंद करने के आदेश के पश्चात् बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के तहत एक मुआवजे के पैकेज की पेशकश की गई है।

[हिन्दी]

बायो-एजेन्ट प्रयोगशालाएं

3841. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बायो-एजेन्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कुछ सरकारों विशेषत: उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बायो-एजेन्ट प्रयोगशालाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वृहद प्रबंधन योजना के अंतर्गत 5.60 करोड़ रु. की लागत से आठ समेकित कीट प्रबंधन (जैव-नियंत्रण) प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 2005-06 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

किसानों हेतु पैकेज

3842. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषत: केरल सरकार ने अपने राज्यों में किसानों हेतु पैकेज के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर हाल ही में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कृषि से संबंधित मुद्दा भी शामिल है। कृषि से संबंधित मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - मूल्य समर्थन योजना का क्षेत्र विस्तार, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बारहमासी फसलों

को शामिल करना, कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कटौती, मण्डी हस्तक्षेप सब्सीडी, रूटविल्ट से प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन, नारियल की उत्पादकता में वृद्धि, सुपाड़ी किसानों की समस्यायें जो कि पीली पत्ती रोग से प्रभावित सुपाड़ी पामों से संबंधित है।

(ग) सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं जैसे कि कृषि में बृहद प्रबंधन, नारियल विकास बोर्ड की योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि का कार्यान्वयन करते हुए केरल सरकार को धन जारी किया है। सरकार ने केरल समेत देश के किसानों की मदद के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। इनमें शामिल है - (i) 25 कृषि जिंसों के लिए मूल्य समर्थन स्कीम का प्रचालन (ii) 18 जनवरी, 2004 से वृहद ऋण नीति की घोषणा और क्रियान्वयन जिसमें तीन साल के भीतर कृषि क्षेत्र में ऋण को दुगुना करना और संकट ग्रस्त/बकाया ग्रस्त किसानों के लिए ऋणों की रिस्ट्रक्चरिंग करना और छोटे और सीमांत किसानों के अत्यन्त पुराने ऋणों एवं लम्बे समय से निपटान न होने वाले ऋणों के लिए एकबारगी निपटान योजना चलाना (iii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के अनुरोध पर सुपाड़ी और काली मिर्च समेत बागवानी और कृषि जिंसों की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन करना। वास्तव में सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध पर 15-2-2005 से 15-4-2005 तक 7000 रु. प्रति क्विंटल की दर से 5050 मीटरी टन काली मिर्च की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केरल में अवस्थित नारियल विकास बोर्ड ने 24.85 करोड़ रु. की धनराशि पहले ही जारी की है और 91.10 लाख रु. वर्ष 2004-05 में केवल सुपाड़ी के रोगग्रस्त पामों के उन्मूलन के लिए जारी किए गए थे। सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना (2005-06) को अनुमोदित कर दिया है और केरल राज्य सरकार को 30-33 करोड़ रु. जारी भी कर दिया है।

परिवारों का पुनर्वास

3843. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में रह रहे परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्राप्त किया गया है। फेज-I के अंतर्गत 201 परिवारों को पुन: स्थापित करने हेतु पुनर्वास परियोजना की कुल लागत 23.19 करोड़ रुपए है। भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से 18.35 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और बजटीय प्रावधानों की कार्य विधि और विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

3844. श्री रामदास आठवले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में कितनी बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और परियोजनावार अनुमानित लागत और सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और निर्धारित समय में बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनावार इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना हेतु आबंटित धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) देश में 1-4-2004 तक जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं सहित 169 वृहद एवं 219 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा सिंचाई क्षमता सहित राज्यवार एवं परियोजनावार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और इसकी आयोजना, क्रियान्वयन, वित्तपोषण, प्रचालन एवं रखरखाव का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है जिसे वे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा करती हैं। सिंचाई परियोजनाओं का पूरा

होना अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई आयोजना एवं बजटीय आबंटन पर निर्भर करता है। सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण समस्या, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मामले, वन भूमि संबंधी स्वीकृति, न्यायालीय मुकदमें, संविदात्मक समस्याएं आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसके दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक परियोजना के लिए जल संसाधन मंत्रालय के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है जिसमें परियोजना की शेष लागत, शेष क्षमता, इसकी वर्षवार स्थिति और पूरा करने की लक्षित तारीख के 4 वित्तीय वर्ष में पूरा करने का करार देना होता है। इन दिशानिदशों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अपेक्षित ऋण घटक सहित केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए अनुदान घटक को भारत सरकार द्वारा इसके जारी किए जाने के 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाना है।

विवरण

दिनांक 1-4-2004 तक दसवीं योजना में जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं सहित चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

(रुपये करोड़ में/क्षमता हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना	अनुमानित लागत		मार्च, 2004 तक संभावित व्यय	चरम क्षमता	मार्च, 2004 तक सृजित संभावित क्षमता	लाभान्वित जनजातीय क्षेत्र	पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष
		मूल	नवीनतम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	नागार्जुनसागर	91.12	1184.00	1130.86	895.00	809.44	टी	दसवीं योजना
2.	श्रीराम सागर	40.10	2663.39	2497.75	392.00	406.84	टी	दसवीं योजना
3.	पुईबेदुला शाखा नहर	2.98	93.87	74.99	24.28	16.79		दसवीं योजना
4.	वन्सधारा चरण I	8.78	109.00	108.41	59.99	57.16	टी	दसवीं योजना
5.	सिंगुर	104.36	180.00	167.63	16.19	0.00		दसवीं योजना
6.	सोमसिला	17.20	500.00	488.38	167.54	133.96		दसवीं योजना
7.	वन्सधारा चरण II फेज I	123.94	123.94	47.97	25.20	11.02	टी	दसवीं योजना से आगे
8.	जुराला		545.82	594.26	41.38	41.18		दसवीं योजना
9.	श्रीसैलम एल.बी.सी		1260.00	622.10	109.25	0.00		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	श्रीसैलम आर.बी.सी.	220.20	1979.00	1207.84	76.89	30.00		दसवीं योजना से आगे
11.	तेलगू गंगा		3100.00	1758.36	232.70	92.43		दसवीं योजना
12.	येलेरू जल आपूर्ति स्कीम		484.54	343.62	58.28	0.00	टी	दसवीं योजना
13.	वम्सधारा चरण II फेज I		739.49	23.45	23.71	0.00		दसवीं योजना
14.	चंगालनाडु एल.आई.एस.	43.05	70.70	59.87	14.17	12.80	टी	दसवीं योजना
15.	गलेरू नगारी फेज I		4560.00	23.77	131.58	0.00		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	651.73	17593.75	9149.26	2268.16	1612.52		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	कानुपुर	0.70	32.50	20.07	25.45	7.09		दसवीं योजना से आगे
2.	गुडालवागु	1.16	15.85	10.88	1.05	0.00	टी	दसवीं योजना
3.	झंझावती		103.62	30.71	9.57	0.00		दसवीं योजना
4.	मेदीगेड्डा	1.55	10.90	7.59	2.43	1.11	टी	दसवीं योजना
5.	मद्दुयलासा	8.46	115.23	122.34	10.00	9.39		दसवीं योजना
6.	येराकलाया	46.52	81.20	68.66	10.00	3.84	टी	दसवीं योजना
7.	मद्दीलेरू	28.56	50.28	49.30	5.26	3.85		दसवीं योजना
8.	पालेमवागु		33.29	0.00	4.10	0.00		दसवीं योजना
9.	पेड्डेरू		38.41	37.22	17.46	9.60	टी	दसवीं योजना
	कुल मध्य परियोजनाएं	86.95	481.28	346.77	85.32	34.88		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	738.68	18075.03	9496.03	2353.48	1647.40		

असम

(क) वृहद परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बोरदीकराई	3.56	49.94	43.17	34.00	34.62	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	एकीकृत कोलाग	4.57	113.93	57.90	34.40	30.40		दसवीं योजना से आगे
4.	चम्पामती	15.32	128.67	61.30	25.00	6.44	टी	दसवीं योजना
5.	पगलादिया	542.90	1030.00	51.63	54.10	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	582.18	1677.54	393.42	230.87	107.09		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	कालोंग	0.51	5.54	3.71	2.69	0.50	टी	दसवीं योजना
2.	बूढ़ीदिहंग	1.14	27.39	10.81	5.05	2.40	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	पाहुमारा	5.00	46.16	34.63	12.96	16.35	टी	दसवीं योजना
4.	बोरोलिया	6.77	69.32	44.35	13.56	2.80	टी	दसवीं योजना
5.	हवाईपुर लिफ्ट	1.99	14.93	9.21	3.04	2.08	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्य परियोजनाएं	15.41	163.34	102.71	37.30	24.13		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	597.59	1840.88	496.13	268.17	131.22		
	बिहार							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	पश्चिमी कोसी नहर	13.49	904.01	592.60	203.00	39.48		दसवीं योजना
2.	बट्टेश्वर स्थान पंप नहर फेज I	13.88	180.00	52.63	24.4	0.00		दसवीं योजना
3.	दुर्गावती जलाशय स्कीम	25.30	379.04	246.56	51.83	0.00		दसवीं योजना
4.	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना		1118.00	585.41	105.9	52.00	टी	दसवीं योजना
5.	तिलैया धाधर डाइवर्जन		398.81	78.37	48.60	0.00		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना	8.07	159.16	143.45	27.67	18.50		दसवीं योजना
7.	बरनार	8.03	308.00	134.47	24.94	5.00		दसवीं योजना से आगे
8.	पूर्वी कोसी नहर चरण II		156.32	114.78	60.00	0.00		दसवीं योजना
9.	गडक फेज II		578.27	116.05	236.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
	-बाणसागर बांध	22.83	263.00	142.45	0.00	0.00		दसवीं योजना
	कुल वृहद योजनाएं	91.60	4444.61	2206.77	782.34	114.96		
	(क) मध्यम परियोजना							
1.	बताने	4.01	57.00	43.72	9.87	7.38	टी	दसवीं योजना
2.	ओरनी जलाशय परियोजना	2.96	74.89	59.45	9.60	9.50		दसवीं योजना से आगे
3.	सिदवारनी	4.45	48.32	10.72	9.38	0.00		दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	11.42	180.21	113.89	28.85	16.88		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	103.02	4624.82	2320.66	811.19	131.86		
	झारखण्ड							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	अजॉय बैराज		351.85	203.44	40.13	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
2.	औरंगा	125.40	914.24	37.26	55.40	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	कोनार		348.38	115.81	62.80	0.00		दसवीं योजना से आगे
4.	सुबर्णरेखा		2869.76	985.67	236.85	0.61		दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	पुनासी		185.82	81.25	24.00	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	125.40	4670.05	1423.43	419.18	0.61		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	गुमानी	3.84	125.00	70.22	12.75	0.00	टी	दसवीं योजना
2.	झरझारा	4.47	49.87	1.97	4.05	0.00	टी	दसवीं योजना
3.	कसजोर	8.66	52.97	38.11	6.28	4.03	टी	दसवीं योजना
4.	तोराई (अस्थागित)	2.96	62.57	24.60	8.00	0.00	टी	दसवीं योजना
5.	कंस (अस्थागित)	1.37	44.18	18.79	3.73	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
6.	सोनुआ	8.92	79.24	46.13	8.01	0.00	टी	दसवीं योजना
7.	सुरू	3.12	36.00	7.77	3.97	0.00	टी	दसवीं योजना
8.	ऊपरी शंख	9.19	105.44	48.04	7.07	0.00	टी	दसवीं योजना
9.	कतरी		51.08	45.33	4.97	4.82	टी	दसवीं योजना
10.	केसो (संशोधित प्राक्कलन स्तर)	16.14	48.61	8.54	3.80	0.00		दसवीं योजना से आगे
11.	नाटकी	0.71	35.16	13.93	2.32	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
12.	पंचखेरो	9.55	54.73	16.19	2.80	0.00		दसवीं योजना
13.	राम रेखा		53.87	5.25	4.39	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
14.	सुरंगी	2.15	57.42	29.60	2.60	0.00	टी	दसवीं योजना
15.	धनसिंगतोली		29.52	24.36	2.99	2.00	टी	दसवीं योजना
16.	भाईरवा जलाशय	20.19	67.27	21.54	4.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
17.	सलाइया (संशोधित प्राक्कलन स्तर)		36.56	0.11	4.64	0.00		दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	बासुकि (पुनः विचारित)		55.00	0.16	5.67	0.00	टी	दसवीं योजना
19.	सतपोटका		33.45	0.75	2.35	0.00	टी	दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	91.27	1077.94	421.39	94.39	10.85		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	216.67	5747.99	1844.81	513.57	11.46		
	गोवा							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	सलौली सिंचाई परियोजना	9.61	160.00	157.18	14.33	12.13	टी	दसवीं योजना
	-तिल्लारी (आई.एस.)/ गोवा का हिस्सा	159.22	806.56	344.43	12.56	1.08		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	168.83	966.56	501.61	26.89	13.21		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	168.83	966.56	501.61	26.89	13.21		
	गुजरात							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	सरदार सरोवर (आई.एस.)	6406.04	30823.00	16659.28	1792.00	251.11	टी	दसवीं योजना से आगे
2.	जनखरी	18.70	90.00	5.07	17.54	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	सिदम्बर		205.35	0.36	17.41	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	6424.74	31118.35	16664.71	1826.95	251.11		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	मुक्तेश्वर	5.37	46.00	44.10	4.79	5.69	टी	दसवीं योजना
2.	उंद-II	9.24	64.00	62.32	5.31	1.95		दसवीं योजना
3.	गोमा	47.59	47.59	12.87	4.89	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	कोल्लियारी		26.00	19.38	1.91	0.15	टी	दसवीं योजना से आगे
5.	ओजट II	81.08	86.20	74.19	9.40	3.20		दसवीं योजना
6.	वरतु II		57.15	56.06	6.17	5.30		दसवीं योजना
7.	लिंबडी भोगावो II		41.41	36.81	4.51	0.50		दसवीं योजना से आगे
8.	अजी IV	31.60	111.77	91.25	3.75	0.93		दसवीं योजना
9.	बकरोल		23.86	4.97	4.50	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
10.	भादर II	73.08	119.30	78.69	8.57	0.50		दसवीं योजना से आगे
11.	डेमी III		36.00	38.37	2.60	0.15		दसवीं योजना से आगे
12.	गुंडा (उतावली)		37.00	31.13	1.94	0.00		दसवीं योजना से आगे
13.	मेन		8.72	0.59	6.48	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
14.	सिंगर		20.00	5.55	2.20	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
15.	वाराणसी	12.66	19.60	12.75	1.81	0.00		दसवीं योजना
16.	कुंताली		43.99	5.18	3.16	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
17.	ब्राह्मणी II	41.50	41.50	5.74	2.06	0.00		दसवीं योजना
18.	चिंचाई एल.आई.एस.	13.35	13.35	11.00	7.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	315.47	843.44	590.95	81.05	18.37		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	6740.21	31961.79	17255.66	1908.00	269.48		
	हरियाणा							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	रेवाड़ी लिफ्ट चरण II	0.62	39.60	43.25	8.00	0.20		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	लोहारू लिफ्ट	4.13	75.53	45.58	82.00	73.00		दसवीं योजना
3.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	40.00	245.75	190.27	164.00	95.00		दसवीं योजना
4.	सतलज यमुना संपर्क परियोजना (पंजाब हिस्सा)		601.25	491.72		कोई सीधा लाभ नहीं		दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	44.75	962.13	770.82	254.00	168.00		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	44.75	962.13	770.82	254.00	168.00		
	हिमाचल प्रदेश							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	143.32	203.84	82.29	24.76	0.96		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	143.32	203.84	82.29	24.76	0.96		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	सिधाता परियोजना	33.62	42.49	7.48	5.35	0.15		दसवीं योजना
2.	चेंजर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	28.37	42.24	3.25	3.04	0.00		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	61.99	84.73	10.73	8.39	0.15		
	कुल (वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं)	205.31	288.57	93.02	33.15	1.11		
	जम्मू एवं कश्मीर							
	(क) मध्यम परियोजनाएं							
1.	लेथपोरा लिफ्ट	0.95	10.04	8.85	3.20	2.46		दसवीं योजना
2.	मारवल लिफ्ट	2.41	25.16	21.82	11.42	3.56		दसवीं योजना
3.	निव-करेवा	0.94	4.50	3.12	4.20	0.00		आस्थगित परियोजना
4.	राजपोरा लिफ्ट	2.13	31.64	13.10	2.43	0.00		दसवीं योजना
5.	त्राल लिफ्ट	6.13	70.33	23.48	6.00	0.00		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	रफियाबाद लिफ्ट	35.60	35.60	27.37	2.93	0.00		दसवीं योजना
7.	इगे.फे सिंचाई परियोजना	5.95	49.03	45.33	4.37	4.32		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	54.11	226.30	143.07	34.55	10.34		
	कुल (वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं)	54.11	226.30	143.07	34.55	10.34		
	कर्नाटक							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	काबिनि		1233.00	388.99	94.43	41.09	टी	दसवीं योजना
2.	तुगभदा एच.एल.सी. (आई.एस.)	2.57	111.80	76.26	74.47	72.44		दसवीं योजना
3.	मलप्रभा	19.91	816.00	727.88	220.03	188.69		दसवीं योजना
4.	हरांगी		400.00	332.20	54.59	41.77	टी	दसवीं योजना
5.	हेमावती		3710.00	1523.80	283.60	175.90		दसवीं योजना
6.	करंजा	98.00	415.00	366.90	35.61	22.09		दसवीं योजना
7.	यू.के.पी. चरण I	58.20	5613.83	5192.06	458.89	400.09		दसवीं योजना
8.	यू.के.पी. चरण II	2358.86	2954.58	2382.45	226.69	60.53		दसवीं योजना से आगे
9.	हिप्पारगी		901.00	57.15	74.74	0.00		दसवीं योजना
10.	बेन्नीथोरा	73.25	267.24	222.12	20.23	8.50		दसवीं योजना
11.	वराही		275.00	32.80	15.70	0.00		दसवीं योजना
12.	यागाची		302.50	149.83	21.45	19.46		दसवीं योजना
13.	ऊपरी तुंगा		1052.33	233.87	94.70	0.00		दसवीं योजना
	-दूधगंगा (आई.एस.)		124.00	56.41	15.17	0.00		दसवीं योजना
14.	सिंगतलुर		595.00	25.92	47.75	0.00		दसवीं योजना
15.	भीमा लिफ्ट		194.47	11.11	24.29	0.00		दसवीं योजना
16.	मार्केंड्य		209.85	163.59	19.15	0.00		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	2610.79	19175.60	11943.34	1781.49	1020.56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	मनचनावेले	2.37	74.65	71.61	2.43	1.31		दसवीं योजना
2.	अमरजा	5.70	109.43	100.11	8.90	7.80		दसवीं योजना
3.	अरकावथी		110.00	80.55	6.23	0.00		दसवीं योजना
4.	लोअर मुल्लामरी	8.37	134.06	123.79	9.71	7.67		दसवीं योजना
5.	छलफीनाला	3.80	70.00	64.46	4.05	4.05		दसवीं योजना
6.	वोतेहोल	2.05	52.50	47.69	7.49	7.49		दसवीं योजना
7.	हीरेहल्ला	6.35	175.00	169.59	8.33	2.81		दसवीं योजना
8.	उड्डथोरेहल्ला		156.10	136.76	6.60	2.00		दसवीं योजना
9.	इग्गालुर		69.65	51.32	4.05	2.80		दसवीं योजना
10.	कमासामुदा		28.75	21.50	5.13	0.80		दसवीं योजना
11.	होदिरयानाहल्ला		9.20	0.49	0.00	0.00		दसवीं योजना
12.	हच्चानाकोपलु		27.50	14.82	3.36	0.00		दसवीं योजना
13.	गांदोरीनाला	7.71	132.95	101.74	8.09	0.74		दसवीं योजना
14.	बासापुर लिफ्ट		19.50	1.55	2.27	0.00		दसवीं योजना
15.	इतागी-ससलयाद		18.50	0.62	1.98	0.00		दसवीं योजना
16.	कंचानाहल्ली		88.30	3.00	5.10	0.00		दसवीं योजना
17.	हरिनाला		55.56	37.20	3.46	0.00		दसवीं योजना
18.	नंजापुरा		31.60	6.53	4.05	0.00		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	36.35	1363.25	1033.33	91.23	37.47		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	2647.14	20538.85	12976.67	1872.72	1068.03		

केरल

(क) वृहद परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	इदमल्यार		412.00	145.78	29.04	0.00		दसवीं योजना
4.	करियारकुट्टी		197.00	18.36	34.98	8.00	टी	दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	61.36	1884.80	1284.02	190.86	84.35		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	अट्टापडी		161.00	10.96	9.38	0.00		दसवीं योजना
2.	कारापुझा	7.60	253.00	202.24	8.72	1.74		दसवीं योजना
3.	वनसुरासागर		50.00	12.88	4.74	0.00		दसवीं योजना
4.	वामनापुरम	36.40	260.00	10.16	8.03	0.00		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	44.00	724.00	236.23	29.87	1.74		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	105.36	2608.80	1520.25	220.73	86.09		
	मध्य प्रदेश							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	कोलार	25.75	195.60	185.20	60.90	38.00		दसवीं योजना
2.	सिंघ फेज I	4.95	74.00	72.97	44.90	30.30		दसवीं योजना से आगे
3.	बाणसागर बांध (मध्य प्रदेश हिस्सा)	45.65	880.72	815.86		0.00		दसवीं योजना
4.	बाणसागर नहर	344.66	742.50	269.12	249.36	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
5.	बरियापुर एल.बी.सी.	18.40	191.34	118.86	43.85	0.00		दसवीं योजना से आगे
	-राजघाट बांध	62.00	150.00	135.88		0.00		दसवीं योजना
6.	राजघाट नहर		645.66	568.04	121.45	42.20		दसवीं योजना से आगे
7.	रानी अवंती बाई सागर (एन.वी.डी.ए.)		1478.64	890.06	219.80	62.90	टी	दसवीं योजना से आगे
	-बावनथाडी (आई.एस.)	89.78	194.99	169.06	29.41	0.00		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	महान	140.51	155.10	44.70	19.74	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
9.	इंदिरा सागर (एन.वी.डी.ए.)	752.16	5150.00	1802.93	169.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
10.	जोबट (एन.वी.डी.ए.)	30.75	117.45	107.57	9.85	0.20	टी	दसवीं योजना
11.	माही	27.10	266.00	136.26	26.43	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
12.	मान (एन.वी.डी.ए.)	44.10	167.41	152.35	15.00	2.00	टी	दसवीं योजना से आगे
13.	सिंध फेज II	510.94	1079.90	352.75	162.00	25.06		दसवीं योजना से आगे
14.	वारगी डाइवर्जन (एन.वी.डी.ए.)	1101.23	2604.50	177.23	245.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
15.	ओंकारेश्वर (एन.वी.डी.ए.)	1784.29	3134.37	85.54	283.32	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
16.	पेच डाइवर्जन		549.65	10.97	78.50	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	4982.27	17777.83	6095.35	1778.51	200.66		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	कालियासोट	9.33	69.52	44.11	6.10	2.49		दसवीं योजना से आगे
2.	कुंवारी लिफ्ट	1.03	5.31	0.40	3.90	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	महुआर		57.68	4.50	13.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
4.	सागर	10.63	31.99	1.39	12.50	0.00		दसवीं योजना से आगे
5.	वाह	13.98	54.30	3.88	13.60	0.00		दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	34.97	218.80	54.28	49.10	2.49		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	5017.24	17996.63	6149.63	1827.61	203.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	छत्तीसगढ़							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	महानदी जलाशय परियोजना	566.88	644.77	487.10	304.20	252.46		दसवीं योजना
2.	जोंक डाइवर्जन	4.13	53.51	46.04	14.57	11.40		दसवीं योजना
3.	हसदेववांगो फेज III	115.30	1043.88	972.45	392.00	320.67		दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	686.31	1742.16	1505.59	710.77	584.53		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	बरनई	4.26	29.46	20.07	2.82	1.84	टी	दसवीं योजना
2.	कोसेरटेडा	6.02	60.84	29.98	11.12	0.00	टी	दसवीं योजना
3.	सुतियापट		46.95	8.23	6.96	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
4.	ऊपरी जोंक		9.10	1.27	0.81	0.00	टी	दसवीं योजना
5.	खरखारा मोधीपट नहर		43.82	17.16	.12.14	0.02	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	10.28	190.17	76.71	33.85	1.86		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	696.59	1932.33	1582.30	744.62	586.39		
	महाराष्ट्र							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	भीमा	42.58	1405.67	1115.39	259.54	214.89		दसवीं योजना
2.	कृष्णा	27.66	559.01	397.42	113.25	87.96		दसवीं योजना
3.	कुकाडी	17.90	1430.78	1097.75	156.28	132.30	टी	दसवीं योजना
4.	खडगवासला	11.62	343.87	283.60	62.15	61.52	टी	दसवीं योजना
5.	ऊपरी तापी	12.09	230.76	140.48	55.14	51.86	टी	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	वर्ना		1150.98	365.17	148.96	2.05	टी	दसवीं योजना से आगे
7.	ऊपरी गोदावरी	14.20	189.99	159.99	67.29	63.43		दसवीं योजना
8.	दुधगंगा (आई.एस.)		1173.26	343.72	74.17	71.50		दसवीं योजना
9.	चसकमान	22.48	388.13	224.42	44.17	23.14	टी	दसवीं योजना
10.	भातसा		358.25	279.97	42.55	11.08	टी	दसवीं योजना
11.	जायकवाडी चरण II	88.90	792.20	626.86	126.53	95.67	टी	दसवीं योजना
12.	नंदुर मधमेश्वर	72.66	606.00	354.44	45.58	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
13.	ऊपरी पेनगंगा	84.48	867.46	633.19	134.28	69.65	टी	दसवीं योजना
14.	ऊपरी परवारा	15.87	721.39	135.28	64.26	0.00	टी	दसवीं योजना
15.	ऊपरी वर्धा	39.88	754.26	669.10	80.25	67.63	टी	दसवीं योजना
16.	वाघुर	12.28	189.32	142.58	26.66	0.00	टी	दसवीं योजना
17.	बावनथाडी (आई.एस.)	71.79	188.70	101.53	27.71	0.00		दसवीं योजना से आगे
18.	सूर्या	19.35	276.15	249.83	27.19	22.55	टी	दसवीं योजना
19.	तिल्लारी (आई.एस.)	58.00	293.80	542.15	23.65	1.20		दसवीं योजना
20.	विष्णुपुरी (निचली गोदावरी)	78.93	252.77	161.00	28.34	18.60	टी	दसवीं योजना
21.	अरूणावती		224.16	188.98	24.00	22.55		दसवीं योजना
22.	गोसीखुर्द	461.19	3544.53	887.60	250.79	7.71	टी	दसवीं योजना से आगे
23.	हुमान		523.48	11.71	59.99	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
24.	कदवा	27.00	76.07	63.63	10.12	8.81	टी	दसवीं योजना
25.	कोयना कृष्णा एल.आई.एस.		1892.29	887.78	208.27	152.35		दसवीं योजना से आगे
26.	लेदी (आई.एस.)		225.99	43.71	15.79	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	निचली तिरना (प्रवाह एवं लिफ्ट)	37.65	327.29	243.05	27.16	19.27		दसवीं योजना
28.	निचली वर्धा		540.14	196.05	51.66	0.00		दसवीं योजना से आगे
29.	निचली वुन्ना		287.46	234.87	25.55	22.18		दसवीं योजना
30.	पुनाद		115.81	51.57	14.07	0.00	टी	दसवीं योजना
31.	तालांबा		388.19	33.12	28.90	0.00		दसवीं योजना से आगे
32.	तुलतुली		169.40	6.60	30.59	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
33.	वान	46.85	228.40	208.55	19.18	18.38		दसवीं योजना
34.	उरमोदी	18.85	867.78	319.09	43.87	0.00		दसवीं योजना से आगे
35.	निचली दुधाना	53.21	474.06	171.00	34.44	0.00		दसवीं योजना से आगे
36.	निचली पेनगंगा (आई.एस.)		1696.94	6.18	227.27	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
37.	नीरा देवघर		910.91	288.73	41.40	0.00		दसवीं योजना से आगे
38.	बेम्बला		622.48	194.14	47.00	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
39.	भामा अस्खेडा		458.20	132.40	23.11	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
40.	जनाई सिरसल		144.24	128.98	13.84	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
41.	गुंजावानी		316.60	140.11	15.00	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
42.	खडकपुर्ना		368.88	76.92	18.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
43.	सिना कोलेगांव		317.77	132.00	10.61	0.00		दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	सिना मध्या एल.आई.एस.		197.70	98.55	19.50	0.00		दसवीं योजना से आगे
45.	टेमगढ़		323.53	272.41	1.83	1.00	टी	दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं			0.00		0.00		दसवीं योजना से आगे
46.	धुम बलकावाडी		475.29	234.29	21.12	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
47.	तरली		685.93	346.85	35.99	0.00		दसवीं योजना से आगे
48.	अश्ति एल.आई.एस.		67.87	28.80	12.78	0.00		दसवीं योजना से आगे
49.	बरशि एल.आई.एस.		230.40	66.30	21.30	0.00		दसवीं योजना से आगे
50.	भीमा सिना संयुक्त नहर		315.78	211.90	23.80	0.00		दसवीं योजना से आगे
51.	धाईगांव एल.आई.एस.		130.32	35.83	10.50	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
52.	पुरंदर एल.आई.एस.		386.70	96.09	25.10	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
53.	शिरापुर एल.आई.एस.		153.69	44.80	14.20	0.00		दसवीं योजना से आगे
54.	तेंभू एल.आई.एस.		2107.28	648.04	79.60	0.00		दसवीं योजना से आगे
55.	निचली तापी		273.08	75.04	31.31	0.00		दसवीं योजना से आगे
56.	वारांगांव तलवेल एल.आई.एस.		302.26	30.50	18.95	0.00		दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	1335.42	32543.65	14860.04	3164.54	1247.28		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	अंजनापलसी (पलसी)	3.19	50.81	43.95	2.03	2.03		दसवीं योजना

1 2	3	4	5	6	7	8	9
2. अरान (पिमपरी)	2.89	71.28	61.53	10.07	10.06	टी	दसवीं योजना
3. बहुला	5.92	44.04	29.55	4.05	0.37	टी	दसवीं योजना
4. चेन्नानदी		17.40	3.00	2.56	0.00	टी	दसवीं योजना
5. चिकोतरा		137.94	111.17	5.63	4.56		दसवीं योजना
6. एर्धा		31.90	0.97	3.40	0.00		दसवीं योजना
7. हिवरा	3.44	16.29	11.00	3.49	2.57		दसवीं योजना
8. जंगामहती		32.00	18.27	4.74	3.76		दसवीं योजना
9. जवलगांव	2.38	26.75	25.65	5.34	5.31		दसवीं योजना
10. कदवी	3.47	69.74	59.13	10.97	10.97		दसवीं योजना
11. कसारी	6.15	28.95	25.38	9.46	9.46		दसवीं योजना
12. कुंभी	5.16	48.63	50.14	8.71	6.88		दसवीं योजना
13. मंगरूल		24.20	10.50	1.93	0.26		दसवीं योजना
14. मोर	0.91	40.15	30.90	2.16	0.00		दसवीं योजना
15. पेंधारी नल्ला	0.83	11.70	0.20	1.84	0.00		दसवीं योजना
16. पूर्णा नेवपुर	1.89	16.61	14.71	1.47	1.47		दसवीं योजना
17. वाडीवाले	3.30	31.03	24.75	5.00	4.87	टी	दसवीं योजना
18. अमरावती	4.63	48.34	31.28	3.80	0.87	टी	दसवीं योजना
19. बोरदहेगांव	16.27	28.70	24.96	1.93	1.60		दसवीं योजना
20. वोरी (एस)		72.83	39.96	19.88	0.00		दसवीं योजना से आगे
21. धापेवाडा चरण I		78.05	49.12	8.05	0.00		दसवीं योजना
22. देहली	6.48	39.66	11.93	3.49	0.00	ची	दसवीं योजना
23. देवगड	24.64	174.98	111.50	8.12	0.00		दसवीं योजना से आगे
24. डोंगरगांव ('सी')	2.15	41.16	27.83	3.94	2.30	टी	दसवीं योजना
25. हेतावाने	19.55	208.54	197.59	12.29	1.17		दसवीं योजना
26. जाम		66.70	62.40	7.18	2.70		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	करवप्पा नल्ला	4.70	26.54	3.00	5.25	0.00	टी	दसवीं योजना
28.	कसारसाई	2.70	33.15	29.74	4.12	4.12	टी	दसवीं योजना
29.	मुन	5.35	60.85	50.73	9.29	8.71		दसवीं योजना
30.	पतगांव	7.39	82.20	59.76	11.74	11.06	टी	दसवीं योजना
31.	सिवना तलकी	34.76	123.12	73.07	6.60	0.00		दसवीं योजना
32.	सोनवाड	3.14	31.37	19.90	3.01	2.68	टी	दसवीं योजना
33.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	23.47	25.86	18.67	3.62	0.00	टी	दसवीं योजना
34.	ऊपरी मनार	26.18	145.28	56.44	12.00	0.00	टी	दसवीं योजना
35.	अंधाली		19.29	14.78	1.72	1.72		दसवीं योजना
36.	मदन टैंक	3.08	50.56	47.32	3.28	0.00		दसवीं योजना से आगे
37.	नावरगांव		46.48	37.71	3.43	2.46	टी	दसवीं योजना
38.	गौतमी गोदावरी (गोदावरी नदी)		64.90	25.39	6.91	0.00	टी	दसवीं योजना
39.	अक्कलपाडा		131.40	40.28	6.19	0.00	टी	दसवीं योजना
40.	दारा		37.38	5.82	2.30	0.00	टी	दसवीं योजना
41.	गडनदी		112.80	74.92	3.92	0.00		दसवीं योजना से आगे
42.	कजाला (वघोली)		17.68	9.89	1.55	0.51		दसवीं योजना
43.	कार		126.40	53.80	6.98	3.50		दसवीं योजना
44.	कश्यापी		49.33	42.18	5.82	0.00	टी	दसवीं योजना
45.	कोरादीनल्ला		21.25	0.00	2.74	0.00	टी	दसवीं योजना
46.	मोरना गुरेधर		117.38	44.50	3.81	0.04		दसवीं योजना
47.	नागन		59.94	21.20	3.36	0.00	टी	दसवीं योजना
48.	नारंगी सारंगी		23.00	19.90	1.64	1.00		दसवीं योजना
49.	पेन तकली		173.55	121.30	14.33	1.67		दसवीं योजना
50.	सायाकी		22.20	21.29	2.32	2.32		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	तोरना	1.46	14.94	15.32	1.43	1.43		दसवीं योजना
52.	ऊपरी मनजारा (डोक्केवादी)	26.18	61.40	46.49	3.35	1.70		दसवीं योजना
53.	अंजानी	4.91	79.97	47.19	3.00	0.00		दसवीं योजना
54.	जाम्बे		66.03	18.88	3.77	1.87		दसवीं योजना
55.	कटागी		31.00	21.18	2.45	1.00		दसवीं योजना
56.	निचला चुलबंद		60.82	1.88	10.43	0.00		दसवीं योजना से आगे
57.	मोहामदवाडी (नारदवे)		189.90	80.80	10.07	0.00		दसवीं योजना से आगे
58.	सोदयाटोला एल.आई.एस.		60.33	23.02	11.73	0.00		दसवीं योजना
59.	उतावली	35.78	55.23	24.90	5.39	0.00		दसवीं योजना
60.	च्द्रा भागा		177.64	116.11	6.73	1.45	टी	दसवीं योजना
61.	चितरी		79.94	83.66	8.28	7.02		दसवीं योजना
62.	गुल		55.94	27.54	2.64	0.00		दसवीं योजना
63.	जामखेडी		26.94	14.26	2.75	0.00	टी	दसवीं योजना
64.	कलपत्थरी		27.44	18.45	2.11	0.00		दसवीं योजना
65.	काराजखेद एल.आई.एस.		39.46	20.36	8.45	0.00		दसवीं योजना
66.	लाल नल्ला		59.17	53.42	7.71	0.00	टी	दसवीं योजना
67.	नागेवाडी		51.47	38.78	1.56	0.70		दसवीं योजना
68.	प्रकाश वनघारा		155.58	88.11	8.86	0.00	टी	दसवीं योजना
69.	पुर्ना	123.79	143.46	91.66	7.53	0.00	टी	दसवीं योजना
70.	रीनापुर		68.00	54.02	4.40	2.00		दसवीं योजना से आगे
71.	सोनापुर टोमता	32.18	32.18	21.35	2.85	0.00	टी	दसवीं योजना
72.	सुलवाडे बनघारा		149.15	90.47	7.56	0.00	टी	दसवीं योजना
73.	वीरचेक (शिवान)		28.89	18.95	2.67	0.00	टी	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	वादी सेवादी		98.44	22.90	7.18	0.00	टी	दसवीं योजना
75.	वाघोल बुटी		42.33	29.92	4.54	0.00	टी	दसवीं योजना
76.	वाकोड		30.94	19.80	2.34	0.00		दसवीं योजना
77.	आंघाखोर		96.00	63.52	8.60	0.00	टी	दसवीं योजना
78.	घटप्रभा (फाटकवाडी)		84.26	29.42	4.37	0.66		दसवीं योजना
79.	हन घाट एल.आई.एस.		49.21	29.30	4.82	0.00		दसवीं योजना
80.	किरमिरि दुरूर	27.89	27.89	20.39	2.44	0.00	टी	दसवीं योजना
81.	पंपलगांव (धाले)		62.69	34.54	3.38	0.00		दसवीं योजना
82.	उत्तरमांद		102.38	63.84	4.80	0.35		दसवीं योजना
83.	वंग		209.11	84.08	6.20	0.10		दसवीं योजना
84.	जाशीनगर		43.14	0.90	4.23	0.00		दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं			**0.00**				
85.	चिल्हेवाडी		145.84	106.81	6.37	0.00		दसवीं योजना से आगे
86.	घमनी		226.11	53.89	6.40	0.92		दसवीं योजना से आगे
87.	कृष्णा चरण II (कुंडली)		397.96	157.57	25.10	0.00		दसवीं योजना से आगे
88.	सिना (भोस खिंद)		118.94	24.73	7.45	0.00		दसवीं योजना से आगे
89.	कमानी टंडा		42.22	26.72	6.03	0.00		दसवीं योजना से आगे
90.	मानिकपुंज		28.77	8.33	2.69	0.00		दसवीं योजना से आगे
91.	मोरना (शिराला)		22.80	12.30	2.91	1.60		दसवीं योजना से आगे
92.	मुक्ताई नगर एल.आई.एस.		34.45	25.27	3.36	3.36		दसवीं योजना से आगे
93.	सारंगखेडा बैराज		175.93	84.07	8.77	0.00		दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	शेलगांव बैराज		198.06	12.45	7.16	0.00		दसवीं योजना से आगे
95.	सापन		139.27	51.18	6.38	0.00		दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	476.21	7151.91	3947.69	538.70	135.16		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	1811.63	39695.56	18807.73	3703.24	1382.44		
	मणिपुर							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	थोबल	47.25	390.00	237.37	33.40	4.00	टी	दसवीं योजना
2.	खुगा बहुउद्देश्यीय परियोजना	15.00	249.22	171.29	15.00	0.00	टी	दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	62.25	639.22	408.66	48.40	4.00		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	दोलाईथाबी बैराज	18.86	63.10	26.08	7.54	0.00	टी	दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	18.86	63.10	26.08	7.54	0.00		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	81.11	702.32	434.74	55.94	4.00		
	मेघालय							
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	रोंगाई घाटी परियोजना	16.30	57.07	22.59	5.15	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	16.30	57.07	22.59	5.15	0.00		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	16.30	57.07	22.59	5.15	0.00		
	उड़ीसा							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	पोट्टेरू	14.81	198.07	201.72	109.88	64.59		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	ऊपरी कोलाब	24.05	337.96	374.27	88.70	53.69	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	ऊपरी इंद्रावती	77.66	480.96	674.24	102.52	96.76	टी	दसवीं योजना से आगे
4.	सुबर्णरेखा	790.32	1755.39	527.71	100.85	3.95	टी	दसवीं योजना से आगे
5.	कानुपुर	428.32	428.32	26.17	24.56	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
6.	निचली इंद्रा	211.70	211.70	134.71	26.19	0.00		दसवीं योजना से आगे
7.	निचली सुकटेल	217.13	217.13	28.97	27.06	0.00		दसवीं योजना से आगे
8.	बाघ बैराज	44.71	74.60	39.84	8.50	4.85		दसवीं योजना
9.	रेंगाली सिंचाई	233.64	2621.16	1050.83	214.30	10.56		दसवीं योजना से आगे
10.	महानदी चित्रोत्पोला	39.93	178.83	31.71	15.43	10.90		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	2082.27	6504.12	3090.17	717.99	245.30		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	तितलागढ़ चरण II	21.13	33.68	32.89	2.27	0.47	टी	दसवीं योजना
2.	रूकारा		52.92	6.66	5.46	0.00	टी	दसवीं योजना
3.	रजुआ		14.85	1.96	2.99	0.00		दसवीं योजना
4.	देव	52.23	59.00	34.27	5.90	0.00		दसवीं योजना
5.	हरिहरजोर	7.26	83.22	83.22	13.70	11.95		दसवीं योजना
6.	मंजोर		89.78	68.43	6.09	2.30		दसवीं योजना
7.	ऊपरी जोंक	12.78	91.45	91.95	16.40	13.90	टी	दसवीं योजना
8.	बगहालाटी	45.44	84.62	48.00	5.49	3.41	टी	दसवीं योजना
9.	बडानल्ला	11.39	105.88	58.00	13.74	11.89	टी	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	सपुआ बडजोर	14.57	59.00	38.35	3.75	2.70		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	164.80	674.40	463.73	75.79	46.62		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	2247.07	7178.52	3553.90	793.78	291.92		
	पंजाब							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	शाहपुर कांडी परियोजना	1324.18	1324.18	128.09		0.00		दसवीं योजना से आगे
2.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना			कृपया हरियाणा राज्य का संदर्भ लें				दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	1324.18	1324.18	128.09	0.00	0.00		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	1324.18	1324.18	128.09	0.00	0.00		
	राजस्थान							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
	-गुडगांव नहर	2.88	35.40	27.10	28.20	22.77		दसवीं योजना से आगे
1.	माही बजाज सागर (आई.एस.)	31.36	834.88	744.89	71.20	66.65	टी	दसवीं योजना
2.	आई.जी.एन.पी. II	89.12	3522.00	2231.60	964.00	669.00	टी	दसवीं योजना से आगे
3.	नर्मदा नहर	467.53	1447.00	604.59	73.16	0.00		दसवीं योजना से आगे
4.	बिसालपुर सिंचाई व डब्ल्यू.एस. परियोजना	309.07	657.91	542.56	49.90	41.50		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	899.96	6497.19	4150.74	1186.46	799.92		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	पंचाना	1.03	125.00	119.79	10.61	10.61		दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	छापी	5.91	100.00	96.40	7.00	6.56		दसवीं योजना
3.	बेथाली	13.07	46.21	49.29	4.32	1.00		दसवीं योजना
4.	चौली	28.87	95.55	81.01	8.96	0.60		दसवीं योजना से आगे
	कुल मध्यम परियोजनाएं	48.88	366.76	346.49	30.89	18.77		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	948.84	6863.95	4497.23	1217.35	818.69		
	तमिलनाडु							
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	इरूकनकुडी परियोजना		68.00	48.84	4.64	0.00		दसवीं योजना
2.	ननगंजियार परियोजना		37.36	37.28	2.55	0.00		दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं		105.36	86.12	7.19	0.00		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)		105.36	86.12	7.19	0.00		
	त्रिपुरा							
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	गुमती	5.88	47.00	43.39	9.80	2.75	टी	दसवीं योजना
2.	खोवाई	7.10	72.00	53.53	9.32	0.55	टी	दसवीं योजना
3.	मानु	8.18	59.00	40.69	7.60	0.00	टी	दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	21.16	178.00	137.61	26.72	3.30		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	21.16	178.00	137.61	26.72	3.30		
	उत्तर प्रदेश							
	(क) वृहद परियोजनाएं							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	राजघाट बांध	61.61	150.00	133.08	0.00	0.00		दसवीं योजना
4.	राजघाट नहर (उत्तर प्रदेश)	126.43	457.13	357.00	138.66	113.75		दसवीं योजना
5.	सरयू नहर	78.68	3453.00	1529.16	1404.00	526.16		दसवीं योजना से आगे
6.	हिंडन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल मुहैया	11.83	136.99	128.82	11.60	10.36		दसवीं योजना
7.	टिहरी बांध (सिंचाई हिस्सा)	172.92	1180.96	1014.93	270.00	0.00		दसवीं योजना से आगे
8.	जरौली पंप नहर	47.92	52.35	41.85	39.75	0.00		दसवीं योजना
9.	बाणसागर नहर (उत्तर प्रदेश)	570.35	761.85	339.08	150.13	0.00		दसवीं योजना से आगे
	-बानसागर बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	22.83	287.85	223.33	0.00	0.00		दसवीं योजना
	कुल वृहद परियोजनाएं	1141.03	7534.32	4247.39	2152.27	711.99		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	1141.03	7534.32	4247.39	2152.27	711.99		
	उत्तरांचल							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	जामरानी बांध	61.25	433.00	25.87	60.60	21.00		दसवीं योजना से आगे
2.	लखवर व्यासी	140.97	1446.00	219.11	40.00			दसवीं योजना से आगे
3.	किसाऊ बांध		3455.11	8.10	211.00			दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	202.22	5334.11	253.08	311.60	21.00		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
	कुल (वृहद एवं मध्यम)		5334.11	253.08	311.60	21.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिम बंगाल							
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	तीस्ता बैराज चरण I फेज I	69.72	2068.00	958.21	533.52	130.96	टी	दसवीं योजना से आगे
2.	सुबर्णरेखा बैराज (आई.एस.)	215.61	595.34	38.21	114.20	0.00	टी	दसवीं योजना से आगे
	कुल वृहद परियोजनाएं	285.33	2663.34	996.42	647.72	130.96		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	गोलामारजोर	0.52	3.92	3.24	1.00	0.26	टी	दसवीं योजना
2.	माउटोरजोर	0.40	1.90	0.69	1.08	0.51	टी	दसवीं योजना
3.	बेको	0.64	5.90	4.39	1.59	1.01	टी	दसवीं योजना
4.	पतलोई	0.90	10.80	5.72	2.16	1.87	टी	दसवीं योजना
5.	तटको	0.98	12.57	8.06	2.48	1.90	टी	दसवीं योजना
6.	फुतियारी	0.56	17.04	11.43	1.20	0.00	टी	दसवीं योजना
7.	हनुमाता	0.83	8.80	5.66	2.78	2.72	टी	दसवीं योजना
8.	खैराबेरा	1.10	4.15	3.34	0.57	0.57	टी	दसवीं योजना
	कुल मध्यम परियोजनाएं	5.93	65.08	42.53	12.86	8.83		
	कुल (वृहद एवं मध्यम)	291.26	2728.42	1038.95	660.58	139.79		
	कुल जोड़ वृहद	23905.94	165257.35	80155.20	18523.76	7329.04		
	कुल जोड़ मध्यम	1514.36	14215.14	8202.89	1278.74	371.84		
	कुल जोड़ (वृहद एवं मध्यम)	25420.30	179472.49	88358.08	19802.50	7700.88		

आई.एस. - अंतर्राज्यीय एल.आई.एस. - लिफ्ट सिंचाई स्कीम टी. - जनजातीय क्षेत्र

अनुवाद]

शीतागारों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

3845. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त और कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) क्या निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए सरकार

द्वारा कृषि उत्पादन विपणन विनियम अधिनियम में कोई संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में शीत भण्डारों की स्थापना के लिए सरकार को 834 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम (ए.पी.एम.सी. एक्ट), जो कृषि विपणन से संबंधित एक विद्यमान विधि है, के अंतर्गत केवल राज्य सरकारों को यह शक्ति दी गई है कि वे कृषि जिंसों के लिए बाजारों की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकें। इस मंत्रालय ने सभी राज्यों में एक माडल कृषि उत्पादन विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम परिचालित किया है जिससे कि उनको निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजारों के विकास के लिए ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन लाने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके। सात राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, नागालैण्ड, राजस्थान और सिक्किम ने अपने-अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन किया है जिससे उनके यहां निजी तथा सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजारों की स्थापना की जा सकती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों, मार्च, 2005 तक और चालू वर्ष (31-10-2005 तक) के दौरान क्रियान्वित परियोजनाएं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	8	7	19
2.	हरियाणा	4	7	4
3.	तमिलनाडु	4	0	8
4.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
5.	उत्तर प्रदेश	49	148	124
6.	उत्तरांचल	0	0	0
7.	महाराष्ट्र	29	13	82
8.	राजस्थान	4	1	6
9.	कर्नाटक	20	0	5
10.	गुजरात	5	136	2
11.	उड़ीसा	9	1	3
12.	मध्य प्रदेश	5	10	6
13.	छत्तीसगढ़	5	2	2
14.	पश्चिम बंगाल	9	4	9
15.	आंध्र प्रदेश	2	1	8

1	2	3	4	5
16.	असम	3	1	0
17.	बिहार	5	18	23
18.	झारखण्ड	4	4	6
19.	त्रिपुरा	1	0	0
20.	दिल्ली	0	1	1
21.	केरल	0	0	0
22.	नागालैण्ड	1	0	0
23.	गोवा	1	0	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
	कुल	173	353	308

कर्नाटक में कलसा बन्डुरा नाला परियोजना

3846. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मलप्रभा बांध में पानी भेजने के लिए कलसा बन्डुरा नाला परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने, अप्रैल, 2002 में, हुबली/धारवाड़ शहरों की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से कलसा और बंदूरीनाला स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मादेई बेसिन से मालप्रभा बेसिन में 7.56 टी.एम.सी. जल डाइवर्ट करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया था। जल संसाधन मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2002 को जल उपलब्धता दृष्टिकोण से हुबली/धारवाड़ की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति करने संबंधी प्रस्ताव को 'सिद्धान्ततः' स्वीकृति प्रदान की। गोवा सरकार ने जुलाई, 2002 में मंत्रालय द्वारा दी गई इस स्वीकृति पर कड़ी आपत्ति जताई और विवाद का समाधान निकालने के वास्ते अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन का अनुरोध किया। इसके मद्देनजर, दो राज्यों के बीच समझौते के द्वारा इस मामले का हल निकालने और ऐसा न होने की स्थिति में अधिकरण के पंचाट को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा दी गई इस 'सिद्धान्ततः' स्वीकृति को सितम्बर, 2002 में आस्थगित कर दिया गया। दोनों ही राज्यों ने मादेई जल के बंटवारे के संबंध में अब तक कोई समझौता नहीं किया है।

रूग्ण रसायन और उर्वरक इकाइयों का पुनरूद्धार

3847. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री अनन्त नायक:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और तत्पश्चात् देश में प्रत्येक रसायन और उर्वरक इकाइयों का राज्यवार विशेषतः महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के संदर्भ में वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंद हुई या रूग्ण घोषित की गई उक्त इकाइयों का इकाईवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंद/रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार करने अथवा लाभकारी इकाइयों का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बंद इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बी.आई.एफ.आर. ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकृति दी है और विभिन्न उर्वरक इकाइयों की छूट तथा रियायतों को भी स्वीकृति दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोया का उत्पादन

3848. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सोया का कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ख) क्या इस वर्ष सोया के उत्पादन में गिरावट आई है जैसा कि दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 के 'बिजनेस स्टेंडर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान देश में सोयाबीन के कुल उत्पादन को नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

(लाख टन)

वर्ष		उत्पाद
2003-04	–	78.63
2004-05*	–	75.10
2005-06 $	–	65.77

* चौथा अग्रिम अनुमान

$ प्रथम अग्रिम अनुमान

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 की तिलहनों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों, जिसे 19-9-2005 को जारी किया गया था, के अनुसार वर्ष 2005-06 में 65.77 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है जिसमें मध्य प्रदेश का 31.85 लाख टन का अनुमानित उत्पादन भी शामिल है। जोकि दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 के बिजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित 33.35 लाख टन (उत्पादन आंकड़े) से मामूली सा कम है। हालांकि दूसरे अग्रिम अनुमान, जो कि जनवरी 2006 में आएगा, से उत्पादन के और भी विश्वसनीय आकलन प्राप्त हो सकेंगे।

(घ) सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास प्रणाली ने पहले ही ऐसी कई किस्मों की जानकारी दी है जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है और जिन पर सूखे का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और नई किस्मों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जोकि सूखे के प्रभाव को झेल सके।

सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास प्रणाली ने स्व-स्थानिक जल संरक्षण तकनीक का विकास किया है और इसको विस्तार एजेंसियों/उत्पादकों को उपलब्ध कराया है, जिससे कि सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

बीड़ी श्रमिकों और चाय बागान श्रमिकों के साथ मजदूरी समझौता

3849. श्री एस. अजय कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के चाय बागान श्रमिकों और बीड़ी श्रमिकों के साथ मजदूरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरी समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा डेयरी इकाई का कार्यभार संभालना

3850. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) प्रकाशम क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की डेयरी इकाई

और दुग्ध पाउडर इकाई का भी कार्यभार संभालने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा प्रकाशम जिला दुग्ध उत्पादक परस्पर सहायता सहकारी संघ लिमिटेड के बीच 22-10-2005 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसरण में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ओंगोले डेयरी संयंत्र का प्रबंधन तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विपणन का काम 2-12-2005 से 7 वर्ष की अवधि के लिए अपने हाथ में लिया।

केन्द्रीय भांडागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के गोदामों की क्षमता के उपयोग में गिरावट

3851. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के गोदामों की अपनी क्षमता के उपयोग में धीरे-धीरे गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किराए पर लिए गए गौदामों की क्षमता के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अपने गोदामों की क्षमता के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों की अपनी क्षमता का उपयोग 2003-04 से बढ़ा है जिसकी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2003-04 से किराए के गोदामों के प्रतिशत उपयोग में वृद्धि का रुख है जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) जिन आवश्यक स्थानों पर निर्मित क्षमता उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थानों पर किराए पर लिए गए गोदामों में पर्याप्त क्षमता के उपलब्ध होने के कारण ही मुख्य रूप से किराए के गोदामों के उपयोग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष में नेफेड द्वारा भारी मात्रा में सरसों का स्टाक खरीदा गया था, जिसके लिए निगम को विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में गोदाम किराए पर लेने पड़े थे।

(ङ) केंद्रीय भंडारण निगम उन स्थानों पर किराए के गोदामों को खाली कर रहा है जहां पर इनका 25 प्रतिशत से कम उपयोग हो रहा है।

विवरण

2003-04 के दौरान किराये के गोदामों की तुलना में केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	अपनी क्षमता	उपयोग	प्रतिशतता	किराए पर ली गई क्षमता	उपयोग	प्रतिशतता	कुल क्षमता	कुल उपयोग	प्रतिशतता
2003-04	64.58	38.38	59	28.06	16.87	60	92.64	55.24	60
2004-05	66.20	40.71	61	31.86	20.87	66	98.06	61.58	63
2005-06 (प्रथम सात महीने)	66.82	46.07	69	36.74	27.60	75	103.56	73.67	71

[हिन्दी]

बिहार में सूखे से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता

3852. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान सूखे के कारण राज्य को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए बिहार को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 1.5 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में इस सहायता से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता में से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष धनराशि का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नवंबर 2004 में तात्कालिक राहत कार्य शुरू किए जाने के लिए बिहार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से 162.15 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई थी। इसके अलावा, सूखा राहत रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आई.वाई.) के विशेष घटक के अंतर्गत राज्य सरकार को 2 लाख मीटरी टन खाद्यान्न मुफ्त जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा गृह मंत्रालय को धन के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है क्योंकि यह आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत आवंटित किए गए कोष की मानीटरिंग करने वाला नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है।

[अनुवाद]

रक्षित लौह अयस्क खानें

3853. श्री एल. गणेशन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह उद्योग रक्षित लौह अयस्क खानों को अपने नियंत्रणाधीन रखना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रतिमानकों सहित दिशा-निर्देश/विनियम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर/लंबित प्रस्ताव कौन से हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सभी खनिज रियायतें अर्थात खनन पट्टे, पूर्वेक्षण लाइसेंस, टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की प्रथम अनुसूची, जिसमें लौह अयस्क शामिल है, में निर्दिष्ट खनिजों के मामले में ही अनिवार्य है। खनन एक स्वतंत्र कार्यकलाप है और कोई भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री पट्टाधारी का एक वाणिज्यिक निर्णय है। एम.एम.डी.आर. एक्ट के अनुच्छेद 11 (3) (डी) के अनुसार राज्य सरकारें किसी रियायत विशेष के लिए प्राप्त अनेक आवेदन पत्रों पर विचार करते समय एक कारक के रूप में खनिजों के आधार पर खानों और उद्योग में निवेश करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित खनिज रियायत पर विचार करने का अधिकार रखती हैं। मूल्यवान पत्थरों तथा हीरों के लिए 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है तथा हीरों व मूल्यवान खनिजों के लिए 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वत: अनुमोदन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से अनुमत है, इनको छोड़कर गैर-ईंधन तथा गैर परमाणु-खनिजों के गवेषण और पूर्वेक्षण के लिए 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि संकट

3854. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कृषि संकट की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना फरवरी, 2004

में की गई थी जिसका उद्देश्य ऐसे विभिन्न विषयों के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों की सिफारिश करना है जिनका सामना भारतीय किसानों को करना पड़ता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य बागवानी, पशुधन, डेरी और मात्स्यिकी समेत विविधीकृत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता और उसके स्थायित्व में सुधार लाने के लिए यथोचित हस्ताक्षेपकारी सुझाव देना है।

(ख) आयोग ने अभी तक अपनी दो अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय किसान आयोग की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में व्यापक सिफारिशें दी गई हैं जो कि गंभीर रूप से संकट का सामना कर रहे कृषक परिवारों का सामना कर रहे कृषक परिवारों के लिए समेकित जीवन रक्षक सहायता कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता और आजिविका संवर्द्धन, कृषि में महिलाओं के लिए नए कार्य, बागवानी, क्रांति का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता तथा विश्वस्तरी प्रतिस्पर्द्धा, का संवर्धन फार्म जिंसों के व्यापार और उसे बनाए रखना तथा इसकी स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता आयाम, ग्राम ज्ञान केन्द्र, पशुधन और आजिविका के लिए खाद्य और पोषक सुरक्षा। इस रिपोर्ट में परिवारों के पुनर्वास और उनके कल्याण को भी कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें समुदाय आधारित संगठनों और पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना और प्रशासनिक कार्य जैसे कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत महिला कोष के सृजन को भी कवर किया गया है।

दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें मुख्य रूप से सबके लिए भोजन, सबके लिए मछली, उत्पादकता में वृद्धि, लाभप्रदता, पहाड़ी तथा शुष्क कृषि पारिस्थितिकी में स्थायित्व तथा उसको बनाए रखना, तटीय कृषि जोन, गन्ना किसानों की समृद्धि के लिए मिशन, औषधिक पौधों के संरक्षण, खेती और विपणन, जैविक कृषि, जैव-ईंधन और कृषि विपणन सुधार से संबंधित है।

इन सिफारिशों पर सरकार के निर्णय पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी अलघ समिति की रिपोर्ट

3855. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि संबंधी वाई.के. अलघ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सभी सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में प्रक्रिया संबंधी मुद्दों की जांच परख के लिए सरकार द्वारा गठित वाई.के. अलघ समिति ने 27 जून, 2005 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के पद्धति संबंधी मुद्दों की जांच-परख करने के लिए प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

1. आज के त्वरित विकास के युग में विविधीकरण के नीति में नाटकीय परिवर्तन आ रहा है, जिससे व्यापारपरख विविधीकरण की दिशा में अर्थव्यवस्था के नए आयाम खुल रहे हैं। इस समय ऐसी नीतियों को तैयार करना वांछनीय है, जिससे विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके और मांग में आ रहे परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

2. कृषि अर्थव्यवस्था के खुलेपन और इसके व्यापक मांग प्रभाव को देखते हुए तथा इस बात को देखते हुए कि इस समय केन्द्र सरकार को कोई ऐसा संगठन मौजूद नहीं है, जो इन परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर सके, यह पता लगाना यथोचित होगा कि क्या सी.ए.सी.पी., जो त्वरित

कृषि विकास के लिए मूल्य तथा गैर-मूल्यपरक दोनों ही प्रकार की सिफारिशें करता है, को नई कृषि नीति को विकसित करने और सरकार को समुचित नीति और रणनीति को तैयार करने के लिए सलाह देने का कार्य सौंपा जा सकता है कि नहीं।

3. विश्व व्यापार संगठन के तहत अब तक हुए परिवर्तन या भविष्य में होने वाले परिवर्तनों, जैसे कि मात्रात्मक प्रातिबंधों और ट्रैफिकेशन प्रक्रिया को हटाना, सब्सीडी में कटौती, बाजार तक पहुंच और विश्व व्यापार संगठन के तहत बातचीत हुए खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा नीति, को देखते हुए इस बात की जांच परख करना जरूरी है कि क्या आयोग को पुराना दर्जा दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए वर्तमान लागत अवधारणा की जांच करना जरूरी है या नहीं।

4. सी.ए.सी.पी. को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

5. सी.ए.सी.पी. के कार्यों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए:-

(i) जैसा कि सरकार समय-समय पर संकेत दे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशेवाली फसलें और इसी प्रकार की अन्य जिंसों के लिए मूल्य नीति के बारे में सलाह देना जिससे कि अर्थव्यवस्था की समग्र जरूरत के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में संतुलित और समेकित मूल्य संरचना का विकास हो सके और किसानों और उपभोक्ताओं के हितों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

(ii) कृषि जिंसों और उनके प्रसंस्कृत उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित टरिफ संरचना और अन्य उपाय के बारे में सलाह देना।

(iii) कृषि नीति और व्यापार से संबंधित उपायों के बारे में सिफारिश करते समय, आयोग निम्नलिखित पर ध्यान देगा।

- मांग प्रतिमान, जिसमें निर्यात का प्रतिमान भी शामिल है, को देखते हुए, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादन प्रतिमान का विकास करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।
- वृहद एवं पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
- भूमि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
- मूल्य नीति का बाकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विशेषकर जीविका निर्वाह, मजदूरी के स्तर, कृषि आधारित उत्पाद की लागत संरचना, कृषि और कृषि आधारित, जिंसों पर।

(iv) आयोग को चाहिए कि वह ऋण नीति, विपणन नीति, फसल और आय बीमा तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में ऐसे गैर मूल्यपरक उपाय सुझाए जिससे कि ऊपर (i) में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

(v) समय-समय पर विभिन्न कृषि जिंसों के बारे में उपाय सुझाना जोकि मूल्य और तटकर नीति को कारगर बनाने के लिए जरूरी हो।

(vi) कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों में आने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना।

(vii) जहां भी जरूरी हो, कृषि जिंसों के कर, लेवी और परिवहन लागत की जांच करना और ऐसे उपाय सुझाना जिससे कि ऊपर (i) में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(viii) पैदा हो रही मूल्य स्थिति की समीक्षा करना और जहां भी जरूरी हो समग्र नीति संरचना के अंतर्गत यथोचित सिफारिश करना।

(ix) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट, विभिन्न फसलों के बारे में अध्ययन करना।

(x) मूल्यनीति से संबंधित समीक्षा अध्ययन करना और अन्य संबंधित आंकड़ों के बारे में सूचना एकत्र करने की व्यवस्था करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना और मूल्य नीति के बारे में क्षेत्रीय अनुसंधान अध्ययन कराना।

(xi) जैसा कि सरकार समय-समय पर संदर्भित करे कृषि मूल्य और उत्पादन से संबंधित किसी समस्या के बारे में सुझाव देना।

(xii) इन उपायों को मूल्य परक सिफारिशों के साथ संयुक्त करना और यथा संभाव प्रतिस्पर्द्धात्मक कृषि की लागतपरक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैठकों में वित्तीय गणनाओं के बारे में जानकारी देना।

6. व्यापार नीति के उपयोग और न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर को समेकित किया जाना चाहिए। सी.ए.सी.पी. को इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि न केवल इसे लागत संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए बल्कि तटकर ऋणनीति बाजार के रुख विपणन और संरचना और व्यापक आर्थिक नीति से संबंधित मुद्दों पर भी यह ध्यान दे सकें ताकि नई चुनौतियों का सामना किया जा सके और सी.ए.सी.पी. घरेलू

तथा विश्व में हो रहे परिवर्तनों के साथ सामंजस्य रखते हुए सक्रिय भूमिका निभा सके।

7. सी.ए.सी.पी. को व्यापार तटकर, ग्रामीण ऋण और विपणन से संबंधित पूरक व्यवस्था की मानीटरिंग करते रहना चाहिए और नीतिगत परिवेश की भी मानीटरिंग करना चाहिए और समय-समय पर सरकार को प्रस्तुत अपनी मूल्य नीति रिपोर्टों में इन सिफारिशों का उल्लेख करना चाहिए।

8. न केवल ऐतिहासिक लागत बल्कि लाभगत अवसर लागत के आधार पर प्रमुख फसलों का एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि भारत की तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्द्धा इस प्रकार बढ़ सके कि जैसे चमकता सूरज और सस्ती श्रमिक दर को अपना कार्य करने का मौका मिल सके।

9. जैसा कि भारत के औद्योगिक मूल्य नीति में सुधार करने के लिए अंगीकार किया गया है। और उर्वरक मूल्य में जिसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि सी.ई.आर.सी. ने सिफारिश की है कृषि के लिए रोडमैप तैयार करने में विश्लेषण और मूल्य के विकास तथा आर्थिक नीति पर विचार करने में एक लांग रेंज मार्जिनल कास्ट के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। किसानों को मूल्यपरक तथा गैर-मूल्यपरक लाभ दिया जाना चाहिए जिससे कि ये अपनी उत्पादों का सीमित समय में और परिवर्तनशील युग में अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकें। उच्च स्तरीय नीति को क्रियान्वयनकारी किया जाना जरूरी है जिससे कि 3 से 5 वर्ष के मध्यम अवधि में कृषि में प्रतिस्पर्द्धा लागत पूरा किया जा सके।

10. पारिवारिक श्रमिक का मूल्यांकन रोजाना श्रमिक की वास्तविक बाजार दर पर किया जाना चाहिए।

11. उत्पादन लागत का मूल्यांकन करते समय डी.ई.एस. को चाहिए कि किसानों द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किए गए ब्याज दर पर ध्यान दें। (न कि ब्याज की मामूली दर पर)

12. सी.ए.सी.पी. और डी.ई.एस. को एक साथ मिलकर फसल मौसम के दौरान व्यय और कर्ज के बारे में पता लगाना चाहिए।

13. किसानों द्वारा फसल बीमा में भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के वास्तविक आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठा किए जाने चाहिए और उसके लागत अनुमान में शामिल किए जाने चाहिए।

14. व्यापार प्रभावित अर्थव्यवस्था में संसाधनों की लागत अवसर प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों द्वारा सिद्धांतः निर्धारित होती है। विश्व व्यापार संगठन की इस व्यवस्था में भूमि किराया को नजरअंदाज करने का तर्क अब लागू नहीं होता है। विपणन विकास के इस युग में बाजार में प्रचलित किराए पर भी ध्यान देना उचित होगा।

15. किसानों द्वारा विपणन और परिवहन पर किए जा रहे खर्च का अनुमान तीन साल में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। और सी.ए.सी.पी. को चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सिफारिश करते समय इस पर ध्यान दे।

16. डी.ई.एस. को वर्तमान साफ्टवेयर की जगह पर नए साफ्टवेयर लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए जिससे कि सी.एस. योजना के अंतर्गत संकलित आंकड़ों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके। यदि एक बार नया साफ्टवेयर लगा दिया जाता है तो डी.ई.एस. ब्याज की मानक दर की जगह पर किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की वास्तविक दर का पता लग सकता है।

17. समिति का विचार है कि सी.एस. स्कीम के अंतर्गत संकलित आंकड़े सही है और सांख्यिकी की दृष्टि से इस योजना के अंतर्गत संकलित अन्य आंकड़ों के स्रोतों से मिलाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सी.एस. स्कीम से उपज दर प्राप्त करने की वर्तमान पद्धति जारी रखी जानी चाहिए।

18. एक तकनीकी समिति जिसमें डी.ई.एस., सी.ए.सी.पी., एन.एस.एस.ओ. और आई.ए.एस.आर.आई. के अधिकारी शामिल हो, का गठन किया जाए ताकि लागत अध्ययन संबंधी मौजूदा सर्वेक्षण अनुसूची की संगतता की जांच की जा सके।

19. सी.एस. स्कीम के तहत नमूना किसानों के सतत् सहयोग के लिए प्रत्यर्थी कृषक परिवारों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन के नवीनतम तरीकों जैसे-मान्यता प्रमाणपत्रों और टोकन उपहारों का दिया जाना, शुरू होना चाहिए।

20. डी.ई.एस. को चाहिए कि वह कुछ निश्चित फलों व सब्जियों जैसे - टमाटर, फूल गोभी, बंदगोभी, अदरक, हल्दी, सेब, अन्ननास, आम, केला, अंगूर और नींबू वर्गीय फल (आलू और प्याज पहले ही स्कीम के तहत है) की फसल कवरेज को बढ़ाने की संभावना का पता लगाना चाहिए और इन बागवानी फसलों की पैदावार लागत/उत्पादन लागत पर सही और सटीक आधारभूत आंकड़ा तैयार करना चाहिए।

21. गहन मात्रात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता और साथ ही साथ सटीक इन हाउस आकड़ा तैयार करने की सख्त जरूरत है। सी.ए.सी.पी. में विश्लेषणात्मक कार्य को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सी.ए.सी.पी. में सांख्यिकी विंग और व्यापार एवं टैरिफ विंग का सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि वर्तमान परिदृष्य में आयोग के बहुआयामी कार्यों का

प्रबंधन किया जा सके। सी.ए.सी.पी. को पर्याप्त वित्तीय संसाधन रखने चाहिए ताकि चयनित विदेशी दौरों सहित फील्ड अध्ययनों का आयोजन किया जा सके।

22. सी.ए.सी.पी. को विभिन्न जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के स्तर की सिफारिश करते समय इसके मूल्य और गैर-मूल्य संबंधी सिफारिशों में गुणवत्ता संबंधी पहलुओं पर विचार करना चाहिए ताकि किसानों को एम.एस.पी. सीमा के तहत कवर की जाने वाली जिन्सों की बेहतर किस्मों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और नीति को बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके।

23. देश के सभी भागों में एम.एस.पी. नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एफ.सी.आई., नैफेड, सी.सी.आई. और जे.सी.आई. की इस प्रकार पुन: संरचना की जानी चाहिए कि मूल्य समर्थन प्रचालन देश के सभी भागों में प्रभावी हो जाएं और कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों तक सीमित न रहें।

24. मूल्य नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मूल्य समर्थन नीति के अग्रिम नियोजन और कार्यान्वयन के मामले में राष्ट्रीय नोडल एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों के दायित्व स्पष्टतया वर्णित किए जाने चाहिएं।

25. भारत को खाद्य तेलों को आयात में क्रमिम रूप से वृद्धि हो रही है, विशेषकर 1995 पश्चात् की अवधि के दौरान। वर्ष 2002-03 के दौरान स्वदेशी उत्पादन में इसकी प्रतिशतता 95% तक के उच्च स्तर पर थी। तिलहनों के थोक मूल्यों संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापार की शर्तें खाद्य तेल क्षेत्र के विरुद्ध चल रही हैं। खाद्य तेलों पर टैरिफ दरें उर्ध्वगामी दिशा में संशोधित की जानी चाहिए ताकि तिलहन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की आश्वसतता बनाए रखी जा सके।

26. कपास व्यापार में काफी विकृतियां हैं। वस्त्र उद्योग को कपास की आपूर्ति के मुद्दे ऐसे चरण में हैं जिनमें कोटे की समाप्ति कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण हैं। नीति इस तरह तैयार की जा सकती है कि भारतीय यार्न विनिर्माता के लिए अत्यधिक राजसहायता आयातित और स्वदेशी कपास के बीच एक समस्तरीय कार्यक्षेत्र (लेवल प्लेमिंग फील्ड) स्थापित किया जाए। इसमें उत्पादक के स्वचालित सैटआफस शामिल किए जा सकते हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि टैरिफों के उचित स्तर के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा कपास पर लागू की जाए।

27. यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी एजेंसियां इस रिपोर्ट में दर्शाई गई आयात की मात्रा के स्तर की भारतीय भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था को पहुंचाई गई क्षति का महत्व समझें। बहुत सी एजेंसियां अवगणना करके तथाकथित निम्न आयात दर्शाती हैं उदाहरण के लिए कपास आयात, चीनी आयात और खाद्य तेल आयात नब्बे के दशक के शुरू से ही अपर्याप्त नीति व्यवस्था के संघटन को भी अभिज्ञात किए जाने की आवश्यकता है।

28. ए.पी.एम.सी. अधिनियम को संशोधित किया जाए जिससे कि विपणन अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

29. भारत सरकार द्वारा राज्य के ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधनों के लाभों का प्रचार करने के लिए और प्रमुख पणधारितयों (किसानो, व्यापारियों, संसाधनों, उपभोक्ताओं और पी.आर.आई.) के सुग्रहीकरण का बृहत अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

30. उत्पादक कंपनी कानून अब संविधि-संग्रह में विकास के लिए नीतिगत गठबंधनों का लाभ उठाने के लिए किसान समूहों के सुदृढ़ीकरण की महत्वपूर्ण रीति का प्रावधान है।

31. देश के विभिन्न भागों में जिन्स विनियमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

32. सी.ए.सी.पी. अपनी कार्य प्रणाली में नीति तंत्र के रूप में और सूचित किए गए विश्लेषणों के लिए एन.सी.डी.ई.एक्स. और अन्य नैटवर्कों के प्रयोग पर विचार करे।

33. यद्यपि भारत की साफ्टवेयर उपलब्धियां विलक्षण है फिर भी ग्रामीण भारत असंबद्ध है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि खेतों में आई.टी. को वश्य रूप से पल्लवित होना चाहिए। उपयोगी डाटाबेस का सृजन करने और सूचना पैकेजों के लिए क्षेत्रीय कवरेज को व्यापक करने के लिए किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आई.टी. को व्यापक रूप से बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

34. समिति का यह सुविचारित मत है कि यदि ग्रामीण ऋणों पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना है तो भारतीय कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोग बनने में मदद मिलेगी। समिति इन सिफारिशों को पृष्ठांकित करती है और एक निश्चित समय सीमा में इसके क्रियान्वयन का सुझाव देती है।

35. समिति सिफारिश करती है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग व्यापार, टैरिफ, ग्रामीण ऋण और विपणन, बीमा की

अनुपूरक प्रणालियों तथा सम्बद्ध नीतिगत व्यवस्था की मानीटरिंग जारी रखे और सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली मूल्य नीति संबंधी रिपोर्टों में अपनी सिफारिशों को शामिल करे। समिति ने अपने निष्कर्ष में यह अभिव्यक्त किया है कि टैरिफ, करों, कम की गई प्रभावी ब्याज दरों के मामले में हासिल करने योग्य लक्ष्यों और बेहतर विपणन सहायता को मूल्यन सिफारिशों के साथ समेकित किया जा सकता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के साथ वैकल्पिक है। यह एक मानक प्रणाली होनी चाहिए। यह समेकन इस तरीके से मण्डी के लिये अनुकूल तथा विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होगा कि यह ए.एम.एस. परिकलनों में प्रदर्शित नहीं होगा और नीति के उद्देश्य को पूरा करेगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इसे सी.ए.सी.पी. के संशोधित विचारार्थ विषयों में विशिष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

36. समिति यह सिफारिश करती है कि व्यापार नीति के उद्देश्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्यों के स्तर को समेकित किया जाये। समिति ने भारतीय कृषि की उस क्षमता का विश्लेषण किया है जिसके साथ यह राष्ट्र को मिली समृद्धि के साथ एक ऐसे वर्ग के लाभों का दोहन करते हुये निर्वाह के सतर की कम उपज वाले क्रियाकलाप से अपने को एक गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में बदल सकती है, जिसने ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी सहनशील और कठोर श्रम वाली प्रकृति को सिद्ध किया है। अब शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुये एक गतिशील व्यापारिक कृषि की तरफ बढ़ाने का समय आ गया है। दुर्भाग्यवश वैश्विक कृषि बाजार अत्यधिक विकृत और सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना विश्व बाजार में परिवर्तनों के अनुरूप होना चाहिये। कानकुन चक्र की वार्ता के पश्चात् भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इससे तटकर के स्तरों की मात्रा और व्यवस्था निर्धारित होगी। परन्तु, भारतीय कार्य की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने के लिये नीतियों को तात्कालिकता के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। खेतिहर समुदाय को प्रतिस्पर्द्धात्मक में ठहराने के लिये किसानों को प्रभावी खेती की लागत के रूप में सहायता देनी पड़ेगी। ये लागत मौजूदा प्रणालियों से फायदा दिलाते हैं, प्रौद्योगिकी अपनाने और अधिगम की तात्कालिक लागत को पूरा करते हैं तथा कभी कभी नये आदानों में सन्निहित है। इसमें से बहुत से तत्काल प्रकार के और आरम्भिक अभिवृद्धि तथा समर्थन के पश्चात् किसान अपने बलबूते पर प्रतिस्पर्द्धा में ठहर सकेगा।

37. औसत लागत के साथ निर्वाह स्तर की कृषि के लिये मौजूदा समर्थन नीति की अंतरण की अवधि में जारी रखना होगा। इसके साथ ही, यदि मण्डी में असफलता या अंतः मंत्रालयी समन्वय की सीमाओं के कारण वित्तीय/कर तथा टैरिफ की नीति काम नहीं करती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी भूमिका निभायेगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कार्य करना है और इन संख्याओं तथा नीतियों को एतत रूप से पुनः निर्धारित करना है।

38. विशेष रूप से गन्ना तथा कपास जैसी फसलों के मामले में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार मूल्यों में कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिये गन्ना की फसल के मामले में 18 महीने का प्राकृतिक चक्र 90 दशक के उत्तरार्ध में चीनी के आयात के कारण बिगड़ गया है। मांग के 6ठे से 5वें हिस्से तक कपास का आयात न्यूनतम समर्थन मूल्य का मजाक है। सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे-मूल्य नीति, वित्त नीति, टैरिफ नीति, आर्थिक नीति आदि, को समेकित करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठ भूमि में समिति यह सिफारिश करती है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को फिर से तैनात किया जाये और नई चुनौतियों का सामना करने के लिये केवल लागत पर ही नहीं, बल्कि टैरिफ, ऋण नीतियों, मण्डी की प्रवृत्तियों, मण्डी संरचना जैसे मुद्दों और विस्तृत मैक्रो आर्थिक नीति पर भी बल दिया जाये ताकि देश में तथा वैश्विक स्तर पर परिवर्तनों के अनुसार जीवन्त तथा सक्रिय भूमिका इसके द्वारा निभाई जा सके। इसके अलावा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारतीय कृषि की स्थिति इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता" के संबंध में वरीयतः त्रैमासिक या वर्ष में दो बार आवधिक रिपोर्टें तैयार करने की एक प्रणाली निर्मित करेगा।

39. कपास व गन्ना जैसी फसलों के लिये समिति द्वारा किये गये पारम्परिक लागत विश्लेषण में उत्पादकता के रूप में प्रभावी और अप्रभावी किसानों के लागत व्यवहार का कोई अलग से विश्लेषण नहीं किया गया है और इस प्रकार, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों को सक्षम बनाने के लिये अपेक्षित आर्थिक परिवेश का मूलभूत प्रश्न हल नहीं होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में 80 के दशक में जिंस के स्तर पर परिणाम, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा आयात नियंत्रण के परिवेश में पहला बदलाव आया और देश एक ऐसे परिवेश की ओर अग्रसर हुआ जहां वित्तीय, मात्रात्मक नहीं, नियंत्रणों का उपयोग किया जायेगा। 1985 में भारत ने आरम्भिक रूप से आन्तरिक क्षमता पर बल देते हुए सुधार के एक विस्तृत कार्यक्रम का निरूपण किया। 80 के दशक के मध्य में लगभग दो तिहाई संगठित भारतीय उद्योग कोकर व तटकर दर लागू करने के लिये मूल्य व मात्रात्मक नियंत्रणों से हटा दिया गया। प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों की मजबूत स्कीमों के साथ सुदृढ़ स्तरों के नियंत्रण से अर्थव्यवस्था उद्योगों के स्तर की ओर बढ़ी। इससे फर्मों के बीच नहीं, बल्कि उद्योगों के बीच विभेदन होगा। नीतिगत ढांचे को एक अंतरण क्षेत्र

माना गया जिससे बाद में 9 के दशक की शुरुआत में समान और कम टैरिफ दरें तथा मुक्त रूप से अंतरणीय विनिमय दरें प्राप्त हुईं।

समिति सिफारिश करती है कि प्रमुख फसलों के लिए ऐतिहासिक लागत पर नहीं, बल्कि मार्जिन पर अवसर की लागत पर आधारित एक पैमाना विकसित किया जाये ताकि तकनीकी उन्नति और भारत के प्रतियोगी लाभ, जैसे - अपार समृद्धि और सस्ते श्रम को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। हासिये पर स्थिति इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी लागत ऐतिहासिक लागत से अधिक होगी। किंतु वर्तमान परिणामी लागत प्रति यूनिट परिणाम से कम होगी, हालांकि इसके लिए पुनः बड़े पैमाने पर कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता होगी।

40. नियत मूल्यों पर कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र में निर्धारित पूंजी निर्माण 1976-77 में प्राप्त एक नितान्त स्तर की तुलना में 90 के दशक में कम है। कृषि के लिये खतरनाक 90 के दशक के रुख को प्रतिकूल किया जाना चाहिये। कृषि लाभप्रदता और निजी निवेश असफल हो जाते है क्योंकि भारत बिना किसी तैयारी के विश्व स्तर पर उतर आया। आय परिणाम और तत्पश्चात रोजगार कृषि के क्षेत्र में घट गया। ग्रामीण व शहरी असमानता बढ़ गई। लाभप्रदता के रुख की बदलने के लिये प्रत्येक फसल के लिये एक निश्चित व्यवस्था अनिवार्य है। प्रगामी खेती की आरम्भिक पूंजी आवश्यकता से "औसत" अधिप्राप्ति मूल्यों की तुलना में 6ठे हिस्से की वृद्धि होती है। टैरिफ, कर और वित्तीय नीतियों के तहत इसे ध्यान में रखना होगा। (अलाग 2003) प्रत्येक क्षेत्र को अपनी फसलों के लिये तथ्यों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

- किसान की प्रौद्योगिकी और आर्थिक समर्थन के माध्यम से प्रतियोगी लागत व्यवस्था में बदलने के लिए सहायता की जानी चाहिए। उसके लिए उसकी पूंजी लागत अधिक होगी यद्यपि चालू लागतें न्यूनतर होंगी।

- किसान को प्रातियोगी बनाने के लिए किसान को दक्षतापूर्वक कृषि करने के लिए उत्पादन की शर्तों पर सहायता की जानी चाहिए। इन लागतों का अधिगम और प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की तत्काल प्रथाओं का पूरा करने के लिए विद्यमान प्रथाओं का मुद्रीकरण किया जाता है और कभी-कभी नए आदानों में अधिकतर तात्कालिक प्रकृतिक के हैं और प्रारम्भिक बल और समर्थन के पश्चात किसानों को स्वयं अपने बल पर ही प्रतियोगी बनाने में सक्षम होना होगा।

41. वर्ष 2000-01 पंजाब में धान के किसानों को उच्चत किराए और मशीनरी के लिए औसतन उत्पाद 57.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर था लेकिन न्यूनतम किराए और मशीनरी वर्ग के लिए औसतन उत्पाद 51.1 क्विंटल प्रति हैक्टेयर था। निम्न स्तर पर प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत उच्चत किराए और मशीनरी लागत के लिए 431 रु. प्रति क्विंटल थी लेकिन न्यून उत्पाद, न्यून किराए और मशीनरी लागत के लिए 391 रु. प्रति क्विंटल थी। उसमें दस प्रतिशत का अंतर है। यदि मूल्य स्थापना के लिए दोनों प्रकार के किसानों की औसतन लागत पर विचार किया जाता है तो प्रतियोगी किसानों को विस्तार के लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न्यून उत्पाद वाले किसान आधुनिक और प्रतियोगी बन जाएगा। यह नोट किया जाए कि पूर्व विश्लेषण के स्थैतिक ढांचे के कारण पूर्व के विश्लेषण में इस पहलू को पूर्णतया छोड़ दिया गया है।

42. उपर्युक्त प्रत्यक्ष आकलनों के बजाय सकल आंकड़ों के साथ परिकलित इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए यह एक पूर्वतर विशिष्ट उदाहरण है।

- कुछ तहसीलों में प्रति हैक्टे. बीज की लागत राज्य औसत से अधिक है जो सम्भावित तकनीकी श्रेष्ठता जिससे लागत और उत्पादकता के लाभ प्राप्त होते हैं, का सुझाव देता है। मौजूदा नीतियों में उच्चत पूंजी लागत और प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- स्टाइलाईज्ड आंकड़ों के साथ, धान के लिए वांछनीय आर्थिक प्रोफाइल का दो मान्यताओं के अंतर्गत हल निकाला गया - 7.25% की दीर्घावधिक निवेश के लिए एक ब्याज दर, यदि फील्ड पर प्रचालित किया गया हो और 14.5% का विद्यमान बिजनेस एज यूजअल (बी.ए.यू.) हो, तो आर.बी.आई. गर्वनर वाई. वेणुगोपाल रेड्डी की मुद्रा नीति घोषणा का पालन करेगा। इसी तरह, कार्य पूंजी के लिए आदर्शतम ब्याज दर 9.75% और बी.ए.यू. दर 19.5% है।

- परिणाम है:-

क्र. सं.	लागत मद	नॉरमेटिव मुद्रानीति	बी.ए.यू.
1	2	3	4
1.	शुद्ध मूल्य पर आय	77.30	77.30
2.	आवधिक ऋण पर आय	27.05	54.50
3.	कार्य पूंजी पर ब्याज	26.00	52.10

1	2	3	4
4.	ह्रास	129.2	129.12
5.	आदान लागत	400.00	400.00
6.	कुल	659.61	712.66

ऊपर वर्णित दक्षता शिफ्टर की अवधारणा, इस विवाद का विरोध करता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मौद्रिक और टैक्स नीतियों को किसानों को प्रदान करने के लिए वांछनीय कीमत वातावरण के साथ एक परिमेय भाव के साथ समेकित किया जा सकता है।

43. गेहूं के उदाहरण में, निम्न लागत उत्पादकों का औसत प्रतिफल 45.9 क्विंटल/हैक्टे. था, जबकि अधिक किराए आदि वर्ग के लिए, 51.6 क्विंटल/हैक्टे. था। अधिक किराए और मशीनरी के लिए लागत 462.02 रु. प्रति क्विंटल और निम्न वर्ग के लिए 429.74 रु. थी। अन्य शब्दों में, अंतर 7.51% था।

44. दक्षता अथवा एल.आर.एम.सी. कीमत, इन विवादों के कारण आती है। प्रत्येक मामले में, एक प्रगतिशील और प्रतिस्पर्द्धात्मक कृषि के लिए पर्यावरण का वर्णन करने के लिए एक रोड मानचित्र तैयार करना है।

45. इस रिपोर्ट के विश्वनीय लागत आंकड़ों और व्यक्त किए गए संबंधित मुद्दों के महत्व पर विचार करते हुए, समिति भी सिफारिश करती है कि:-

(क) सी.एस. स्कीम को उचित बजट सहयोग दिया जाना चाहिए।

(ख) आंकड़ों के एकत्रीकरण के श्रेष्ठ पर्यवेक्षण करने के लिए, स्कीम के फील्ड पर्यवेक्षकों को यातायात की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

(ग) कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के स्तर पर और डी.ई.एस. के लागत अध्ययन प्रभाग में स्कीम में रिक्त पदों को प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए। और

(घ) कार्यान्वयनकारी एजेंसियों में स्कीम के कार्यरत स्टाफ को उचित समर्थन मार्ग प्रदान किए जाने चाहिए।

46. इस रिपोर्ट का वृहत जन चर्चा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

जैव-विविधता परियोजनाएं

3856. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य जैव-विविधता बोर्ड प्रत्येक राज्य में आरंभ कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी राज्यों द्वारा अपने-अपने जैव-विविधता बोर्ड कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत राज्यों द्वारा राज्य जैव-विविधता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है। अब तक नौ राज्यों ने जैवविविधता बोर्ड की संरचना को अधिसूचित किया है। यह राज्य कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश है।

(ग) चूंकि राज्य सरकारों द्वारा राज्य जैव-विविधता बोर्डों का गठन किया जाना है, अत: कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। तथापि, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

बजटीय आबंटन का व्यपगत हो जाना

3857. श्री पी.सी. थामस:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में उन केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए बजटीय आबंटन व्यपगत हुए हैं;

(ख) इनके राज्यवार कारण क्या हैं; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) बजट आवंटन वर्ष दर वर्ष के आधार पर किया जाता है और चूंकि चालू वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है अत: इस स्तर पर किसी योजना के अंतर्गत किसी धनराशि के व्यपगत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग को सुदृढ़ बनाया जाना

3858. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग को सुदृढ़ करने के लिए चार नई योजनाओं सहित 18 योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्यवार कौन-कौन सी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) इन योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं और ये योजनाएं आम आदमी के लिए किस सीमा तक लाभप्रद हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुये किसानों को उन्नत सेवायें प्रदान करने के लिये दो स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

(ख) इन स्कीमों के नाम हैं (i) कृषि आसूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/प्रोत्साहन (ii) विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट)।

(ग) और (घ) पहली स्कीम का मुख्य उद्देश्य आई.सी.टी. की मदद से खेतिहर समुदाय को सूचना तथा अन्य सेवायें प्रदान करना है।

पहली स्कीम का एक घटक एग्रिसनेट है, जिसके तहत आई.सी.टी. का उपयोग करते हुये खेतिहर समुदाय को उन्नत सेवायें प्रदान करने के लिये परियोजना शुरू करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। चार राज्यों-गुजरात, पंजाब, केरल तथा उड़ीसा, को एग्रिसनेट परियोजना प्रस्तावों के निरूपण के लिये प्रत्येक राज्य को 5.00 लाख रुपये के हिसाब से धनराशि प्रदान की गई है।

एगमार्कनेट कार्यक्रम का उद्देश्य मण्डियों में कृषि उत्पादों के आवकों और मूल्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। अत: तक वेब-आधारित एगमार्कनेट पोर्टल पर 1357 मण्डियों से 300 जिंसों के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

भूमि की उर्वरता में कमी आने को रोकने के लिए कार्यक्रम

3859. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि की उर्वरता में कमी आने को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्यवार कुल कितनी भूमि की उर्वरता कम हुई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं:-

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.) के जल ग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि के लिये मृदा संरक्षण।
3. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)
4. क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.)
5. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)
6. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
7. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(ग) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एण्ड एल.यू.पी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लगभग 146.82 मिलियन हैक्ट. भूमि विभिन्न प्रकार के भूमि निम्नीकरण के अधीन है। भूमि निम्नीकरण का राज्यवार तथा वर्गवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II तथा III पर दिया गया है।

विवरण-I

भारत में विभिन्न प्रकार के भूमि निम्नीकरण की राज्यवार सीमा

(क्षेत्र हजार हैक्टे. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जल अपरदन	वात अपरदन	जल जमाव	क्षारीयता/ लवणीयता	मृदा अम्लीयता	जटिल समस्या	निम्नीकृत क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	निम्नीकृत क्षेत्र (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11518	0	1896	517	905	156	14992	27505	54.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2372	0	176	0	1955	0	4503	8374	53.8
3.	असम	688	0	37	0	612	876	2213	7844	28.2
4.	बिहार+झारखंड	3024	0	2001	229	1029	0	6283	17387	36.1
5.	गोवा	60	0	76	0	2	24	162	370	43.9
6.	गुजरात	5207	443	523	294	0	1666	8133	19602	41.5
7.	हरियाणा	315	536	146	256	0	214	1467	4421	33.2
8.	हिमाचल प्रदेश	2718	0	1303	0	157	0	4178	5567	75.0
9.	जम्मू-कश्मीर	5460	1360	200	0	0	0	7020	22224	31.6
10.	कर्नाटक	5810	0	941	110	58	712	7631	19179	39.8
11.	केरल	76	0	2098	0	138	296	2608	3886	67.1
12.	मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	17883	0	359	46	6796	1126	26210	44345	59.1
13.	महाराष्ट्र	11179	0	0	1056	517	303	13055	30771	42.4
14.	मणिपुर	133	0	111	0	481	227	952	2233	42.6
15.	मिजोरम	137	0	0	0	1050	694	1881	2108	89.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मेघालय	137	0	7	0	1030	34	1208	2243	53.9
17.	नागालैंड	390	0	0	0	127	478	995	1658	60.0
18.	उड़ीसा	5028	0	681	75	263	75	6122	15571	39.3
19.	पंजाब	372	282	338	288	0	0	1280	5036	25.4
20.	राजस्थान	3137	6650	53	1418	0	110	11368	34224	33.2
21.	सिक्किम	158	0	0	0	76	0	234	710	33.0
22.	तमिलनाडु	4926	0	96	96	78	138	5334	13006	41.0
23.	त्रिपुरा	121	0	191	0	203	113	628	1049	59.9
24.	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल	11392	212	2350	1370	0	0	15324	29441	52.0
25.	पश्चिम बंगाल	1197	0	710	170	556	119	2752	8875	31.0
26.	दिल्ली	55	0	6	10	0	11	82	148	55.4
27.	अण्डमान व निकोबार	187	0	0	9	0	9	205	325	24.8
28.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
30.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	कुल योग	93680	9483	14299	5944	16033	7381	146820	328602	
	कुल योग (मिलियन हैक्टे.)	93.68	9.48	14.30	5.94	16.03	7.38	146.82	328.60	

विवरण-II

10वीं योजना के अंतिम तीन वर्षों (2002-05) के दौरान कृषि मंत्रालय के पनधारा विकास कार्यक्रमों के मामले में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

(भौतिक क्षेत्र लाख हैक्टेयर में और वित्तीय लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एन.डब्ल्यू.डी.पी. आर.ए.		आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.		डब्ल्यू.डी.पी. एस.सी.ए		आर.ए.एस.		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.270	1209.77	0.256	2134.25			0.000	0.00	0.526	3344.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.050	319.73	0.002	5.67	0.028	278.89			0.080	604.29
3.	असम	0.070	333.00	0.019	148.27	0.117	1005.00			0.206	1486.27
4.	बिहार	0.000	66.95	0.000	0.00			0.000	0.00	0.000	66.95
5.	छत्तीसगढ़	0.450	2075.21	0.101	400.74					0.551	2475.95
6.	गुजरात	0.600	2833.57	0.252	2182.70			0.251	629.55	1.103	5645.82
7.	हरियाणा	0.040	263.98	0.143	496.18			0.320	818.00	0.503	1578.16
8.	हिमाचल प्रदेश	0.050	460.15	0.114	1840.32					0.164	2300.47
9.	झारखण्ड	0.270	2806.48	0.000	0.00					0.270	2806.48
10.	जम्मू-कश्मीर	0.230	45.94	0.070	912.80					0.300	958.74
11.	कर्नाटक	0.520	4244.07	1.037	3333.58			0.023	325.65	1.580	7903.30
12.	केरल	0.130	946.42	0.064	634.85					0.194	1581.27
13.	मध्य प्रदेश	1.010	3015.25	0.675	2858.03			0.000	0.00	1.685	5873.28
14.	महाराष्ट्र	0.550	3142.00	0.510	3433.64			0.000	0.00	1.060	6575.64
15.	मणिपुर	0.100	611.67	0.000	0.00	0.071	591.00			0.171	1202.67
16.	मेघालय	0.190	1146.50	0.000	6.00	0.088	850.00			0.278	2002.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मिजोरम	0.220	1630.40	0.024	299.85	0.122	1320.00			0.366	3250.25
18.	नागालैंड	0.170	1361.00	0.026	174.00	0.100	1200.00			0.296	2735.00
19.	उड़ीसा	0.330	1416.10	0.055	239.74					0.385	1655.84
20.	पंजाब	0.010	68.38	0.000	0.00			0.013	19.81	0.023	88.19
21.	राजस्थान	2.050	9806.95	0.681	4998.33			0.134	171.51	2.865	14976.79
22.	सिक्किम	0.080	546.58	0.006	78.20					0.086	624.78
23.	तमिलनाडु	0.840	5022.39	0.137	1710.55			0.021	50.41	0.998	6783.35
24.	त्रिपुरा	0.130	820.96	0.012	122.28	0.078	771.00			0.220	1714.24
25.	उत्तर प्रदेश	0.670	4021.48	1.039	5351.10			0.015	9.92	1.724	9382.50
26.	उत्तरांचल	0.460	3208.93	0.098	739.74					0.558	3948.67
27.	पश्चिम बंगाल	0.010	172.92	0.092	483.81					0.102	656.73
28.	गोवा	0.030	264.39							0.030	264.39
29.	अंडमान व निकोबार	0.020	120.62							0.020	120.62
30.	दादर व नगर हवेली	0.000	0.00							0.000	0.00
31.	दमन व दीव	0.000	0.00							0.000	0.00
	* डी.वी.सी.			0.304	3487.80					0.304	3487.80
	* जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री पैकेज			0.209	1609.46					0.209	1609.46
	* हैड क्वार्टर				119.00					0.000	119.00
	कुल	9.550	51981.79	5.926	37800.89	0.604	6015.89	0.777	2024.85	16.857	97823.42

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. - वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर. - नदी घाटी परियोजना और बाए प्रवण नदियां
डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. - झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
आर.ए.एस. - क्षारी मृदा का सुधार

विवरण-III

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि में ग्रामीण विकास मंत्रालय की डी.पी.ए.पी., डी.पी.डी. और आई.डब्ल्यू.डी.पी. संबंधी स्कीमों के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं और निर्मुक्त किये गये कोष का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.		आई.डब्ल्यू.डी.पी.	
		भौतिक (परि. की सं.)	वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (परि. की सं.)	वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (परि. की सं.)	वित्तीय (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	865	138.00	330	35.53	1.320	77.89
2.	बिहार	188	8.84			0.900	8.72
3.	छत्तीसगढ़	348	47.23			0.836	34.71
4.	गुजरात	741	91.73	873	137.11	1.025	43.00
5.	हरियाणा			357	52.75	0.350	12.07
6.	हिमाचल प्रदेश	130	13.26	160	18.83	0.580	41.96
7.	झारखण्ड	296	8.68			0.520	5.19
8.	जम्मू-कश्मीर	466	28.3	158	22.48	0.550	8.86
9.	कर्नाटक	675	79.84	497	60.42	0.715	61.81
10.	केरल					0.150	5.70
11.	मध्य प्रदेश	803	150.31			1.470	87.38
12.	महाराष्ट्र	899	62.65			1.029	32.54
13.	उड़ीसा	452	30.89			0.830	42.82
14.	पंजाब					0.154	2.45
15.	राजस्थान	305	49.84	2389	287.66	0.900	49.90
16.	तमिलनाडु	464	62.79			1.060	53.03
17.	उत्तर प्रदेश	478	46.73			1.521	54.33
18.	उत्तरांचल	277	19.75			0.504	19.28
19.	पश्चिम बंगाल	176	5.94			0.238	2.39

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	गोवा					0.100	0.83
	अन्य	0	0.41			0.000	10.00
	कुल	7563	845.20	4764	614.78	14.752	654.86
1.	अरुणाचल प्रदेश					1.587	16.15
2.	असम					3.494	63.73
3.	मणिपुर					1.145	15.01
4.	मेघालय					0.420	6.62
5.	मिजोरम					1.207	27.41
6.	नागालैण्ड					1.373	53.20
7.	सिक्किम					0.344	7.77
8.	त्रिपुरा					0.275	4.19
	कुल उत्तर-पूर्व	0	0.00	0	0.00	9.845	194.08
	कुल योग	7563	845.20	4764	614.78	24.597	848.94

डी.पी.ए.पी - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

डी.डी.पी. - मरूस्थल विकास कार्यक्रम

आई.डब्ल्यू.डी.पी. - समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

टिप्पणी - डी.पी.ए. और डी.डी.पी. के तहत एक परियोजना में सामान्य: 500 हैक्टेयर क्षेत्र कवर होता है।

कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) का संरक्षण

[हिन्दी]

3860. डा. के.एस. मनोज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) के संरक्षण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण पर्यटक परियोजना

3861. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण पर्यटन परियोजना ओरछा से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2004-05 में पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा ग्राम, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के विकास हेतु 50.00 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी संबंधी नोर्डिक एजेंसी द्वारा अध्ययन

3862. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फिन डेनिपलसेन ऑफ नोर्डिक एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एंड इकॉलोजी, डेनमार्क के अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा किए गए उस अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार दक्षिण-पूर्व भारत के कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) वनों के पीछे स्थित तटवर्ती गांवों में सुनामी से बहुत कम क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान की प्रगति के लिए अमेरिकन संघ द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर, 2005 को "विज्ञान" पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन का निष्कर्ष है कि तमिलनाडु में कुडुलौर जिले में कच्छ वनस्पति और कैसुरिना रोपणों में सुनामी प्रभावित लहरों के प्रभाव को क्षीण कर दिया और तटीय रेखाओं को नुकसान से बचाया है। अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई है कि तटीय कच्छ वनस्पति और हरित पट्टियों को संरक्षित अथवा पुन:रोपित करने से भावी सुनामी घटनाओं के लिए समुदायों के प्रतिरोधक का कार्य करेगी। इसके अलावा कच्छ वनस्पति मत्स्य ओर वानिकी उत्पादनों को भी संवर्धित करेगी और ये लाभ कृत्रिम तटीय संरक्षण अवसंरचनाओं में नहीं पाए जाते।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने हमेशा ही कच्छ वनस्पतियों के महत्व को रेखांकित किया है और कच्छ वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम पर वर्ष 1987 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 35 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को गहन संरक्षण प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सुनामी के बाद अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी प्रशासनों ने कच्छ वनस्पति संरक्षण, सुरक्षा और रोपण सहित हस्ति पट्टी विकास शुरू किया है।

फॉस्फेट संयंत्र

3863. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) पारादीप में फॉस्फेट संयंत्र अर्जित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी अनुमानित धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(च) आधुनिकीकरण प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(छ) इफ्को द्वारा संयंत्र के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) कृषक भारती कोपरेटिव लि. (इफको) द्वारा पाराद्वीप, उड़ीसा में ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ओ.सी.एफ.एल.) के फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र को अर्जित करने की प्रक्रिया चल रही है। इफको और ओ.सी.एफ.एल. के बीच बिक्री संबंधी करार पर हस्ताक्षर किया जा चुका है और लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं पर कार्रवाई चल रही है।

(ग) पाराद्वीप में फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता 7000 टन सल्फयूरिक एसिड प्रतिदिन, फॉस्फोरिक एसिड ($पी_2ओ_5$) की 2650 टन प्रति दिन और डी.ए.पी./एन.पी.के. उर्वरक की 19.2 लाख टन प्रति वर्ष है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को इफको द्वारा सेवा में बनाए रखा जाएगा। तथापि, करार के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की 30-9-2005 तक की सभी पुरानी देयताएं ओ.सी.एफ.एल. द्वारा भुगतान की जानी है और 1-10-2005 से श्रमिकों की जिम्मेदारी इफको ने ले ली है।

[हिन्दी]

कम लागत वाली दवाइयों के विनिर्माण के लिए अमेरिका से सहायता

3864. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कम लागत वाली दवाइयों के विनिर्माण के लिए अमेरिका से सहायता मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका ने उक्त दवाईयों के विनिर्माण में सहायता देने के लिए कोई शर्त रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटकों का आगमन

3865. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में जनवरी से मार्च, 2005 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्यटकों के आगमन में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2005 के आरंभिक पांच महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय 27 प्रतिशत बढ़कर 2,374 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गयी है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में कितनी आय प्राप्त हुई है और वर्ष 2005-06 के लिए बजटीय आबंटन में कितनी वृद्धि की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जनवरी-मार्च, 2004 के दौरान 9,07,804 की तुलना में जनवरी-मार्च 2005 की अवधि के दौरान अनुमानित 10,77,454 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की, जो 18.7% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2003 के दौरान 3533 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2004 के दौरान अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 4810 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 36% की वृद्धि दर्शाता है।

2005-06 के लिए पर्यटन मंत्रालय का स्वीकृत योजना परिव्यय 786 करोड़ रुपए है जो 2004-05 के दौरान आबंटित 500 करोड़ रुपए से 286 करोड़ रुपए अधिक है।

[हिन्दी]

रेशमकीट कोकूनों में बीमारी

3866. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा के कारण रेशमकीट कोकूनों में मसकरडाइन बीमारी फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) अनन्तिम रूप से 10-15% की हानि का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान तथा विसंक्रामक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी है। राज्य सरकारों को उत्प्रेरण (कैटालिटिक) विकास स्कीमों के तहत इस उद्देश्य के लिये किसी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिये मांग-पत्र भेजने की भी सलाह दी गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान विसंक्रामकों की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति के लिये निम्नलिखित धनराशियां पहले ही निर्मुक्त कर दी गई हैं:-

(i) कर्नाटक - 7.18 लाख रु. (सी.एस.बी. अनुसंधान संस्थान, मैसूर के जरिये)

(ii) तमिलनाडु - 8.61 लाख रुपये

(iii) आंध्र प्रदेश - 7.81 लाख रुपये

[अनुवाद]

कृषि को उद्योग का दर्जा

3867. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार विपणन एवं कटाई पश्चात् प्रबंध सहित कृषि क्षेत्र के विकास के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा ऋण व अन्य आदानों की आसान उपलब्धता जैसे लाभ जो विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त हो रहे हैं, यथा सम्भव कृषि क्षेत्र को प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

(घ) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को और अधिक जीवन्त तथा गतिशील बनाने के लिये सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं जिनमें किसानों के लिये संस्थागत ऋण में वृद्धि तथा सहकारी ऋण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसानों के लिये अनुकूल और मांग संचालित कृषि विस्तार प्रणाली को प्रोत्साहित करना, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण में तेजी लाना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करना, अवसंरचना और आपूर्ति की कड़ियों को मजबूत बनाना, ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणालियों के जरिये उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग को अनकूलतम बनाना, शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि करना, कृषि मंडियों में सुधार, कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग तथा किसानों के लिये जोखिम प्रबंधन की एक व्यापक प्रणाली स्थापित करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पशुपालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा

3868. श्री मुनव्वर हसन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पशुपालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग उत्तर प्रदेश में पशुपालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	1063.00	0.00	841.15

1	2	3	4	5
2.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	68.00	17.09	0.00
3.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	337.66
4.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	403.26	414.15	263.33
5.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	50.00	20.00	20.00
6.	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	282.00	524.00

[अनुवाद]

कृषि संबंधी गणना

3869. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि संबंधी गणना कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सर्वेक्षणों के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) किस वर्ष तक कृषि संबंधी गणना की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया और इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया;

(घ) कृषि संबंधी अगली गणना किस वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इनके लिए कितनी धनराशि जारी की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि संगणना 1970-71 से देश में पंचवर्षीय रूप से आयोजित की जा रही है ताकि सामाजिक समूहों, लिंग तथा आमाप वर्गों के अनुसार प्रचालनात्मक जोतों की संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। सामाजिक समूहों तथा आमाप वर्गों द्वारा भूमि उपयोग, अवधि, सिंचाई, कूपों तथा नलकूपों, फसलन प्रणाली तथा प्रचालनात्मक जोतों के बिखराव के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रतिदर्श के आधार पर एकत्रित की जाती है।

कृषि संगणना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रचालनात्मक जोतों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करके कृषि की संरचना तथा लक्षणों को उल्लिखित करना;

(ii) नये कृषि विकास कार्यक्रमों के निरूपण तथा उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये अपेक्षित बेंचमार्क आंकड़े प्रदान करना;

(iii) भविष्य में कृषि सर्वेक्षणों के आयोजन के लिये प्रचालनात्मक जोतों का मूलभूत ढांचा प्रदान करना;

(iv) वर्तमान कृषि सांख्यिकी के लिये एक समेकित कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक आधार तैयार करना।

(ग) संदर्भ वर्ष 1995-96 (जुलाई-जून) के अनुसार कृषि संगणना पूरी कर ली गई है और इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(घ) संदर्भ वर्ष 2005-06 (जुलाई-जून) के अनुसार अगली कृषि संगणना नवम्बर, 2005 में शुरू की गई है।

(ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी किये गये कोष का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रुपये में)

2002-03	–	8.92
2003-04	–	8.64
2004-05	–	13.48
2005-06 (31-10-05 के अनुसार)	–	7.52

डुप्लीकेट वस्तुएं

3870. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोशिएटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) ने हाल ही में देश में औद्योगिक क्षेत्र के कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा डुप्लीकेट वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसोचैम ने डुप्लीकेट वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाने हेतु कुछ सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एसोशिएटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने नकली, जाली, अप्रमाणिक और निषिद्ध उत्पादों की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, प्रत्येक जिले में आर्थिक अपराध अदालतों की स्थापना, संक्षिप्त विचारण और दण्डात्मक मुआवजा देने आदि से संबंधित हैं। जहां तक उपभोक्ता मामले विभाग का संबंध है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता मंचों को नकली, जाली, अप्रमाणिक और निषिद्ध उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता समस्याओं से निपटने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम

3871. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य की मत्स्य और वन्यजीवन सेवा द्वारा वर्ष 1970 में एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था और केन्द्र द्वारा पहचानी गई 40 परियोजनाओं के लिए भारत ने 26.4 करोड़ रु. दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवश्यक उपस्कर और प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक पूरी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

होटलों का निर्माण

3872. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग को ध्यान में रखकर प्रमुख शहरों/कस्बों में पर्यटन स्थलों के आस-पास बड़े और बजट होटलों हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) होटलों का निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है, और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे होटल के कमरों हेतु बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त भूमि आबंटित करके, भूमि-प्रयोग को पुनः परिभाषित करके, आदि द्वारा होटलों की वृद्धि को सुगम बनाने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं। कुछेक राज्यों ने सकारात्मक उत्तर दिए हैं।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

3873. श्री रामदास आठवले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

बांध: परियोजना प्राधिकारियों ने मार्च, 2004 में बांध के स्पिलवे भाग पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया और जून, 2004 में 110.64 मीटर ऊंचाई स्तर पूरा कर लिया जोकि बांध की वर्तमान ऊंचाई है।

विद्युत गृह: नहर शीर्ष विद्युत गृह केनाल हैड पॉवर हाऊस सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया है एवं नदी तल विद्युत गृह पर कार्य प्रगति पर है। दोनों विद्युत गृहों में आंशिक रूप से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

नहरें: नर्मदा मुख्य नहर 357 किलोमीटर तक पूरी कर ली गयी है और 348 कि.मी. तक जल का प्रवाह हो रहा है।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.) के निर्माण पर 20,190.11 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है। केन्द्र सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजना के सिंचाई घटक को पूरा करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी 2177 करोड़ रुपये सहित केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में अब तक 4238.25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, सरदार सरोवर परियोजना के लिए ए.आई.बी.पी. के तहत वित्तपोषण के संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना चरण-I को 5 वर्षों के लिए 955.64 करोड़ रु. के अनुमानित लागत से वर्ष 2003-04 में सरकार के कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल किया गया था। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के पिछले अनुप्रयुक्त राशि को समायोजित करने के पश्चात् वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही तक 44.196 करोड़ रु. के उपयुक्त केन्द्रीय अंशदान के खर्च की तुलना में इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में 41.1 करोड़ रु. की अदायगी की है। राज्य सरकार से सितम्बर, 2004 में 429.6 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से इस कार्यक्रम के तहत सरदार सरोवर परियोजना चरण-II(क) को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि किसी चालू परियोजना को पूरा कर लिए जाने अथवा इस कार्यक्रम से निकाल देने पर ही किसी नई परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

चीनी संबंधी परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

3874. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शुगर इंस्टीट्यूट में गन्ने के एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए बायो-पेस्टीसाइड्स यूनिट की स्थापना हेतु अनुमोदन, मैसूर पेपर मिल्स, शुगर मिल के विस्तार तथा कोजेनेरेशन यूनिट की स्थापना हेतु शुगर डेवलेपमेंट फन्ड (एस.डी.एफ.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता, कर्नाटक में चीनी फैक्ट्रियों के गन्ना क्षेत्र के विकास हेतु एस.डी.एफ. सहायता तथा कर्नाटक शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा गन्ने के बड़े स्तर पर माइक्रो प्रोपागेशन की स्थापना हेतु अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) अनुमोदन हेतु ये प्रस्ताव कितने समय से लम्बित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को अब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) कर्नाटक शुगर इंस्टीट्यूट से 'गन्ने में समन्वित जन्तुबाधा प्रबंधन के लिए जैव कीटनाशी उत्पादन यूनिट की स्थापना' और 'गन्ने के वृहद् माइक्रो प्रचार की स्थापना' विषय से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि के अधीन वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) हेतु 2 प्रस्ताव अक्तूबर, 2004 में प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रस्तावों पर चीनी उद्योग विकास परिषद की एक उप-समिति नामत: स्थायी अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जाता है। चूंकि चीनी उद्योग विकास परिषद का पुनर्गठन होना था, इसलिए इन प्रस्तावों पर पहले विचार नहीं किया जा सका था।

अगस्त, 2005 में सरकार ने समिति के सदस्यों का नामांकन कर दिया है।

(ii) कर्नाटक सरकार ने मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स लि., शिमोगा जिला, कर्नाटक के लिए क्षमता विस्तार करने, सह-उत्पादन यूनिट और ईथानॉल का उत्पादन करने का प्लांट लगाने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण लेने हेतु दिसम्बर, 2004 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि यह प्रस्ताव पूर्ण नहीं था और सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए कर्नाटक सरकार से जनवरी, 2005 में उक्त दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया था। इस विभाग में क्षमता विस्तार और खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन की परियोजना के लिए 42 करोड़ रुपये के ऋण हेतु एक संशोधित प्रस्ताव 2-12-2005 को प्राप्त हुआ है। तथापि, यह प्रस्ताव अभी भी हर प्रकार से पूर्ण नहीं है।

(iii) पिछले 2 वर्षों के दौरान कर्नाटक में चीनी फैक्ट्रियों के गन्ना क्षेत्र का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु 6 प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुए हैं। तथापि, ये आवेदन हर प्रकार से पूर्ण नहीं है।

(घ) चीनी मिलों/राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्रस्तावों/आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होना और ऋण मंजूर करना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें ऋण/सहायता अनुदान के आवेदनों की प्रथमतः जांच समिति/उप-समिति/स्थाई अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा जांच की जाती है और इसके बाद स्थाई समिति द्वारा जांच की जाती है। स्थायी समिति की सिफारिशों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इसके स्वीकार करने पर चीनी विकास निधि से ऋण का अनुमोदन जारी किया जाता है। ऋण आवेदन प्राप्त होने और इसे मंजूर करने के बीच एक समय-अंतराल होता है।

खाद्यान्नों का निरीक्षण

3875. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी होने वाले खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम भंडारों से उठाने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के निरीक्षण/जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केवल अच्छी तरह से भण्डारण किया गया और मानव उपभोग के लिए सर्वथा उपयुक्त खाद्यान्न भण्डार का जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों का वितरण किया जाए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा उनके प्राधिकृत नामितियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप केवल उचित औसत गुणवत्ता और जन्तुबाधा से मुक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

2. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक जारी करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए और सील किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं के लाभों के लिए इनका प्रदर्शन उचित दर दुकानों के काउंटरों पर किया जा सके।

3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक का उठान करने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी निरीक्षक के रैंक से कम का न हो।

5. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों तथा मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की औचक जांच करते हैं।

6. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों की संबंधित राज्यों में मानीटरिंग करने के लिए विभाग के "क्षेत्र

अधिकारी" के रूप में नामित अधिकारी राज्य में अपने दौरे के दौरान भण्डारण डिपुओं तथा उचित दर दुकानों का दौरा भी करते हैं ताकि जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

बागबानी, मत्स्य और पशुधन का विकास

3876. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी, मत्स्यन और पशुधन क्षेत्रों के विकास के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में 2005-06 के दौरान कृषि वृद्धि के लिये 4% का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये एक बहु आयामी कार्य नीति के जरिये बहुत से उपाय किये हैं। सरकार द्वारा निरूपित कार्य नीतियों का अभिप्राय 4 प्रतिशत की एक उच्चतर वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिये कृषि क्षेत्र को और अधिक सक्रिय तथा जीवन्त बनाना है। इन कार्यनीतियों में ऋण में वृद्धि और सहकारी ऋण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण; (ii) गुणवत्तप्रद आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; (iii) किसानों के लिये अनुकूल तथा मांग संचालित कृषि विस्तार प्रणाली को प्रोत्साहित करना, (iv) बागवानी सहित उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण की गति में तेजी लाना; (v) अवसंरचना तथा आपूर्ति शृंखला का सुदृढ़ीकरण; (vi) सूक्ष्म सिंचाई के जरिये उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम और प्रभावी उपयोग करना और शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि करना; (vii) कृषि मण्डियों में सुधार लाना और कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग; (viii) किसानों के लिये जोखिम प्रबंधन की फसल बीमा जैसी एक व्यापक प्रणाली सुनिश्चित करना तथा (ix) उन्नत दक्षता और उच्चतर उत्पादकता के लिये ट्रैक्टरों तथा शक्ति चालित उपकरणों तथा पौध संरक्षण उपकरणों का उपयोग करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ग) और (घ) सरकार बागवानी, मात्स्यिकी और पशुधन क्षेत्रों के विकास में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित कर रही है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों में अत्यधिक निवेश को प्रेरित किया जा सके:-

- बागवानी के उप क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के लिये विपणन अवसंरचना की स्थापना सहित रोपण सामग्री का उत्पादन (नर्सरी), सब्जी बीज उत्पादन, बीज अवसंरचना समेकित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम.)/ समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) को प्रोत्साहन, जैव-नियंत्रण प्रयोगशालायें, पादप स्वास्थ्य क्लिनिक, पर्ण/ ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालायें, कटाई पश्चात प्रबंधन, जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

- पशुधन क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के कवरेज में वृद्धि करने के लिये निजी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

- मात्स्यिकी क्षेत्र में विपणन अवसंरचना, जैसे-खुदरा वेंडिंग किओस्क, एक्वा-शॉप, इन्सुलेटेड/प्रशीतन गाड़ियों, मिनी ट्रकों, आइस-बॉक्स सहित आटो रिक्शा, आइस-बॉक्स सहित मोटर साइकिल/बाईसाइकिल, फिश डिसप्ले केबिनेट, भार मापक पैमाने, संगणित्र यूनिटों तथा सम्बद्ध उपकरणों, के विकास के लिये गैर-सरकारी संसगठनों/निजी पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(ङ) और (च) सरकार ने बागवानी, मात्स्यिकी तथा पशुधन क्षेत्रों के विकास के लिये निम्नलिखित स्कीमों का निरूपण किया है:-

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई, 2005 में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य एक समेकित तरीके से अनुसंधान, उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंध, प्रसंस्करण तथा विपणन को प्रोत्साहित करना है।

- मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रमुखतया विपणन अवसंरचना के विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, यथा "समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना तथा कटाई पश्चात् प्रचालनों का विकास," शुरू की गई है।

– पशुधन क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के जरिये उत्पादक पशुधन के प्रजनन के लिये 26 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, "राष्ट्रीय मवेशी व भैंस प्रजनन परियोजना", क्रियान्वित की जा रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3877. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की आधुनिकीकरण योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना को संयंत्र-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने क्षमता विस्तार, उन्नयन और लागत प्रभावी उत्पादन करने के लिए अपनी निगमित योजना तैयार की है जिसमें वर्ष 2012 तक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) सहित तप्त धातु का उत्पादन बढ़ाकर 22.88 एम.टी. करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं का संयंत्र-वार ब्यौरा और उन पर होने वाला संभावित व्यय निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	संयंत्र	प्रमुख परियोजनाएं	वर्ष 2011-2012 तक कुल निवेश (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	(i) मौजूदा कोकओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत	9000
		(ii) बैटरी 7 और 8 के स्थान पर एक नई बैटरी।	
		(iii) धमन भट्टी-1, 5 और 7 में कोल डस्ट इंजेक्शन (सी.डी.आई.) की स्थापना।	
		(iv) गैस क्लीनिंग प्लांट (जी.सी.पी.) सहित मौजूदा धमन भट्टियों का आधुनिकीकरण।	
		(v) 150 टन कनवर्टरों, लैडलफर्नेस, बिलेटकास्टर, थिन स्लेब कास्टर सहित 3.9 एम.टी. वार्षिक क्षमता की स्टील मैल्टिंग शॉप (एस.एम.एस.)-3 और एस.एम.एस.-1 तथा ब्लूमिंग और बिलेट मिल (बी.बी.एम.) आदि को समाप्त करने के लिए अन्य संबद्ध सुविधाओं सहित कॉम्पैक्ट स्ट्रिप मिल (सी.एस.पी.) की स्थापना।	
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(i) कोकओवन बैटरी सं.-4 की बड़े पैमाने पर मरम्मत	2840
		(ii) धमन भट्टी 3 और 4 में सी.डी.आई.।	
		(iii) धमन भट्टी-1 का उन्नयन और कोल डस्ट इंजेक्शन (सी.डी.आई.) शुरू करना।	

1	2	3	4
		(iv) ब्लूम कास्टर और लैडल फर्नेस की स्थापना।	
		(v) नए बिलेट कास्टर की स्थापना।	
		(vi) नई बार और रॉड मिल, मीडियम स्ट्रक्चरल मिल आदि।	
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	(i) कोकओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत।	4590
		(ii) कोल कैमिकल डिपार्टमेंट (सी.सी.डी.) का आधुनिकीकरण	
		(iii) बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट (बी.ओ.ओ.) के आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना।	
		(iv) नई घवन भट्टी सं. 5।	
		(v) कनवर्टर, कास्टर और वैक्यूम आर्क डीनैसिंग (वी.ए.डी.) सहित चरण-2 एस.एम.एस.।	
		(vi) नई प्लेट मिल।	
		(vii) कोल्ड रोलिंग मिल (सी.आर.एम.), टैंडैम मिल आदि में उन्नयन और मरम्मत संबंधी योजनाएं।	
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	(i) कोकओवन बैटरी - 1, 2 और 5 की बड़े पैमाने पर मरम्मत	6340
		(ii) कच्चा माल संभाल संयंत्र (आर.एम.एच.पी.) का विस्तार।	
		(iii) सिंटर संयंत्र की मरम्मत और उन्नयन।	
		(iv) घमन भट्टियों में सी.डी.आई. शुरू करना।	
		(v) घमन भट्टियों और स्टोवों का उन्नयन।	
		(vi) एस.एम.एस.-1 में 3 नई आधुनिक बेसिक ऑक्सीजन भट्टियां (बी.ओ.एफ.) और 3 स्लैब कास्टरों की स्थापना।	
		(vii) हॉट स्ट्रिप मिल (एच.एस.एम.) आदि की मरम्मत।	
5.	मिश्र इस्पात संयंत्र	(i) नई विद्युत चाप भट्टी (ई.ए.एफ.) और आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन (ए.ओ.डी.) की स्थापना।	460
		(ii) नया ब्लूम कम राउंड कास्टर।	
		(iii) ब्लूमिंग और बिलैट मिल (बी.बी.एम.) में वार्किंग बीन फर्नेस।	
		(iv) फोर्ज शॉप और प्लेट मिल, हीट ट्रीटमेंट सुविधा और कंडीशनिंग शॉप आदि की मरम्मत;	

1	2	3	4
6.	विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	(i) धमन भट्टी में अतिरिक्त टर्बो ब्लोअर की स्थापना।	299
		(ii) एस.एम.एस. में वी.ए.डी.।	
		(iii) प्राइमरी मिल में ब्लूमकास्टर, वार्किंग बीम फर्नेस और डी गैसिंग सुविधा।	
		(iv) फोर्ज शॉप की मरम्मत, ऑन लाइन टैस्टिंग तथा स्ट्रेटनर	
		(v) बी.ओ.ओ. आधार पर कोकओवन बैटरियां और ऑक्सीजन संयंत्र।	
7.	सेलम इस्पात संयंत्र	(i) कोल्ड रोलिंग मिल (सी.आर.एम.) में जैड मिल का उन्नयन।	1266
		(ii) बेदाग इस्पात उत्पादन सुविधा।	
		(iii) दूसरी कोल्ड रोलिंग मिल (सी.आर.एम.) और संबद्ध सुविधाएं	
8.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	(i) नई कोक ओवन बैटरी-11 की स्थापना।	8017
		(ii) कच्चा माल संभाल परिसर।	
		(iii) 2000 सी.यू.बी. एम क्षमता सहित धमन भट्टी-5	
		(iv) सिंटर संयंत्र।	
		(v) 2 बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बी.ओ.एफ.) कनवर्टर।	
		(vi) बिलैट कास्टर, बीम ब्लैंक कास्टर और यूनिवर्सल मिल आदि।	
9.	कच्चा माल प्रभाग	सेल की किरीबुरू, मेघाहाता-बुरू, तलडीह, ठाकुरानी, चिरिया, रावघाट, जैसी विभिन्न खानों में उपस्करों का उन्नयन और विकास योजनाएं, बी.एस.पी. में पैलेट संयंत्र की स्थापना, ए.एम.आर. योजनाएं आदि।	2170
		कुल निवेश	34982

मजिस्ट्रेटों की शक्तियां

3878. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जिला मजिस्ट्रेटों को पर्यावरण से जुड़े कानूनों संबंधी शक्तियां देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे स्थिति में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और लोक देयता बीमा अधिनियम, 1991 सहित पर्यावरण से संबंधित कानूनों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों/ समहार्ताओं को पहले से ही कुछ शक्तियां प्रदत्त हैं।

ओलिव रिडले कछुओं का संरक्षण

3879. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तटीय सीमाओं पर ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या इनके संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना परियोजना शुरू किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश की सीमावर्ती सीमाओं में ओलिव रिडले टर्टल्स की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

1. ओलिव रिडले टर्टल्स को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे उन्हें अधिनियम सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. उड़ीसा राज्य सरकार ने सभी मत्स्यन जलस्रोतों के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

3. वन विभाग द्वारा सुरक्षा शिविर स्थापित कर के ओलिव रिडले टर्टल्स के नेस्टिंग बीचों को शामिल करते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

4. राज्य वन विभाग द्वारा ओलिव रिडले टर्टल्स के नेस्टिंग स्थलों की लगातार मानीटरी की जाती है।

5. उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में स्थल शिविरों और वन अधिकारियों के बीच मौजूदा संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है।

6. बेहतर सुरक्षा को लागू करने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कोस्ट गार्डों की सहायता भी ली जाती है।

7. भारत, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से सम्बन्धित कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए वह ओलिव रिडले टर्टल्स सहित प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बाध्य है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। 'वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहतूश की तस्करी

3880. श्री निखिल कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में सहतूश के शालों की तस्करों की घटनाओं का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार का आगे क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नवम्बर, 2005 के दौरान दिल्ली में दो मामले पंजीकृत किए गए। सहतूश के 21 शाल जब्त किए गए। इन मामलों की जांच के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) गिरफ्तार किए गए लोगों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मामला सं. आर.सी. 9/2005-ई. ओ. यू.वी. दिनांक 17-11-2005.

   (i) हाजी गुलाम नवी नक्काम

2. मामला सं. आर.सी. 10/2005-ई.ओ. यू.वी. दिनांक 22-11-2005.

   (i) मोहम्मद यासीन वानी

   (ii) मोहम्मद इम्तियाज वानी

   (iii) आसिफ हुसैन

   (iv) गोहर अमीर बेग

चिरू अथवा तिब्बती एन्टीलोप, जिनसे शहतूत प्राप्त होता है, को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में

सूचीबद्ध करके उन प्रजातियों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। संबद्ध जम्मू और कश्मीर अधिनियम का भी संशोधन किया गया है और चिरू को अनुसूची-1 में रखा गया है इस प्रकार सहतूश के व्यापार को जम्मू और कश्मीर में भी प्रतिबन्धित कर दिया है। सहतूश शालों के अवैध उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। भारत संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (साइटस) पर हस्ताक्षरकर्ता है जो कि सहतूश के व्यापार पर रोक लगाता है। सहतूश से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है।

प्लस्टिक का उपयोग

3881. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्रीमती मनोरमा माधवराव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अलग-अलग क्षेत्रों में प्लास्टिक कल्चर और प्लास्टिक के उपयोग संबंधी कोई सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग के कतिपय क्षेत्र और कृषि इसे अपरिहार्य मानते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) उद्यान कृषि में प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति, कृषि मंत्रालय द्वारा 17-21 नवम्बर, 2005 के दौरान नई दिल्ली में प्लास्टिकल्चर एवं प्रिसिजन फार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सूक्ष्म एवं छिड़काव द्वारा सिंचाई, उप सतह निकास, जल भंडारण का अस्तर एवं प्लास्टिक फिल्म के साथ वहन प्रणाली, कृषि से सतह को ढकना, सूक्ष्म कृषि, कार्बनिक कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग, भंडारण प्रौद्योगिकी, नीति मामलों आदि सहित कृषि उपरान्त प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

(ग) कृषि क्षेत्र में रिसाव एवं छिड़काव से सिंचाई, हरित गृह, घासपात से ढकने आदि जैसे विभिन्न प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोगों से जल बचत, नमी संरक्षण एवं उत्पादकता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं। पाइप, नल एवं फिल्म जैसे प्लास्टिक उत्पाद सतत् कृषि एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए अपरिहार्य हैं। पैकेजिंग, आटोमोबाइल एवं निर्माण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।

(घ) उद्यान कृषि विकास में प्लास्टिक के महत्व पर विचार करते हुए, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि, जल प्रबंधन और संबंधित विषयों में प्लास्टिक के प्रयोग के प्रसार और विकास के लिए उद्यान कृषि पर प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने भी प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग सहित पेट्रो-रसायन उद्योग के प्रसार को सरल बनाया है।

बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में संशोधन

3882. श्री गणेश सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) हेतु बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में आदर्श संशोधन दिनांक 24-3-2004 के कार्यालय आदेश संख्या डब्ल्यू.एम.-9(4)/03 द्वारा जारी किए गए थे और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान के प्रभारी सचिवों को परिचालित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन संशोधनों को लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी राजपत्रित अधिसूचना संख्या और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसको लागू करने की तारीख क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उसकी स्थिति तथा उक्त संशोधनों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपर्युक्त संशोधनों को लागू करने में ऐसे असाधारण विलंब के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं। बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक 10 मार्च, 2005 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आनुवांशिक रूप से परिष्कृत उत्पादों के माध्यम से कृषि उत्पादनशीलता

3883. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आनुवांशिक रूप से परिष्कृत उत्पादों के माध्यम से कृषि उत्पादनशीलता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में एक कार्य बल का गठन किया था। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुये इस कार्य बल की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है। "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण के लिये बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास व सुदृढ़ीकरण" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत "कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग" के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिये 14.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

3884. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाखों हैक्टेयर भूमि बंजर पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसी बंजर भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने कृषि वानिकी में बंजर भूमि के उपयोग के सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो सुझाये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर आज की तिथि तक क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या सरकार के पास रतनजोत के उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है अथवा किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि बंजर भूमि का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, (एन.आर.एस.ए.) हैदराबाद के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सेटेलाइट इमेजरी डाटा का प्रयोग करते हुये प्रकाशित किये गये हाल ही के वेस्टलैण्ड्स एटलस ऑफ इण्डिया, 2005 के अनुसार देश में 552.69 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि/बारानी भूमि के रूप में आकलित किया गया है। इन बंजर भूमियों के क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अपनी सिफारिशों के सस्य-वानिकी तथा अन्य उद्देश्यों के लिये बंजर भूमि के उपयोग को शामिल किया है। विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किये जा रहे निम्नलिखित विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत सस्य-वानिकी एक घटक है:-

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.)
3. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)
4. क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.)
5. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)
6. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
7. समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन शुरू करने के लिये योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की निम्नीकृत वन्य बंजर भूमि तथा 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की गैर-वन बंजर भूमि सहित 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की बंजर भूमि में जटरोफा का रोपण सन्निहित है।

विवरण

बारानी भूमि/बंजर भूमि की राज्यवार बीमा

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बंजर भूमि का क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	45.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.18
3.	असम	14.03
4.	बिहार	5.44
5.	छत्तीसगढ़	7.58
6.	गोवा	0.53
7.	गुजरात	20.38
8.	हरियाणा	3.27
9.	हिमाचल प्रदेश	28.34
10.	जम्मू-कश्मीर	70.20
11.	झारखण्ड	11.17
12.	कर्नाटक	13.54
13.	केरल	1.79
14.	मध्य प्रदेश	57.13
15.	महाराष्ट्र	49.28
16.	मणिपुर	13.17
17.	मेघालय	3.41
18.	मिजोरम	4.47
19.	नागालैंड	3.71
20.	उड़ीसा	18.95
21.	पंजाब	1.17
22.	राजस्थान	101.45
23.	सिक्किम	3.81
24.	तमिलनाडु	17.31
25.	त्रिपुरा	1.32
26.	उत्तरांचल	16.10
27.	उत्तर प्रदेश	16.98
28.	पश्चिम बंगाल	4.40
29.	संघ शासित क्षेत्र	0.31
	कुल	552.69

[अनुवाद]

वन क्षेत्रों के विकास कार्य

3885. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण सड़क, छोटे पुल और पुलिया आदि जैसी गतिविधियों को वन भूमि के अन्य उपयोगों हेतु शुरू की जाने वाली अनुपजेय गतिविधियों की सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 03-01-2005 को सरकारी विभागों द्वारा जन उपयोगी कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक एक हैक्टेयर वन भूमि का दिशापरिवर्तन करने का सामान्य अनुमोदन प्रदान किया। इनमें विद्यालय, औषधालय/अस्पताल विद्युत और दूरसंचार लाइन्स, पेयजल, वर्षा जल कृषि ढांचें, लघु सिंचाई नहर, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कार्यकुशल ा को बढ़ाना/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब स्टेशन, संचार पोस्ट और पुलिस स्थापनाएं जैसे पुलिस स्टेशन/आऊटपोस्ट/वाचटावर आदि शामिल हैं। सामान्य अनुमोदन में ग्रामीण सड़कें, छोटे पुल और पुलिया जैसे कार्य शामिल नहीं है। इन कार्यों को करने के लिए वन भूमि के दिशापरिवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। इसके लिए संबंधित

प्रयोक्ता एजेंसी को प्रस्ताव को निर्धारित फार्मेट में सभी सम्बद्ध सूचना/दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से भेजना अपेक्षित है।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान

3886. डा. के.एस. मनोज: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक अन्तर्राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) केरल की राज्य सरकार से ऐसा कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन क्षेत्र

3887. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्र का अनुमान लगाने हेतु भिन्न-भिन्न तरीके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित अनुमान प्रक्रिया में विसंगतियां पायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) वन आवरण के आकलन के लिए सुदूर संवेदी, आकाशीय फोटोग्राफी भूमण्डलीय अवस्थापन प्रणाली (जी.पी.एस.) और थल सर्वेक्षण जैसी विभिन्न प्रणालियां हैं।

(ग) और (घ) सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी में खगोलीय विभेदन/विवेचित लंबाई की न्यूनतम इकाई, वृक्षों और नए रोपणों की कुछ प्रजातियों में कम क्लोरोफिल की मात्रा, कतिपय अवधियों के दौरान अपर्ण अवस्था और मेघाच्छन और छायाभूत होने की सीमाएं हैं।

आकाशीय फोटोग्राफी से अधिक ब्यौरा प्राप्त होता है किन्तु इसमें अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय सहित कई अभिकरणों से इसके लिए स्वीकृति अपेक्षित होती है।

जी.पी.एस. का उपयोग छोटे क्षेत्रों के त्वरित आकलन में सहायक है, इसकी शुद्धता तब तक अधिक नहीं होती जब तक कि विभिन्न भू-मण्डलीय अवस्थापन प्रणाली का उपयोग न किया जाए।

थल सर्वेक्षण तकनीक सही है किन्तु यह धीमा और श्रम साध्य है और यह बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती।

बीमार पशुओं को संगरोध सुविधाएं

3888. श्री के.एस. राव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्राणी उद्यानों में चिकित्सा उपचार के लिए लाए जाने वाले बीमार पशुओं के लिए संगरोध सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राणी उद्यान प्राधिकारी उपचार तथा आश्रय हेतु लाए गए घायल/बीमार पशुओं को वन में छोड़े जाने से पूर्व उनका चिकित्सा उपचार करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। देश के सभी बड़े और मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघरों में आए नए और बीमार पशुओं के चिकित्सीय उपचार हेतु देखभाल के लिए एकाकी और संगरोध वार्डों सहित पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा इकाइयां हैं। छोटे और लघु श्रेणी के चिड़ियाघरों में बीमार पशुओं की देखरेख के लिए उपचार कक्ष हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चिड़ियाघर घायल और बीमार पशुओं को उपचार के लिए ग्रहण करते हैं। राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा उनकी स्वास्थता के मूल्यांकन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् उन्हें जंगलों में छोड़ा जाता है। ये चिड़ियाघर उन जानवरों के लिए जीवनकाल बचाव सुविधाओं के रूप में भी काम करते हैं जिन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता बशर्ते

कि उनके आवासन और अनुरक्षण हेतु समुचित अवसंरचना उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

टैंटर का उत्पादन

3889. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन के ट्रैक्टर वेहिक्लस लिमिटेड (टी.वी.एल.) तथा 'हिन्दुस्तान मशीन एण्ड टूल्स' ट्रैक्टर बनाने वाली भारतीय कंपनी के बीच किए गए समझौते के अंतर्गत निर्मित की जा रही नई प्रौद्योगिकी मशीन 'टैंटर' के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) टैंटर की अतिरिक्त विशेषताएं क्या हैं जिनसे किसानों को लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या ये टैंटर अन्य देशों के किसानों द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'टैंटर' भारतीय किसानों की क्रय शक्ति की पहुंच में होंगे; और

(च) यदि हां, तो इनके ईंधन, प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है तथा पुर्जों के रखरखाव की लागत कितनी होगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. ने भारत में ट्रैंटरों का निर्माण करने के लिए ब्रिटेन के मै. ट्रैक्टर वेहिक्लस लिमिटेड के साथ वर्ष 2004 में एक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं। फील्ड परीक्षण के लिए पायलट बैच के रूप में पांच ट्रैंटरों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है तथा दस नग के आगामी बैच के साथ वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया गया है।

(ख) ट्रैंटर अनिवार्य रूप से उच्चतर हॉर्स पावर के हैं जो भारी कृषि कार्य में सक्षम हैं तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि कार्यों को करने में सक्षम है। कृषि कार्य के अलावा, किसान ट्रैंटरों का उपयोग पिकअप ट्रक, माल ढुलाई वाहन, जल निकास और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्रिटेन, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में किसानों द्वारा कृषि और परिवहन कार्य के लिए टैंटरों का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) एच.एम.टी., किसानों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 से 75 हॉर्स पावर में टैक्टरों का निर्माण कर रही है। प्रगतिशील किसानों जिनके पास अधिक मात्रा में भूमि है, ऐसे किसान जो टैक्टरों को किराए पर लेते हैं तथा ऐसे किसान जो बहुपयोगी कार्य अर्थात् कृषि और परिवहन संबंधी कार्य करते हैं, टैंटर वाहन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(च) टैंटरों को एच.एम.टी. द्वारा निर्मित पर्याप्त ईंधन इंजन का प्रयोग करके विकसित किया गया है जो एच.एम.टी. की टैक्टरों में प्रयुक्त इंजनों के अनुरूप है तथा इसका ईंधन उपभोग 8.6 लीटर प्रति घंटा है। मरम्मत तथा कलपूर्जों की लागत इसके प्रयोग पर निर्भर है और खरीद मूल्य की प्रतिशतता के मामले में टैक्टर के समान है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 20 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2005/29 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज जी. अहीर	362
2.	श्री मुनव्वर हसन	363
3.	श्रीमती पी. सतीदेवी	364
4.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	365
5.	श्री राकेश सिंह	366
6.	श्री अमिताभ नन्दी श्री एस.के. खारवेनथन	367
7.	डा. आर. सेनथिल	368
8.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	369
9.	श्री सांताश्री चटर्जी	370
10.	श्री निखिल कुमार श्री ब्रजेश पाठक	371
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री हरिभाऊ राठौड़	372
12.	श्री मनोरंजन भक्त	373
13.	श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	374
14.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री सुनिल कुमार महतो	375
15.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	376
16.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री पी.एस. गढ़वी	377
17.	श्री रामदास आठवले श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	378
18.	श्री दलपत सिंह परस्ते	379
19.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराव शिवनकर	380
20.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	381

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	3709
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3751, 3772, 3858, 3881
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3699, 3700, 3725
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3763, 3864
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3734, 3807 3849
6.	आठवले, श्री रामदास	3796, 3801, 3844, 3873
7.	आजमी, श्री इलियास	3666
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3676, 3761, 3804, 3828, 3878
9.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3711, 3818
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	3779
11.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3671, 3759
12.	बोस, श्री सुब्रत	3661, 3766, 3834
13.	चक्रवर्ती, श्री सुदीप	3660, 3815, 3854

1	2	3
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3721
15.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3753
16.	चौरे, श्री बापू हरी	3675
17.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3669, 3688
18.	चिन्ता मोहन, डा.	3794
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3726, 3866
20.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3718
21.	धनराजू, डा. के.	3696, 3745, 3769
22.	धोत्रे, श्री संजय	3675, 3716
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3794, 3840
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3754
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	3701, 3775, 3837, 3857, 3879
26.	गणेशन, श्री एल.	3724, 3853
27.	गंगवार, श्री संतोष	3728, 3799
28.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3727, 3798, 3843, 3885
29.	हसन, श्री मुनव्वर	3777, 3835, 3868
30.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3743
31.	झा, श्री रघुनाथ	3689, 3790
32.	करूणाकरन, श्री पी.	3797, 3842
33.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3684, 3789. 3838, 3870
34.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3693, 3776, 3814, 3877
35.	खां, श्री सुनील	3682
36.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3730
37.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3664, 3764, 3829
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3670, 3758, 3847, 3889
39.	कोया, डा. पी.पी.	3750, 3796
40.	कृष्ण, श्री विजय	3879
41.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3810, 3821, 3855
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3706
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3748
44.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3881
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3710, 3784
46.	महाजन, श्री वाई.जी.	3787
47.	महतो, श्री बीर सिंह	3703, 3776
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3776
49.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3669, 3730, 3826, 3865
50.	महतो, श्री टेक लाल	3712
51.	माझी, श्री परसुराम	3662, 3717, 3757
52.	माकन, श्री अजय	3731
53.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3754
54.	मनोज, डा. के.एस.	3722, 3797, 3823, 3860, 3886
55.	मसूद, श्री रशीद	3774
56.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3732
57.	मिडियम, डा. बाबू राव	3719, 3792

1	2	3
58.	मेघवाल, श्री कैलाश	3674, 3760, 3827, 3847
59.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3729, 3800
60.	मैन्या, डा. टोकचोम	3715
61.	मिश्रा, डा. राजेश	3737, 3811
62.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3677, 3762, 3852
63.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3752, 3824, 3861, 3884
64.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	3746
65.	मुकीम, मो.	3691, 3768, 3831
66.	मो. ताहिर, श्री	3855
67.	मोहिते, श्री सुबोध	3668, 3702, 3756
68.	मूर्ति, श्री ए.के.	3690
69.	मुंशी राम, श्री	3810, 3855
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3782
71.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3738, 3887
72.	नन्दी, श्री अमिताभ	3784
73.	नायक, श्री अनन्त	3847
74.	निखिल कुमार, श्री	3787, 3880
75.	ओराम, श्री जुएल	3749, 3820
76.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3774, 3851, 3881
77.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3667, 3770, 3832
78.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3740, 3752
79.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3802
80.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	3742
81.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3788
82.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	3771, 3833, 3869, 3877
83.	पाठक, श्री ब्रजेश	3702, 3796, 3841, 3872
84.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3714
85.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3733
86.	पटले, श्री शिशुपाल	3810, 3855
87.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3717
88.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3704
89.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3703, 3788,
90.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3732, 3806, 3881
91.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3685
92.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	3697, 3755
93.	राणा, श्री काशी राम	3700
94.	राव, श्री के.एस.	3698, 3888
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3720, 3751, 3793, 3839, 3871
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3787
97.	रावत, श्री अशोक कुमार	3855
98.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3665, 3786
99.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3683, 3773, 3847, 3875
100.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3672, 3812, 3850, 3883
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3686, 3808
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3694, 3804, 3846, 3874

1	2	3
103.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3723, 3795
104.	सरोज, श्री तूफानी	3695
105.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3780
106.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3751
107.	सेन, श्रीमती मिनाती	3702
108.	सेनथिल, डा. आर.	3785
109.	सेठ, श्री लक्ष्मण	3738
110.	सेठी, श्री अर्जन	3744, 3817
111.	शाहिद, मोहम्मद	3810
112.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3745
113.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	3751, 3822, 3859, 3881
114.	शिवन्ना, श्री एम.	3713, 3781, 3836
115.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3810, 3821, 3855
116.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3790
117.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3786
118.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3687
119.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3708
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3739
121.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3663, 3813
122.	सिंह, श्री गणेश	3680, 3778, 3882
123.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3848, 3881
124.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3735
125.	सिंह, श्री राकेश	3783
126.	सिंह, श्री सुग्रीव	3771, 3833, 3869, 3877
127.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3665, 3681, 3767
128.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3666, 3803, 3845
129.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3678, 3765, 3830, 3867
130.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3741
131.	सुमन, श्री रामजीलाल	3706, 3794
132.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3707
133.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3679
134.	थामस श्री पी.सी.	3705, 3791, 3813, 3857
135.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3808
136.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3740
137.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3697, 3753, 3755, 3816, 3863
138.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3736, 3809, 3862
139.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3751, 3772, 3825, 3881
140.	वीरेन्द्र कुमार श्री	3747, 3819, 3856
141.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3805, 3848, 3876
142.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3725
143.	यादव, श्री गिरिधारी	3699
144.	यादव, श्री मित्रसेन	3692
145.	यास्खी, श्री मधु गौड	3673

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	362, 363, 364, 366, 376, 380
रसायन और उर्वरक		
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	373, 375, 381
पर्यावरण और वन	:	369, 378, 379
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	374
श्रम और रोजगार	:	365, 367, 368, 370, 377
इस्पात	:	371, 372
पर्यटन		
जल संसाधन		

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3663, 3668, 3671, 3672, 3675, 3676, 3678, 3681, 3683, 3686, 3705, 3710, 3713, 3714, 3716, 3718, 3720, 3721, 3722, 3732, 3733, 3734, 3738, 3739, 3743, 3744, 3747, 3751, 3759, 3761, 3763, 3765, 3769, 3772, 3774, 3780, 3784, 3785, 3791, 3792, 3794, 3796, 3803, 3805, 3810, 3813, 3822, 3823, 3827, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3841, 3842, 3845, 3848, 3850, 3852, 3854, 3855, 3857, 3858, 3859, 3866, 3867, 3868, 3869, 3876, 3883, 3884
रसायन और उर्वरक	:	3682, 3719, 3723, 3726, 3730, 3758, 3800, 3816, 3830, 3839, 3847, 3863, 3864
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3674, 3684, 3688, 3689, 3692, 3701, 3706, 3707, 3735, 3736, 3742, 3754, 3770, 3775, 3776, 3777, 3808, 3828, 3832, 3840, 3851, 3870, 3874, 3875, 3882
पर्यावरण और वन	:	3665, 3679, 3687, 3694, 3715, 3752, 3757, 3766, 3768, 3779, 3783, 3787, 3797 3799, 3804, 3820, 3843, 3856, 3860, 3862, 3871, 3878, 3879, 3880, 3881, 3885, 3887, 3888
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3667, 3724, 3789, 3812
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3685, 3698, 3711, 3809, 3815, 3889

श्रम और रोजगार	:	3660, 3666, 3691, 3695, 3696, 3700, 3703, 3704, 3708, 3709, 3725, 3728, 3755, 3764, 3771, 3778, 3795, 3801, 3814, 3817, 3825, 3829, 3831, 3849
इस्पात	:	3782, 3793, 3853, 3877
पर्यटन	:	3669, 3673, 3690, 3697, 3727, 3729, 3731, 3740, 3745, 3748, 3749, 3750, 3753, 3762, 3773, 3786, 3802, 3806, 3811, 3824, 3826, 3861, 3865, 3872, 3886
जल संसाधन	:	3661, 3662, 3664, 3670, 3677, 3680, 3699, 3702, 3712, 3717, 3737, 3741, 3746, 3756, 3760, 3767, 3781, 3788, 3790, 3798, 3807, 3818, 3819, 3821, 3834, 3844, 3846, 3873.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/15/19/2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अं
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।